राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम विधान सभा के षष्टम सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या 10

बुधवार
दिनांक 2 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री कुंजीलाल !

बामनवास तहसील की विद्युतीकरण योजना

205. श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बामनवास तहसील के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कितने समय के लिए ?

(2) उक्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत हुए कितना समय व्यतीत हो चुका है तथा कितना समय शेष है ?

(3) उक्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कितने विद्युत् सम्बन्ध देने हैं, जिनमें से कितने दिये गये ? शेष विद्युत् सम्बन्ध क्या निश्चित अवधि में दे दिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां, बामनवास तहसील में दो ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें स्वीकृत हैं। योजनाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है।

(2) उक्त योजनायें दिनांक 18-3-80 को स्वीकृत की गई थीं तथा योजना के अनुसार कार्यकाल 1984-85 तक का है।

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बामनवास-प्रथम :

उपरोक्त योजना में 500 कृषि, 44 उद्योगों व 730 अन्य कनेक्शन देने का लक्ष्य है। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई गांव विद्युतीकृत नहीं हुआ है अतः कोई कनेक्शन नहीं दिया जा सका। इस योजना में इस वर्ष 25 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है, जिसका कार्य किया जा रहा है। गांवों का विद्युतीकरण होने के पश्चात् ही कनेक्शन देने का कार्य किया जा सकेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण बामनवास नातोदी—द्वितीय :

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 260 कृषि, 18 उद्योग व 380 अन्य कनेक्शन देने का प्रावधान है। इस योजना में इस वर्ष 3 ग्रामों का विद्युतीकरण करना था।

Page No 2

20 (2)

(श्रीमती कमला)
उनमें से 2 का विद्युतीकरण हो चुका है एवं शेष एक ग्राम का कार्य 33/22 के. वी. सब स्टेशन का कार्य पूर्ण होने पर किया जा सकेगा। विद्युतीकृत ग्रामों में कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री कुंजीलाल मीणा : वामनवास में तीन गांवों में से कितनों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

श्रीमती कमला : तीन गांवों में से दो का विद्युतीकरण कर दिया गया है — हिरणी और मुनेरा।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा !

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि प्रथम और द्वितीय योजना के अन्तर्गत इन गांवों में से कितने गांवों का विद्युतीकरण करना था और उनमें से नियमानुसार कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ?

श्रीमती कमला : इसका जवाब तो मैं दे चुकी हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय मंत्री मोहदया, 18-3-80 से योजना शुरू हो गई। पहला साल हो गया 1980-81, इसमें कितने गांवों का विद्युतीकरण होना था और कितनों का हुआ ? 1981-82 में दूसरा साल हुआ, इसमें कितने गांवों का विद्युतीकरण होना था और कितने गांवों का हुआ ? और 1982-83 में तीसरा साल शुरू हुआ इसमें कितने गांवों का विद्युतीकरण होना था और कितने गांवों का विद्युतीकरण चल रहा है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि 1980 के बाद 1981-82 में और उसके बाद किसी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

मैं आपको मूल प्रश्न के जवाब में बता चुकी हूं कि इस योजना में इस वर्ष तक कोई कार्य नहीं हुआ है। दूसरी योजना में तीन गांव विद्युतीकृत होने थे उनमें से दो हो चुके हैं। इसमें शेम की क्या बात है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदया, यह बतायें कि 1980-81 में जिन गांवों का विद्युतीकरण पूरा होना था उनके लिए रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन पैसा ले रहा है ? 1981-82 और 1982-83 में भी अगर पैसे लिये तो उसने अमानत में क्या खयानत नहीं की ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, योजना जो स्वीकृत की जाती है वह आर. ई. सी. से की जाती है तब बैंकों से पैसा लिया जाता है। जब जरूरत पड़ती है तब पैसा ले लिया जाता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने लिया, कहिये ?

श्रीमती कमला : वर्षवार कितना लिया इसके फिगर्स मेरे पास नहीं हैं। जब योजनायें स्वीकृत की जाती हैं तो उसके पेटे जितना खर्चा किया जाता है वह लिया जाता है। इन सबके वर्षवार फिगर कि कितना पैसा खर्च हुआ मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आर. ई. सी., नई दिल्ली से जो स्कीम चलती है उसका स्पान पांच वर्ष का बनता है। प्रति वर्ष कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया और उनसे कितना पैसा लिया गया...

श्री अध्यक्ष : विद्युतीकरण में लाइनें ही नहीं डाली जाती हैं, मैटीरियल इकट्ठा करना होता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं फिर कहना चाहता हूं और आरोप लगा रहा हूं कि पिछली बार कोटा का जब सवाल आया था, कुंजीलाल जी का क्षेत्र है इसलिए आप राजनैतिक भाव से भेद-भाव कर रही हैं, XXX खयानत कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : XXX इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज ! बैठ जायें, माननीय सदस्य !

श्री हंसराज शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि जो टोटल गांव में विद्युतीकरण करना चाहते हैं उनमें से कितने गांवों का हुआ ? कितने गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना थी ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर नहीं आयेगा। अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक।

ग्राम चांदलाई (चाकसू) में आवंटित भूमि

206. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ज्वैलर्स एसोसियेशन, राजस्थान ने तहसील चाकसू के ग्राम चन्दलाई में वर्ष 1981 के बाढ़ग्रस्त हरिजन परिवारों को मकान बना कर देने के लिये राज्य सरकार से कुछ जमीन आवंटित करने की मांग की थी ?

(2) क्या उन्हें चन्दलाई के सिचाई बांध के निकट की भूमि इस कार्य के लिये दी गई?

(3) क्या उक्त भूमि आवंटन पर ग्रामवासियों ने आपत्ति प्रकट की थी ? क्या ग्रामवासियों का विरोध बढ़ जाने पर स्वयं जिलाधीश, जयपुर ने यहां मौका देखा ?

(4) क्या स्वयं सिचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने भी मार्च, 1982 में भूमि के इस आवंटन को अनुपयुक्त बताते हुए जिलाधीश को अपनी तकनीकी राय भेजी थी ?

(5) यदि हां, तो इतने विरोध के बावजूद भी क्या वही भूमि उक्त कार्य के लिए आवंटित की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) जी नहीं। राज्य सरकार से ज्वैलर्स एसोसियशन ने कोई मांग नहीं की। पंचायत द्वारा जमीन दी गई है।

(2) जी हां, पंचायत द्वारा आबादी भूमि के पट्टे दिये गये हैं।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 4

(4)

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

(3) जी हां, ग्रामवासियों की आपत्ति पर विकास अधिकारी ने स्थल का निरीक्षण किया है।

(4) जी हां।

(5) ज्वैलर्स एसोसियेशन द्वारा जो भवन तामीर करवाये गये हैं वे गैर मुमकिन आबादी की भूमि एवं खातेदारी की भूमि पर बनवाये गये हैं। ग्रामवासियों द्वारा जो आपत्ति की गई थी, वह उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि जिस भूमि पर मकान बनवाये जा रहे थे वह पहले से ही गैर मुमकिन आबादी की भूमि थी। जिस पर ढाणी खरांवाली पूर्व से ही बसी हुई थी तथा प्रश्नागत भूमि वेस्ट-वेयर की लेवल से ऊपर थी। प्रभावित व्यक्ति वहीं पर बसना चाहते थे, जहां उनके मकान पहले से बने हुए थे।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि जहां पर यह मकान बनाये गये हैं क्या गांव वालों ने शिकायत की थी कि वह वहां नहीं बनाये जायं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैंने पहले ही मान ली है कि गांव वालों ने शिकायत की थी।

श्रीमती विद्या पाठक : उन्होंने क्या शिकायत की थी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उन्होंने यह शिकायत की थी कि जो मकान बनाये जायं वह वहां पर नहीं बनाये जायं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय पूरी बात नहीं बता रहे हैं। यह जमीन खातेदारी की है उस पर किसानों की फसल अभी भी होती है, उसके आस-पास पानी भी है। मैं यह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जब सिंचाई विभाग ने राय दी तो कलेक्टर ने वहां पर एस. डी. ओ. को मुआयने के लिए भेजा, उस जमीन को बी. डी. ओ. ने भी मौके पर जाकर देखा और यह रिपोर्ट दी कि यह जगह मकान बनाने के लिये युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि यहां पर पानी आता है और, अध्यक्ष महोदय, पानी आने से उन मकानों को नुकसान हो सकता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्या को प्रश्न के जवाब में पहले ही कह दिया है कि जो जमीन है वह गैर मुमकिन आबादी की भूमि है एवं खातेदारी की भूमि है। जहां तक शिकायत का प्रश्न है, उनकी शिकायत वजनदार नहीं थी चूंकि जो लोग पहले से ही उस पर बसे हुए थे वह चाहते थे कि उन्हें वहीं पर बसाया जाय....

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जब सन् 77 में वर्षा आई तो वहां पर काफी पानी आ गया और 11 फीट पानी भर गया था। पुन: फिर जब सन् 81 में बाढ़ आयी तो उसके कारण वहां पर जो भी मकान थे वह सभी बह गये। अब आपने वापस उसी जमीन, जहां कि बाढ़ आयी थी, पर मकान बना दिये। तो क्या अब आगे वर्षा के समय बाढ़ आवे तो उनके बहने का खतरा नहीं है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह निवेदन करना

Page No 5

(5)

(श्री जय कृष्ण शर्मा)
चाहता हूं कि जो मकान बनाये हैं वह बाढ़ जहां तक आ सकती है उससे भी दो फीट ऊंचाई पर बनाये गये हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जब सिंचाई विभाग की टैक्निकल राय थी कि वहां मकान बनाना उचित नहीं है तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उन हरिजनों को वहीं पर मकान बनाकर बसाया जाय ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सिंचाई विभाग ने जो राय दी थी उसको हमने नहीं माना था। जिस भूमि पर मकान बनाये गये वह वेस्टवेयर लेवल से भी दो फीट ऊपर भूमि पर बनाये गये। इसके अलावा वह लोग पूर्व में भी वहीं पर बसे हुए थे। उन्होंने यह मांग की थी कि उनको वहीं पर बसाया जाय। अध्यक्ष महोदय, काफी ऊंची जगह है जगह भी काफी है। जहां तक सवाल सिंचाई विभाग की राय का है, राज्य सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि उसको माना जाय। उन लोगों को खतरा नहीं था इसीलिये उन कन्जरों को वहां बसाया गया।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि सिंचाई विभाग ने अपनी जो राय दी उसको नहीं माना गया ? अब वहां पर 33 मकान और बनाये जा रहे हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को निवेदन करना चाहता हूं कि वह जमीन गैर मुमकिन आबादी की है। यह राज्य सरकार के अधिकार में है कि वह सिंचाई विभाग की राय को माने या नहीं माने।

श्रीमती विद्या पाठक : इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि लोग बाढ़ में डूब जायं और उनके मकान बह जायं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह डूबेंगे नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत बात है कि मन्त्री महोदय अपने डिपार्टमेन्ट को गलत प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हो सकता है कि फिर आगे भी वह और गलती करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अगला प्रश्न। श्री देवदत्त तिवाड़ी !

बाड़मेर जिले में राहत कार्य

207 श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या बाड़मेर जिले में अकाल वर्ष 1981-82 से जिलाधीश, बाड़मेर को यह स्पष्ट निर्देश थे कि वे अकाल राहत कार्यों को स्वयं जाकर सम्भालें ? यदि हां, तो वे उक्त अकाल वर्ष में कहां-कहां व किन-किन कार्यों को सम्भालने गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन जिलाधीश के उन कार्यों को न सम्भालने के कारण अकाल राहत कार्यों में भारी अनियमिततायें हुईं ? यदि हां, तो जिलाधीश को सरकार ने कोई ताड़ना दी, या देने का विचार है ?

राज्य मन्त्री, अकाल राहत (श्री चेतराम मीणा) : (1) अकाल राहत कार्यों की

(6)

(श्री चेतराम मीणा)
देख-रेख का कार्य जिलाधीश अपने सामान्य कार्य के भाग के रूप में ही करते हैं। जब जब वे अपने क्षेत्र में दौरे पर जाते हैं तो अन्य कार्यों का निष्पादन करते हुए राहत कार्यों की सम्भाल भी करते हैं। विशेष रूप से अकाल राहत कार्यों को वे स्वयं सम्भालें, ऐसी अपेक्षा जिलाधीश से नहीं की जाती।

(2) यह सही नहीं है। कार्यों में हुई अनियमितता के लिये जिलाधीश उत्तर-दायी नहीं माना जा सकता। कार्यों का निष्पादन संबंधित अभिकरणों के द्वारा किया जाता है। ऐसी दिशा में जिला-धीश को ताड़ना देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में जिलाधीश को राज्य सरकार द्वारा स्पेशल निर्देश दिये गये थे कि जहां-जहां भी काम चल रहे हैं वहां पर जाकर वह निरीक्षण करें। जहां पर काम चल रहे थे वहां पर बहुत से लोग काम नहीं करते थे और बदमाशी करके पैसा उठा लेते थे इसलिये राज्य सरकार ने यह आदेश किया था कि जिला-धीश महोदय अपने-अपने क्षेत्र, जहां अकाल राहत काम चल रहे हैं, में जा कर देखें कि काम पूरा हो रहा है या नहीं, लोगों को पूरी मजदूरी मिल रही है या नहीं। जब कलेक्टर ने मौके पर जा कर नहीं देखा तो इसकी सारी जिम्मेदारी कलेक्टर की है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार उनको ताड़ना दे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 228 जो है वह भी इसी तरह का है, 'बाड़मेर जिले में राहत कार्यों में हुए घोटालों की जांच' उसको भी इसी प्रश्न के साथ ले लें तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं। सवाल अलग-अलग हैं।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री दुलाराम) : यह घोटाला है उसके बारे में हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : यहां पर घोटाले वाले जी बैठे हुए हैं ना।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

अकाल राहत मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक जिले में 700-800 काम चलते हैं। हर काम की व्यक्तिगत जानकारी जिलाधीश को नहीं होती है। अलग-अलग एजेन्सियों के माध्यम से काम होता है। कौनसी जगह पर गलती हो रही है, उसमें जिलाधीश का ही कसूर है, यह बात नहीं है इसलिये जिला-धीश को ताड़ना देना युक्तिसंगत नहीं होगा।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सर्वमान्य है कि जिले के अन्दर जो भी काम होता है उसमें जवाबदारी कलेक्टर की होती है। उसको जाकर देखना चाहिये कि मौके पर काम होता है या नहीं।

श्री हनुमान प्रभाकर : वह तो कलेक्टर जा कर देखता ही है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : पर वहां पर कलेक्टर ने जा कर नहीं देखा। It is very shameful on his part.

Page No 7

श्री अध्यक्ष : यह कैसे हो सकता है ? जब मन्त्री जी आते हैं तो कलेक्टर साथ जाता है तो मौके पर जाकर देखता तो है ही।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : वह तो मन्त्रीजी के साथ जाते हैं।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 100 गांवों की लिस्ट है जहां पर कलेक्टर गया है। वह मैं बता सकता हूं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह तो जब इन्दिराजी आई थीं तब गये थे बाकी काम देखने नहीं जाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में जो अकाल राहत काम हुए हैं वहां पर एम. एल. एज. ने घोटाले किये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

अगला प्रश्न। हीरालाल आर्य।

निगम की बसों को समय पर नहीं चलाना

208. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के खातौली, पीपल्दा, गेता, गुढ़ला एवं लुहावद के लिये कोटा, बारां, बून्दी एवं झालावाड़ डिपो से चलने वाली बसें समय सारिणी के अनुसार तथा समय पर नहीं चलती हैं जिससे सवारियों को यात्रा करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(2) उक्त अव्यवस्था के लिये कौन जिम्मेदार है ? तथा सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां, यह अंशतः सही है।

(2) उक्त स्थिति के लिये जो यान्त्रिक कर्मचारी तथा चालक-परिचालक आदि जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। वाहनों के समयानुसार संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी आगार से समय नियमितता विवरण प्राप्त किया जाकर मौनिटरिंग किया जा रहा है, सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि "यह अंशतः सही है" मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आपका यह जवाब बिल्कुल गलत है। वहां पर अंशतः नहीं वहां पर अधिक से अधिक गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं।

दूसरे वहां पर समय सारिणी भी उपलब्ध नहीं है क्या यह सही है। कि पीपल्दा तहसील हैड क्वार्टर से जो बसें जाती हैं वह नियमित नहीं जाती हैं ? इसके अलावा कोटा-बारां जो चार गाड़ियां चलती हैं वह नहीं चलती हैं। इसके अलावा गेता, जो कि बहुत बड़ी बस्ती है और वहां काफी आबादी है, पर भी बसें समय पर पहुंच नहीं रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया है। अब मन्त्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है कि समय पर चलने लग जायेंगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): अध्यक्ष महोदय, वहां पर अपनी बसें विलम्ब से चल रही हैं। कहीं-कहीं पर तो बसें आ ही नहीं रही हैं। बसें नहीं चलने का कारण बताते हैं। कि कन्डक्टर नहीं है तो अंशतः मन्त्री महोदय ने जो बताया है वह गलत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आज रोडवेज की स्थिति बहुत खराब है। राजस्थान में बसें कहां, कब जाती हैं इसके लिए कोई समय-सारिणी नहीं है। पिछले दो साल से बसों की समय-सारिणी पूरे राजस्थान के लिए नहीं है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बसें समय-सारिणी के अनुसार डिपो से क्यों नहीं चलाई जाती है? समय सारिणी वहां पर उपलब्ध क्यों नहीं है? बसें समय पर चलें, इसके लिए आप डिपोज में व्यवस्थापक क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि अंशतः बसें समय पर नहीं चल रही हैं। इसके अनुसार दिसम्बर में 27 प्रतिशत बसें समय पर नहीं चलीं और जनवरी में 21 प्रतिशत बसें समय पर नहीं चलीं। लेकिन अब इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि समय पर बसें नहीं चलती हैं। मैंने स्वयं पहले ही मान लिया है कि बस कहीं-कहीं पर कभी-कभी समय पर नहीं चलती हैं। यह अब भी मैं मानता हूं, झालावाड़ जिले की जो व्यवस्था है वह सही नहीं है। इसके लिए भी व्यवस्था करने के आदेश दे दिये हैं। माननीय सदस्य को मैं स्वतः ही कहना चाहता हूं कि उसकी व्यवस्था में जल्दी ही अधिक से अधिक सुधार कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्या यह सही है कि कोटा डिपो पर रीजनल मैनेजर और डिपो मैनेजर महीनों से नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। यह अलग से प्रश्न है।

श्री हीरालाल आर्य : घन्टों लोगों की भीड़ की भीड़ इन्तजार करती रहती है, माननीय अध्यक्ष, महोदय

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आश्वासन दे दिया है। ऑर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न

श्री अनंगकुमार जैन (झालरा पाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी उनके नाम बता दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

अगला प्रश्न। श्री भैरूलाल।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार लिया गया है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

अब प्रतिशत के बारे में मतभेद हो सकता है।

ऑर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं।

अगला प्रश्न। श्री भैरूंलाल।

(व्यवधान)

अंशतः सफलता आपको मिल गयी है। पूरा सन्तोष हो जाना चाहिए।

अगला प्रश्न। श्री भैरूंलाल।

मनोहरथाना से हरनावदा शाहजी तक सड़क निर्माण

209. श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ के कस्बे मनोहरथाना से हरनावदा शाह जी तक 25 कि. मी. सड़क निर्माण न होने के कारण इस सड़क पर पड़ने वाली ग्राम पंचायतों की लगभग 25 हजार जनता अभी तक यातायात सुविधा से वंचित है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में बसने वाली 25 हजार जनता के लिए इस सड़क के अलावा अन्य कोई सड़क जिला, तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय तक पहुंचने के लिए उपलब्ध नहीं है ?

(3) क्या राज्य सरकार अब इस 25 कि. मी. सड़क का निर्माण करा कर जनता को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) मनोहरथाना से हरनावदा शाहजी एक कच्चा मार्ग है जिस पर वर्षा ऋतु में आवागमन में असुविधा होती है।

(2) जी नहीं। इस मार्ग के अलावा वर्णित स्थानों पर पहुंचने के लिए पक्की सड़कें उपलब्ध हैं।

(3) इस मार्ग पर मनोहरथाना से बनेठ तक ग्रेवल सड़क बनाने हेतु अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत 7.00 लाख रुपये की लागत का कार्य शुरू कर दिया गया है।

श्री भैरूंलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस सड़क, जो कच्चा मार्ग है, पर किसी जमाने में, आज से चार-पांच साल पहले 6 बसें चलती थीं और अब एक भी बस चालू नहीं है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता।

श्री भैरूंलाल : क्या यह सही है कि हरनावदा शाह से मनोहरथाना तक ग्राम पंचायत का क्षेत्र है जिसमें सड़क यातायात की कोई सुविधा नहीं है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मनोहरथाना से हरनावदा तक 8 पंचायत मुख्यालय तथा इन पंचायतों के गांवों का

(श्री चेतराम मीणा)

रास्ता है। यह सही है कि यह कच्चा मार्ग है और पक्की सड़क की सुविधा नहीं है।

श्री भैंरूलाल : इस सड़क का काम क्या वित्तीय वर्ष 1983-84 में लेने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो कल बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें इस सड़क के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री मेघराज तावड़ !

उदयपुर जिले के ट्राइबल ब्लॉक का बजट

219. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या जन जातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाडोल, फलासिया, खेरवाड़ा ट्राइबल ब्लॉक किस वर्ष में घोषित किये गये ?

(2) जब से ये तहसीलें ट्राइबल ब्लॉक में घोषित की गईं तब से अब तक इन ट्राइबल ब्लॉक्स में विभिन्न कार्यों हेतु केन्द्र से कितना बजट अलॉट हुआ तथा कितना राज्य सरकार ने बजट अलॉट किया ? कृपया वर्षवार राज्य और केन्द्र के बजट का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उप मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री गोविन्द आमलिया) : (1) उदयपुर जिले में ट्राइबल ब्लॉक निम्नानुसार प्रारम्भ किये गये:—

1.	कोटड़ा I	2-10-64
2.	कोटड़ा II	1-3-66
3.	खेरवाड़ा I	1-10-62
4.	खेरवाड़ा II	1-10-63
5.	झाड़ोल	ट्राइबल ब्लॉक घोषित नहीं किया गया है।
6.	फलासिया	

(2) प्रत्येक विकास खण्ड में विभिन्न विकास कार्यों हेतु 27 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। जिसमें 12 लाख रुपये कम्युनिटी डवलपमेन्ट ब्लॉक के हिस्से के और 15 लाख रुपये प्रत्येक ब्लॉक के गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये।

श्री मेघराज तावड़: अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं मिली है। मैं कैसे प्रश्न करूं ?

श्री अध्यक्ष : सूची आपने सन् 64 से मांगी है।

श्री मेघराज तावड़ : जी हां, जब से ट्राइबल ब्लॉक बने हैं। मेरा प्रश्न करने का कारण यह है कि लम्बे समय से यह ट्राइवल ब्लॉक रहे हैं, किन्तु सैन्टर और स्टेट का जो पैसा आया और जहां-जहां खर्च हुआ वहां भी काम नहीं हुआ। मैं जानना चाहता था कि यह कहां-कहां खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष : जो काम नहीं हुए उनको आप सामने लाते। इतने सालों की योजना कितनी बनी, कितना पैसा खर्च हुआ, यह बताना कठिन कार्य है।

श्री मेघराज तावड़ : आपने कहा है कि फलासिया ट्राइबल ब्लॉक में नहीं है जब कि यह ट्राइबल ब्लॉक में है। वह टोटल ट्राइबल

(श्री मेघराज तावड़)
एरिया है । झाड़ोल, कोटड़ा, खैरवाड़ा ट्राइवल ब्लॉक में थे। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, फलासिया ट्राइवल ब्लॉक में क्यों नहीं था ?

श्री गोविन्द ग्रामलियां : जिस समय योजना बनी उस समय यह ट्राइवल ब्लॉक में नहीं था। सन् 71 के बाद जब यह डिपार्टमेंट बना, दोनों तहसीलें टी. ए. डी. में हैं।

श्री मेघराज तावड़ : मुझे भाग (2) की सूची दिलायें या फिर इसको स्थगित कर दिया जाये, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : यह इनफामेशन मेज पर रखी जाने लायक है। बहुत इम्पॉर्टेन्ट है, सेन्टर से पैसा अलॉट हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इसके स्थगन पर मैं विचार करूंगा। मैं मंत्रणा कर लूं विभाग से कि कितनी सूचना है, उसके बाद निर्णय लूंगा।

स्थगित किया गया।

मंत्री, जन-जाति क्षेत्रीय विकास (श्री दुलाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न में पूछा है उसका तो जवाब दे दिया है इसमें पूछा है कि उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया, खैरवाड़ा ट्राइवल ब्लॉक किस वर्ष में घोषित किये गये ? इसका उत्तर दे दिया। फिर पूछा है, जब से ये तहसीलें ट्राइवल ब्लॉक में घोषित की गई तब से अब तक इन ट्राइवल ब्लॉक में विभिन्न कार्यों हेतु केन्द्र से कितना बजट अलॉट हुआ तथा कितना राज्य सरकार ने बजट अलॉट किया।

मेरा निवेदन है कि यह ट्राइवल योजना शुरू हुई थी 1974-75 में......

श्री राजबहादुर : यह स्थगित कर दें।

श्री दुलाराम : मैं जानकारी तो दे दूं।

कुशलगढ़, बांसवाड़ा शुरू हुई 1962 में, खैरवाड़ा, उदयपुर 1962-63 में, सामलवाड़ा, डूंगरपुर 1962-63 में, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा 1964 में, डूंगरपुर 1965 में, कोटड़ा 1965-66 में, तलवाड़ा 1966 में, पीपलखूंट 1963 में और बटवड़ा 1968 में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले यह जो ब्लॉक घोषित हुए हैं इनके लिये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मार्फत पैसा दिया गया है यह स्थिति 74-75 में थी। उसके बाद के भी आंकड़े चाहेंगे तो हम रख देंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : जब विभाग ट्रान्सफर हो गया तो रिकार्ड तो यहां आयेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। मैं इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करके उसके बाद में इस संबंध में निर्णय लूंगा।

अगला प्रश्न श्री हेमाराम।

बाड़मेर जिले में बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत चयनित विद्यालय

211. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) बाड़मेर जिले में 1981-82 में बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत चयनित माध्यमिक

Page No 12

(12)

(श्री हेमाराम चौधरी)
विद्यालयों में कक्षा, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री एवं पुस्तकालय के लिए राज्य सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की ?

(2) क्या उक्त मदों हेतु कुल स्वीकृत राशि का उपयोग किया गया ? यदि हां, तो कितनी का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) भवन निर्माण एवं सुधार हेतु कितने प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया एवं प्रत्येक पर भवन सुधार एवं निर्माण हेतु कितनी धनराशि और स्वीकृत राशि में से किस-किस विद्यालय में किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(4) क्या यह सही है कि विद्यालय भवन सुधार के लिए एक समिति का गठन किया जाना था एवं उसके द्वारा जन सहयोग भी प्राप्त करना था ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति का गठन किया गया एवं उसके माध्यम से जन सहयोग प्राप्त कर भवन सुधार के कार्य करवाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (श्रीमती कमला) : (1) बाड़मेर जिले में बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में माध्यमिक विद्यालयों हेतु कक्षा फर्नीचर के लिए रुपये 86, 833.72, शिक्षण सामग्री के लिए रुपये 17,000.00 एवं पुस्तकालयों के लिए रुपये 54,130.00 की राशि स्वीकृत की गई।

(5) उक्त मदों में धनराशि के उपयोग की स्थिति निम्न प्रकार है :

1. कक्षा फर्नीचर की स्वीकृत राशि रुपये 86,833,72 में से रुपये 26,238.12 का उपयोग हुआ। शेष रुपये 60,595.60 पैसे का उपयोग फर्म द्वारा समय पर माल सप्लाई न करने से नहीं हो सका।

2. शिक्षण सामग्री हेतु रुपये 17,000 में से रुपये 15,444.12 का उपयोग हो गया। केवल रुपये 1,555.28 की राशि का उपयोग नहीं हुआ।

3. पुस्तकालयों की राशि रुपये 54,130.00 में से रुपये 41,590.00 की पुस्तकें क्रय की गई। शेष रुपये 12,540.00 की पुस्तकें फर्मों द्वारा दिनांक 31-3-82 तक सप्लाई नहीं की गई।

(3) भवन निर्माण एवं सुधार हेतु 103 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया। विद्यालय भवन सुधार एवं निर्माण हेतु स्वीकृत एवं उपयोग की गई राशि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जिला स्तर पर विद्यालय भवन सामग्री के क्रय हेतु निम्न प्रकार से एक कमेटी गठित की गई :

जिला शिक्षा अधिकारी

उप जिला शिक्षा अधिकारी (संबंधित क्षेत्र)

सहायक अभियन्ता

लेखाकार

उक्त समिति का कार्य जन सहयोग प्राप्त करना नहीं था। सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के प्रयास करने अपेक्षित थे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि प्रधान अध्यापकों द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के प्रयास करने अपेक्षित थे। क्या इस बारे में उनसे सम्पर्क रखा गया है, या उनसे बात की गई है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारे का सारा मामला जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में हुआ है, किसी को कुछ पता ही नहीं। जन प्रतिनिधि, प्रधान, सरपंच किसी को नहीं बताया गया कि प्रत्येक स्कूल के लिये इतना पैसा दिया है, इतना पैसा जन सहयोग से दो, तभी भवन का सुधार किया जा सकता है, नया भवन बनाया जा सकता है। हमें, किसी आदमी को पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं। पैसा अन्दर ही अन्दर खर्च कर दिया गया। जैसा बताया गया है, अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर, जो चीज 20 रुपये की मिलती है वह चीज वहां पर 60 रुपये में पहुंचाई गई है, यह आप जांच कर लें। तीन गुना भाव में चीजें पहुंचाई हैं और वह भी काम की नहीं, रद्दी से रद्दी चीजें वहां पहुंचाई गई हैं, अध्यक्ष महोदय, जैसा आपसे निवेदन किया, उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं, धोरुंदा माध्यमिक विद्यालय में 30 हजार रुपये की लागत की चीजें आई जो स्थानीय बाजार से खरीदी गई उनमें तीन गुना भावों में अन्तर है। दो गुना पैसा अधिकारी लोग हजम कर गये। एक गुना पैसा लगा है, जहां सीमेंट की जरूरत थी वहां चूना लगाया है। जहां मकान गिर गये हैं वहां चीरें पहुंचाई हैं। चीरों की वहां जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस में घोटाला हुआ है। बाड़मेर जिले के पांच विधायकों ने लिख कर दिया उस पर क्या कार्यवाही की? दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह पैसा लैप्स हुआ, काम में नहीं आया। जन सहयोग नहीं लिया गया इसलिये वह पैसा काम में नहीं आया। वहां की जनता, वहां के विद्यार्थियों ने क्या गुनाह किया है कि उनके लिए अलॉट पैसा लैप्स हो गया? इसलिये जो पैसा अधिकारियों की लापरवाही के कारण रह गया है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा। संक्षेप में।

श्री हेमारामचौधरी : अध्यक्ष मोहदय, जो पैसा रह गया है, उसके सम्बन्ध में आप क्या करेंगे? क्या इस वर्ष वह पैसा आप दिलायेंगे?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन मुद्दे उठाये हैं।

पहला यह कि जन सहयोग से जो धन राशि एकत्रित की जानी अपेक्षित थी, चूंकि जन प्रतिनिधियों, प्रधान अध्यापक, सरपंच वगैरह को इत्तला नहीं दी इसलिए वह धनराशि एकत्रित नहीं हो पाई, उस कारण से कुछ राशि लैप्स हो गई और वह खर्च नहीं हो पाई। मैं मानती हूं, ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार की जानकारी जन प्रतिनिधि या सरपंच को न मिली हो और वे धन एकत्रित नहीं कर पाये हों वह तो समय निकल गया, राशि भी लैप्स हो गई। पुनः राशि मिलने का सवाल पैदा नहीं होगा।

दूसरी बात कही है कि जो सामान उसमें लग गया है वह

(श्रीमती कमला)

ऊंची दर का खराब सामान लगाया गया है। जहां जरूरत नहीं थी वहां भी जबरदस्ती लगाया गया है। इस प्रक्रिया के लिये एक कमेटी बनी हुई है। कमेटी टेण्डर इन्वाइट करती है। टेण्डर में जिसका लोएस्ट टेण्डर होगा उसको ऑर्डर देंगे। अगर इस प्रक्रिया को कमेटी ने नहीं अपनाया है, इसके विपरीत कार्यवाही की है तो जांच करके जो भी कार्यवाही प्रस्तावित होगी, करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो कमेटी बनी ......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कितने कमरे बने ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बीस संकल्प के अन्तर्गत जो पुस्तिका है, वह मैं लाया नहीं हूं। जो कमेटी बनी है वह उन नियमों के अन्तर्गत नहीं बनाई है।

श्रीमती कमला : इन्होंने प्रश्न के भाग (4) में जो बात पूछी है उसका जवाब दिया है। पुस्तक खरीद के लिये जो कमेटी है उसके लिए नहीं पूछा है, इसलिये नहीं बताया।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भवन सुधार के लिये जो कमेटी बनी थी वह कमेटी नियमानुसार नहीं बनी है। उन्होंने वह कमेटी अपनी मर्जी से बनाई है। कौन कौन मेम्बर बने है ? वह पुस्तिका मैं लाया नहीं वरना बताता कि वह कमेटी गलत बनी है और सारा पैसा खा गये हैं।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगी कि जिस-जिस मामले और जहां-जहां की बात हो, यदि वे बता दें या स्थान बता दें तो जहां कमियां हैं, उसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी : जांच हो गई, जांच रिपोर्ट भी आ गई। विधान सभा के पिछले सत्र में यह प्रश्न उठा था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : अगर जांच रिपोर्ट आ गई है तो उस बारे में तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। मेरी दृष्टि में जांच रिपोर्ट की कार्यवाही नहीं थी ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : यह एक स्कूल की बात नहीं है, सभी जगह की जांच कराइये।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी : दूसरा सत्र आ गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

प्रश्न संख्या 212

(श्री अध्यक्ष)

श्री गोपाल पचेरवाल !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह अधिकारियों को बचा रहे हैं। पांच विधायकों ने लिख कर दिया है··

श्रीमती कमला : अधिकारियों को बचाने की बिल्कुल बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : आपकी आज्ञा हो तो हम पूछ लेते हैं, वे आये नहीं हैं। इम्पोर्टेण्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न इम्पार्टेण्ट हैं।

श्री गुलावचंद कटारिया !

श्री महाराम चौधरी : राजा-महाराजों की सीलिंग का सवाल है। इम्पार्टेंट प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : स्थगित कर दिया जाये।

ग्राम ऋषभदेव के मन्दिर हेतु प्रेषित पार्सल

213. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या देवस्थान विभाग में सेठ नेमीचन्द नाथूराम दोषी ने दिनांक 21-8-79 को रजिस्टर्ड पार्सल रसीद क्रमांक 1534 से एक आरती चांदी की वजन 500 ग्राम भगवान ऋषभदेव के मन्दिर को भेजने व पार्सल न मिलने के मामले में एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज कराई ? यदि हां, तो कब एवं पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री जय कृष्ण शर्मा) : जी नहीं। राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री ऋषभदेवजी ग्राम धुलेव, जिला उदयपुर में 500 ग्राम के वजन की चांदी की आरती सेठ नेमीचन्द्र नाथूराम दोषी द्वारा पार्सल में भेजने व आरती नहीं मिलने के संबंध में देवस्थान विभाग द्वारा कोई एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई क्योंकि पार्टी द्वारा भिजवाये गये पार्सल में किसी चांदी की आरती का आना जांच में नहीं पाया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस फर्म ने यह चांदी की आरती भेजी वह पार्सल नं. 1534 द्वारा भेजी थी। पार्सल की रसीद भी आपके विभाग को भेजी है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अगले दिन पार्सल प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की जांच कर हमें बतायें। वह पहला पत्र था 10-4-80 का इसमें उल्लेख किया है कि 500 ग्राम चांदी की आरती भेजी है। फिर उसके कुछ दिन बाद 15-4-80 को दूसरा पत्र लिखा। 10-4-80 के पत्र में उन्होंने लिखा है, पार्सल की रसीद फोटो कापी भेज रहे हैं। आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। क्या इस रसीद को देखकर आप जांच करेंगे, वह पार्सल किसने प्राप्त किया ? एकनॉलेजमेंट रिसीप्ट के ऊपर वहां के अधिकारी के दस्तखत हैं पर इसमें यह नहीं बताया गया कि क्या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
चीज मिली है। एक साल बाद जब भेजने वाली पार्टी को पता लगा कि जो 400 ग्राम चांदी की आरती भेजी थी वह नहीं मिली तो उसने कार्यवाही की। सारे कागजात प्राप्त हो जाने के बाद भी ढाई साल हो गये यह तीसरा सैशन है। वह रसीद हाउस की टेबल पर रखवा दें। जो 1534 नं. का पार्सल भेजा गया था उसके न मिलने का पता लगने पर दो अधिकारियों को पत्र लिखे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, 1534 नम्बर की रसीद थी एक पार्सल आया था और वह प्राप्त हुआ है। जैसा मैंने बताया, उसके अन्दर चांदी की आरती नहीं बताई गई हैं। उसको प्राप्त करने वाले हैं मनोहर सिंह भटनागर, महेन्द्र कुमार, मनी राम दोशी। रसीद पर मनोहर सिंह भटनागर के दस्तखत हैं। 6-5-80 को शिकायत की थी उसके तहत जानकारी की। यह जो तीन आदमी हैं, उनके समक्ष पार्सल खोला गया। उसमें आरती न आना पाया गया और कोई सबूत न मिलने से कार्यवाही नहीं की गई। जो पत्र आया था उसकी जांच करवा ली है। यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस पार्सल में फिर क्या चीज मिली थी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उस पार्सल के अन्दर एक तो ताम्बे का प्याला, जिस पर यात्रियों के नाम नेमी चन्द नाथूलाल लिखा हुआ था, उसके साथ चावल धूप रखी हुई थी और दो छोटी-छोटी प्लास्टिक की थैलियां मिली थीं।

अनेक माननीय सदस्य : यह कोई टोटका था क्या ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, भगवान के मन्दिर में कई मनीऑर्डर आते हैं और लोग उठा लेते हैं। वह पार्टी पूना में रहती है। उसे जब यह पता लगा कि पार्सल नहीं पहुंचा या प्राप्त नहीं हुआ तब पार्टी ने पूना से पत्र लिखा जब पार्सल प्राप्त हुआ तो क्या आपके अधिकारियों ने पूना निवासी को यह पूछा कि आपने पार्सल में क्या भेजा था ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जब तीन आदमियों ने उस पार्सल को खोला तो यह लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता था। यह 1980 की बात है, आपके पास और भी सबूत हैं तो मैं जांच करवाने को तैयार हूं। परन्तु 1979 का मामला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पार्सल की जो अकनॉलेजमेंट-रिसीप्ट है क्या उसके आधार पर एफ. आई. आर. दर्ज करवा कर पुलिस को यह केस हैण्ड ओवर करेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : एफ. आई. आर. दर्ज करवाय किसके नाम पर ? मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जो भी पार्सल अब वहां आयेगा उसके लिए प्रभारी, अधिकारी, पोस्ट ऑफिसर, सरपंच, ग्राम पंचायत, एक जैन समाज का प्रतिनिधि, एक वैष्णव समाज का प्रतिनिधि और एक मन्दिर का पुजारी-इन 6 आदमियों की एक कमेटी बना दी है। यह मैंने भविष्य के लिए कार्यवाही कर दी है।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आप इसको पुलिस को सुपुर्द कर दीजिये। वे इस बात का पता कर लेंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
हजारों रुपयों का चोरी का समान लोग बेचते हैं और सारा का सारा माल ऊपर-ही ऊपर गायब हो जाता है। जिन्होंने माल को हजम कर लिया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ? मेरा निवेदन है, इसे पुलिस को दे दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, आपके पास कोई विशेष जानकारी हो तो दे दीजिये। जांच कराने में मुझे एतराज नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिये, एकनॉलेजमेंट रसीद भेज दी और सब कागजात आपके पास मौजूद हैं। फिर आपको जांच करवाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवेन्द्र कुमार !

स्थगित प्रश्न इस प्रश्न के पश्चात् लिये जायेंगे।

पंचायत समिति, सराड़ा द्वारा कुओं को गहरा करने हेतु दी गई राशि

215. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, सराड़ा में वर्ष 1980-81 में कुओं को गहरा करने हेतु कितने आदिवासियों को कितना-कितना रुपया दिया गया ?

(2) क्या वर्ष 1982 में उक्त समिति को हर एक पंचायत को कुआं गहरा करने के लिए 500 रु. प्रति कुआं दिया गया ? यदि हां, तो कितने आदिवासियों के कुएं गहरे हो चुके हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सराड़ा तहसील का क्षेत्र पहाड़ी एवं पथरीला है ? यदि हां, तो क्या उक्त राशि पर्याप्त है ?

राज्य मंत्री, जन-जाति क्षेत्रीय विकास (श्री गोविन्द आमलिया) : (1) पंचायत समिति, सराड़ा में जन जाति कृषकों के कुएं शत प्रतिशत अनुदान के अन्तर्गत भू-जल विभाग के माध्यम से गहरे कराये जाते हैं। वर्ष 80-81 में 50 जन-जाति कृषकों के कुओं को गहरा कराया गया था जिस पर कुल व्यय 41316.00 रुपया हुआ।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्रत्येक कृषि कुए में तीन ब्लास्ट व 36 होल किये जाने का सामान्यतया मापदण्ड निर्धारित है। इस मापदण्ड के अनुसार धनराशि 720 रु. होती है, जो पर्याप्त है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हर एक पंचायत समिति को केवल 500/- रुपए ही आदिवासियों के कुओं को गहरा करने के लिये दिये गये हैं ?

जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री (श्री दुलाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मूल प्रश्न में पूछा है "क्या सराड़ा तहसील क्षेत्र पहाड़ी एवं पथरीला है ? यदि हां, तो क्या उक्त राशि पर्याप्त है ?" इसके उत्तर में कहा है, "जी हां। प्रत्येक कुए में तीन

(श्री दुलाराम)
ब्लास्ट व 36 होल किये जाने का सामान्यतया मापदण्ड निर्धारित है। इस मापदण्ड के अनुसार धनराशि 720 रुपया होती है जो पर्याप्त है।" 500 रुपये का प्रश्न ही नहीं है। आदिवासियों के कुओं को गहरा कराने के लिये ब्लास्टिंग और होल कराने में जितना भी खर्च होता है वह राजस्थान सरकार शत-प्रतिशत वहन करती है चाहे उसे कितना ही गहरा कराना पड़े। पंचायत समिति, सेराड़ा में, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, शत-प्रतिशत का अनुदान दिया है। वर्ष 1980-81 में 50 कुओं के लिए राशि दी गई थी जिनकी लागत करीब 41 हजार रुपयों होती है। इसका मतलब भी यही है कि एक कुएं पर यह खर्चा करीब 7॥ हजार आता है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : 1981-82 में किस-किस ने कुए खोदे और कितने-कितने पैसे लगाये ? क्या आज उनमें पानी पर्याप्त है ?

श्री दुला राम : अध्यक्ष महोदय, हमने कहीं पैसों का मापदण्ड नहीं रखा है। जितना गहरा कुआं खोदा जाता है उसके अनुसार पैसा दे दिया जाता है। वर्ष 1980-81 में 50 कुएं खोदे गये थे, वर्ष 1981 से मार्च, 82 तक 80 कुओं को खोदा गया है तथा वर्ष 1982 से दिसम्बर तक 53 कुओं को गहरा किया गया है।

श्री नन्दलाल मीणा : वर्ष 1980-81 में 50 कुए खोदे गये। मेरे कहने का मतलब है जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने जो लम्बे चौड़े आंकड़े दिये हैं कि जन जातियों के उत्थान के लिये इतना कर रहे हैं तो क्या वर्ष 1981-82 में जो 53 कुए गहरे किये गये हैं वे पर्याप्त हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं ? चूंकि भू-जल विभाग और जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग का आपस में को-ऑर्डिनेशन नहीं है ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। 53 कुओं को भी गहरा नहीं किया गया है।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन है कि हमारे डिपार्टमेंट का को-ऑर्डिनेशन है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप सूची दे सकते हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

स्थगित प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी !

स्थगित प्रश्न

(23 फरवरी, 1983)

आवासन मण्डल में रिक्त पद

108 श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आवासन मण्डल में इस समय किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं तथा इनको भरने का क्या नियम है ? कृपया नियमावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1981-82 व 1982-83 में आवासन मंडल में किन किन पदों पर कितने कितने व्यक्तियों को स्थाई या अस्थाई नियुक्तियां दी गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों पर बोर्ड के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का नियुक्ति का अधिकार न होते हुए भी नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

आवासन मंत्री, श्री दुलाराम : (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल में इस समय संलग्न सूची संख्या एक के अनुसार पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की संख्या उनके आगे अंकित है। इनको भरने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति उप-नियम, 1970 एवं 1976 बना रखे हैं। राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत रुपये 1650.00 तक की अधिकतम वेतन श्रृंखला तक के पदों पर मण्डल को नियुक्ति करने के अधिकार हैं। उप-नियम, 1970 के नियम 4 के अन्तर्गत मण्डल द्वारा नियुक्ति के ये अधिकार मण्डल के अध्यक्ष या किसी अधिकारी को प्रदत्त किए जा सकते हैं। नियमावली की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) सभी अस्थाई नियुक्तियां की गयी हैं। सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) मण्डल ने अपनी बैठक दिनांक 15-5-82 को अपने प्रस्ताव संख्या 99.8 (4) के द्वारा तदर्थ नियुक्ति के समस्त अधिकार मण्डल के अध्यक्ष को प्रदत्त किए हैं।

(नियमावली विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अस्थायी नियुक्तियां की गयी हैं ? उनकी संख्या क्या 300 है और यह नियुक्तियां निर्धारित • •

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बातें नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: क्या यह नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया से नहीं की गयीं ?

माननीय मन्त्री महोदय, क्या यह नियुक्तियां एक साथ की गयीं हैं या टुकड़ों में की गयी हैं, चार आज कर दीं; पांच कल कर दीं, 6 परसों कर दीं ?

चौथा प्रश्न, क्या आप इन नियुक्तियों को वैध मानते हैं ? पांचवां, क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटे के अनुसार एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया और पदोन्नति में भी भेदभाव किया गया है ? क्या बिना नियमों के पदोन्नतियां की गयी हैं ?

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को आवासन मण्डल में एक्स.ई एन. बना दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीकर से आने वाले माननीय सदस्य का क्वेश्चन है, मेरा निवेदन है कि 15-5-1982 को आवासन मण्डल के अध्यक्ष को तदर्थ नियुक्तियों का अधिकार दिया गया। उन नियुक्तियों को बाद में किया गया है। यह सही है कि यह नियुक्तियां टुकड़ों में अलग-अलग की गयीं

(श्री दुलाराम)
हैं, 1-1, 2-2 करके। मगर वह हम देख रहे हैं, और उसकी जांच जारी है। अगर यह पाया गया कि यह नियुक्तियां नियमानुसार नहीं हैं तो उन लोगों को हम हटा देंगे और नियमानुसार नियुक्ति करने के आदेश जारी कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मन्त्री महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भर्ती नहीं किया गया, मैंने दूसरा प्रश्न यह पूछा था।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही हैं कि बिना परीक्षा लिये नियुक्तियां की गयीं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में से एक की भी नियुक्ति नहीं की गयी, क्या यह सही है ?

दूसरा यह कि इन्टक के जो महामन्त्री हैं, उन्होंने आपको पत्र लिखा कि आवासन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा इसमें 5-5 हजार रुपये लेकर नियुक्तियां की गयी हैं और आवासन मण्डल के अध्यक्ष ने इसमें 10 लाख रुपये का गबन किया है। आपने उनको बचाने का प्रयत्न किया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने आदमी हैं जिनको नियुक्त किया दो को कर दिया, 3 को कर दिया ? आप इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। कल बोर्ड ने विज्ञापन निकाला है कि 300 पद खाली हैं, और जो आदमी पहले तदर्थ रूप में नियुक्त किये गये हैं, उनको प्राथमिकता दी जायेगी और कल इनको नियमित कर दिया जायेगा××

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति के कोटे की बात है, यह सही है कि वह पूरा नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि यह कोई 80-81 या 81-82 से नहीं हो रहा 1977 से आज तक यहीं हो रहा है ··

श्री अध्यक्ष : 1977 से 80 तक क्या था ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किस नियम के अनुसार नहीं किया, स्पेसिफिक जवाब दें। उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि आज तक कैसे नहीं हुआ।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन तो सुन लीजिए। मेरे पास कोई शिकायत लिखित में नहीं पहुंची कि किससे पैसा लिया, किसने पैसा नहीं लिया, किसने दिया तो हम किस बात की जांच करें ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्टक के महामन्त्री इस बारे में आपसे मिले और आपको लिखकर दिया। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों का प्रतिनिधि मण्डल भी मिला और···

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए।

श्री दुलाराम : मैं निवेदन करूं, मेरे पास शिकायत लिखित में नहीं आयी। मेरे पास शिकायत आयेगी तो मैं जांच करूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : लिखित क्या होता है ? आप स्वयं अनुसूचित जाति के हैं।

×× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपसे मिलने वाला प्रतिनिधि मण्डल मेरे से और माननीय परसराम जी मोरदिया से भी मिला है। उन्होंने कहा है कि हम दूलाराम जी से मिलकर आये हैं। आप आवासन मण्डल‥

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो नियुक्तियां की गयी हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कोटा पूरा नहीं किया गया। उनका कोटा पूरा किया जाय और सारी अवैध नियुक्तियों को रद्द किया जाय। दुबारा प्रार्थना-पत्र मंगाकर, एप्लीकेशंस कॉल करके नियुक्तियां निष्पक्ष रूप से की जायें।

श्री अध्यक्ष : यह बात आ चुकी है।

श्री परसराम मोरदिया : इसकी दुबारा कमेटी बनाकर दुबारा‥ ‥

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के माननीय नेता महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय मन्त्री महोदय बताएंगे कि 15-5-82, जिस दिन आवासन मण्डल के अध्यक्ष को तदर्थ नियुक्तियां करने का अधिकार दिया गया, को कितनी नियुक्तियां करने का अधिकार दिया?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो रिजोल्यूशन पास किया वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। इसमें कितनी नियुक्तियां करने का नहीं है। "भविष्य में तदर्थ नियुक्तियां करने हेतु केवल अध्यक्ष ही सक्षम होंगे, इस बाबत आदेश तुरन्त जारी कर दिया जाय"। इसके बाद मेरा निवेदन है सीकर से आने वाले माननीय सदस्य से कि मेरे पास जो डेपुटेशन आया, उसने मुझे लिखित में कोई सूचना नहीं दी। (व्यवधान) मेरी अर्ज तो सुनो। हाउस में जो बात की है, उस बारे में मैं विश्वास दिला सकता हूं कि करप्शन के जो चार्जेज आपने लगाये हैं, उनकी मैं जांच कराऊंगा। सही पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या मन्त्री महोदय इस बात की व्यवस्था करेंगे कि अभी हाल ही में जो विज्ञप्ति निकली है कि जिनकी अस्थायी नियुक्तियां हैं, उनको स्थायी नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जायेगी, यह निरस्त हो जाए ताकि सब लोग ओपन कम्पिटीशन में आ सकें?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नियम के मुताबिक जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को यह अधिकार देंगे, एक्ट में जो अधिकार है। एक सलेक्शन कमेटी है, उसके मार्फत ही नियमानुसार नियुक्तियां करवाएंगे। जो ड़े-टु-डे नियुक्तियां हुई हैं, उनको हम हटा देंगे।

श्री हरीश शर्मा : जो विज्ञप्ति में कन्डीशन लगायी गयी है •••

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मण्डल के अध्यक्ष ने घोटाला किया है और मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उन्होंने गलत नियुक्तियां की। ऐसे व्यक्ति को मण्डल का अध्यक्ष क्यों बनाया गया × × ×

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री रामनारायण जी चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है जो कांग्रेस (आई) के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। वह...

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पूछा हुआ है, स्थगित प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य।

स्थगित प्रश्न

23 फरवरी, 1983

इटावा के दुकानदारों को कब्जा दिलाना

98. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के इटावा कस्बे की खसरा नं. 704 व 1639 की भूमि पर वहां के गरीब दुकानदारों ने पिछले 15-20 वर्षों से दूकानें लगा रखी हैं? यदि हां, तो कृपया दुकानदारों के नाम, पता, रकबा व कब से काबिज हैं, सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानदारों ने इन दुकानों को उनके नाम नियमन करने हेतु विभागों को आवेदन दिये हैं?

(3) क्या सरकार जनहित में उन गरीब दुकानदारों को उनके कब्जे की जमीन का नियमन करने के आदेश प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी नहीं। अतिक्रमण पिछले दो वर्ष से 15 वर्ष तक का है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सामुहिक रूप से एक आवेदन राज्य सरकार को भेजा गया है। जो नियमानुसार नहीं था। सिर्फ दो व्यक्तियों ने सम्बन्धित विभाग को व्यक्तिगत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) नियमन के नियम प्रचलित हैं, तदनुसार नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो, मन्त्री महोदय ने जो सूचना दी है कि यह लोग केवल दो साल से ही वहां हैं, वह गलत है। यह लोग वहां 15 से 20 साल से...

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने 15 साल तक कहा है।

श्री हीरालाल आर्य : सूची में लिखा है इसमें अधिकांश लोग 2-2, 3-3 साल से बैठा रखे हैं, यह गलत है। वह 15 से 20 साल पहले के कार्यरत हैं और गरीब लोग हैं। किसी का होटल, किसी की पान की दुकान, किसी की चाय की दुकान है। इसलिए नियमों के अनुसार इनका नियमन किया जाना चाहिए।

दूसरा, मंत्री महोदय ने कहा कि किसी ने सरकार को कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन सभी

(श्री हीरा लाल आर्य)
लोगों ने वहां के तहसीलदार के माध्यम से मण्डी कमेटी को रिक्वेस्ट की कि जब बड़े लोगों के आप नियमन कर रहे हैं तो इन गरीब लोगों के नियमन की कार्यवाही भी करें।

श्री जय कृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य ने जो बताया है उसके उत्तर में निवेदन है, जैसा मैंने कहा कि अगर उनका नियमानुसार प्रार्थना-पत्र आ जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो उनका नियमन कर दिया जाएगा। उनको प्रार्थना पत्र तो नियमानुसार देना पड़ेगा। एक सामुहिक प्रार्थना-पत्र पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत एक बिन्दु था "सिवाय चक भूमि पर बनाए गए बाड़ों तथा भवनों के नियमन के मामले तैयार करना।" अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम" में क्या इन दुकानदारों के नियमन के कोई कागजात तैयार किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य की सूचना के लिए बता दूं कि 704 नम्बर सिवाय चक भूमि खसरा का नम्बर है और 1639 नम्बर की भूमि निजी खातेदारी की है। इसलिए इन दोनों नम्बरों की भूमि का नियमन करने के लिए नियमानुसार एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जैसा आपने कहा कि "प्रशासन गांवों की ओर" के अन्तर्गत इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए थी, अगर वे प्रार्थना पत्र देते तो अवश्य इसके ऊपर कार्यवाही की जाती परन्तु उन्होंने स्वयं कोई एप्लीकेशन नहीं दी। अब आपको मेरी यही सलाह है कि आप उनको सलाह दें कि वे नियमानुसार दरख्वास्त दें। उस पर राज्य सरकार अवश्य ही कार्यवाही करके उनका नियमन करेगी।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हीरालाल आर्य : "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत एस. डी. ओ. के सामने ये सारे लोग....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हीरालाल आर्य :...गिड़गिड़ाते रहे कि साहब यह नियम हैं। इनके माध्यम में हमारे नियमन के कागजात बनाओ लेकिन एस. डी. ओ. ने उनको भगा दिया। उनको....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हीरालाल आर्य : उनको अपशब्द कहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.ओ. को अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। उनको कागज तैयार करने चाहिए थे। वह करने के बजाय एस.डी.ओ. ने कार्यवाही नहीं की। आप एस. डी. ओ. के खिलाफ कार्यवाही करें कि उनके कहने के बावजूद भी नियमन करने के कागजात तैयार क्यों नहीं किए ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया विराज जायें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राजा महाराजाओं की सीलिंग से मुक्त भूमि

212. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सन् 1980-81 व 81-82 तथा 82-83 में भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी जमीन सीलिंग से मुक्त कर दी गयी है?

यदि हां, तो किन-किन भूतपूर्व राजाओं को यह लाभ दिया गया? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बांसवाड़ा में राकफास्फेट खनिज भण्डार

209. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट गांव के निकट राकफास्फेट खनिज का विशाल भण्डार निकाला गया है?

(2) यदि हां, तो अभी तक की खोजों से कितनी मात्रा का पता चला है? और यह खोज कार्य किसके माध्यम से कराया जा रहा है?

(3) उक्त भण्डारों के दोहन की राज्य सरकार की क्या योजना है।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट गांव के निकट राकफास्फेट खनिज के भण्डार हैं।

(2) सल्लोपाट राकफास्फेट खनिज क्षेत्र में खोज का कार्य पूर्व में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया है। परन्तु विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य न होने से मात्रा का अनुमान नहीं हो सका। वर्तमान में राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा इस क्षेत्र में खोज का कार्य प्रगति पर है। इस क्षेत्र में छिद्रण कार्य प्रारम्भ कर मात्रा व ग्रेड का पता लगाया जा रहा है।

(3) सल्लोपाट राकफास्फेट के खनिज भण्डारों का दोहन राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा किये जाने की योजना है।

जोधपुर में खनिज मार्गों की मरम्मत

210 श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर स्थित सूरसागर खनिज दोनों के मार्गों की

(श्री नरपतराम बरवड़)

हालत बहुत ही दयनीय है जबकि खनिज विभाग को इस क्षेत्र से सालाना करोड़ों रुपयों की आय होती है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि खनिज अभियन्ता, जोधपुर ने बड़ली से सोढ़ों की ढाणी, केरू खनिज मार्ग, सूरसागर बाईपास को सुधारने एवं, चौड़ा करने बाबत निदेशालय को कई बार लिखा है? यदि हां, तो उक्त मार्गों को ठीक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार सूरसागर खनिज मार्गों की मरम्मत करवाना चाहती है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सूरसागर क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत का कार्य वर्ष 1979-80 में कराया गया था।

(2) खनिज अभियन्ता, जोधपुर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के विचाराधीन है।

(3) सड़क निर्माण हेतु विभाग को निश्चित व अल्प राशि उपलब्ध होती है, अतः यह कार्य आवश्यकतानुसार व प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाता है। अभी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा सका है।

सहायक अभियन्ता, खनिज (चित्तौड़गढ़) के विरुद्ध शिकायतें

211. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सहायक खनिज अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को अनियमित कार्यों की शिकायत की गई है? यदि हां, तो गत दो वर्ष में इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध गत दो वर्षों में उच्चाधिकारियों को दो शिकायतें प्राप्त हुईं। उन शिकायतों पर विभाग द्वारा जांच कराई गई एवं निर्णय विचाराधीन है।

उदयपुर सीमेंट वर्क्स के अधीन खनिज पट्टे

212. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर सीमेंट वर्क्स, बजाज नगर जिला उदयपुर के पक्ष में लाइम स्टोन की खानों के कितने पट्टे हैं और यह कब कब स्वीकार किये गये? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खानों से निकाले जाने वाले खनिज पर रायल्टी किस दर से ली जाती है और उसकी मात्रा निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रंगजी मीणा)

(3) वर्क्स द्वारा वर्ष 1981-82 में खनिज की कितनी मात्रा पर कितनी रायल्टी चुकाई गई तथा दिनांक 1-4-1982 से 31-1-1983 तक प्रतिमाह कितनी मात्रा पर कितनी कितनी रायल्टी चुकाई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्क्स को स्वीकार किये गये खनिज पट्टों में यह भी शर्त थी कि वे शीघ्र ही मशीन स्थापित कर उससे खनिज को तोलकर रायल्टी चुकायेंगे ? यदि हां, तो यह शर्त कब पूरी की गई ? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) सर्व श्री उदयपुर सीमेंट वर्क्स, बजाज नगर, उदयपुर को लाइम स्टोन के दो खनन पट्ट स्वीकृत किये गये हैं जिनमें एक शासन के आदेश दिनांक 30-12-68 द्वारा तथा दूसरा आदेश दिनांक 19-6-82 द्वारा स्वीकृत किया गया।

(2) खानों से उत्पादित खनिज लाइम स्टोन का निर्गमन करने पर अधिशुल्क 4.50 पैसा प्रति टन वसूल किया जाता है। जब लाइम स्टोन खान से सीधा ट्रकों द्वारा फैक्ट्री लाया जाता है, उसका तोल फैक्ट्री स्थित रे-ब्रिज पर किया जाता है। जब लाइम स्टोन खान से फैक्ट्री में एरियल रोप वे से लाया जाता है तब उसका तोल बेल्ट कन्वेयर पर लगी हुई क्रेन मशीन द्वारा किया जाता है।

(3) सर्व श्री उदयपुर सीमेंट वर्क्स द्वारा वर्ष 1981-82 में कुल निर्गमित खनिज 297056 मैट्रिक टन पर रु. 13,36, 752/-अधिशुल्क चुकाया गया। दिनांक 1-4-82 से 31-1-83 तक प्रतिमाह खनिज निर्गमन की मात्रा एवं उस पर चुकाई गई राशि का विवरण संलग्न है।

(4) जी हां। पार्टी द्वारा फैक्ट्री क्षेत्र में वे मशीन स्थापित की गई है एवम् जो खनिज एरियल रोप वे के द्वारा निर्गमन किया जाता है उसके तोल के लिए बेल्ट कन्वेयर पर तुलाई का उपकरण लगा रखा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में टंगस्टन एवं टीन के भण्डार

213. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में सिरोही, जालौर और आबू क्षेत्रों में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार टंगस्टन और टीन जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त खनिज कितने क्षेत्र में कहां पाये गये हैं और इनकी अनुमानित मात्रा क्या है ? तथा इनकी खुदाई का काम कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप सिरोही, जालौर और आबूरोड क्षेत्रों में पाई जाने वाली आग्नेय चट्टानों में टंगस्टन तथा टिन

(खनिज मन्त्री)

खनिजीकरण पाये जाने के संकेत विद्यमान हैं। इसके आसार पर वालदा तथा देवा का बेरा क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक मानचित्रीकरण तथा ड्रिलिंग का कार्य किया गया।

(2) वालदा में 0.75 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रीकरण तथा 1822.7.0 मी. ड्रिलिंग कार्य वर्ष 1981-82 तक किया गया है तथा 76943 टन भण्डार का अनुमान लगाया गया है जिसमें 0.10% W03 की मात्रा है IGV-1 जोन में 33,154 टन भण्डार है जिसमें 0.18% W03 की मात्रा पाई जाती है। इन भण्डारों का प्रमाणीकरण (Conformation) करने के लिए अन्वेषणात्मक खनन् कार्य के लिये खनिज अन्वेषण निगम (Mineral Exploration Corporation) को भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने अनुबन्धित किया है। वालदा क्षेत्र में दिनांक 3-2-83 को राज्य खनिज विकास निगम को कार्यानुमति प्रदान की गई है। वह शीघ्र ही इस क्षेत्र में कार्य करेंगे।

पशुधन बहुसंख्यक क्षेत्रों में चरागाह एवं गोचर भूमि का आरक्षण

214. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व क्षेत्र के उन गांवों, जिनकी अर्थ व्यवस्था पशुधन पर आधारित है, में चरागाह व गोचर भूमि आरक्षित करने की राज्य सरकार की क्या योजना है? क्या बीकानेर व जैसलमेर जिलों के गांवों में इसकी पालना हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) एक करोड़ भेड़-बकरी पशु संख्या के आधार पर क्या वर्तमान चरागाह पर्याप्त होंगे? यदि नहीं, तो सरकार इस विषय पर भविष्य के लिए क्या विचार रखती है?

(3) राजस्व क्षेत्र में पशुओं के लिए चरागाह भूमि आरक्षित करने के लिए क्या अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करके चरागाह व गोचर भूमि छोड़ने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो योजना की पूर्ण जानकारी दें।

उत्तर

(1) गोचर भूमि की कायमी के लिए गाय, भैंस व उनके वंश के पशुओं की संख्या एवं भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखना होता है। और इस काम के लिए मोटे तौर पर आधा बीघा भूमि प्रति पशु का प्रमाण होता है। बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में इसी आधार पर चारागाह की कायमी होती है।

(2) उक्त दोनों जिलों में भूमि के आवंटन पर रोक है परन्तु कुछ विशेष प्रयोजनों हेतु ही निश्चित सीमा तक भूमि का आवंटन किया जा सकता है। इन जिलों की भूमि चरागाह विकास एवं वृक्षारोपण के लिए ही अधिक उपयुक्त समझी गई है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार निर्धारित से अधिक क्षेत्र में चरागाह कायम होने की व्यवस्था हो जाती है।

(3) चरागाह केवल गाय, भैंस एवं उनके वंश हेतु ही आरक्षित किया जाता है। यदि भेड़-बकरी की संख्या का भी ध्यान रखा जावे व उनके लिए भी चरागाह छोड़ा जावे तो स्पष्टतः समस्या भूमि की उपलब्धता की

(राजस्व मंत्री)

आती है क्योंकि इनकी संख्या बहुत है। जैसा प्रश्न के भाग (1) में स्पष्ट किया गया है, चरने हेतु भूमि उपलब्ध है।

जी नहीं।

हुलमाना खुर्द (अलवर) की बंजर एवं गोचर भूमि का आवंटन

215. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई), श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील मुण्डावर जिला अलवर ग्राम हुलमाना खुर्द की बंजर एवं गोचर भूमि में से सन् 1960 से अब तक किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि कब कब किस किस आधार पर आवंटित की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त भूमि का आवंटन मूल रूप में उन व्यक्तियों को हुआ जिनके नाम से चली आ रही है ? यदि नहीं, तो क्यों और ये परिवर्तन/स्थानान्तरण क्यों, कब और कैसे हुए ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। केवल क्रम संख्या-**2** में विरासत के नामान्तरकरण में परिवर्तन मंगल के स्थान पर सुबेसिंह पुत्र खुद के नाम से हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य के इमारती मजदूर

216. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में इमारती मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

(2) क्या राज्य सरकार इनकी सुरक्षा के लिए कोई विधेयक बनाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं, बांध परियोजनाओं, विद्युत् केन्द्रों तथा निजी कारखानों, बिल्डिंगों पर काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सफाई तथा सुरक्षा के लिए विधेयक बनाने के निर्देश राज्य सरकार को भेजे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई विधेयक बनाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1971 की जनगणना के अनुसार इमारती मजदूरों की संख्या राज्य में 81,443 है। सन् 1981 की जनगणना के आंकड़े अभी तक संकलनाधीन हैं।

(2) इमारती मजदूरों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विचाराधीन कोई विधेयक नहीं है क्योंकि एक ऐसा विधेयक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। ऐसे कोई निर्देश राज्य सरकार को नहीं मिले हैं।

विद्युत् विभाग की हड़ताल के दौरान व्यय

217. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत बिजली हड़ताल से निपटने के लिये राजस्थान विद्युत् मण्डल ने हड़ताल के दिनों में कितनी धनराशि खर्च की ?

(2) भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न मदों में कितना धन खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खर्च के बिलों के भुगतान का क्या तरीका अपनाया गया ? कितनी-कितनी राशि बिना बिलों के किस-किस स्थान पर स्वयं के प्रमाणीकरण पर गई ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपलब्ध लेखों के अनुसार, हड़ताल के दिनों में लगभग 371 लाख रुपये व्यय किये गये।

(2) विद्युत् मण्डल के लेखे जिलेवार संकलित नहीं किये जाते। विभिन्न मदों पर हुए व्यय की वर्गीकृत सूची 'अ' संलग्न है।

(3) हड़ताल की स्थिति से निपटने के लिये संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को कन्टीनजेन्सी प्लान के अन्तर्गत विशेष अधिकार दिये गये थे। उन अधिकारों के अनुसार वे संबंधित व्यय की स्वीकृति देने तथा भुगतान करने हेतु सक्षम हैं। कोई भी भुगतान बिना वाउचर के नहीं किया जाता। हड़ताल की अवधि में साधारण कार्य घंटों के अलावा अतिरिक्त समय कार्य पर उपस्थित रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित दर पर दैनिक खुराक भत्ते की राशि का भुगतान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की स्वयं की रसीद पर किया गया है। इसी प्रकार 'गोपनीय सेवाओं' के लिये व्यय की गई राशि का भुगतान भी स्वयं के प्रमाणीकरण के आधार पर किया गया है। चूंकि विद्युत मण्डल के लेखे जिलेवार नहीं संकलित किये जाते, अतः जिलेवार सूचना देना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सिकराय क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण

218. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिकराय-निर्वाचन क्षेत्र के कितने गांव विद्युतीकरण हेतु कब-कब स्वीकृत हुए, और उनमें से कितने गांव कब-कब विद्युतीकृत किये गये ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के कितने आवेदन-पत्र मण्डल के पास 1 जनवरी, 1983 को पेंडिंग हैं, तथा कितने-कितने समय से ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु 99 ग्राम विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये जा

Page No 30

(30)

(उर्जा मंत्री)

चुके हैं, जिनमें से 74 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। विद्युतीकृत ग्रामों की सूची 'अ' विद्युतिकरण का दिनांक दर्शाते हुए सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में इन विद्युतीकृत ग्रामों में दिनांक 1-1-1983 को 1174 आवेदन पत्र पेंडिंग थे जिनकी ग्रामवार सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अलवर क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

219. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों में बिजली नहीं है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों में अब बिजली कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) अलवर विधान सभा क्षेत्र में 15 गांवों में बिजली नहीं है। सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) समस्त गांवों में बिजली उपलब्ध कराने की अभी कोई योजना नहीं है, अतः निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सांगानेर व दुर्गापुरा में विद्युत् प्रसार

220. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1982-83 में सांगानेर व दुर्गापुरा में विद्युत् प्रसार के लिये राज्य सरकार द्वारा 87000/-रुपये स्वीकृत किये गये थे?

(2) यदि हां, तो उक्त धनराशि से कहां कहां विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी व कब-कब? कृपया स्थानों के नाम, लागत व तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्ष 1982-83 में सांगानेर व दुर्गापुरा क्षेत्र में विद्युत् प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। केवल जयपुर नगर परिषद द्वारा सांगानेर हवाई अड्डे से गांधी नगर टोंक फाटक के ओवर ब्रिज तक रोड लाइट के लिए व्यवस्था हेतु रु. 87,918/-की राशि विद्युत मण्डल के प्राक्कलन के अनुसार जमा कराई गई थी।

(2) उक्त रु. 87,918/-की धनराशि से टोंक रोड ओवर ब्रिज से सांगानेर हवाई अड्डे तक (रनवे के कुछ हिस्से को छोड़ कर) सड़क पर प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत् मण्डल द्वारा पृथक पृथक लाइन डाली गई है। यह कार्य माह नवम्बर 82, में पूर्ण हो चुका था।

राज्य में बेरोजगार युवक

221. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

31 दिसम्बर, 1980, 31 दिसम्बर, 1981 एवं 31 दिसम्बर, 1982 को स्नातक, हायर सैकेण्डरी एवं सैकेन्डरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त कितने युवक बेरोजगार पंजीकृत हुए ? उनमें से कितने युवकों को वर्ष 1980, वर्ष 1981, वर्ष 1982 में सरकारी और गैर-सरकारी विभागों में नौकरियां दिलाई गई ? कृपया जिलावार पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नियोजन कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 1980, 31 दिसम्बर, 1981 एवं 31 दिसम्बर, 1982 को स्नातक, हायर सैकेण्डरी एवं सैकेन्डरी स्तर के शिक्षा प्राप्त बेरोजगार पंजीकृत युवकों की संख्या निम्न प्रकार थी: -

शिक्षा स्तर	31-12-1980	31-12-1981	31-12-1982
स्नातक	39447	48069	40390
हा. सैण्कडरी	69352	75247	77898
सैकेण्डरी	56933	63797	71324
योग	165732	187113	189612

उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 80, वर्ष 81, एवं वर्ष 82 में सरकारी व गैर सरकारी विभागों में निम्न को नौकरियां दिलवाई गई: —

विभाग	1980	1981	1982
सरकारी	15026	16605	13501
गैर सरकारी	1754	795	639
योग	16780	17400	14140

जिलावार पृथक् सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

संस्कृत शिक्षण संस्थायें

222. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में कितनी संस्कृत शिक्षण संस्थायें हैं और उनमें से कितनी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत कार्य कर रही हैं ?

(2) उक्त संस्कृत शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के क्या नियम हैं ?

(3) क्या उक्त नियमों का पालन न करने के बावजूद भी अनेक संस्थाओं को अनुदान दिए गए हैं ? यदि हां, तो किन किन को, कितना कितना अनुदान गत 3 वर्षों में दिया गया ? कृपया संस्थावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 202 संस्कृत शिक्षण हैं तथा 7 शिक्षण संस्थायें सार्व-

(शिक्षा मन्त्री)
जनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रही है।

(2) संस्थाओं को राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(3) जी, नहीं।

जिला जैसलमेर में नये प्राथमिक विद्यालय

223. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) वित्त वर्ष 1977-78, 1978-79 1979-80, 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में जैसलमेर जिले में कहां-कहां प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? कृपया पंचायत समिति व ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार वित्त वर्ष 1983-84 में जैसलमेर जिले में कहां कहां प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? कृपया ग्राम व पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्त वर्ष 1977-78, 1978-79 1979-80, 1980-81 एवं 1981-82 में जैसलमेर जिले में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की पंचायत समिति व ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1982-83 में राज्य में नये प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये।

(2) वर्ष 1983-84 में यदि राज्य सरकार नये प्राथमिक विद्यालय खोलती है तो जैसलमेर जिले के लिये भी विचार किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य में बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक

225. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

प्रदेश में इस समय भिन्न-भिन्न श्रेणी के कितने प्रशिक्षित शिक्षक बेरोजगार हैं और इन लोगों को कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के नियोजन कार्यालयों में पंजीकरण के अनुसार दिनांक 31-12-1982 तक भिन्न भिन्न श्रेणी के कुल 23, 368 प्रशिक्षित शिक्षक बेरोजगार हैं। जैसे जैसे अध्यापकों के पद उपलब्ध होंगे, नियमानुसार नियुक्ति देने की कार्यवाही की जा सकेगी। अतः निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है। श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या
1.	बी. एड.	11,016
2.	एस. टी. सी.	7,956
3.	उद्योग शिक्षक	1,429
4.	शारीरिक शिक्षक	2,967
	योग :	23,368

राज्य में निजी शिक्षण संस्थायें

226. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा-मालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गैर-सरकारी मान्यता एवं आर्थिक सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं, प्रा. वि., उ. प्रा. वि, मा. वि., उ. मा. वि. एवं महाविद्यालय कितने कितने हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता एवं आर्थिक अनुदान देने के कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें । वर्ष 1981-82 में इन संस्थाओं को कितनी राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई ?

उत्तर

(1) राज्य में विभिन्न स्तर के गैर सरकारी मान्यता एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार है:—

कॉलेज शिक्षा

महाविद्यालय	—	44
राजस्थान स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च	—	1
इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज एण्ड रिसर्च, जयपुर	—	1
	योग :	46

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक	894
उच्च प्राथमिक विद्यालय	442
माध्यमिक विद्यालय	119
उच्च माध्यमिक विद्यालय	150
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	4
योग..	1,609

संस्कृत शिक्षा

पूर्व प्रवेशिका	29
प्रवेशिका	11
उपाध्याय	13
आचार्य	8
शास्त्री	5
छात्रावास	2
योग..	68

(2) जी, हां । प्रति संलग्न है ।

वर्ष 1981-82 में निम्न प्रकार सहायता दी गयी है:—

कॉलेज शिक्षा

46-शिक्षण संस्थाओं को—1,97,56,622/—

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

1609 शिक्षण संस्थाओं को 5,38,50,000/—

संस्कृत शिक्षा

68 शिक्षण संस्थाओं को—33,98,000/-

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 34

(34)

प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय

227. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिला में प्रौढ़ शिक्षा पर 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में कितना धन किन संस्थाओं के माध्यम से कहां-कहां खर्च किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रौढ़ शिक्षा से कितने व्यक्तियों को रोजगार योग्य बनाया गया ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बीकानेर में वर्तमान में कहां-कहां प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं ? वर्ष 1983-84 में कहां-कहां नये केन्द्र खोलना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में केवल एक संस्था बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा का कार्य कर रही है। इस समिति द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पर वर्षवार किया गया व्यय निम्न प्रकार है:—

वर्ष	व्यय राशि
1980-81	रु. 2,84,254
1981-82	रु. 2,25,000
1982-83	रु. 2,00,000

उक्त धन समिति द्वारा जिले की पंचायत समिति बीकानेर, लूणकरणसर, कोलायत एवं नोखा में चलाये गये प्रौढ़ शिक्षण केन्द्रों हेतु व्यय किया गया।

(2) प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को रोजगार योग्य बनाना नहीं होकर निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाना है, जिससे उनमें सामाजिक चेतना तथा व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि हो।

(3) जिला बीकानेर में वर्तमान में पंचायत समिति बीकानेर, लूणकरणसर, कोलायत एवं नोखा में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

वर्तमान सत्र की परियोजना अवधि के दस माह पूर्ण होने के पश्चात् ही सत्र 1983-84 हेतु समिति द्वारा खोले जाने वाले केन्द्रों के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त होंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जिला कोटा में शिक्षकों के रिक्त पद

228. श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद), श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में कितने राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं ?

(2) उन विद्यालयों में कितने छात्र विद्याध्ययनरत हैं व कितने अध्यापक हैं ?

(3) क्या निर्धारित मापदंड के अनुसार अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो किन-किन विद्यालयों में कितने कितने अध्यापकों की कब से कमी

(श्री दाऊदयाल जोशी)
(श्री हीरालाल आर्य)
चल रही है ? इस कमी को कब तक दूर कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में विभिन्न स्तर के विद्यालय निम्न प्रकार हैं:—

	बालक	बालिका	योग
1. प्रा.वि.	1023	23	1046
2. उ.प्रा.वि.	195	29	224
3. मा.वि.	63	15	78
4. उ.मा.वि.	19	4	23
	1300	71	1371

(2) उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या 1-9-82 को निम्न प्रकार थी:—

(क)	छात्र	छात्रा	योग
1. प्रा.वि.	76099	38271	114370
2. उ.प्रा.वि.	47227	15786	63013
3. मा.वि.	16689	5660	22349
4. उ.मा.वि.	16376	4530	20906
	156391	64247	220638

(ख) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या दिनांक 1-9-82 को निम्न प्रकार थी:—

1. प्रा.वि.	2697
2. उ.प्रा.वि.	1902
3. मा.वि.	923
4. उ.मा.वि.	889
	6411

(3) जी नहीं। दिनांक 1-9-82 को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालयवार एवं पंचायत समितियों के अन्तर्गत पंचायत समितिवार अध्यापकों की कमी की सूचियां सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं। इस कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

रेलवे गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर के चुनाव

229. श्री कैलाश मेघवाल, (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रेलवे एम्प्लाइज गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर के पिछले चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन कौन पदाधिकारी चुने गये और क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं या उसमें कोई परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति के वर्ष 1978-79 के ऑडिट होने पर 34,709.84 का अनियमित तथा अवैध खर्च एवं गबन होना पाया गया ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि ऑडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो वह कब प्रस्तुत की गई और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है

उत्तर

(1) जी नहीं, पिछले चुनाव दिनांक 7-6-81 को सम्पन्न हुए, जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने गये:—

1.	श्री भंवरलाल	अध्यक्ष
2.	श्री भोलाराम	उपाध्यक्ष
3.	श्री नत्थीलाल	उपाध्यक्ष
4.	श्री कन्हैयालाल	मंत्री
5.	श्री नन्दकिशोर	संयुक्त मंत्री
6.	श्री बीरबल	संचालक
7.	श्री ओंकारसिंह	कोषाध्यक्ष
8.	श्री सूरजमल	संचालक
9.	श्री किशनचन्द	संचालक

(2) जी नहीं, 34,709.84 रु. के अवैध खर्च एवं गबन होने का कोई उल्लेख वर्ष 78-79 की ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है।

(3) जी हां, दिनांक 14-1-80 को कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार में प्रस्तुत कर दी गई थी। गबन एवं अवैध खर्चों का उल्लेख नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जय अम्बे श्रमिक ठेका सहकारी समिति के चुनाव

230. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जय अम्बे श्रमिक ठेका सहकारी समिति, अजमेर के पिछले चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन-कौन पदाधिकारी चुने गये और क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं या उसमें कोई परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1978-79 के ऑडिट होने पर 420418.00 रुपये का अनियमित तथा अवैध खर्च एवं गबन होना पाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि वह ऑडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर एवं स्पेशल ऑडिटर, सहकारी समितियां, अजमेर को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो वह कब प्रस्तुत की गई और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। गत चुनाव दिनांक 15-4-79 को हुए थे, जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने गये थे:—

1.	श्री गोरधनलाल	अध्यक्ष
2.	श्री नरेन्द्रसिंह चौहान	कोषाध्यक्ष
3.	श्री बलबीरसिंह	मंत्री
4.	श्री शिवनारायण	सदस्य
5.	श्री भंवरलाल	,,
6.	श्री पन्नालाल	,,
7.	श्री शिवसिंह	,,

समिति के सदस्यों की अरुचि, एवं प्रबन्धकारिणी की निष्क्रियता के कारण इस समिति को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी

(सहकारिता मन्त्री)
समितियां, अजमेर के आदेश क्र. 7048 दिनांक 31-12-82 के द्वारा व्यवसायन में लाया गया। अतः वर्तमान में पूर्व पदाधिकारियों के कार्यरत रहने का प्रश्न ही नहीं रहता।

(2) जी नहीं। वर्ष 78-79 के ऑडिट में कोई अनियमित, अवैध खर्च व गबन नहीं पाया गया। वर्ष 76-77 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 4,20,418-00 रुपये के खर्च को संदिग्ध बताया गया है।

(3) जी हां। सहायक रजिस्ट्रार, अजमेर के कार्यालय में दिनांक 23-2-81 व स्पेशल ऑडिटर, अजमेर के कार्यालय में 7 जुलाई, 80 को प्रस्तुत की गई है। स्पेशल ऑडिटर, सहकारी समितियां अजमेर के द्वारा दिनांक 20-2-80 को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 (1) के अन्तर्गत श्री मांगीलाल नन्दवाना निरीक्षक ऑडिट को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

जिला सीकर में राहत कार्य

232. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में जून, 1980 से जनवरी, 1983 तक किन-किन राहत कार्यों पर कितनी कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) उक्त कार्यों पर कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका और कितना कार्य शेष है?

(3) उक्त कार्यों पर अब कितनी कितनी राशि और खर्च होने पर पूर्ण हो सकेंगे ?

उत्तर

(1) सूचना तालिका में संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) सूचना तालिका में दे दी गई है।

(3) सूचना तालिका में दे दी गई है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

इन्द्रगढ़ कस्बे में आवासन मण्डल योजना

233. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के इन्द्रगढ़ कस्बे में आवासन मण्डल द्वारा मकान बनाये जाने हेतु वहां के नागरिकों तथा नगरपालिका द्वारा बार बार निवेदन किया जाता रहा है ?

(2) यदि हां, तो उक्त स्थान पर मकान निर्माण करने के सम्बन्ध में आवासन मण्डल क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(3) क्या सरकार इन्द्रगढ़ कस्बे के लिए शीघ्र आवासन मण्डल की योजना स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गए हैं जिसकी अंतिम तिथि

(आवासन मन्त्री)

15-3-83 है। अभी मकान निर्माण की कोई कार्यवाही नही की गई है। इसके लिए कम से कम दो सौ आवेदकों का पंजीकरण होना आवश्यक है। इसके पश्चात ही भूमि अवाप्ति तथा मकान निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

(3) कम से कम 200 आवेदकों का पंजीकरण होने पर आवासन योजना प्रारम्भ की जा सकेगी।

छुआछूत निवारण हेतु पुरस्कार योजना

234. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में छुआछूत मिटाने के लिये राज्य सरकार कोई पुरस्कार योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ?

(2) कृपया योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता निवारण हेतु किये जा रहे प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिये उन पंचायतों, जो अस्पृश्यता निवारण के संबंध में उत्तम कार्य करेंगी, को पुरस्कार देने की योजना सन् 1982 में तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पंचायत को 5,000)- रुपये एवं राज्य स्तर पर चयन में प्रथम स्थान प्राप्त ग्राम पंचायत को 50,000)-रुपये व द्वितीय स्थान प्राप्त ग्राम पंचायत को 25000/- रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

(2) योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(योजना के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राज्य में समन्वित बाल विकास परियोजना

235. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गर्भवती महिलाओं, दुग्ध पिलाती माताओं एवं बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए राज्य में कहां कहां समन्वित बाल विकास परियोजना शुरू की गई है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में जहां आदिवासी आबादी पचास प्रतिशत से अधिक है, वहां कितने गांवों में आंगनबाड़ियां चल रही हैं ? कृपया ऐसे आबादी वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 1)

(2) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले ग्रामों की सूची, जहां आंगनवाड़िया चल रही हैं, सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 2)

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

परिवहन निगम में उपकरणों की कमी

236. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा), श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि टायरों व उपकरणों की कमी से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न कार्यशालाओं में सैंकड़ों बसें बेकार ही खड़ी हैं ?

(2) यदि हां, तो ये बसें कार्यशालाओं में कब से किस किस कारण से खड़ी हैं ? कृपया प्रत्येक कार्यशाला की दिनांक 31-1-1983 की स्थिति का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि निगम की बसों के इस तरह खड़ी रहने से निगम को प्राइवेट आपरेटर्स से अनुबन्ध करके अपने रूटों पर चलाने को बसें लेनी पड़ती हैं ?

(4) दिनांक 31-1-1983 को निगम द्वारा कितनी अनुबन्धित बसों को चलाया जा रहा था ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। आगार, संभाग तथा केन्द्रीय कार्यशालाओं में जो वाहन खड़े हैं वह विभिन्न स्तर की डाकिंग व मरम्मत के लिए खड़े हैं। इसका प्रावधान नीति में है।

(3) जी नहीं। निगम द्वारा अनुबन्धित बसें वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ली गई हैं क्योंकि निगम वांछित संख्या में नई बसें क्रय करने में समर्थ नहीं है।

(4) दिनांक 31-1-82 को निगम द्वारा 221 अनुबन्धित बसों को चलाया जा रहा है।

विभिन्न मार्गों का राष्ट्रीयकरण

237. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) राजस्थान में अब तक कौन-कौन से मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है तथा उन मार्गों पर वर्तमान में कितनी-कितनी बसें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एवं अनुबन्धित चलायी जा रही हैं ? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1983-84 में कौन-कौन से मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना प्रस्तावित है, तथा ऐसे कितने मार्ग हैं जो राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिये हैं, लेकिन बसें नहीं चलाई जा रही हैं ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न है। इन मार्गों पर वर्तमान में परिवहन निगम की 1969 एवं 221 निजी अनुबन्धित बसें संचालन हेतु विभिन्न आगारों को आवंटित की हुई हैं।

(2) निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 83-84 में किसी विशिष्ट मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना प्रस्तावित नहीं है। परन्तु निगम द्वारा राष्ट्रीयकरण की 26 योजनायें प्रकाशित की हुई हैं जिनमें से 9 योजनाओं

Page No 40

(40)

(यातायात मन्त्री)

का अनुमोदन संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा किया जा चुका है तथा उक्त योजनायें राज्य सरकार के समक्ष मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68-व (3) में प्रकाशनार्थ विचाराधीन है तथा शेष 17 योजनायें संयुक्त विधि परामर्शी के समक्ष विचाराधीन हैं।

निगम द्वारा जिन 3 मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है उनमें से एक मार्ग की सड़क की दशा खराब होने के कारण तथा 2 मार्गों के लिए सुप्रिम कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के कारण निगम द्वारा उन पर वाहन संचालन नहीं किया जा रहा है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

जिला जैसलमेर के राष्ट्रीय मार्ग पर निगम की बसें

238. श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में कितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया? इन पर परिवहन निगम की कितनी बस चल रही हैं ?

(2) प्राइवेट बस मार्ग कितने है तथा उन पर कितनी बसों का परमिट दिया गया है व इन प्राइवेट बस मार्गों से कौन-कौन से गांव जोड़े गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार के पास कितने और मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना विचाराधीन है तथा कब तक एवं कौन कौन से बस मार्ग राष्ट्रीयकृत किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में निम्न मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जिन पर उनके सामने अंकित बस सेवायें चल रही हैं:—

क्र.सं.	मार्गों का नाम	बस सेवायें
1.	बीकानेर-जैसलमेर वाया बाप फलोदी-रामदेवरा पोकरण-लाठी	10
2.	जोधपुर-जैसलमेर वाया ढेचूं-पोकरण जैसलमेर-पोकरण वाया लाठी	8
3.	बाड़मेर-जैसलमेर वाया शिवदेवीकोट	12

(2) जैसलमेर जिले में 16 प्राइवेट बस मार्ग हैं जिन पर कुल 35 बसों को परमिट दिये गये हैं। बस मार्गों व उनसे जुड़े हुए गांवों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(3) निगम द्वारा 26 राष्ट्रीयकरण की योजनायें प्रकाशित की हुई हैं जिनमें से 9 योजनाओं का अनुमोदन संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा किया जा चुका है तथा उक्त योजनायें राज्य सरकार के समक्ष मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68 (घ) में प्रकाशनार्थ विचाराधीन हैं। (परिशिष्ट-ब)

(यातायात मन्त्री)
शेष 17 योजनायें संयुक्त विधि परामर्शी के समक्ष विचाराधीन हैं। (परिशिष्ट-स)

राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं का प्रकाशन'मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68 घ (3) के अन्तर्गत राज-पत्र में प्रकाशन करने बाद ही इन योजनाओं का क्रियान्वयन सम्भव होगा।
(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

टोंक जिला मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ना

240, श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) टोंक जिला मुख्यालय को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कब-कब, क्या क्या प्रयास किये ? कृपया इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) टोंक शहर को रेलवे लाइन से अब कब तक जोड़ दिया जायेगा ? इस विषय में क्या राज्य सरकार को केन्द्र से कोई जानकारी या आश्वासन दिया गया है ?

उत्तर

(1) टोंक जिला मुख्यालय को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिये राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार रेलवे मन्त्रालय को दिनांक 15-4-82 को लिखा गया था। उसके पश्चात दिनांक 9-2-83 को भारत सरकार को इस सम्बन्ध में पुन: स्मरण कराया गया है। पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी है।

(2) इसका सम्बन्ध भारत सरकार के रेल मन्त्रालय से है। राज्य सरकार को रेल मन्त्रालय से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।

(पत्रों की प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

बस स्टेण्ड, जयपुर से निगम की बस की चोरी

241. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर बस स्टेण्ड, सिन्धी कैम्प से दिसम्बर, 1982 में एक बस गायब हो गई थी ?

(2) यदि हां, तो बस कहां मिली एवं अपराधी पकड़ा गया अथवा नहीं ?

(3) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त वाहन भीलवाड़ा के समीप मिला। कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया।

(3) घटनाओं की पुनरावृति न हो इस दृष्टिकोण से निगम के सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की सेवायें निगम में ले ली गई हैं। सिन्धी कैम्प एवं अन्य आगारों की सुरक्षा के

Page No 42

(42)

(यातायात मन्त्री)

लिये सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा तत्पश्चात् सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

उदयपुर में यातायात व्यवस्था

242 श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) उदयपुर नगर में यातायात सुविधा हेतु कितनी बसें लगी हुई हैं ? कृपया उनका नम्बर व रूट एवं कितनी बार वह आती जाती हैं, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान व्यवस्था नगर की बढ़ती आबादी एवं आसपास के लोगों की संख्या के आधार पर पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस समस्या का समाधान कब तक कर देगी ?

(3) क्या यह सच है कि उदयपुर पर्यटन केन्द्र भी है ? यदि हां, तो पर्यटकों को सस्ती एवं सुलभ यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये कोई और व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1)उदयपुर शहर की नगर वाहन सेवा के विभिन्न मार्गों पर 19 बसों के परमिट स्वीकृत किये हुये हैं। बसों के नम्बर रूट व सेवाओं (ट्रिप्स) सम्बन्धी सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है।

(2) नगर की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बसों की समुचित व्यवस्था हेतु 77 बसों का स्कोप निर्धारित किया हुआ है किन्तु रिक्त स्थानों के लिये परमिट हेतु बहुत कम संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। वर्तमान में 77 बसों के स्कोप के अन्तर्गत 19 बसों के परमिट जारी किये हैं। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर और अधिक बसों को परमिट दिये जा सकते हैं।

(3) जी हां। उदयपुर में पर्यटकों की सुविधा हेतु ट्यूरिज्म डवलपमेंट कार्पोरेशन को एक कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट दिया हुआ है ? इसके अतिरिक्त निजी स्वामियों को उपयपुर क्षेत्र के लिए 35 कान्ट्रेक्ट कैरिज बसों व 275 टैक्सी कारों व उदयपुर शहर के लिये 500 ऑटो रिक्शाओं के परमिट भी स्वीकृत किये हुये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

विधायक नगर सड़क की दुर्दशा

243. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, जयपुर के कार्यालय से विधायक नगर रोड की कैसी हालत है ?

(2) क्या इस पर वाहन सुचारु रूप से चल सकते हैं ?

उत्तर

(1) इस सड़क की हालत साधारणतया ठीक है।

(2) जी हां।

तहसील पचपदरा की विभिन्न सड़कों का निर्माण

244. श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील पचपदरा की कल्याणपुर से समदड़ी और थोब से आगोलाई सड़कों का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अब कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(2) क्या थोब से आगोलाई सड़क पर मेंटल सम्वत् 2025 में डाला गया था ? यदि हां, तो 15 सालों में इस सड़क का निर्माण नहीं होने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि थोब से आगोलाई सड़क पर सन् 1982 में बीच में 10-10 किलोमीटर छोड़कर मेंटल की कुटाई की गई ? यदि हां, तो क्या वह मेंटल जहां कुटाई की गई वहां वैसी हालत में है या बिखर गया ?

(4) क्या सरकार जनहित में अब उक्त सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1 एवं 2) जी नहीं। धनाभाव के कारण इन सड़कों को सम्पूर्ण कराये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है। इन सड़कों के कुछ हिस्सों में कुटाई तथा ग्रेवल की सड़क बनाई जा चुकी है।

(3) जहां कुटाई की गई है वहां की हालत अभी संतोषजनक है।

(4) इन सड़कों पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य करवाया गया तथा धनाभाव के कारण योजना कार्यों में सम्मिलित करना अभी संभव नहीं है।

जयपुर-दौसा रोड पर अवैध निर्माण

245. श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर दौसा रोड पर ग्राम भाडोतों में डाक बंगला तथा रोड के बीच में किसी कर्मचारी द्वारा मकान निर्माण कराया है ? यदि हां, तो रोड तथा डाक बंगले के बीच कितनी दूरी का फासला है तथा जो मकान बनाया गया है उसके और डाक बंगला के मध्य कितनी दूरी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो निर्माणकर्ता है, वह सरकारी कर्मचारी है तथा उसी ग्राम का रहने वाला है ? यदि हां, तो क्या यह काम विभाग द्वारा जानबूझ कर कराया गया है तथा इसको रोकने की जिम्मेदारी किस कर्मचारी की थी एवं उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण था ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 एवं 2) जयपुर दौसा राष्ट्रीय राज मार्ग पर न तो कोई भाडोतों नाम का ग्राम स्थित है तथा न ही जयपुर दौसा को छोड़कर कोई डाक बंगला है अतः वांछित सूचना का प्रश्न नहीं उठता।

Page No 44

(४४)

जिला पाली की विभिन्न पंचायत समितियों में सड़क निर्माण

245. श्री भैरोंसिह गुर्जर (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पाली की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कितनी सड़कें कहां से कहां तक हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1980, 1981 व 1982 में विभागीय व राहत कार्यों के तहत कितनी सड़कें किस-किस प्रकार की स्वीकृत हुई ? कृपया ग्रामवार सूची प्रस्तुत करें।

(3) इन सड़कों की अब तक की क्या प्रगति है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना (प्रपत्र-"क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2 एवं 3) सूचना (प्रपत्र-"ख") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

जमवा रामगढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण

247. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले के जमुवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र में आजादी के लगातार तीन दशकों में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जमवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र, जो कि जयपुर शहर के काफी नजदीक है, निम्नलिखित सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है :

1. आंधी से सैंथल सागर
2. ताला से गठवाड़ी
3. राजपुर से गठवाड़ी
4. मनोहरपुरा से सैंथल सागर वाया गठवाड़ी, बोबाड़ी, बलोड़, रायसर, आंधी
5. आंधी से चक बस्सी वाया नेवर, चावण्डिया
6. नकटी घाटी से धूला-दौसा रोड ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निम्न सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है: -

1. साईपुरा-साईवाड़ सड़क
2. संपर्क सड़क ताला
3. संपर्क सड़क भानपुर कलां
4. संपर्क सड़क कूंडा से नटाटा 3-5 कि. मी. लम्बाई में
5. संपर्क सड़क चांवड की मढ़ से नायला 3 कि. मी. लम्बाई में

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री)

6. सम्पर्क सड़क रायसर 3 कि. मी. लम्बाई में

7. नकटी घाटी से नायला सड़क 11 कि. मी. लम्बाई में

(2) धनाभाव के कारण इन सड़कों को बनाये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

शोकाभिव्यक्ति

सर्व श्री कानसिंह एवं रूपनारायण, सदस्य, राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। निम्नांकित भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा :

श्री कानसिंह, सदस्य, प्रथम विधान सभा एवं श्री रूपनारायण, सदस्य, प्रथम विधान सभा।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आप ही बोल दें, साहब।

श्री अध्यक्ष : बड़े दुःख के साथ मुझे सूचित करना पड़ता है कि प्रथम विधान सभा के दो भूतपूर्व सदस्य श्री कानसिंहजी, जो नोखा से चुन कर आये थे, का निधन 11 दिसम्बर 1982 को हो गया और श्री रूपनारायण जी, जो नीम का थाना से चुन कर के आये थे, का निधन 16 फरवरी, 1982 को हो गया। ये दोनों ही सदस्य प्रथम विधान में सदस्य रहे और राजस्थान के निर्माण में उन्होंने अपनी सेवाओं से योगदान दिया। दोनों ही व्यक्ति बहुत ही विद्वान और बहुत उच्चकोटि के वक्ता थे।

श्री कानसिंह जी ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। वे भूतपूर्व महाराजा के साथ उनके सैकेटरी के रूप में रहे। मुंसिफ के पद पर रहे। डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर रहे। उनकी खेलकूद, समाज सुधार इन सब में गहरी आस्था थी।

इसी तरह से श्री रूपनारायण से मिलने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला लेकिन जो उनसे मिले हैं और जो उनके साथ विधान सभा में रहे हैं, वे उनके बारे में यह कह सकते हैं कि उनके जैसा वक्ता प्रथम विधान सभा में कोई नहीं था। वे सच्चे समाज सेवी थे। अपने चुनाव क्षेत्र का कारगर ढंग से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। ऐसे वयोवृद्ध नेताओं का हमारे बीच में से उठ जाना हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है।

परम पिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवार, मित्रजन, साथियों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दें।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट अपने स्थान पर खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

सूचना

चांदपोल बाजार में पुलिस द्वारा छात्रों के जुलूस पर लाठी-चार्ज

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा खून-खराबा जयपुर में हो रहा है। पुलिस बुरी तरह से लाठीचार्ज कर रही है–....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में लोगों पर लाठी-चार्ज किया जा रहा है...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : पुलिस बुरी तरह से लाठी-चार्ज कर रही है, लोगों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, लोगों को मारा जा रहा है...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : लोगों का खून जयपुर की सड़कों पर बहता रहे और हम मूक बने विधान सभा में बैठे रहें।

श्री मेघराज तावड़ : जुलूस विधान सभा के सामने आ रहा है। यहां पर फिर लाठी-चार्ज होगा ..

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : गृह मंत्री वक्तव्य दें...

श्री मेघराज तावड़ : उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठी-चार्ज किया गया है। लोगों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। लोगों के चोटें आई हैं। एक को गिरफ्तार किया गया है

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : यहां की पुलिस निरंकुश होती जा रही है..

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर बन्द है .

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : गोलीकाण्ड के बाद उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है .

श्री मेघराज तावड़ : जयपुर में गृह मंत्री क्या चाहते हैं ? क्या कुछ व्यवस्था करायेंगे ? यहां पर आने पर फिर लाठी-चार्ज होगा...

श्री भगवानदास शास्त्री(अजमेर पश्चिम): पहले कोटा बन्द हुआ और आज जयपुर बन्द है। यह प्रजातंत्र का अंग है, अधिकार है .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, प्रक्रिया से आप परिचित हैं, ऐसी घटना हुई है उसको सदन में लाना जरूरी हो तो उस संबंध में नियमों में प्रावधान है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)
नियमों का उल्लंघन न करें, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

यदि ऐसा हुआ है तो अपने नियमों में प्रावधान है। माननीय सदस्य बैठ जायं, अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री यदुनाथसिंह : ×××

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री यदुनाथसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सभी प्रकार के प्रश्नों को सदन के समक्ष लाने के लिये हमारे नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं।

(व्यवधान)

कृपया सहयोग दें। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : इस तरह से खून बह रहा है। सूचना दिलवाइये सरकार की ओर से। सरकार कोई सूचना दे।

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों का पालन करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं।

श्री मेघराज तावड़ : आप भी रहने वाले नहीं हैं।

श्री यदुनाथसिंह : कितनों को गोली से उड़ाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आपने बताया कि नियमों के अनुसार ही कोई चर्चा उठायी जा सकती है। लेकिन जिस समय तक स्थगन प्रस्ताव या किसी प्रकार की सूचना देते उस समय तक लाठी चार्ज हुआ। विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव या अन्य प्रस्ताव देने की जो समय सीमा निर्धारित है उसके बाद यदि कोई लाठी-चार्ज या कोई अप्रिय घटना होती है और सदन का ध्यान यदि उस घटना की ओर आकर्षित किया जाना जरूरी हो तो सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि इमीजिएटली मेम्बर्स खड़े हो जायं और आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके मार्फत गृह राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, सारी घटना के बारे में तुरन्त इस सदन में वक्तव्य दें ताकि घटना की पूरी जानकारी माननीय सदस्यों को मिल जाय, किस प्रकार लाठी चार्ज हुआ, कितने लोगों के चोटें आई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है; ऑर्डर प्लीज,

(व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह : सरकार की ओर से वक्तव्य आ जाय।

श्री नाथूसिंह :......जयपुर बंद हुआ, जोधपुर बंद हुआ, उदयपुर बंद हुआ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज, ...

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : गंभीर वातावरण बना, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात नहीं है, यह मुस्कराना बहुत घातक है मुख्य मंत्री का। मुख्य मंत्री जी गम्भीरता से इस विषय को लें। यह कोई मुस्कराने की बात नहीं है। यहां बातचीत करें, यह घटना क्यों घटी, कैसे घटी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, हम बात कह रहे हैं गंभीरता की और वह इसको मुस्कान से टालना चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह : सदन के नेता होने के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते उनको स्वयं ही पहले वक्तव्य देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया, माननीय सदस्य, ऐसा है कि जब यह सदन के समक्ष आ गया है मसला इस पर वक्तव्य तो, जब आसन की अनुमति होगी तब दिलाया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जानकारी प्राप्त तो कर लें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, । जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उस जानकारी से मुझे सूचित कर देंगे, उसके बाद मैं कुछ व्यवस्था दूंगा। इतना कर देता हूं। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मौन तुड़वाइये मुख्य मंत्री जी का।

श्री मेघराज तावड़ : यह तो ××× दोनों हैं। यह सरकार ××× यह सुन भी नहीं सकती है और देख भी नहीं सकती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ये शब्द हटाये जायं कार्यवाही से ××× कृपया बैठ जायं, आसन पैरों पर है।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : राजस्थान के नागरिक असम में मर रहे हैं और सरकार सो रही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : ..सामने जमीन कितनी है, सरकार जरा यह तो बता दे।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज !

श्री नाथूसिंह : असम में राजस्थान के नागरिक असुरक्षित हैं।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही थोपें नहीं।

श्री नाथूसिंह : उनकी जान और माल का खतरा है मुख्य मन्त्री जी को बिल्कुल

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह)

चिन्ता नहीं है। राजस्थान में लाठीचार्ज हो रहा है, राजस्थान बन्द हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

मुख्य सचेतक। श्री खेतसिंह राठौड़। ऑर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, न तो सरकार सो रही है न सरकार × × ×, न सरकार × × × है सरकार तो फैक्ट मालूम कर रही है। ज्यों ही फैक्ट्स मालूम होंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय को सारे फैक्ट्स की जानकारी दे दी जायगी। अध्यक्ष महोदय, का जो आदेश होगा उस की पालना की जायेगी।

श्री मेघराज तावड : ''यह क्या व्यवस्था कर रहे हैं? ''फिर लाठीचार्ज होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री भैरोंसिंह शेखावत, विपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको बाद में अवसर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य सचेतक जी ने कहा सरकार न × × × है और न × × × है। मैं तो कह रहा हूं सरकार है क्या आज के दिन? गई कहां सरकार?

अनेक माननीय सदस्य : है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सामने बैठी हैं, यह सामने बैठी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार है ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। ऑर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : इतनी बड़ी घटना हो जाय! सरकार सो रही थी क्या? नींद निकाल रही थी?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

एक माननीय सदस्य : सरकार होती तो इस तरह की अप्रिय घटना न घटती।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहूंगा। क्या मैं डाक्टर कुलश्रेष्ठ के पास ले जाऊं इनको कि देखिये, आंखें ठीक हैं या कोई गड़बड़ हो गई है।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : डाक्टर तो आप अपने पास रखिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनमें वह साहस नहीं। जिन्दगी''

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्या

श्री मेघराज तावड़ : इस तरह खिलखिलाकर हंसते हैं, शर्म आनी चाहिये आपको।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

× × × अभिव्यक्ती शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 50

(50)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना इतना है, जब विधान सभा के सामने जुलूस आ रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, मैं चाहूंगा आप इसको रुकवाइये। सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे। हम यहां बैठे रहें और असम की समस्या को लेकर विद्यार्थी कोई आन्दोलन करें। उनको यहां विधान सभा तक नहीं आने दिया जाय और लाठीचार्ज करें, तो हमारे बैठने का सेंस क्या होगा? कुलश्रेष्ठ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, आप सभी परिस्थितियों से, सदन के नियमों से अच्छी तरह स्वयं परिचित हैं। मैंने माननीय सदस्यों की सेवा में यह निवेदन कर दिया कि इस घटना की जानकारी करके सरकार मुझे बतायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : आज ही, अभी।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज कुछ कहना चाहते हैं।

श्री चतुर्भुज (टोड़ा रायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में यह मैं जानकारी देना चाहता हूं। मैंने आंखों देखा है माननीय सदस्य को, उन्होंने अपने आप चलाकर सारा एडवरटाइज कर दिया और बाजार बंद कराने का आव्हान किया है। और राजनीति यहां फैलाते हैं।

(व्यवधान)

श्री मेवराज तावड़ : उसके बारे में मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

जोर से बोलेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह ताली बजाकर कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिये, आप ताली बजाकर...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको बोलने का अवसर आप देते हैं, हमारे बोलने के लिए नियम होगा। इनके बोलने के लिये कोई नियम नहीं होगा, नागरिकों पर अत्याचार होंगे, उनके बोलने के लिये भी कोई नियम है? हम आपकी अनुमति से बोलना चाहते हैं यहां, जयपुर को गोहाटी बनाना चाहते हैं क्या? हम तब भी चुप नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर!

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर की सड़कों पर आप इस तरह के कारनामे करें और हमसे चाहते हैं हम चुप बैठे रहें?

श्री अध्यक्ष : वयोवृद्ध सदस्य हैं, बोलना चाहते हैं। श्री राजबहादुर। आर्डर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं दो ही बातें कहूंगा, हमारे देश में संविधान अभी है। संविधान में बोलने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा प्रक्रिया के संबंध में। जो घटना घटी है वह दर्दनाक है, बुरी है। उसके बारे में आपका आदेश पहले आना चाहिये प्रक्रिया के हिसाब से कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे, कोई वक्तव्य दे। यह रिपोर्ट चूंकि सीधे आपके पास आयेगी। हाउस बाइपास हो, आप उसके बाद...

श्री अध्यक्ष : मैं हाउस की तरफ से पालना करता हूं। आपके आदेश का ही तो पालन करने के लिये यहां बैठा हूं।

श्री राजबहादुर : पहले आना चाहिये, वक्तव्य दें, वक्तव्य की कॉपी पहले आपके पास आ जाये, निश्चित बात है, कोई और बात नहीं है। लेकिन वक्तव्य आप दें ही, यह आदेश तो अलग है···

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य देने की आवश्यकता तो तब पड़े, जब खून खराबा हुआ हो। जयपुर की उन सड़कों से सारे सदस्य गुजर कर आये हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबर्दस्ती बाजार बन्द करा कर···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन रास्तों से गुजर कर आये हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाजार जबर्दस्ती बन्द करा रखे हैं···

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उनको भड़काने की कार्यवाही की है आप लोगों ने···

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं करते। आप करते होंगे जबर्दस्ती। चौराहों पर जबर्दस्ती करनी पड़ती होगी तुम को।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो इस प्रकार से भड़काने की कार्यवाही करते हैं···

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आप लोगों ने क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री मेघराज तावड़ :×××

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है, माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि जयपुर की जनता ने···

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये अगर तालियां बजायेंगे तो हम भी इनको बोलने नहीं देंगे। ये अगर इस तरह व्यवधान करेंगे···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको तो भगवान ने जन्म ही ताली बजाने के लिये दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइये, माननीय सदस्य। समय जा रहा है। कृपया सहयोग प्रदान करें। ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 52

(श्री अध्यक्ष)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। मेरा विनम्र निवेदन है, इस अव्यवस्था में काफी समय चला गया है। अब मैं राज्यपाल महोदय की ओर से प्राप्त सन्देश...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार को निर्देश दें...

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अभी भी सरकार व्यवस्था करना चाहती है या नहीं?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : सरकार को निर्देश दें, अध्यक्ष महोदय। सदन की ओर से आप निर्देश दें।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़: अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ ×××

मैं इस सदन से बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

सन्देश

महामहिम राज्यपाल का धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर 25-2-83 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है:—

"अ. शा. पत्र संख्या–12/17/रा/83/2568, दिनांक मार्च 1, 1983

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका दिनांक 25 फरवरी, 1983 का अ.शा. पत्र संख्या एफ. 10 (4)/सदन/वि. स./83/8529 मिला। इस कृतज्ञता सन्देश के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ ओ. पी. मेहरा"

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : पाइन्ट आफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अभी कोई विचारार्थ विषय नहीं चल रहा है। अभी आसन पैरों पर है। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो फर्मा दीजिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपकी प्रोसीडिंग आई है उसमें जो कार्यवाही है उसके बारे में निवेदन था। आपने 28 फरवरी को एक रूलिंग दी थी और माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं दो तारीख को भरतपुर धना काण्ड के बारे में वक्तव्य दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य अभी मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 53

53

(श्री अध्यक्ष)

जब कार्यवाही चालू हो तब इस सम्बन्ध में बात सामने आ जायेगी।

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री त्रिलोकसिंह – मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ने के पश्चात् चूरू, सीकर, झुन्झुनू, गंगानगर जिलों में मिट्टी का तेल न मिलने के विषय में;

(2) श्री हीरालाल आर्य—तहसील मांगरोल, जिला कोटा के ग्राम मूण्डला में भारी संख्या में हरे-भरे वृक्षों की कटाई के विषय में;

(3) सर्वश्री अनंगकुमार जैन व बालचन्द आर्यवीर – झालावाड़ जिला अकालग्रस्त होने के बावजूद लगान व ऋण की वसूली की जा रही है, इस विषय में;

(4) श्री यदुनाथसिंह –भरतपुर, कोटा व जोधपुर में गत जनवरी में आर. ए. सी. में की गई अनियमित भर्ती के विषय में;

(5) श्री घनश्याम तिवाड़ी व सुश्री पुष्पा जैन – सिरोही नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका के कार्य में बाधा डालना व नगरपालिका के अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना के विषय में;

(6) श्री महावीर प्रसाद जैन—जिला टोंक में 1980 में पंचायतों में कैम्प लगाकर आपसी रजामन्दी के आधार पर सामलाती खातों के विभाजन की कार्यवाही के विषय में लिये गये निर्णयों को अमल में न लाने के विषय में;

(7) श्री मेघराज तावड़—गत 5 नवम्बर को रेडक्रॉस सोसाइटी, ब्यावर के एक प्राइवेट स्कूल में काम करने वाली घीसी बाई की हत्या के विषय में;

(8) श्री छीतरमल आर्य—अटरू तहसील में गत 10 व 11 जनवरी को दो डकैतियों और 6 फरवरी को एक महिला के अपहरण के विषय में;

(9) श्री कैलाश मेघवाल—गत 25 व 26 दिसम्बर को अजमेर नगर के मदनगंज मोहल्ले में श्री दीवानचन्द गुप्ता ठेकेदार के मकान में हुई बम विस्फोट की घटना के विषय में; व

(10) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी—भूतपूर्व जोधपुर सरकार द्वारा 1947 में अवाप्त की गई भूमि को जोधपुर नगर विकास न्यास द्वारा पैट्रोल पम्प लगाने के लिये प्राइवेट पार्टियों को दिये जाने के विषय में;

इन स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :–

(11) श्री जीतमल जैन—ग्राम सेनावड़, जिला अलवर में गत 17 व 18 सितम्बर की रात्रि को हुई एक डकैती की घटना के विषय में;

(श्री जीतमल जैन)

(12) **श्री हरीश शर्मा** : अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, जिला कोटा के अन्ता कार्यालय में बबूल व शीशम के पेड़ों की नीलामी के पश्चात उसे निरस्त कर देने के विषय में;

(13) **श्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जैलिया** : गत जनवरी में महाविद्यालय सवाई माधोपुर के छात्रों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी-चार्ज के विषय में;

(14) **श्री रामकंवार बैरवा** ग्राम चकवाड़ा, तहसील फागी जिला जयपुर में 40 हरिजन परिवारों के कुएं का पानी सूखे जाने के विषय में;

(15) **श्री देवीसिंह भाटी** : बीकानेर शहर में राज्य परिवहन निगम का बस अड्डा वर्तमान स्थान से हटा कर अन्यत्र ले जाये जाने की आवश्यकता के विषय में ;

(16) **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : उदयपुर विश्व विद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी कालेज में गत 22 फरवरी से चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के विषय में ;

(17) **श्री रामकिशोर मीणा** : ग्राम पंचायत दूदू की बस स्टेण्ड की जमीन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा करने के विषय में ;

(18) **श्री दाऊदयाल जोशी** : राज्य में डकैतियों की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, इस विषय में ;

(19) **श्री बन्शीलाल पटवा** : भीलवाड़ा जिले के बिगोद ग्राम में असामाजिक तत्वों दारा एक व्यक्ति की पिटाई करने के विषय में; व

(20) **श्रीमती उजला अरोड़ा**: मोडिया डूंगर क्षेत्र में खनन् पट्टाधारियों, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं, को विभाग द्वारा तंग किये जाने के विषय में;

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है :—

(1) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन** : राज्य में किसानों को रात्रि के समय बिजली सप्लाई करने से उत्पन्न कठिनाईयों के विषय में ।

इस विषय में मुझे कुछ अन्य प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से 3 मार्च को इस विषय में एक वक्तव्य दिया जाये। इसमें यह संशोधन किया जाता है कि बिजली की जो समस्या है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार एक वक्तव्य देगी बिजली सप्लाई के बारे में ।

(2) **श्रीमती विद्या पाठक** : सांगानेर में लड़कियों के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापिका द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया गया है ।

(3) **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : उदयपुर में एकलव्य कॉलोनी की सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा ।

सरकार ने सूचित किया हैं कि प्राप्त शिकायतों पर नगर विकास न्यास, उदयपुर को जिलाधीश कार्यालय को रिपोर्ट करने के लिये कहा गया है ।

(4) **श्री गुलाबचन्द कटारिया व श्री दाऊदयाल जोशी** : राज्य कर्मचारियों की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
वेतन की असमानता : माननीय सदस्य बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

श्री बन्शीलाल पटवा—(1) भीलवाड़ा नगर के राधाकृष्णन नगर में न्यास द्वारा बने बनाये मकानों को तोड़ने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि न्यास ने इस भूमि को अवाप्त किया था और अतिक्रमण न हटाये जाने पर नोटिस देने के बाद कम्पाउण्ड वाल तथा नींव से 3–4 फीट की ऊंचाई तक बने मकानों को जो आवास योग्य नहीं थे, तोड़ा गया है।

(2) भीलवाड़ा की अटूण पंचायत द्वारा सुखाड़िया नगर में आवंटियों को कब्जे न देने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि इन विक्रय खण्डों में पंचायत नियमों की अवहेलना की गई है, इनके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। भूतपूर्व सरपंच श्री गोकुल से स्पष्टीकरण मांगा गया है किन्तु गत 6 अगस्त को उनकी मृत्यु हो चुकी है।

(6) श्री हंसराज शर्मा - पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को सवाई माधोपुर में आवश्यक सुविधाएं न देने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि यह सुविधाएं उपलब्ध करने का दायित्व भारत सरकार का है और इन्हें जो ऋण दिया गया था उसे सरकार आसान किश्तों में वसूल कर रही है।

(7) श्री जीतमल जैन व श्री समर्थलाल—हरसाना के नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय को पुनः माध्यमिक विद्यालय बना देने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने जन हित को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की है और इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से एक स्टे ऑर्डर भी प्राप्त हो चुका है और यह प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है।

उपरोक्त कारणों से मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। निम्नांकित माननीय सदस्यों के एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है अतः इन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :—

1. श्री मेघराज तावड़,
2. श्री अनंगकुमार जैन,
3. श्री बालचन्द्र आर्यवीर,
4. श्री त्रिलोकसिंह,
5. श्री यदुनाथसिंह व
6. श्री नाथूसिंह—आसाम की घटना के विषय में। इस पर चर्चा की अनुमति नहीं होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह (वांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही है। दो कहां हैं? मैंने तो आसाम के बारे में दिया है, आज जयपुर बंद है उस सम्बन्ध में दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल नहीं होगा। मैंने जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किए हैं, चाहे राज्य सरकार से जानकारी के लिए भेजा हो, चाहे जानकारी आज ही प्राप्त हुई हो या मैंने राज्य सरकार के पास जानकारी हेतु नहीं भेजा है, उन माननीय सदस्यों को अवसर दे रहा हूं।

Page No 56

(56)

श्री नाथूसिंह : On a Point of order.

श्री अध्यक्ष : अभी आसन पैरों पर है। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ही उठाना चाहिये। आज क्योंकि आय-व्ययक पर सामान्य वाद–विवाद का दिन है और एक वक्तव्य मंत्री महोदय द्वारा दिया जायेगा, ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि डेढ़ बजे तक वक्तव्य आदि-आदि सभी चर्चा समाप्त हो जाये और ठीक डेढ़ बजे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ हो जाये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय से गलत सूचना दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : हमारे सचिवालय के बारे में माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो, मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं कि इसके लिये अलग से मिलें। हमारे सचिवालय की यहां आलोचना या उसके सम्बन्ध में सुधार या सुझाव की जो कोई भी बात हो उस सम्बन्ध में यहां पर नहीं कहा जा सकता है। आप अलग से मिल लें।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। मैंने आज एक प्रिविलेज मोशन की सूचना दी है। 28 मार्च को गंगानगर जिले में घग्घर से आई बाढ़ के कारण किसानों को हुई क्षति के सम्बन्ध में हुई चर्चा पर यह बताया गया था, सिंचाई मन्त्री जी ने यहां पर एक वक्तव्य दिया था और उसमें कहा था कि दो मार्च को वे और मुख्य मंत्री जी वहां पर जायेंगे। उन्होंने जिलाधीश को सूचना दी थी कि वे सम्बन्धित लोगों को एकत्रित कर लें। अध्यक्ष महोदय, आज टेलीफोन पर बताया गया है कि हनुमानगढ़ में करीब बीस हजार किसान एकत्रित हो गये हैं। सायंकाल रेडियो पर भी यह घोषणा करवाई गयी थी कि मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों ही वहां पर नहीं गये। उस दिन हाउस की यह भावना थी कि मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री महोदय वहां पर जायें और किसानों की समस्याओं को सुनें, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार माननीय मंत्री महोदय ने सदन की भावना को ठेस पहुंचायी है, गलत स्टेटमेंट दिया ··

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को न उठायें।

श्री नाथूसिंह : सरकार कहां है, कौनसी सरकार है? अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। बीस हजार किसान एकत्रित हो गये है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आपका जो प्रस्ताव है वह काफी देरी से प्राप्त हुआ था। फिर विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने का एक तरीका है··

(व्यवधान)

समय का ध्यान रखें। ऑर्डर, ऑर्डर..

श्री घनश्याम तिवाडी (सीकर) : उन लोगों की परवाह किसको है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। यह कोई तरीका नहीं है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया समय न लें।

श्री देवीसिंह भाटी : इन्होंने सदन में आश्वासन दिया था और अब ये नहीं जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उस प्रश्न का मैं अध्ययन कर रहा हूं कि उसमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। कृपया धीरज रखें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने इस बात की गम्भीरता को नहीं देखा है...

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : वे जान बूझकर नहीं जाना चाहते हैं। उनकी मंशा क्या है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस पर मैं विचार करूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जाइये...

(व्यवधान)

समय न लें, माननीय सदस्य..

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में घोषणा करें और फिर मंत्री नहीं जायें तो यह...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री जी।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइये। मैंने सिंचाई मंत्री जी को पुकारा है...

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने इस सदन में उल्लेख किया था कि 2 तारीख को मुख्य मन्त्री जी और मैं गंगानगर एरिया में घग्घर की नहर के टूटने से आयी बाढ़ से जो क्षति हुई है उसका जायजा लेने जायेंगे। मैंने स्टेटमैंट दिया था उस वक्त मुझे यह पता नहीं था, मुझे ऐसा लगा था कि हमारा जो स्टेट का प्लेन है वह अच्छी हालत में है...

एक माननीय सदस्य : यह गलती हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन अब मालूम ऐसा हुआ है कि उसका पूरा का पूरा इंजन बदलना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़ा डिफेक्ट है और ऐसे डिफेक्ट वाले प्लेन में बैठ कर हम कैसे चले जाते? जैसा कि आप चाहते थे वहे तो हुआ नहीं, आपका जो मंशा थी वह तो पूरी हुई नहीं...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी आ गयी इसलिये नहीं गये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना) : हां तो ठीक है।

श्री यदुनाथ सिंह : राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जरूरी हैं या राजस्थान की जनता जरूरी है?

श्री मोहनलाल मोदी : वह जरूरी है।

श्री दुलाराम (ग्रावासन मन्त्री) : उस पर जोर देना ज्यादा जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उसके बाद में हमने यह सोचा कि ट्रेन की व्यवस्था की जाय क्योंकि प्लेन तो दो महीने तक ठीक नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या प्लेन में ही जाना था? सरकार बचानी जरूरी थी इनके लिये तो।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : प्लेन में जायेंगे यह स्टेटमेंट दिया जरूर था क्योंकि मुझे ऐसी खबर थी कि वह ग्रच्छी हालत में है लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उसका पूरा का पूरा इंजन बदलना पड़ेगा, उसमें बहुत बड़ा डिफेक्ट है।

श्री नाथूसिंह : लेकिन जनता का क्या होगा?

श्री ग्रध्यक्ष : बाधा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : फिर यह तय किया गया कि ट्रेन की व्यवस्था की जाय।

श्री नाथूसिंह : सरकार ने जनता के साथ मजाक किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्लेन ग्रा गया है।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : प्लेन की मरम्मत करनी होगी या सरकार की?

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : उस पर दूसरा इंजन बैठा दें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : सही है, यह इंजन ही सही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : लूणी से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने यह ठीक कहा है कि उसका इंजन खराब है तो दूसरा इंजन बैठा देना चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : वह तो ग्रब बाहर से मंगवाना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पुराने की ही रिपेयर की बात कर रहा हूं हालांकि इसमें नया लगाने की ग्रावश्यकता है। इंजन खराब हो तो दूसरा इंजन लगा देना चाहिए। यह ठीक है लेकिन हर प्रकार का इंजन हर प्रकार के हवाई जहाज में फिट भी तो नहीं होता है। यह शायद माननीय सदस्य को पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका मतलब हवाई जहाज से नहीं है। उनका मतलब यह है कि सरकार का इंजन खराब हो गया है उसको ही बदलना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं भी तो यही कह रहा हूं कि हर प्रकार का इंजन हर जगह फिट नहीं हो सकता है। वहां पर दूसरा इंजन बैठाना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूं।

(श्री परसराम मदेरणा)
इसका मतलब है, किसी जगह दूसरा बैठना। जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : इंजन नया आना चाहिए। इंजन गलत लग गया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अब इस पर चर्चा नहीं होगी....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर, गंगानगर से मैंने बात की है कि आपने क्षति का जायजा लिया है या नहीं लिया है और जिसवार गिरदावरी करवाई है या नहीं करवायी है। उस समय जब विपक्ष के नेता कह रहे थे मुझे जो टेलीग्राम मिला था उसको मैं यहां पर पढ़ नहीं सका था हालांकि वह मेरी फाइल में था। उसमें उन्होंने यह लिखा है कि मैं एक तारीख से जिसवार गिरदावरी शुरू करवा रहा हूं। हमने यह आदेश भी कल दे दिये हैं कि आप जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा लें। बर्ड आई से निगरानी से आप क्षति का पता नहीं लगा सकते हैं इसलिये जल्दी से जल्दी, 4–5 दिन में ही गिरदावरी करा दें। इसके बाद हमारे सामने भी कुछ समस्यायें आ गयीं। एक तो मेरा फ्राइडे को प्रश्नकाल है और दूसरा, पांच तारीख को नर्मदा कंट्रोल की मीटिंग है, उसमें मुझे और मुख्य मन्त्री जी को जाना है। तो, हम ऐसा सोच रहे हैं कि अब पांच तारीख को दिल्ली से सीधे ही चले जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : कौन विश्वास करेगा ?

श्री नाथूसिंह : झूठे आश्वासन देते हो। यह भी पूरा नहीं होगा। आपने उस दिन जितने आश्वासन दिये थे उनमें एक भी पूरा नहीं हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : आपको करना चाहिये। मैं भी इस सदन का माननीय सदस्य हूँ और आप भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं। मैं कोई भी बात कहता हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, और आप भी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे तो हम भी आप की बात का विश्वास नहीं करेंगे।

श्री नाथूसिंह : आपने उस दिन भी ऐसा ही आश्वासन दिया था। वह कहां गया ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मुझे आप कह तो रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय जानते होंगे, जब मैंने कहा था यह उनके नोटिस में था। आप और मुख्य मन्त्री जी जब बैठे थे तो यह कहा था कि दो तारीख को जाना सम्भव नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप तो गलती मत करो उन्होंने चाहे लाख गलती की हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें मुझे इन्वॉल्व मत करो।

श्री परसराम मदेरणा : आप मुख्य मन्त्री जी के पास बैठे थे। उन्होंने कहा था। और जब दो तारीख की बात आयी थी तो

Page No 60

(श्री परसराम मदेरणा)

: आपने कहा था कि दो तारीख को जाना जरूरी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको यह कहा था कि दो तारीख को घना गोली काण्ड के संबंध में वक्तव्य देना है। जिस समय दो तारीख की चर्चा हुई थी तो मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि मैं दो तारीख को ही जाना चाहूंगा, तो मैंने कहा था कि दो तारीख को जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वक्तव्य है। परन्तु फिर वह वक्तव्य चार तारीख के लिये तय कर दिया गया था। यह बात सही है। आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यानी, दो तारीख को यह बात चली थी, और आपने इस सम्बन्ध में कोई बात कही थी। दो तारीख को ऑलरेडी प्रोग्राम था। वह बनाया था लेकिन अनाउन्स नहीं किया था ···

(व्यवधान)

प्रोग्राम में परिवर्तन हमको कई कारणों से करना पड़ा····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा का अवसर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी हाउस के प्रति है। इस समय तो सैशन चल रहा है हम इस समय कैसे जा सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : यह राजस्थान के किसान का अपमान था।

श्री मेधराज तावड़ : आप किसान के साथ मजाक कर रहे हैं··

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : घना पक्षी गोली काण्ड पर आज ही वक्तव्य होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : भरतपुर गोली काण्ड पर आज ही वक्तव्य होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसको विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिये। आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों का मजाक नही उड़ाया जाना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अगर यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है ? इस पर ···

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

कृपया बैठ जाइये माननीय सदस्य, शान्त रहें। बैठ जाइये, माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता है। कृपया बैठ जाइये। मुझे कार्यवाही शुरू करने दें।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : पॉइन्ट आर्फ ऑर्डर

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य। कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर हो तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री जीतमल जैन—अधिशासी अभियन्ता ::

(व्यवधान)

अंकित नहीं होगा।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

व्यवस्था का प्रश्न

अनुपस्थित सदस्य को अगली बार बोलने की अनुमति

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह विवाद समाप्त कर दिया है। अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर किस पॉइन्ट पर है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस पर नहीं है, अध्यक्ष महोदय। आपने तो नाम पुकार लिया है श्री जीतमल जैन का। इसमें मेरा निवेदन यह है कि वे तो आज आये नहीं हैं, आप विराज जायें तो मैं बात पूरी कर दूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास इतना टाइम नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा निवेदन है कि आपने श्री जीतमल जैन के स्थगन प्रस्ताव पर रूलिंग दी है और वे आज आये नहीं हैं तो मेरा यह निवेदन है इस पर बोलने के लिये उनको कल मौका दिया जाय। इसका कारण यह है, अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य को शायद यह गलतफहमी थी कि सरकार से जनकारी मंगवायी जायेगी इसलिये जानकारी बाद में आयेगी परन्तु यह बात नहीं है। यह स्थगन प्रस्ताव आज ही आया है और मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ··

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। कृपया बैठ जायें। इस सम्बन्ध में मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। पहले मेरी बात सुन लें।

श्री नाथूसिंह : इस सम्बन्ध में नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लें पहले। श्री हंसराज शर्मा

श्री मेघराज तावड़ : Point of clarification ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैं नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत नुकसान हुआ है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है नियमों में।

(व्यवधान)

मुझे कार्यवाही शुरू करने दें, फिर मैं अवसर दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। कोई बात नहीं होगी। मैं अभी नहीं सुनूंगा। आसन पैरों पर है। मैं कार्यवाही शुरू करना चाहता हूं। और आप दूसरी कार्यवाही थोपना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। मेरा विचार ऐसा है कि इस कार्यवाही को निपटा दें। इसके बाद कोई शिकायत हों तो एक-एक करके फरमा दें। पर यह नहीं हो सकता कि आसन के साथ नया प्रश्न काल शुरू हो जाये कि उस काम का क्या हुआ। यह नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि यहां पर नियमानुसार कार्यवाही होती है। इस तरह ··

माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मैंने जो बात कही है उसका मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था कि आप बैठ जाइये। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। श्री हंसराज शर्मा।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या बैठ जाइये। कोई उपयोगिता नहीं है यहां पर बैठने और बोलने की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष, आप अब चाहे जो सजा मुझे दे दें अगर सरकार सदन में कोई आश्वासन देती है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर। अंकित नहीं हो। कृपया बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही शुरू करने दें।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : बैठ जायें क्या ! ×××

श्री अध्यक्ष : इस तरह की बातें नहीं कहें, माननीय सदस्य। एक मिनट पर सैंकड़ों-हजारों रुपये इस सदन की कार्यवाही पर खर्च होते हैं उस समय में आधा घन्टा पौन घण्टा यों ही व्यतीत कर दें ! कोई शिकायत हो, शिकायत पर समय नहीं देता होऊं, यह शिकायत तो है नहीं लेकिन अनधिकृत रूप से बोलना चाहें, कार्यवाही सदन पर थोपना चाहें तो उसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं। अगर माननीय सदस्यों की कोई वाजिब शिकायत हो तो मैं अपनी तरफ से उस शिकायत को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, यह मैं आपको बता दूं। श्री हंसराज शर्मा, समय का ध्यान रखें। संक्षेप में होगा। 1.30 तक सरकारी वक्तव्य भी समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिये दो मिनट का समय है।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर में तीन-चार तारीख को विद्यार्थियों और बस मालिकों में आपस में झगड़ा हुआ और सी. टी एस. वालों ने उसका विरोध किया। इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद में उनके बीच में कम्प्रोमाइज करवा दिया गया। किन्तु 2 तारीख को विद्यार्थियों को सी. टी. एस. वालों ने कॉलेज के अन्दर जाकर मारा। जब उनको ज्यादा मारा और जब सब लोग भाग गये तो वहां के प्रधानाचार्य ने इस बात की पुलिस को शिकायत की और जिला प्रशासन को यह सूचना दी कि इस प्रकार अवैध तरीके से सी टी. एस. बसों के मालिकों ने कण्डक्टर ड्राइवर और असामाजिक तत्वों को लेकर कॉलेज में प्रवेश किया और विद्यार्थियों को मारा, और विद्यार्थियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूसरे रोज सारे विद्यार्थी इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद सारे कॉलेज के विद्यार्थी सामूहिक रूप से जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन करने गये। जब वे ज्ञापन देने के लिए वहां पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने उनको अन्दर जाने से रोका। विद्यार्थियों ने यह कहा कि हम सब नहीं जायेंगे हमारे 5 विद्यार्थियों का एक डेपुटेशन जायेगा और जिलाधीश महोदय को अपना ज्ञापन देकर वापस आ जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां के एडीशनल एस. पी. ने उनको अन्दर नहीं आने दिया। जब विद्यार्थियों ने अन्दर जाने का प्रयास किया तो बिना सूचना के विद्यार्थियों पर भयंकर लाठी चार्ज किया। जो विद्यार्थी जहां मिला, बाउण्ड्री में मिला वहां पीटा, बाहर मिला वहां पीटा, स्टेशन पर मिला वहां पीटा, इस

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित की गई।

Page No 64

(64)

(श्री हंसराज शर्मा)
प्रकार से सारे विद्यार्थियों को बुरी तरह से मारा। मारने के बाद...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री हंसराज शर्मा : उन्होंने निवेदन किया कि इसकी वास्तविक जांच कराई जाये लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विद्यार्थियों में इसको लेकर भारी असंतोष है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। पहले भी आपने...

श्री हंसराज शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जांच कराई जाये, अन्यथा यह स्थिति किसी भी समय भयंकर हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री राम कंवार बैरवा अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव मैंने इस सम्बन्ध में दिया है कि ग्राम चकवाड़ा तहसील फागी के 40 हरिजन बैरवा परिवारों के लिए जो पीने के पानी का कुआ था, वह सूखे करीब 6 महीने हो गये और वह लोग बहुत दूर-दूर से कीड़ों-मकोड़ों वाला पानी लेकर आते हैं। इसके लिए मैंने जलदाय विभाग को लिखा, पंचायत समिति को लिखा, जिलाधीश को कई पत्र लिख चुका कि आखिर सरकार इमरजेंसी के काम में भी पेयजल के संकट को नहीं मिटा सकती तो उन लोगों का क्या होगा ? मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह और कहूं कि फागी तहसील में गांव छापरवाड़ा, फाग की नहरें आती थीं। जब वह नहरें आती थीं उन दिनों में जमीन में पानी था। अब धीरे-धीरे पानी सूखता जा रहा है। न नदी पर एनिकट बनाये जा रहे हैं। सरकार का एक ही मुद्दा है कि विरोधी दल का एम. एल. ए. जहां से जीतकर आता है, उस क्षेत्र की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक ही गांव की समस्या है। भारत सरकार और राज्य सरकार के सामने पूरी तहसील में कुओं का पानी सूख गया है। न सिंचाई के साधन है न पीने के लिए पानी है। मेरा यह निवेदन है कि 40 परिवारों के लोग एक-एक मील दूर से खारा, कीड़े वाला पानी लेकर आते हैं। सरकार जल्दी से जल्दी या तो उनके मोहल्ले में हैण्ड-पम्प लगवाये या कुओं को गहरा करने के लिए पैसा दिया जाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, आपका बीकानेर शहर में राज्य परिवहन निगम के बस अड्डे को हटाने के सम्बन्ध में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उसी के लिए मैंने निवेदन किया था। आपके विषय में मेरी स्थिति बताऊंगा। उसकी गम्भीरता का कारण...

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज के छात्रों के सम्बन्ध में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आज से 2-3 वर्ष पहले से सी. ए. डी. कोटा के बारे में भी आया था वह इस से बहुत सम्बन्धित है आज कृषि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अभियांत्रिकी के विद्यार्थी हमारे यहां पढ़कर नौकरी पर लगते हैं। इन विद्यार्थियों की समस्या यह है, जिसके लिए ये लगभग साल भर से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा कैडर तय हो, हमारे प्रमोशन चांसेज का क्या होगा. हमारा कोई अलग से लिंक बनाया जाये जैसे पी. डब्ल्यू. डी. का है, जैसे इरिगेशन का है, जैसे वाटर वर्क्स का है, वैसे हमारा लिंक बने। यही हमारी डिमाण्ड है। उसी डिमाण्ड को लेकर ये विद्यार्थी लम्बे समय से प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे, सी. ए. डी. की समस्या फिर आकर खड़ी हो गयी कि इसको समाप्त किया जा रहा है। तो इन लोगों का क्या बनेगा ? इसके साथ, श्रीमान, उनकी एक और डिमाण्ड है। पिछले एक वर्ष से कई इन्जीनियर अपनी परीक्षायें पास करने के बाद आज बेकार बैठे हैं। उनका कहना है, एक ओर हमारे पास काम है, राजस्थान कैनाल में हमारे पास काम है, चम्बल घाटी में हमारे पास काम है, माही बजाज सागर परियोजना में हमारे पास काम है एक ओर काम है, दूसरी ओर हम जो मेहनत करते हैं वह सारी बेकार जा रही है यह उनकी बहुत ही सामान्य और छोटी डिमाण्ड है। इसी डिमाण्ड को लेकर 22 तारीख से उदयपुर का इन्जीनियरिंग कॉलिज बन्द है। उसके समर्थन में 26 तारीख को उदयपुर विश्वविद्यालय पूरा बन्द था। इस कारण से वहां अशांति का वातावरण बन रहा है। वैसे वहां मुख्य मन्त्री जी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विवाद हो रहा है आप "यक पर, इस विषय को उस समय अन्य माध्यमों से...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं चाहता ही नहीं कि कोई बात बढ़े। मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को माना है, बाकी सब लोगों ने भी इसको जैन्यून माना है। उनकी समस्या का समाधान हम 15 दिन बाद भी तो करेंगे ही। तो क्यों नहीं आज ही करके उसको निपटाया जाये जिसके कारण से हड़ताल समाप्त हो। इस से अधिक मेरे को और कोई बात नहीं कहनी, मैं चाहूंगा इस हड़ताल को तुरन्त समाप्त कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, दूदू बस स्टैण्ड के पास लाखों रुपए की जमीन आबादी भूमि में कन्वर्टेड है। वहां के राजपूत परिवार ने पंचायत के विकास के लिए यह जमीन दान में दी थी। गत 25-26 तारीख की रात को अचानक कुछ नवयुवकों ने उस जमीन पर अतिक्रमण किया। वहां पर रैगर, तेली, नाई जाति के परिवारों को पंचायत ने थड़ियां लगाने के लिए परमिट दिये हुए थे, उनको अनुमति दी हुई थी। उन थड़ियों को उखाड़ कर फैंक दिया गया, उन पर अतिक्रमण किया गया। पुलिस में जब उनके लिए याचना की गयी तो उन्होंने आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अतिक्रमण के पीछे कुछ निहित स्वार्थी तथा दलगत राजनीति के आधार पर प्रभुत्व वालों की बैकिंग है। उसकी वजह से पुलिस भी कुछ कार्यवाही करने में अपने आपको असमर्थ महसूस करती है। वहां की पंचायत की लाखों रुपए की जमीन, जिसको विकास के लिए एक राजपूत परिवार की तरफ से दान में दिया गया था, पर इस अतिक्रमण से सारा का सारा पंचायत का विकास अवरुद्ध हो रहा है, पंचायत विकास के कार्य में लगने में असमर्थ हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय

(श्री रामकिशोर मीणा)

जितने भी गरीब परिवारों को पट्टे दिये हुए हैं वह सब अनुसूचित जाति और जनजाति के थे या गरीबी के रेखा से नीचे के परिवार थे. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अतिक्रमण और निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के द्वारा जमीन को हड़पने और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से आम जनता में भयंकर असंतोष है, पंचायत ने इसके विरुद्ध स्टे के लिए याचना की तो पंचायत समिति ने उस पर स्टे जारी किया लेकिन उस स्टे पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय उस पंचायत की जमीन को बहुत जल्दी से कार्यवाही करके वापस दिलाई जाये ताकि पंचायत अपने विकास के कार्य में उसको लगा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : मेरा नाम नहीं पुकारा ...

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग के ए. इएन. के माध्यम से एक आदेश निकला कि बड़ी नहर के शीशम और बबूल के पेड़ों की नीलामी की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलेदार ने बोली लगायी लेकिन बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि नीलामी की बोली एक बार लगी, जिनके नाम नीलामी में छुट्टी उनके पैसे जमा हुए, फिर कुछ लोगों ने दबाव डाला, फिर नीलामी कैंसिल हो गई। इस प्रकार चार बार नीलामी लगी और चार बार कैंसिल की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने नीलामी कैंसिल कराई वे लोग मेट वगैरह पद पर हैं अंता में, उन लोगों ने पेड़ों को काट कर बेच दिया, अनाधिकृत बेच दिया। इससे सिंचाई विभाग को नुकसान हुआ। आज तक भी, दुःख की बात यह है, सिंचाई विभाग, जिनके नाम नीलामी छूटी थी, उन पर दबाव डाल रहा है, तुम पैसा ले लो वह कहते हैं हम पैसा वापस नहीं लेंगे। मान्यवर, मेरे को भी मना कर दिया चाहे मर जायें लेकिन पैसा वापस नहीं लेगें। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह नीलामी नियमानुसार हुई, कायदे के अनुसार हुई और निलामी छूटी उनसे पैसा मांगे दिये नियमानुसार आपको आश्चर्य होगा, उन मेटों ने अन्ता से लेकर के 20 किलोमीटर तक पेड़ बिल्कुल साफ कर दिये इन्दिरा गांधी का सूत्र है, "पेड़ लगाओ और प्रदूषण मिटाओ" यह प्रदूषण मिटा रहे हैं या पेड़ कटवा रहे हैं, मैं समझा नहीं इस बात को, यह पेड़ कटवा रहे हैं इनके अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा, भीलवाड़ा जिले के त्रिगोद ग्राम में असामाजिक तत्वों द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई के विषय में।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रस्ताव और

(श्री बंशीलाल पटवा)
हैं जिनकी जानकारी आ गई है और उन पर आपने व्यवस्था दे दी है।

श्री अध्यक्ष : एक साथ कह दीजिये राधा कृष्ण नगर के बारे में।

श्री बंशीलाल पटवा : दूसरा अटूण पंचायत समिति के बारे में।

श्री अध्यक्ष : सभी के बारे में एक साथ कह दीजिये--लेकिन समय 4-5 मिनट से अधिक नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : 2-2 मिनट के लिये अर्ज किया है न आपने।

श्री अध्यक्ष : लेकिन दो मिनट से तो मैं बढ़ा रहा हूं।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय बिगोद ग्राम की घटना के बारे में जो मेरा स्थगन प्रस्ताव था इस विषय पर अधिक न कहते हुये केवल इतना निवेदन करूंगा कि 22 तारीख को वहां पर असम आन्दोलन के सम्बन्ध में बन्द कराने का, हड़ताल कराने का जूलूस निकला। एक व्यक्तिगत घटना थी जिसको आज वहां पर कम्युनल रूप दिया जा रहा है। एक व्यक्ति की एक व्यक्ति ने कुछ पान के झगड़े को लेकर पिटाई कर दी. इस सवाल को लेकर इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि उसे कम्युनल रूप दिया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह क्षेत्र मुख्य मन्त्री जी का क्षेत्र है। उसके इर्द-गिर्द पिछले वर्ष भी कम्युनल भावना पैदा की गई थी। मांडलगढ़ में उत्तेजना पैदा की गई, पड़ौस के गांव खटवाड़ा में पैदा की गई, इस तरह से 3-4 गांव हैं। आज भी बीगोद में अशान्तिपूर्ण वातावरण है, उत्तेजना फैली हुई है। 22 तारीख को यह हड़ताल हुई। व्यक्तिगत घटना को कम्युनल रूप दिया जा रहा है। उसके बाद बाजार बन्द रहा। 25 तारीख को कुछ खुराफाती असामाजिक तत्वों ने धारदार हथियार लेकर के, बरछे-भाले लेकर के कुछ लोगों पर आक्रमण करने की कोशिश की, मैं इस बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों पर आक्रमण किया गया उनके द्वारा जो लोग आक्रमण करना चाहते थे उनके विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया गया लेकिन वहां के एस. डी. एम. ज्ञापन नहीं लेना चाहते थे। मैं आपको अर्ज करूं कि वहां पर यदि डी. एस. पी. नहीं होते, तो इस तरह से दोनों ग्रुपों में उत्तेजना फैल चुकी थी, हथियार निकल चुके थे, मैं समझता हूं कि यदि डी. एस. पी. समय पर मौके पर नहीं पहुंचते तो वहां के हालात ज्यादा खराब हो जाते। वहां का एस. डी. एम., मांडलगढ़ क्षेत्र का, जो मुख्य मन्त्री जी का क्षेत्र है, आज वहां पर जवाबदारी के आधार पर काम करने के बजाय गैर जिम्मेदारी के आधार पर काम कर रहा है। यदि यही स्थिति रही, तो मैं आपको अर्ज करूं कि मांडलगढ़ में उत्तेजना फैलेगी, बिगोद में फैलेगी···

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, लम्बा भाषण नहीं··

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था···

श्री अध्यक्ष : अपने विषय पर आइये, माननीय सदस्य···

श्री बंशीलाल पटवा : लॉ-एण्ड-ऑर्डर मेन्टेन हो।

श्री अध्यक्ष ऑर्डर प्लीज, अगला विषय राधाकृष्ण नगर

श्री बंशीलाल पटवा : राधाकृष्णनगर जो भीलवाड़ा में है, वहां की स्थिति के बारे में आपको सरकार की तरफ से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें लिखा गया है कि नोटिस देकर मकान तोड़े गये-यह सत्य के परे है। पिछले वर्ष बिना सूचना दिये, बिना नोटिस दिये कृषि भूमि पर बने हुये मकान तोड़ दिये गए जिनके पैसे भूमि रूपान्तरण के लिये जमा हो चुके हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। आज भी जिन 6-7 मकानों को तोड़ा गया है उनको नोटिस नहीं दिया गया, सूचनायें नहीं दी गई। और आपको उत्तर में बताया गया है कि केवल दीवार तोड़ी गई है। मेरे पास चित्र हैं, पूरे मकानों को तोड़ा गया है जिनमें लोग रह रहे थे। बच्चों को भागना पड़ा, बीवियों को भागना पड़ा, आदमियों को घरों से निकलना पड़ा बिना सूचना के आधार पर इस तरह से मकान तोड़ दिये गये। एक तरफ तो भूमि रूपान्तरण के सवाल को लेकर मकानों के नियमन की बात की जाती है और तरह तरह के आश्वासन दिये जाते हैं, दूसरी तरफ बिना सूचना के इस तरह से मकान तोड़ दिये जाते हैं जो नियम विरुद्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आसीन्द में इस तरह के एनक्रोचमैंट को तो हटाने की बात अलग है लेकिन कृषि भूमि में जो मकान बने हुये हैं और जिनका पैसा भी जमा हो चुका है उन मकानों को इस तरह से तोड़ देना, मैं समझता हूं कि एक प्रकार से अव्यवस्था फैलाना है।

तीसरा मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है अटूण पंचायत समिति के बारे में, उस पर मुझे हंसी आती है, माननीय अध्यक्ष महोदय। उत्तर दिया गया है कि गोकुल के विरुद्ध जो प्लाट अलॉट किये गये हैं उसकी सूचना या नोटिस दिया जा रहा है, कार्यवाही की जा रही है लेकिन गोकुल गाडरी की तो मृत्यु हो चुकी है। जो आदमी मर चुका है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ? और सरकार की ओर से आपको उत्तर दिया जा रहा है कि कार्यवाही की जा रही है, सूचना दी है, नोटिस दे रहे है, कार्यवाही कर रहे हैं। 4 हजार प्लॉट्स अटूण पंचायत समिति में सन् 1965 में अलॉट किये गये और 65 में जो प्लॉट्स अलॉट किये गये हैं वह अन्दर हल्का आबादी जमीन है, उस पर अलॉट किये गये। इसके साथ ही, अन्दर हल्का आबादी रेकार्ड में यह दर्ज है। फिर भी अनियमित कार्यवाही की जा रही है, मेरी यह समझ में नहीं आया कि निरस्तीकरण की कार्यवाही क्यों की जा रही है। आपको अर्ज करूं कि दस लाख रुपये जो खर्च किये गये हैं इनमें से, 4 हजार भू-खण्डों के डिमार्केशन करने के लिये 5 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर दिये मेरे पास रेकार्ड है कि किस-किस पर, कहां-कहां, किस-किस को पैसा दिया गया। इसके अतिरिक्त निर्माण में जो खर्चा हुआ वह दर्ज है एक स्कूल के नाम पर और एक कुए के नाम पर। जबकि आज वहां पर स्कूल नहीं है, जो कुआ खोदा गया वह कुआ भी नहीं है, इस तरह से 10 लाख रुपये से ऊपर खर्च कर दिया गया और आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिन लोगों ने 4 हजार भू-खण्ड अन्दर हल्का

(श्री वंशीलाल पटवा)

आबादी में लिये वह भूमि उनको दी जाय। इस कार्यवाही के पीछे केवल यही भावना है कि उन भू-खण्डों को लोगों को नहीं दिया जाय। हस्तान्तरण न किया जाय, इस प्रकार का षड़यन्त्र यह सरकार रच रही है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय। सरकार ने आपको जो उत्तर भेजा है लेकिन गोकुल गाडरी तो मर चुका है और पैसे का इस तरह से दुरुपयोग किया गया है, सरकार को ताड़ना देकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। वह चार हजार भू-खण्ड सन् 1965 में लिये गये थे इस सम्बन्ध में कलेक्टर, श्री मीठालाल जी मेहता ने उनको रेगुलराइज किया और उनको नियमित माना। अब इस तरह से षड़यन्त्र रचा जा रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन 4 हजार लोगों की आप सहायता करें, उनको भू-खण्ड दिलावें। अन्यथा लोगों में रोष फैलेगा, आन्दोलनात्मक स्थिति पैदा होगी, हालात खराब होंगे।

श्री अध्यक्ष : डॉ. उजला अरोड़ा-मोडिया डूंगर क्षेत्र में खनन् पट्टाधारियों के बारे में।

श्रीमती उजाला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1974-75 से 1984 तक के रैन्ट और रिन्युअल के पैसे कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान, खनिज विभाग में जमा कराने के बाद इन 6-7 सौ आदमियों को मालवीया इन्जीनियरिंग कॉलेज के पीछे एक डूंगर है, वहां से पत्थर निकालने के लिये खनिज विभाग ने पट्टे दे दिये कि आप यहां से पत्थर निकाल सकते हैं चेजा पत्थर, जो एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। उन पट्टेधारियों ने पूरे पैसे भी जमा करा दिये, जो जाति से बैरवा और रैगर हैं और संख्या में 6-7 सौ है। उन खानों के जो रास्ते थे, जहां से ये पत्थर निकालने जाते थे उस रास्ते को वन विभाग द्वारा तारों से बन्द कर दिया गया है, उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। यह मुद्दा खनिज विभाग या वन विभाग का है उसमें मैं जाना नहीं चाहती यह उनकी शामिल जिम्मेदारी है। दोनों विभागों के मंत्रिगण यहां पर बैठे हुये हैं वह स्वयं इस विवाद का हल करें। मेरे पास रसीद है एक गोविन्दराम पुत्र वृद्धिचन्द, जिसने 84 तक का अपना रैन्ट का और रिन्युअल का पैसा जमा करा दिया, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इस तरह से लोगों को सताये जाने से क्या लाभ है, यह मंत्री महोदय बतायें। इस प्रस्ताव को देने का मेरा मकसद था कि इस विषय पर जानकारी मंगा कर आप मंत्री महोदय से बात करते।

एक तरफ रोजगार की बात की जाती है, और यहां पर पिछड़े हुये लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। वन विभाग के मंत्री महोदय यहां बैठे हुये हैं, वह बतायें कि क्यों उनके रास्ते बन्द कर दिये गये हैं। खनिज विभाग के मन्त्री, जिन्होंने पट्टा दिया है वह इस विवाद को सुलटाने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका बीच में पड़ना जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि मैं यहां पर बात कह दूं और वह बात यहीं समाप्त हो जाए। इसका पैसा भी कितना है। इसका पैसा है वर्ष 83-84 का 1500 रुपये, रैण्ट 50 रुपए, वर्ष 80-81 के बकाया 242

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और 81 रुपए कुल 1792.50 एक आदमी अपनी बीबी के जेवर बेचे ? गरीब आदमी रास्ता ठीक करे, उन्होंने यह रास्ता खुद बनाया है क्योंकि पहले वहां से खनिज निकालने के अनुमति -पत्र नहीं दिये गये थे। यह अनुमति-पत्र 74-75 में मिले और उसके बाद बराबर रिन्यू किये जाते रहे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त कीजिए।

आज मैं आग्रह कर रही हूं इस मामले में दोनों मन्त्रियों से।

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ नहीं कर सकता माननीय सदस्या, इसको प्रश्न के माध्यम से अथवा अन्य किसी सक्षम माध्यम से उठा सकती हैं। इसका उत्तर कल ही प्राप्त हो गया। समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज, समय न लें, माननीय सदस्या। आॅर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला आरोड़ा : बैरवा और रैगर लोग अनुसूचित जनजाति के लोग है, सरकार की नीति के अनुसार भी इन्हें रोजगार दिया जाना है।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्या। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यही आग्रह करना चाहूंगी, दोनों मन्त्री महोदय इस मामले का निपटारा करें अन्यथा वहां के आदमी आन्दोलन करेंगे, विधान सभा पर आयेंगे। मैं मेरी बात समाप्त करती हूं, और इन गरीब लोगों के न्याय की बात करती हूं। लोगों के पास से वसूली कर ली गई 80 तक की, उन्हें अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। अब आप कह चुकी हैं। श्रीमती विद्या पाठक, सांगानेर लड़कियों के स्कूल के बारे में।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने कहा कि हम माननीय सदस्य, जो अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों से आते हैं जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार भी जिम्मेदार है परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता तो नहीं है। शिक्षा विभाग से सम्बन्धित स्थगन-प्रस्ताव पर मैं बोल रही हूं। शिक्षा मन्त्री यहां मौजूद नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि जैसा माननीय मन्त्रीजी ने कहा है, हम सदन में आने वाले माननीय सदस्य उधर के या इधर के सभी जिम्मेदार हैं तो माननीय मन्त्रीजी विचारणीय बात एक यह भी है कि हम जो बोलते हैं वह भी बहुत जिम्मेदारी से बोलते हैं। स्थगन-प्रस्ताव का, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है कि मेरी सूचना गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है, सरकारी पक्ष जीती मक्खी निगले, और इस तरह का गलत जवाब दे, जो जनहित के विरोध में है, यह कौनसी जिम्मेदारी की संज्ञा में आता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर में 2 फरवरी, 83 को सुबह 11 बजे 6 पादरी एक गवर्नमेन्ट गर्ल्स ....

श्री अध्यक्ष : इस तरह की चर्चा नहीं होगी; माननीय सदस्या। समय हो रहा है। डेढ़ बजे तक यह समाप्त हो जायेंगे; सभी प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में समाप्त करूंगी। मगर आज जो यह प्रवृत्ति सरकार की है कि इस तरह का जवाब देना है, तो यह सदन है, या हम इसको क्या कहें ? इस जवाब की सत्यता मैं यहां ओपनली चैलेन्ज करना चाहती हूं और इस तरह का जवाब देकर "They can get away with it" क्या यही जिम्मेदारी सरकार की सदन के प्रति है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 पादरी स्कूल में, गवर्नमेन्ट गर्ल्स हायर सेकण्डरी स्कूल में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना के बाद और प्रार्थना के समय में ईसाई धर्म की कुछ बातों का प्रचार-प्रसार किया। उन्होंने कुछ पुस्तकें बांटी डायरीनुमा, उनके साथ छात्रों का नाम लिखकर स्कूल की प्रधानाध्यापिका स्वयं कक्षाओं में गई और उन्होंने छात्राओं को कक्षाओं में जाकर यह कहा कि इसमें से प्रश्न पूछे जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा राष्ट्र धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है। सब धर्मों में अच्छाइयां होती हैं। सवाल इस बात का नहीं है। एक तो लोगों की जन-भावनाओं का आदर करना चाहिये। धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र का मतलब किसी एक धर्म को प्रधान विषय बनाकर प्रोत्साहन करना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह की व्याख्या नहीं होगी धर्म निरपेक्षता की माननीय सदस्या; घटना की ओर आपको ध्यान आकर्षित करना था आपने फरमा दिया।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न की सत्यता को चैलेन्ज करना चाहती हूं और मैं, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, आपकी उपस्थिति का लाभ उठाकर यह कहना चाहती हूं कि यदि माननीय सदस्य बोलते हैं ...

श्री अध्यक्ष : उसका भी माध्यम है, माननीय सदस्या, अगर उन्होंने गलत उत्तर दिया है अथवा उसकी सूचना सही नहीं है तो उसके लिए भी नियमों में अपने यहां तरीके हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहती हूं आपके माध्यम से कि सरकार को ताड़ना दे दी जाय कि इस तरह का गलत जवाब देकर ...

श्री अध्यक्ष : ताड़ना तो सभी पक्षों को सुनकर बाद में दी जाती है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना पक्ष कहा, सरकारी पक्ष का जवाब आ गया, सारे पक्ष आपके सामने हैं। अब यह सरकार और शासन पर निर्भर करता है कि गलत बयानी करने वालों के जनहित का विरोध करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया, एकलव्य कॉलोनी के बारे में। संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, यह समस्या इतनी गम्भीर है लेकिन आपने पता नहीं क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया। हमारी यू. आई. टी. की 110 बीघा जमीन, जिसके

Page No 72

72

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
सारे प्रमाण तहसील के कागजात की नकल, जमाबन्दी की नकल और यू. आई. टी. की स्कीम फोटो सब मेरे पास हैं, वहां प्लॉट काट कर वहां के कुछ प्रभावशाली लोग मिल करके लोगों को एक-एक हजार रुपये में बेच रहे हैं और उसका पैसा ले रहे हैं। उसको दो महीने हो गये। हमने स्वयं जिलाधीश को इसके बारे में सूचना दी है, यह सारे पत्र दिये हैं...

श्री अध्यक्ष : पत्र आपने हमारे को प्रस्ताव के साथ दिये थे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पत्र नहीं दिये।

श्री अध्यक्ष : फिर स्थगन-प्रस्ताव को ही पढ़ा हमने तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उसमें सारी जमीन का नाम, खसरा नम्बर, उसकी सारी डिटेल सब दिया है।

श्री अध्यक्ष : पिछले सत्र में जो गर्मा-गर्म विवाद...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह अलग है।

श्री अध्यक्ष : वह अलग है और यह अलग है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह अलग है। श्रीमन् एक के बाद एक जमीन हड़पो, बेचो, खाओ यह तो उदयपुर में लोगों का धन्धा बन गया है। वह महावीर सोसायटी का था और यह एकलव्य कॉलोनी, जो भीलों के लिये है, के बारे में है। 1976 में हरिदेव जोशी और इन्दिरा गांधी के नाम से फोटो और उसका पट्टा लोगों को, भीलों को बसाने के लिये दिया गया था। उस 110 बीघा जमीन पर, श्रीमान् मुख्य मन्त्रीजी के सामाजी, मैं चाहूंगा कि आप इसमें निश्चित "

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, किसी व्यक्ति का नाम बिना पूर्व सूचना इस तरह न लें जिसमें उनका अपमान होता है अथवा आरोपित किया जाय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मेरा निवेदन यह है कि आप इसको देखकर फिर सरकार से जानकारी मंगा लें। आप देख लें उन फैक्ट्स को...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप देख लीजिये, गम्भीर मामला है। आप इसको फिर से देख लीजिये कि वास्तव में कितनी भयंकर अनियमितता हो रही है और इसका अभी तक कोई हल नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैंने क्वश्चन मार्क लगाया है, मैं इसका दुबारा अध्ययन करूंगा। यह सब पत्रावली मुझे बतावें।

श्री हंसराज शर्मा, पाकिस्तान के शरणार्थी—बहुत पुराना मामला है। दो मिनट में।

श्री हंसराज शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सवाई माधोपुर के 20 परिवार, जो पाकिस्तान से दंगों के बाद आकर के बसे थे, उनको राज्य सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया, के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि इसमें बताया था कि जो शरणार्थी सवाई माधोपुर में बस रहे थे उनको कर्जा दे दिया था, लोन दिया

(श्री हंसराज शर्मा)

था जिसकी वसूली की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ही बिलकुल अलग है। जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का झगड़ा हुआ 65 और 71 में, तो कुछ शरणार्थी सवाई माधोपुर में भी आए जो लोग कैम्पों में रहे उनको लोन भी दिया गया, कर्जा भी दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जो लोग कैम्पों में नहीं रहे जिन्होंने स्वयं अपने खाने कमाने का धन्धा यहां आकर प्रारम्भ कर दिया उनकी राज्य सरकार ने किसी प्रकार की मदद नहीं की।

इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार सन् 72 में आये हुए सवाई माधोपुर में 20 शरणार्थी परिवार हैं। उनको आज दिन तक राज्य सरकार ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया है। इस सन्दर्भ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके द्वारा भी राजस्थान में भीनमाल में इस प्रकार का एक केस राज्य सरकार से तय कराया गया है। भीनमाल नगरपालिका से जब आप विधायक थे, स्वयं ने जमीन अलॉटमेन्ट कराया अलॉटमेन्ट कराके इस प्रकार के जो शरणार्थी कैम्पों में रहे या कैम्पों के बाहर रहे, जिन्होंने हमारे यहां की नागरिकता प्राप्त कर ली थी उनको आपने एक रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से भू-खण्ड आवन्टित कराये हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय राज्य सरकार के द्वारा दिया गया और नगरपालिका द्वारा जो निर्णय दिया गया इन सबकी सम्पूर्ण कॉपियां मेरे पास हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब भीनमाल में शरणार्थियों को विधिवत नगरपालिका द्वारा भू-खण्ड एक रुपया प्रति वर्ग गज से दिया गया है तो सवाई माधोपुर में 20 शरणार्थी परिवारों को जो बार-बार इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं अब तक इस अधिकार से वंचित क्यों किया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन शरणार्थियों को आवासीय भू-खण्ड दिलाने का कष्ट करें।

मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, राजस्थान में सर्व प्रथम आपने, जब आप विधायक थे, इस प्रकार के कैम्पों में नहीं रहने वाले शरणार्थियों की समस्या का समाधान किया था, इसलिए आप सरकार से इस बात को जोर देकर कहें कि इस प्रकार की दोहरी नीति राजस्थान में नहीं अपनाई जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन, श्री समर्थलाल। यह तो न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा के अन्दर, जब श्री चन्दनमल जी बैद शिक्षा मंत्री थे उस समय...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर।

इस प्रश्न पर सरकार ने क्या कहा है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार ने तो लम्बी-चौड़ी बात कही है। जो व्यवस्था है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। सरकार ने कहा है कि दूसरी जगह, बाद में यह पाया है कि विद्यार्थी अधिक हैं, सुविधायें अधिक हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : खुलकर फिर एक महीना बन्द हो गया है।

श्री अध्यक्ष : खुलते हैं, बन्द हो जाते हैं, यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं। यह

(श्री अध्यक्ष)
घटना वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसको शिक्षा के बजट में या अन्य तरीके से उठायें। आप जानते हैं, आप स्वयं अनुभवी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड : हमने तो एक किया है, इन्होंने तो 400 किये थे।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले·····

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) प्वाइंट ऑफ ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आज असम के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि वहां पर राजस्थान के नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा नहीं है। यहां पर भी आज जुलूस निकले हैं। जयपुर और जोधपुर बन्द हैं। जयपुर में कुछ लोगों पर अजमेरी गेट पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया और लोगों को अरैस्ट करने की कोशिश की गई। उसके संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। उस पर आपकी व्यवस्था ····

श्री अध्यक्ष: इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है। निम्नांकित माननीय सदस्यों के एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव ·· ··

श्री नाथूसिंह : मेरा तो एक ही है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह असम की घटना के विषय में। इस पर चर्चा की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में पूर्व में ही सदन को मैंने निवेदन किया था, असम अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री नाथूसिंह : वहां के नागरिक तो आते हैं।

श्री अध्यक्ष : यहां से वहां चले जाते हैं तो लॉ एण्ड ऑर्डर और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरी सरकार पर हो जाती है।

श्री नाथूसिंह : यहां पर जयपुर बन्द है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जयपुर बन्द है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है।

श्री नाथूसिंह : कहां हुई है ?

श्री अध्यक्ष : पूर्व में भी माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाने की कोशिश की थी और बार-बार मैंने यही व्यवस्था दी थी कि इस प्रश्न को यहां नहीं उठा सकते। आज बन्द है, इस पर माननीय सदस्यों ने उस प्रश्न को उठाया। मैंने निवेदन किया था कि राज्य सरकार उस पर जानकारी लेकर मुझे बताये कि यहां क्या घटना हुई है, क्या बात हुई है ? इसकी मैं जानकारी बाद में दूंगा। समय काफी हो गया है स्टेटमेंट हैं, बहुत से विचारणीय विषय हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं तो इस पर कह रहा था। जयपुर बन्द है, यह मैंने स्थगन प्रस्ताव में लिखा है।

श्री अध्यक्ष: यह तो असम का अधिकार है। जहां तक बन्द का प्रश्न है, मुख्य विषय क्या है यह समझने का आसन को अधिकार है। बन्द के संबंध में मैंने निवेदन किया कि कृपया आप नियमों का पालन करें तो भी आपने काफी कुछ कहा। उसके अलावा यदि कोई ऐसी-

(श्री अध्यक्ष)

वैसी बात हो गई है तो मैं आपको फिर अवसर दूंगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, राजस्थान में तेज गति से डकैती के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष : क्या हो गया है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान में तेजी से हुई डकैतियों के संबंध में । आज से पहले 26 तारीख को रमेश सिकरवार के गिरोह ने भिण्ड और मुरैना क्षेत्र में 17 व्यक्तियों का अपहरण किया, जिसमें तीन वर्ष का एक बच्चा भी था ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि उसमें मैं जानकारी ले रहा हूं । उसके बाद आप सूचना देंगे, फिर सूचना आ जायेगी । मैं व्यवस्था दूंगा फिर आप सूचना देंगे । उसके बाद वक्तव्य दिलाता हूं तो फिर बोलेंगे, यह तो सम्भव नहीं है । आप जानते हैं कि जब भी आप फर्माते हैं मैं बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करता हूं ।

यह अस्वीकृत हुआ है । आपको अधिकार है बोलने का । क्षमा कीजिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में डकैतियों की घटनायें दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं । छबड़ा क्षेत्र में दो महीने से, अटरू क्षेत्र में पिछले माह और आज ही करौली क्षेत्र में एक सप्ताह के अन्दर चार डकैतियां लगातार हुई । मेरा निवेदन करना यह है कि जहां सारा राजस्थान डकैतियों के कारण परेशान है वहीं कुख्यात डाकू रमेश सिकरवार कोटा जिले की ओर 18 किलोमीटर क्षेत्र में धीमी गति से बढ़ता चला जा रहा है । यह डाकू रमेश सिकरवार मध्यप्रदेश में रहता है, लेकिन कोटा जिले में डकैतियां बराबर डालता रहा है । पिछले साल इसी रमेश सिकरवार ने 13 जनों की हत्या की थी जिसमें से तीन हरिजन थे । फिर इसने 39 लोगों को लूटा जिसमें से 22 व्यक्ति राजस्थान के थे । मेरा निवेदन करना यह है कल समाचार-पत्र में, कोटा जिले के उस समाचार को पढ़ने से लोगों में चिंता व्याप्त है । पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि रमेश सिकरवार का गिरोह कोटा जिले की ओर तेजी से बढ़ रहा है । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मध्यप्रदेश विधान सभा में वहां के मुख्य मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने तो कहा है कि रमेश सिकरवार कोटा की तरफ नहीं गया है, लेकिन वह बढ़ रहा है, जिसकी पुलिस ने सूचना दी है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार रमेश सिकरवार के गिरोह को कोटा जिले में आने से तुरन्त रोके, वह वहां स्पेशल फोर्स भेजे ।

(1.28 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

वहां पर पुलिस की ज्यादा व्यवस्था करायें, ऐसी मेरी भावना है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : यह कोटा जिले का प्रश्न है । मुझे उन गांवों में जाने का अवसर मिला है । जहां इस कुख्यात गिरोह के लोगों के वहां के निवासी शिकार हो रहे हैं । इनमें से एक घटना शाहबाद के राजपुरा गांव की है । वहां के लोगों को यह

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

बहुत भयभीत किये हुए हैं और पूरे क्षेत्र में एस. सी. के लोगों के लिए तो यह दानव हो गया है। यह गिन-गिनकर हरिजन परिवार के लोगों को मार रहा है। राजपुरा के आस-पास के गांवों में यह लूटने की भावना से नहीं बल्कि बदले की भावना से आता है। वह पहले भी 12 लोगों को एक दिन में मार चुका है। जब यह समाचार आया कि वह कोटा जिले की ओर बढ़ रहा है तो पूरा शाहबाद क्षेत्र, जो जनजाति क्षेत्र है, के लोग उससे इतने भयभीत हैं कि कल दो-तीन टेली-ग्राम मुझे मिले हैं जिसमें, सभापति महोदया, उन्होंने कहा है कि गांव के गांव खाली हो रहे है। जैसा मध्य प्रदेश में आतंक मचाया था वैसा वह राजस्थान में आतंक मचा रहा है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि रमेश सिकरवार की एक्टिवि-टीज को देखा जाए। उस क्षेत्र पर विशेष रूप से वहां जहां के लोगों से वह बदले की भावना रखता है, क्योंकि इसके परिवार और राजपुरा के हरिजन परिवारों में कटुता है और कटुता भी विशेष रूप से चमार जाति के लोगों से है, सरकार विशेष ध्यान दे।

श्री हीरालाल आर्य (अटरू) : मैंने भी इस संबंध में प्रस्ताव रखा है।

श्री सभापति : इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं। कोटा जिले की ओर न बढ़े इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, वह सदन को जानकारी दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

आर्डर। आर्डर प्लीज। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, यहां पर गृह राज्य मन्त्री जी बैठे हैं उनसे इसके लिये कुछ तो जवाब दिला दो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका तो, माननीय सदस्य, लिस्ट में नाम नहीं है, आप स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनायें

श्री खेतसिंह राठौड (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदया मैं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 29 के अन्तर्गत उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4(2) राज./उप/83, दिनांक 7 जनवरी, 1983 जिसके द्वारा सलाहकार समिति के सदस्यों को नोटिस देने की अवधि 15 दिन के स्थान पर 7 दिन निर्धारित की गई है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (6) राज./उप/83, दिनांक 2 फरवरी, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

श्री सभापति : परिवहन मंत्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री परिवहन) सभापति महोदया, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा 2 के अन्तर्गत निम्नांकित अधिसूचनायें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान के शैक्षणिक भ्रमण के अवसर पर अनुबन्धित की गई बसों को कर मुक्त किया है, सदन की मेज पर रखता हूं:–

(1) अधिसूचना संख्या प. 5 (6) गृह 7-83, दिनांक 23 फरवरी, 1983, तथा

(2) अधिसूचना संख्या प. 5 (4) गृह-7/83, दिनांक 23 फरवरी, 1983।

श्री सभापति: प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री हरिदेव जोशी।

प्रतिवेदन

श्री अमराराम चौधरी(सदस्य, आश्वासन समिति) सभापति महोदया, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 1982-83 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:—

(1) चिकित्सा, जन स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग से संबंधित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(2) समाज कल्याण विभाग से संबंधित समिति का पंचम प्रतिवेदन।

(3) शिक्षा विभाग से सम्बन्धित समिति का षष्टम प्रतिवेदन।

(4) सहायता विभाग से सम्बन्धित समिति का सप्तम प्रतिवेदन।

ये प्रतिवेदन प्रक्रिया के नियम 205 के अधीन अध्यक्षीय निर्देश संख्या 3(2) के अन्तर्गत अन्त: सत्रकाल में माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा माननीय अध्यक्ष ने इनके मुद्रण की अनुमति प्रदान कर दी थी।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का अठारहवां प्रतिवेदन

श्री सभापति : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। संसदीय कार्य मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मन्त्री): सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का 18वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या सदन कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): सहमति प्रकट की गई यह कार्यवाही तो आप पूरी करोगे ना?

(व्यवधान)

यह जो आपने कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसको

(श्री कैलाश मेघवाल)
आप पूरा तो करोगे, खेतसिंह जी और मुख्य मन्त्री जी ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम करेंगे इसको।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आपका पिछला अनुभव ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

शासकीय व वक्तव्य

अलवर जिले की तिजारा तहसील व राज्य के अन्य स्थानों पर नीम-हकीम डॉक्टरों द्वारा किये गये ऑपरेशन

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। मन्त्री जी द्वारा वक्तव्य। श्री खेतसिंह जी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी अलवर जिले की तिजारा तहसील तथा राज्य के अन्य स्थानों पर नीम-हकीमों द्वारा किये गये आंखों के ऑपरेशन के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदय, अलवर जिले की तिजारा तहसील के गांवों में नीम-हकीमों द्वारा आंखों के ऑपरेशन से कुछ व्यक्तियों की नेत्र ज्योति समाप्त होने से हुई स्थिति के बारे में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

माह सितम्बर व अक्टूबर, 82 में अलवर जिले की तिजारा तहसील के चार गांवों में हरियाणा राज्य के नीम-हकीमों द्वारा गरीब जनता को गुमराह कर आंखों के ऑपरेशन किये गये। बिछाला ग्राम में चार व्यक्तियों की पांच आंखों का, लोहाडेरा ग्राम में पांच व्यक्तियों की छः आंखों का, रिवजरीवास ग्राम में नौ व्यक्तियों की दस आंखों का तथा बाछोर ग्राम में तीन व्यक्तियों की चार आंखों का ऑपरेशन किया गया इस प्रकार इन चार गांवों के 21 व्यक्तियों की 25 आंखों के ऑपरेशन किये गये जिनमें 11 व्यक्तियों की नेत्र ज्योति समाप्त हो गयी।

इसके अतिरिक्त अलवर जिले के ग्राम जोड़िया, जैतपुरावास, बास पहाड़ी व पाटन अहीर आदि ग्रामों में भी इसी अवधि में नीम-हकीमों द्वारा नेत्र ऑपरेशन किये गये। कुल मिलाकर अलवर जिले में गत वर्ष 78 व्यक्तियों की आंखों के ऑपरेशन किये गये जिनमें से 33 व्यक्तियों की नेत्र ज्योति समाप्त हो गयी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : धिक्कार है।

श्री खेतसिंह राठौड : पूरा सुनिये तो सही मैं आपकी एक-एक बात का जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : बड़े शर्म की बात है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहें तो मैं एक एक का जवाब दूंगा। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं माननीय सदस्य ?

श्री सभापति : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : वहां पर 11 आदमियों की नेत्र ज्योति समाप्त हो गई है और आप कह रहे हैं कि उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन शिविरों की प्राथमिक सूचना 17-12-82 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिजारा के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को श्री मोहरसिंह नामक एक व्यक्ति, जिसका इलाज हुआ था, के माध्यम से प्राप्त हुई।

पुलिस थाना तिजारा में इसकी एफ. आई. आर. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी तिजारा द्वारा दर्ज करा दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर ने तुरन्त पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधीश को स्थिति से अवगत कराया। जिलाधीश महोदय ने अपने अधीनस्थ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को इसकी जांच व रोक थाम के आदेश दिये। इसी प्रकार पुलिस विभाग ने गांवों में जाकर इसकी जांच प्रारम्भ कर दी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचना प्राप्त होते ही जिला स्तर के नेत्र विशेषज्ञों को भेजकर पोस्ट आॅपरेटिव कॉम्पलीकेटिंग कैसेज को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों की नेत्र ज्योति को बचाया जा सका। अलवर जिले में कार्यरत सभी नेत्र विशेषज्ञों ने गांव गांव व घरों में जाकर प्रभावित व्यक्तियों की जांच की तथा उनको आवश्यक राहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, सुलभ कराई।

(1.36 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

पुलिस एवं विभाग के अधिकारियों की जांच से पता चलता है कि इन शिविरों में तीन दल कार्यरत रहे। प्रथम दल कथित डॉक्टर अमीलाल यादव का है जिसमें दिलीप यादव, लेखराम चमार, तथा महेन्द्रसिंह सहयोगी हैं। दूसरा दल कथित डॉक्टर अलिफ मेव का है जिसमें थारूमल यादव ने सहयोगी का कार्य किया। इन दलों ने तिजारा तहसील के ग्रामों में आॅपरेशन किये। तीसरा दल कथित डॉक्टर धर्मपाल रावत का है जिसने तहसील बहरोड़ के गांवों में आॅपरेशन किये। यहां यह उल्लेखनीय है कि कथित डॉक्टर अमीलाल यादव, अलिफ मेव तथा धर्मपाल रावत तीनों हरियाणा राज्य के निवासी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की जांच हेतु इन गांवों में भेजा गया। भारत सरकार के सहायक महानिदेशक डॉक्टर हजारीका एवं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर बनर्जी ने भी स्थिति का जायजा लिया।

दिनांक 2 व 8 जनवरी, 1982 को वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जोशी की देख रेख में एक शिविर लगाया गया तथा उन

(श्री खेतसिंह राठौड़)
व्यक्तियों, जो अस्पताल में आने को तैयार नहीं थे, को घर के पास ही उनके गांव में चिकित्सा सुविधा सुलभ कराई गई।

चिकित्सा विभाग द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को तार व दूरभाष द्वारा निर्देश दिये गये कि नीम हकीमों के द्वारा इस तरह के काण्ड आयोजित करने पर तुरन्त कानूनी कार्यवाही करें। विभाग द्वारा समस्त जिलाधीशों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं कि बिना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा विभाग के उच्च अधिकारियों की बिना पूर्वानुमति के इस प्रकार के शिविर नहीं लगाये जायं। विभागीय मन्त्री महोदय के द्वारा भी नागरिक बन्धुओं को अपील जारी की गई जिससे अन्जान व नीम हकीमों से ऑपरेशन कराने हेतु सचेत रहने को एवं अपने आप को बचाने हेतु निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पंचायती राज विकास विभाग द्वारा भी सभी जिला प्रमुख, जिला परिषद् व प्रधान पंचायत समितियों को इस आशय का एक परिपत्र जारी कर दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के निवासियों को अपील करें कि राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त शिविरों में ही ऑपरेशन करावें। यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति इस तरह के शिविर आयोजित करता है तो इसकी सूचना तुरन्त पुलिस थाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला प्रशासन को दें दें।

उपरोक्त काण्डों की सूचना प्राप्त होते ही अलवर जिले में आठ एफ. आई. आर. पुलिस थानों में दर्ज की गई जिनकी जांच प्रगति पर है। अनधिकृत डॉक्टरों में से पांच को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है तथा बाकी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही जारी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तालियों की बात नहीं है। X X X X

श्री अध्यक्ष: X X X शब्द कार्यवाही से निकालें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कर्तव्यहीनता व लापरवाही के कारण राजस्व विभाग के तीन पटवारी, विकास विभाग के तीन ग्राम सेवक तथा चिकित्सा विभाग के एक कम्पाउन्डर तथा एक परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विभाग के निदेशक; मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई को निर्देश दिये गये हैं कि वे उक्त क्षेत्रों में अपने कैम्प लगावें ताकि गांवों की भोली जनता इन तथाकथित अनाधिकृत व्यक्तियों से दूर रह सकें, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह ऑपरेशन शिविर सीमावर्ती जिले में लगाये गये हैं, एवं ऑपरेशन के पश्चात् ये अनधिकृत व्यक्ति हरियाणा एवं उत्तरप्रदेश में भाग जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष कानून बनाने का मामला विचाराधीन है ताकि ऐसे आंख फोड़ काण्डों की पुनरावृत्ति न हो। राज्य सरकार ने अभी भरतपुर में एक भ्रमणशील नेत्र शल्य चिकित्सा ईकाई की

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है ताकि ग्रामीण जनता को आवश्यक सुविधायें गांव व उनके घरों के पास सुलभ हो सकें।

ग्राम सेवक, पटवारी, स्कूल अध्यापक व स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता पर यह दायित्व डाला गया है कि वह अपने क्षेत्र में लगने वाले ऐसे किसी भी कैम्प की पूर्व सूचना तुरन्त जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दें।

राज्य सरकार इन अधिकृत चिकित्सकों को इस प्रकार की धोखा धड़ी एवं जनता की आंखों के साथ खिलवाड़ करने का कड़ा विरोध व भर्त्सना करती रही है, और समयानुसार उचित कदम भी उठाये हैं। राज्य के 33,000 से भी अधिक गांव विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुये हैं तथा इन सभी गांवों में आयोजित अनधिकृत शिविरों की प्रवृत्ति रोके जाने के लिये जनता के द्वारा चुने हुए जन प्रतिनिधियों का राज्य सरकार को सहयोग मिलता रहे और इस प्रकार के कैम्प आयोजनों की सूचना समय पर मिलती रहे ताकि सतर्कता से उसे रोका जा सके।

अतः उपरोक्त मामले में शासन किसी भी प्रकार से निष्क्रिय नहीं है और ऐसे समाज विरोधी तत्वों के प्रति पूर्णतया सजग है।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

माननीय सदस्य, इस वक्तव्य पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं होगी लेकिन कई माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये हैं। जिन सदस्यों ने इस तरह के प्रस्ताव दिये हैं उनके नाम हैं श्री जीतमल जैन, श्री समर्थलाल, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री नाथूसिंह, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री अनंगकुमार जैन, श्री बंशीलाल पटवा और श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि स्वास्थ्य की मांगों के ऊपर इस सत्र में विचार हो रहा है...

श्री खेतसिंह राठौड़: 9 तारीख को ही है।

श्री अध्यक्ष: बजट पर भी वाद-विवाद होगा। इसलिए यदि कुछ सुझाव माननीय सदस्य देना चाहें विस्तृत रूप में तो इस तरह के सुझाव उन अवसरों पर दिये जा सकते हैं।...

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। बात सुन लीजिए।

लेकिन स्पष्टीकरण के तौर पर यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहें तो उस संबंध में मैं इन सभी माननीय सदस्यों को एक एक करके पुकारूंगा। कृपया अपने सीमित दायरे के अन्दर अपने प्रश्न पूछ लें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): इनका प्रश्न स्थगित हुआ था, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, उनको भी अवसर दूंगा।

दूसरे माननीय सदस्यों के पास प्रश्न हों या महत्वपूर्ण सूचना हो तो ठीक है लेकिन समय का कृपया ध्यान रखें क्योंकि एक विस्तृत वक्तव्य दिया गया है कि राज्य सरकार ने क्या किया। यह सब कुछ आपके सामने आ गया है और अन्य अवसर

(श्री अध्यक्ष)

भी विद्यमान हैं हमारे समक्ष इसलिए समय का ध्यान रखते हुए जिन माननीय सदस्यों के नाम मैं पुकारूं वह कृपया थोड़े समय के अन्दर अपने प्रश्न पूछने की कृपा करें।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर। मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था। मेरी तहसील के विद्यार्थियों को कन्सेशन के बारे में और गांव में गाड़ियां जाने के बारे में···

श्री अध्यक्ष: क्या ?

श्री त्रिलोकसिंह : विद्यार्थियों को कन्सेशन के बारे में स्थगन प्रस्ताव था उसका क्या हुआ ? और दूसरा मेरा प्रस्ताव था···

श्री अध्यक्ष : आप देर से पधारे। उस संबंध में मैंने व्यवस्था दे दी है। आपको समय पर पधारना चाहिए था। त्रिलोकसिंह सबसे पहले ही था। इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है कि राज्य सरकार से इस बारे में जानकारी ले रहा हूं।

श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

भाषण नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : नहीं, नहीं। प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न भी दो-तीन से ज्यादा नहीं। क्योंकि भाषण को प्रश्नों में परिवर्तित करेंगे तो और ज्यादा समय लगेगा।

श्री नाथूसिंह : मैं प्रश्न ही पूछूंगा केवल और प्रश्नों का जवाब ही चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है······

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : वहां पर जब आंखें का ऑपरेशन हुआ और आंखें फोड़ दी गयीं······

श्री अध्यक्ष : यह पत्रावलियों का आदान-प्रदान यदि आप बाहर करें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से········

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप निवेदन कर रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछने के अपने अपने ढंग होते हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हर पंचायत स्तर पर होते हैं और स्वास्थ्य अधिकारी और परिवार कल्याणकर्ता भी वहां पर होते हैं। मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आंखें कब फूटीं ? आंखें फूटने के बाद आपके जिला प्रशासन और परिवार कल्याण-कर्ता और स्वास्थ्य केन्द्र, जो पंचायत स्तर पर हैं, को पहली बार, आपने कहा, सूचना एक व्यक्ति ने दी। वह बाद में दी है जब कि आंखें फूट गयीं। एक व्यक्ति ने सूचना दी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और

(श्री नाथूसिंह)
परिवार कल्याणकर्ता और जिले के अधिकारी तब तक क्या कर रहे थे ? एक प्रश्न।

दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यह है कि इन्होंने केवल एक परिवार कल्याणकर्ता और कम्पाउन्डर के खिलाफ कार्यवाही की है । तो क्या यही व्यक्ति दोषी हैं ? वहां पर और भी अधिकारी बैठे थे और उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में पता करें । तो यह इतने अंतराल तक क्या करते रहे ? यह दूसरा प्रश्न ह ।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि अपील जब आपने जारी की कि आंख फोड़ रहे हैं हरियाणा से लोग आकर तो यह अपील आंखें फोड़ने की सूचना मिलने के कितने दिन बाद की गयी, और तब तक क्या करते रहे ?

दूसरे भ्रमणशील स्वास्थ्य इकाई जो आपकी है वह अपने उन गांवों में कब गयी ? आपने घोषणा की है कि इसके लिये विशेष कानून बनायेंगे। तो यह कब तक आप बना देंगे? एफ. आई. आर. दर्ज हुई इसकी जांच कराई जा रही है, वह किस स्तर पर कराई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार जैन ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो ही प्रश्न पूछना चाहूंगा । जो लोग इस तरह के कैम्प लगाते हैं वह काफी समय पूर्व प्रचार और प्रसार करते हैं, पेम्पलेट बांटते हैं और कैम्प की जगह घोषित करते हैं । यानि कम से कम आठ-दस रोज पहले यह कार्यक्रम तय करते हैं । इन आठ-दस दिन में जब उन्होंने प्रचार-प्रसार किया तो आपके जिला चिकित्सा अधिकारी और लोकल स्तर के चिकित्सक या जिला प्रशासन ने जांच क्यों नहीं की ? यह मसले पहले भी आ चुके हैं। इस तरह के कैम्प लगाये जाते हैं । तो इसका क्या कारण है ?

दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि जिन तीन डॉक्टरों के नाम लिये हैं कि उन्होंने कैम्प लगाये हैं, तो उन तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सबसे पहल तब उठा जब उदयपुर जिले में मई महीने में सलूम्बर के पास के एक गांव में ऑपरेशन किये और कुछ लोग अंधे हुए । इनमें से कुछ लोग औजार, उनकी पत्तियां और उनके बोटे सहित गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ पुलिस में केस बना। उन्होंने कहां-कहां कैम्प लगाये ?

श्री अध्यक्ष : यह अलवर के बारे में है, तिजारा के बारे में ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं । मैंने अपना जो प्रस्ताव दिया है उसमें उदयपुर का भी नाम दिया है । तो यह मई की घटना थी । अगर केस बन चुका था, पकड़े जा चुके थे औजारों सहित, उसके बाद, मई के बाद फिर यह घटना रिपीट क्यों हुई ? क्या इसके बारे में अधिकारियों की लापरवाही नहीं है कि जब ऐसी धटना आलरेडी तीन जगह उदयपुर जिले में हो चुकी थी; मुलजिम पकड़े जा चुके थे उसके बाद में कार्यवाही नहीं की, तो क्या उनको आप

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
सजा देंगे, डिपार्टमेंट के जिन लोगों की नैगलीजेन्स के कारण से यह हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से तीन प्रश्न करता हूं। अमीलाल यादव, जो तिजारा पंचायत समिति के कांग्रेस (आई) के प्रधान श्री मंगतराम का निकट का रिश्तेदार है क्या उसको आपने गिरफ्तार किया ? अगर गिरफ्तार किया तो पुलिस ......

श्री अध्यक्ष : रिश्तेदार को गिरफ्तार करने की बात कहां से आ गई ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अमीलाल यादव। तीन अपराधी बताये हैं जिनमें से एक है अमीलाल यादव। यह मंगतराम का निकटतम रिश्तेदार है और आज तक वह गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर किया गया है तो उस पर कौन सी धारायें लगायी हैं ? उसको कितने दिन तक हिरासत में रखा, और अब उसका केस कहां पर चल रहा है ?

मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय, छोटे-छोटे कर्मचारियों को मुअत्तिल किया। आपने बताया है, चौड़िया ग्राम में कोटकासिम क्षेत्र के पास कैम्प लगा था। इस चौड़िया ग्राम के फूसा नामक व्यक्ति ने अक्टूबर के महीने में अलवर आकर, डॉक्टर को अपनी दो बार आंख दिखाई, आई स्पेशलिस्ट को। उसने कहा कि कोटकासिम गांव के पास चौड़िया गांव में इस प्रकार का कैम्प लगा था। अमीलाल ने कैम्प लगाया था। मेरी यह आंखें उसने फोड़ दी हैं। क्या अलवर के डॉक्टर की यह ड्यूटी नहीं थी कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ केस रजिस्टर करता ?

तीसरा, आपने संख्या बताई है कि कुल 78 व्यक्तियों के इन कैम्पों में ऑपरेशन किये गये हैं। उन 78 व्यक्तियों में से 53 व्यक्तियों को इन व्यक्तियों ने अन्धा कर दिया, उनकी जीवन ज्योति समाप्त कर दी। मंत्री महोदय, से अन्त में एक प्रश्न करूंगा कि पिछले सत्र में 6-9-82 को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये एक आशंका प्रकट की थी कि माननीय मंत्री महोदय अगले सत्र में यह बिल नहीं लायेंगे। आंख फोड़ काण्ड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें राजस्थान में घट जाने के बावजूद भी क्यों नहीं लायेंगे ? क्योंकि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को तीन लाख रुपये की थैली राजस्थान के इन नीम हकीम खतराएजान नाम के डॉक्टरों ने अर्पित की है। यह मेरा आरोप था, और आज मेरा वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप है, नीम हकीम खतराए जान का प्रश्न नहीं; आप निश्चित रूप से आश्वासन दीजिये, इन नीम हकीम खतराएजान डॉक्टरों के खिलाफ इसी सत्र में बिल लायेंगे। लेकिन वह नहीं लायेंगे। वह इसलिये नहीं लायेंगे .....

श्री अध्यक्ष : विस्तृत कारणों में न जायं, माननीय सदस्य। आपने कह दिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : 5 लाख रुपये इकट्ठे हुए हैं।......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती विद्या पाठक।

श्री दाऊदयाल जोशी : 5 लाख रुपये इकट्ठे हो रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, आप इसलिये बिल नहीं लायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रशासनिक शिथिलता और नैगलीजेंस और विजिलेंस के अभाव का केस है । यह तो सरकार की हर चीज से परिलक्षित होता है । यह किस-किस के लिये विधेयक लायेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केस कोई नया नहीं है । माननीय मंत्री जी, क्या यह आपकी जानकारी में है कि सन् 72 में कोटकासिम के थाने में इसी अमीलाल यादव के खिलाफ इसी तरह के केस में एफ. आई. आर. दायर हुई थी ? इसके बाद वे लोग आपको निरन्तर सूचना देते रहे, आप अधिकारियों को चेतावनी देते रहे । आपकी केन्द्र की सरकार और राजस्थान की सरकार बिल को, विधेयक को लाने की बात करती रही और बराबर इस तरह के आंख फोड़ काण्ड बढ़ते चले गये । यहां तक कि लोगों से जोर जबरदस्ती तक की गई । क्या सन् 72 के बाद आप इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे ?

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस तरह के कैम्प बार बार लगते रहे । यह तय है कि यह कैम्प एक दिन में नहीं लगे । एक ही समय में सारे कैम्प लगे हों, ऐसा तो है नहीं, बार बार यह कैम्प लगते रहते हैं । एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, ऐसा कई बार हुआ । एक बार होने के बाद सरकार ने इसको रोका नहीं ।

दूसरा मेरा प्रश्न है, जिन लोगों की आंखें फूट गईं, जो अन्धे हो गये, उनका तो सारा जीवन ही खराब हो गया । क्या सरकार उनको कोई अनुदान देगी ? इस बाबत अपने निश्चय की सरकार घोषणा करे ।

तीसरा, मेरा प्रश्न है कि ये कैम्प एक दिन में तो हो नहीं जाते । एडवर्टाइजमेंट होता है, कैम्प लगते हैं .....

श्री अध्यक्ष : यह बात आ गई, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : अनुदान वाले का थोड़ा जवाब करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री पटवा ।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है आंख फोड़ काण्ड के बारे में, उसमें बड़ी चतुराई से उनकी केवल भर्त्सना करके यह बात कह दी कि सदन के मान्यवर सदस्यों के सहयोग से कड़ी कार्यवाही करेंगे । यह सारी बात इन्होंने कही । इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि बड़ी चतुराई से, डैकोरेटिव लैंग्वेज में इन्होंने यह बात कह दी लेकिन उदयपुर जिले में और अदर प्लेसेज पर आये दिन इस तरह की घटनायें घटती रहती हैं । भीलवाड़ा जिले में निवारिया का कोई हकीम है वह उदयपुर जिले में फुंगिया में, कोटड़ी में, कावरा में, रेल मगरा में, तरह तरह के स्थानों पर जाकर ....

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा में तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री बन्सीलाल पटवा : भीलवाड़ा में तो नहीं कर रहे हैं, आप मुझे टोकेंगे कि यह प्रश्न

(श्री बन्सीलाल पटवा)

उदयपुर का है, लेकिन भीलवाड़ा के अस्पताल में इस तरह के केसेज आए हुए हैं उनका वहां पर इलाज हुआ। हालत यह है कि इस तरह की घटनायें घट जाने के बाद जब इलाज के लिये अस्पताल में वह आते हैं तो उनको इलाज भी पूरा मुहैया नहीं होता है। यह घटनायें बड़ी गम्भीर हैं। जहां जहां भी आंख फोड़ के केस दर्ज हुए हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उदयपुर जिले में आंख-फोड़ काण्ड के जितने केस हुए हैं, जितनी घटनायें घटी हैं उनमें से कितनों के मुकदमे पुलिस में दर्ज हुए हैं? और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह स्पष्ट कीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री बन्सीलाल पटवा : क्यों? डैकोरेटिव लैंग्वेज बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा अन्यथा रोकथाम नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति आये दिन मंडराते रहेंगे और इस तरह के कैम्पों की स्थिति आये दिन बनती रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बाल चन्द्र !

श्री बालचंद्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन कैम्पों में, जहां पर आंखों के ऑपरेशन होते हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या अनुभव के आधार पर भेजा जाता है? दूसरा, आपके माध्यम से मेरा पूछना यह है, क्या आप बतायेंगे, जैसे कि आपने बताया कि हम कड़े कदम उठा रहे हैं, आप क्या-क्या कड़े कदम उठाना चाहते हैं? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन !

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अवैध कैम्प लगाये गये, इसकी सूचना जिला प्रशासन को थी या नहीं? दूसरा, कितने लोगों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हुई ?····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह सब प्रश्न तो, यह सब सूचना तो माननीय सदस्यों को उस स्थिति में आ सकती थी, जब आप किसी एक कैम्प के बारे में पूछते ······

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में एक सवाल पूछा गया था और उसके जवाब में सरकार ने जो उत्तर दिया है, वह अगर आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : इतना समय नहीं है, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : इस उत्तर को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास सूचना आ चुकी है। जब इस सदन में स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जो मैं पूछ रही हूं वह सूचना इनके पास है और होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, कितने लोगों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हुई? कितने लोग अरेस्ट हुए? कितनों के चालान पेश हुए? कितने एक्सकाण्ड हो गये? कितनों की तफतीश पैंडिंग है? और पैंडिंग है तो किस स्टेज पर?

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीरसिंह !

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा ······

श्री अध्यक्ष : आपके जैसलमेर में तो कोई ऐसा काण्ड नहीं हुआ ?

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : नहीं, अभी तक दया है मंत्री महोदय की, नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन हो सकता है, अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : डर आपको भी लग रहा है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : बहुत डर लग रहा है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, धौलपुर में नीम हकीमों के द्वारा जो प्रकरण हुआ उसके संबंध में 23-3-82 और 29-3-82 को पुलिस ने तीन फर्जी चिकित्सकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 304, 328, 327, 414, 420 और 326 ताजिरात ए हिन्द की प्रक्रिया प्रारम्भ की। क्या यह मंत्री महोदय की जानकारी में है कि तीनों व्यक्ति बेल पर गये हैं और एब्सकान्डिग हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल !

श्री रामसिंह विश्नोई : एक कैम्प अपोजिशन में लगा दिया जाये इस तरह का।

श्री नाथूसिंह : सरकार में क्यों नहीं लगा देते हो।

श्री अध्यक्ष : जो चाहे, लाभ उठा सकता है।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : आपने जैसा बताया कि यह तीन जगहों पर हुए, चार-पांच व्यक्तियों को आपने पकड़ा है। क्या यह सही है कि शेष व्यक्तियों को आप इसलिये नहीं पकड़ पा रहे हैं कि हरियाणा के कुछ नेताओं ने आप लोगों के पास सिफारिशें की हैं ? उनकी वजह से शेष व्यक्तियों को आपने नहीं पकड़ा ?

दूसरा सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि आंख फोड़ो काण्ड का शिविर राजगढ़ में भी लगा था जिसकी एफ. आई. आर. दर्ज हुई थी। अलवर जिले का यह सवाल है और राजगढ़ भी अलवर जिले में ही है। उसकी तो आपने बिलकुल चर्चा नहीं की है। उसको छिपाने की कोशिश क्यों की है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय !

(व्यवधान)

आपने इच्छा व्यक्त नहीं की।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दो इन्स्टालमेंट्स में यह घटना हुई है। मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है वह यह है कि पहली घटना तो अप्रेल-मई में हुई है, धौलपुर जिले में।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो मौसम के अनुसार होता है न ऑपरेशन ....

(व्यवधान)

मोतियाबिन्द का ऑपरेशन।....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, जी हां। और दूसरी घटना हुई उदयपुर में। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जब अप्रेल-मई की धौलपुर, भरतपुर और उदयपुर की सूचना आ गई थी तो उस समय राज्य सरकार ने क्या कोई परिपत्र जारी किया था विभाग के कर्मचारियों के लिये कि इस विषय में इस प्रकार के कदम उठाये जायं ? अगर इस प्रकार का

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
परिपत्र जारी किया था, तो दूसरे इन्स्टालमेंट में जो घटनायें हुईं उसमें जो-जो दोषी लोग थे, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ?

प्रश्न-2. सी. ए. एस. डॉक्टर्स एसोसियेशन के प्रान्तीय उपाध्यक्ष व संयोजक डॉ. श्यामसिंह कछवाहा ने जब पहले इन्स्टालमेंट की घटनायें हुईं थीं अप्रेल में, तब मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था, और राज्य सरकार से मांग की थी कि इन नीम हकीमों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको अविलम्ब स्थगित करें। इन नीम हकीमों के रजिस्ट्रेशन के लिये जो कमेटी बनी हुई है उसमें तीन व्यक्ति हैं। इसमें एक तो शायद नीम हकीमों के एसोसियेशन के अध्यक्ष ही हैं।····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नीम हकीमों का कोई एसोसियेशन ही नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: जी हां, जी हां। मतलब ऐसे डॉक्टर्स, जो क्वालिफाइड तो नहीं हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन है 15-20 साल से, 5-10 साल से। एक दूसरे कोई सी. ए. एस. डॉक्टर हैं। और तीसरे·········

(व्यवधान)

यही कहना है मेरा। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, ऐसी जो कमेटी बनी हुई है जो आर. एम. पी. के नाम से रजिस्ट्रेशन कर देती है, उसमें सुधार की कोई प्रक्रिया माननीय मंत्री महोदय ने अपनाई है? इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से गलतफहमी रही तो आगे तक चलता रहेगा मामला। इसलिये कोई कड़े कदम लीजिये, बार-बार गलती हो जाय और जो कदम उठायें वे सफलीभूत न हों, यह सरकार के लिये किसी भी तरह से उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विपक्ष के नेता महोदय नहीं पूछेंगे कोई प्रश्न ?

श्री अध्यक्ष : आप उनको क्यों आमन्त्रित कर रहे हो ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): नहीं, इतना सा ही पूछना है, क्या माननीय मंत्री महोदय भी इन क्वेक्स से अपनी आंख दिखाने के लिये तैयार हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न पूछे हैं। मैं एक एक प्रश्न का जवाब दे देता हूं···········

श्री अध्यक्ष : मैं इसमें छूट दे रहा था, एक साथ ही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तीन-चार माननीय सदस्यों ने एक साथ यह पूछा कि ये जो नीम हकीम हैं इनमें से कितनों को गिरफ्तार किया, कितनों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए, और क्या कार्यवाही चल रही है। इस सिलसिले में मैं पहले आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 14 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर के तीन हैं, महेश चन्द्र, रमेश चन्द्र और मन्ना लाल जाटव– ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने ऑपरेशन धौलपुर

(श्री खेतसिंह राठौड़)
में किये थे । उनको गिरफ्तार कर लिया गया है । उदयपुर के अन्दर दो थे-किशन लाल शर्मा और ललितकुमार जैन, इन दोनों ने लसाड़िया, और जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह मई में नहीं हुए थे, मार्च में हुए थे एक लसाडिया और एक पूण में । इन दो गांवों में ऑपरेशन किये थे । इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है । जहां तक अलवर का प्रश्न है-लेख राम, बलवन्त अलीस मेव, महिन्द्र और धर्मपाल । इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी अमीलाल वगैरह के लिये गिरफ्तारी की कोशिश जारी है । भरतपुर में इसी तरह हरिश्चन्द्र को गिरफ्तार किया गया है । तो जैसा मैंने निवेदन किया, कुल मिलाकर 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । बाकी जो-जो कथित डॉक्टर थे और डॉक्टर नहीं कहलाये जा सकते थे, वे अनधिकृत नीम हकीम थे, जिन्होंने ये ऑपरेशन किये हैं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है ····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 14 तो गिरफ्तार हुए हैं।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : 14 के अलावा कितने हैं बाकी, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम बताये थे । मेरे ख्याल से आप उस वक्त यहां तशरीफ नहीं रख रही होंगी फिर भी, माननीय सदस्या, आप, चाहती हैं तो बता देता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फरार कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : तीन जम्प कर गये, यानी जमानत दी हुई थी, उसके बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं । दूसरे, जो मुलजिम होते हुए भी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं उनके नाम ·······

श्री खेतसिंह राठौड : उनके नाम मैंने बताये, जैसे अमीलाल यादव, दलीप यादव, ये दोनों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं । इसी प्रकार से एक धारू मल यादव हैं, इनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया है इनकी गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है । अब, आपने कहा कि ये किसी बड़े नेता के संबंधी हैं इसलिये इनको गिरफ्तार नहीं किया गया । तो यह तो मेरी नॉलेज में नहीं है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, और न हमारे पास में इस तरह का कोई प्रेशर आया है, न विलम्ब हो रहा है । खुद ही भाग गये हैं । आप तो जानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में कितना समय लगता है । श्रीमान्, बड़ा पेचीदा मामला है । फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाय और इनके चालान किये जायं ।

(व्यवधान)

आप थोड़ा सा धीरज रखिये ·······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चालान कितने हुए हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जहां तक इन सभी केसेज में धौलपुर वाले का सवाल है, उसमें तो चालान हो गये । बाकी के दो केसेज में से अलवर वाला केस अण्डर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इन्वेस्टिगेशन है। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री को राजस्थान के नीम हकीमों ने मिलकर तीन लाख की थैली दे दी। ये ऑपरेशन करने वाले हरियाणा के थे और थैली दी राजस्थान वालों को। उन बापड़ों का क्या लेना देना है? उनका तो इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऑपरेशन करने वाले दूसरे हैं। यह आपका चार्ज बिलकुल गलत है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आपने कहा, जीवन ज्योति चली गई, जीवन ज्योति नहीं गई, नेत्र ज्योति चली गई। फिर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नाथूसिंह : यही तो हम जानना चाहते थे कि जीवन ज्योति और नेत्र ज्योति में आपको फर्क दिखता है क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने यह भी पूछा कि सरकारी स्तर पर क्या कार्यवाही की। सरकारी स्तर पर, मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया.....

श्री अध्यक्ष : वह तो विस्तार से बता दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने बहुत विस्तृत बताया है। फिर भी सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा कि सन् 72 में पहला काण्ड हुआ था। वह हमने तो किया क्या, और आप 77 से 80 तक थीं, आपने किया क्या?

श्रीमती विद्या पाठक : हमारे समय में ऐसे कोई काण्ड नहीं हुए, माननीय मंत्री महोदय। यह तो बिहार से आपने शिक्षा दी है। एजेन्सी बदल दी। वहां पुलिस और जेल थी और यहां नीम-हकीम हो गये। अब यह बता दीजिये, आज तक तो आपने कोई कार्यवाही नहीं की. आगे जो इस तरह के काण्ड होंगे उनकी भी एफ. आई. आर. दर्ज होगी या नहीं, उनको भी पकड़ेंगे या नहीं, यह रोक तो पायेंगे नहीं आप?

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : सूचना दी या नहीं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मेरे स्टेटमेन्ट में ही आपसे निवेदन किया था, हमने सारे जिले के कलेक्टर्स को, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को व हमारे मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट के सी. एम. एच. ओ. को बहुत विस्तृत अपीलें भेज दी हैं, लैटर्स लिखे हैं, और उनसे कहा है, कहीं पर भी चाहे कोई कैम्प लगता हो, आप पहले यह मालूम कर लें कि ये कैम्प राज्य सरकार की तरफ से आयोजित हो रहे हैं या कोई क्वेक्स लगा रहा है। ज्योंही अगर क्वेक्स का मालूम हो, तुरन्त उस कैम्प को बन्द कर दिया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

भविष्य में इस प्रकार की वारदात नहीं हो, इसके लिये निश्चित तौर से हमने सबको सचेत किया है। मुख्यमंत्री जी ने भी सारे कलेक्टर्स को लैटर भेजे हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर......

श्री अध्यक्ष : और जनता में भी काफी प्रचार हो जायेगा कि इस प्रकार के ऑपरेशन्स किये गये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ताकि भविष्य में इस तरह की गलती न हो।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : केवल एक मिनट की इजाजत दूंगा विपक्ष के नेता महोदय को ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या रजिस्टर्ड क्वेक्स या नीम हकीम, जिनको जिस नाम से भी आप पुकारें, का रजिस्ट्रेशन हुआ है ......

श्री अध्यक्ष : जो रजिस्टर्ड हैं, वह क्वेक्स कैसे होंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : रजिस्टर्ड के लिये तो, किसी भी नाम से पुकारें, मैंने कह दिया जो रजिस्टर्ड हैं । जिनको नीम हकीम कहें या क्वेक्स कहें, क्या आप कानून में परिवर्तन किये बिना उनको कैम्प लगाने से नहीं रोक सकते ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, यह जो बात अभी आपने कही, इसमें कुछ तथ्य हैं । ऐसा हुआ है । बूंदी के अन्दर इस तरह से कोई व्यक्ति कैम्प लगा रहे थे तो हमारे सी. एम. एच. ओ. ने उनको रोकने का प्रयत्न किया । इस पर उन्होंने कोर्ट में जाकर अपनी नालिश कर दी और स्टे ऑर्डर आ गया । यह जो बात आप कह रहे हैं, सही है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कैसे रोकेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसीलिये मैं कानून ला रहा हूं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : किस सत्र में ला रहे हैं । कब ला रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि हमने जिलाधीशों को अपील की है, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद लैटर लिखा है । इन अपील्स की और लैटर्स की कोई कीमत नहीं है जब तक आप कानून में कोई संशोधन नहीं करेंगे । यदि सरकार थोड़ी बहुत भी सतर्क होती, तो इस सदन में पहला विधेयक इन क्वेक्स के खिलाफ लाया जाता । कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा, इसका कोई संकेत नहीं दिया । आप क्या चाहते हैं .....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जिस गंभीरता और चिन्ता से यह वक्तव्य फरमाया, मैं उसकी कद्र करता हूं । मैं खुद इस बात का हामी हूं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में कानून लाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जल्दी से जल्दी कब ? इस सैशन में आयेगा कि नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस सैशन के अन्दर मैं कानून पेश करूंगा और......

श्री अध्यक्ष : आर्डिनेन्स मेकिंग भी हो जाती है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, नहीं । हम आर्डिनेन्स नहीं लायेंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेंस तो बसेज का किराया बढ़ाने के लिये लायेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड : .... मैं इसको प्रवर समिति में भेजूंगा, विरोधी दल के नेता को भी उसमें मैम्बर बनाऊंगा। बैठ कर विचार विमर्श करके आगामी सत्र में ऐसा माकूल और बढ़िया कानून लायेंगे जिसको कोई हाई कोर्ट में चेलेंज नहीं कर सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि आज तक राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रकार का कानून बनाने का निर्णय नहीं लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो गोपनीय होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गोपनीय नहीं है। इनकी सीरियसनेस का पता लगेगा। आज तक केबिनेट की मीटिंग में क्वेक्स, या किसी नाम से भी आप संबोधित करें, के खिलाफ कानून बनाने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर हो गया होता तो अभी ले आते न हम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं कहता हूं कि गवर्नमेन्ट सीरियस नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है। लोगों की तीन वर्ष से आँखें फोड़ी जा रही हैं। इस गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था कि हम कानून बनायेंगे। केबिनेट में इस क्वेश्चन पर विचार नहीं किया, कानून बनाने की कोई बात नहीं आयी मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, बिजनेस मैन्युअल के आधार पर जब गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया तो मिनिस्टर अनाउन्स कैसे कर रहे हैं ? कोई हक नहीं है इनको अनाउन्स करने का।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं कह रहा हूं कि लायेंगे, लॉ डिपार्टमेंट में बेट हो रहा है, कानून हम लायेंगे। आप इतनी गंभीरता से बात कर रहे हैं। आपने ढाई साल में क्या गजब ढा दिया था ? उस वक्त आप खुद चीफ मिनिस्टर थे, आप खुद क्यों नहीं ले आये ? आज हमारे ऊपर आप बड़ी आँखें निकाल-निकाल कर जोर जोर से कह रहे हैं कि बैठ जाओ। आप होते तो आप ले आते। आपको किसी ने मना किया था, उस वक्त में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप गुस्सा क्यों कर रहे है ? On a point of order, अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि मंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट इस हाउस में दिया। वह स्टेटमेंट यह दिया है कि सरकार बिल लाने का निर्णय ले रही थी। अभी यह कहा......

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): नहीं।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : कहीं नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कहा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कानून लाने जा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानून लाने जा रही है, इसका मतलब, निर्णय ले लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मतलब आपका है यह । मेरा मतलब यह नहीं है । आप अपना मतलब निकाल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कोई मतलब निकालिये । मतलब, आपका यह कहना है कि सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया । बोलिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेने जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसका क्या मतलब है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : आपके प्रभारी मंत्री और केबिनेट में, कौंसिल में थोड़ा सा डिफरेन्स करना पड़ेगा । जैसा कि आप जानते हैं कि रूल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस अण्डर आर्टिकल 166; कोई भी मिनिस्टर अपने विभाग से संबंधित किसी भी कानून का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कराये, उसका ड्राफ्ट तैयार करा कर लॉ डिपार्टमेंट से वैट करवा सकता है । वैट करवाने के बाद इसको केबिनेट मीमो के फार्म, जैसा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में उल्लेख है, में मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने बिल ड्राफ्ट कर लिया है, तो ड्राफ्ट करने के बाद कोई भी कानून आयेगा वह लॉ डिपार्टमेंट में वैट होना लाजिमी है, नियम में इसका उल्लेख है । जब वह वैट हो जायेगा, उसके बाद में केबिनेट मीमो बनेगा केबिनेट मीमो के बारे में भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है । Chief Secretary goes to the Chairman of the Council of Ministers. तो वह स्टेज बाकी है । नहीं तो कानून तो बन रहा है, उसका ड्राफ्ट वैट होने गया है । इसलिये जहां तक मिनिस्टर का प्रश्न है, प्रभारी मंत्री जी का, उन्होंने वह कार्यवाही कर दी है लेकिन मंत्रिमंडल के सम्मुख अभी तक नहीं आया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक पोजीशन तो बिलकुल स्पष्ट हो गयी कि माननीय मंत्री महोदय ने कन्सनिंग मिनिस्टर के नाते अपने डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया है कि इस प्रकार का कानून बनाया जाय । लेकिन सरकार ने इस प्रकार का कानून बनाने का निर्णय ले लिया है, क्या इस तरह की बात कही जा सकती है ? परसराम जी, मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं । इनको तो पता नहीं, सरकार में और मंत्री में क्या भेद है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सब पता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठिये । गुस्सा मत करिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ढाई साल क्या रह गये गवर्नमेंट में, ऐसे कह रहे है जैसे सारा आप ही जानते हैं । यहां 8-8, 10-10 साल रहे हुए हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि लोगों की आंखें फूट गयीं, सब कुछ हो गया लेकिन मंत्री महोदय के चेहरे पर किसी तरह की कोई सीरियसनैस नहीं है । मैं इनको सीरियस मानता भी नहीं । मैं मानता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं कि यही जवाब यदि माननीय देवपुरा जी देते, परसराम जी देते, बृजसुन्दर जी देते तो सारी सीरियसनेस के साथ देते। मैं खेतसिंह जी को तो नहीं कहता लेकिन बाजारों में जैसे बेफूल्स बिहेव करते हैं, कइयों की आदत हो गई है, उस प्रकार बिहेव करने की। मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहता।

राजस्व मंत्री महोदय, जो उप-मुख्य मंत्री की हैसियत से भी काम कर रहे हैं, से मैं जानकारी करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का लिया हुआ डिसीजन हाउस में क्या इस बात की संज्ञा के साथ रखा जा सकता है कि यह सरकार का डिसीजन है ?

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): राजस्व मंत्री मेरी दाहिनी ओर बैठे हैं। मैं निवेदन यह कर रहा था प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कि (व्यवधान) मिनिस्टर इनचार्ज ऑफ दी डिपार्टमेंट ने बिलकुल, बिल को ड्राफ्ट करने का निर्णय लिया। ईवन नोटिंग्स के ऊपर इन्होंने मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत किया कि इस प्रकार का बिल लाया जा रहा है। जैसी कि मुझे सूचना मिली है, मुख्य मंत्री जी ने लिखा है कि उसमें सर्टेन प्रोविजन्स यह भी रखे जाने चाहिये। उन्होंने उस पर अनुमति दी है कि ड्राफ्ट कराया जाना चाहिये बिल को। बिल को ड्राफ्ट कर दिया अधीनस्थ डिपार्टमेंट ने।

(व्यवधान)

एक सैकण्ड के लिये बिल लॉ डिपार्टमेंट में वेट हो रहा है। आज लॉ डिपार्टमेंट में वेट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मिनिस्टर की सेवरली एण्ड जोइण्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। कौंसिल के अन्दर केबिनेट का इस पर फैसला नहीं हुआ है। बिल रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्दर केबिनेट के सम्मुख जाता है, सदन में प्रस्तुत होने के पहले, लेकिन वह सब कार्यवाही प्रीलिमिनरी है और कौंसिल का जो चेयरमैन है, उससे भी इस प्रकार के बिल की पूर्व अनुमति ले ली गयी है और उन्होंने अनुमति दे दी है। अब जो लॉ डिपार्टमेंट में वेट करने का प्रश्न है तो लॉ डिपार्टमेंट में वेट करने के लिये ड्राफ्ट बिल को भेजना, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर का उसको ड्राफ्ट करवाना, यह सरकार का डिसीजन नहीं है तो क्या यह दूसरी जगह हो रहा है ? यह गवर्नमेंट का डिसीजन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे तो आप, माननीय मंत्री महोदय, यह स्पष्ट बता दें कि खेतसिंह जी ने एज एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ जो स्टेटमेन्ट दिया है कि सरकार ने इस प्रकार का कानून बनाने का फैसला कर लिया है, क्या यह बात सही है ? (व्यवधान)

कोई फैसला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नान सीरियस वे में ऐसी चीजों को डील कर रहे हैं। पिछले साल धौलपुर का मामला आया था, उस समय गवर्नमेंट ने कहा था कि हम कानून बनाने जा रहे हैं। धौलपुर की घटना को एक साल हो गया। एक साल में भी अभी तक बिल का ड्राफ्ट वेट नहीं हो रहा है, लॉ डिपार्टमेंट के पास नहीं जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास नहीं जा रहा है, और गवर्नमेंट उसका डिसीजन नहीं ले पा रही है। आपने अभी देखा होगा, छोटे-छोटे 2-3 इश्यूज पर गवर्नमेंट ने आर्डिनेन्स इश्यू किये हैं जिन आर्डिनेन्सेज का यहां विरोध किया गया

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

है । यह सरकार अब तक सतर्क नहीं है कि इस मामले में आर्डिनेंस भी इश्यू किया जाता । हालांकि जनरली मैं आर्डिनेंस के खिलाफ हूं लेकिन आर्डिनेंस भी इश्यू कर दिया जाता तो कोई आपत्ति नहीं होती । इस मामले में तो आर्डिनेंस इश्यू नहीं कर रहे हैं । अभी भी सरकार ने फैसला नहीं लिया कि कानून बनाया जाय । इसका मतलब यह है, जो दाऊदयाल जी ने कहा कि सरकार के दिमाग के ऊपर या सरकार के ऊपर क्वेक्स का प्रभाव है । उन क्वेक्स को रोक नहीं पाती है । मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है, बाद में कलेक्टर ने आश्वासन दिया और उन्होंने गवर्नमेंट को सिफारिश की । तीन महीने पहले उन्होंने स्टे ले लिया और तीन महीने के अन्दर भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया । इससे आप गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अन्दाजा लगा सकते हैं । आज इसी का लाभ उठा कर ये क्वेक्स सारी कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चर्चा समाप्त नहीं हुई, साहब । ये बतायें तो सही । पोजीशन क्लीयर नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : वे कानून ला रहे हैं, यह कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : वे बहुत होशियार मिनिस्टर साहब है। बोल क्यों नहीं रहे हैं ।

श्री खेतसिह राठौड़ : हां, हां । तो क्या पोजीशन क्लीयर करानी है ? आप इतने जोर-जोर से बात कह रहे हैं । मैंने अपने वक्तव्य में भी यह सैन्टेन्स कहा है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष कानून बनाने का मामला विचाराधीन है । मैंने अपने वक्तव्य में भी यह बात कही है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, वक्तव्य के लिये ही मैं आगे कह रहा हूं ।

श्री खेतसिह राठौड़ : और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने यह कहा है कि हम यह कानून ला रहे हैं । इसमें कोई अन्दर की बात नहीं है । आप ट्विस्ट करके इस मामले को उलझाने की कोशिश करते हैं इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है । जनता का लाभ तो उसी से होगा कि हम कानून लायें और उस कानून से लोगों का भला हो । क्वेक्स को अपने को घटाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार पर चार्ज लगाना चाहता हूं, और चार्ज इस बात का लगाना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष : यह तो नोटिस देना पड़ेगा आपको ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नोटिस किस बात का ? मैं कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लगा रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, वैसे तो चार्ज लगाने की जरूरत ही नहीं है । वह तो सब अपने आप में ही स्पष्ट है, उसमें कोई जरूरत नहीं है चार्ज लगाने की । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को जिस सीरियसनेस के साथ सर-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कार को लेना चाहिये था सरकार ने उस सीरियसनेस के साथ नहीं लिया। इसलिये नहीं लिया यह इससे स्पष्ट है कि ग्राज से एक साल पहले जो सरकार वक्तव्य देती है कि हम कानून बनायेंगे, सरकार ने ग्राज तक कानून नहीं बनाया। ग्रभी तक माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि लॉ डिपार्टमेंट में इसका वेटिंग हो रहा है। केबिनेट के सामने मामला नहीं गया। मैं दुबारा रिपीट करना चाहता हूं कि बूंदी के मामले में, जहां स्टे ग्रॉर्डर नीम हकीमों ने प्राप्त कर लिया था, उस समय सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये थी। ग्रब ग्रागे भी यह होगा कि इसकी ग्राड लेकर सब जगह इसी प्रकार के कैम्प लगेंगे। मुख्य मंत्री जी की ग्रपील ग्रौर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रॉर्डर, ये सारे के सारे बेकार जायेंगे। मेरा चार्ज है इस सरकार के ऊपर कि जनता के स्वास्थ्य के साथ मखौल कर रही है यह सरकार। 24 या 44 कितने ग्रादमियों की ग्रांखें ......

(व्यवधान)

यह जो ग्रापने दिये हैं फिगर्स 53 ग्रादमियों की ग्रांखें जिस सरकार के जमाने में फूट जायं ग्रौर वह सरकार किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले, ऐसी निकम्मी सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन शब्दों में कण्डेम किया जा सके कण्डेम किया जाना चाहिये। इस कण्डेमनेशन के रूप में, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रपने दल के साथियों के साथ इस सदन से प्रतिरोध स्वरूप वाक-ग्राउट करता हूं ताकि जनता को मालूम हो कि यह सरकार निकम्मी है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ताकि दुनियां को कम से कम यह मालूम हो जावे कि इस सरकार के भरोसे मत रहो। यह सरकार पानी से मारेगी ग्रौर भी कई तरह से मारेगी। यह सरकार किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं कर सकती, हम इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर।

विधायी कार्य। पुरःस्थापित होने वाले विधेयक प्रभारी मंत्री जी !

सूचना

चांदपोल बाजार में पुलिस द्वारा छात्रों के जुलूस पर लाठी-चार्ज

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ग्रॉफ इन्फॉर्मेशन है। मेरा पॉइन्ट ग्रॉफ इन्फार्मेशन यह है कि जिस समय मैंने हाउस में ग्राकर यह कहा था कि यूथ फैडरेशन ग्रौर ग्रॉल इण्डिया स्टूडेंट फैडरेशन, ये दोनों संगठन ग्रपनी मांगों के लिये राजस्थान विधान सभा के सामने जुलूस बना करके ग्रा रहे थे, पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर जबरदस्त लाठी-चार्ज किया। उनके टैम्पो वगैरह, जिस पर माइक वगैरह था, कब्जे में ले लिये, झण्डे ग्रौर बैनर ले लिये। तीन सौ रुपये एक विद्यार्थी के पास से निकाल लिये गये। उस जबरदस्त लाठी चार्ज के बावजूद ....।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये सरकार से निवेदन है, एक लाख विद्यार्थियों की केवल यही मांग है कि हमको रोजगार दो, या जेल दो 18 साल का मताधिकार हो.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री मेघराज तावड़ : और नौजवानों की शिक्षा में सुधार किया जावे ! माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाख लोगों के, विद्यार्थियों के, नौजवानों के हस्ताक्षरों सहित यह ज्ञापन सरकार नहीं सुनती है इसलिये सरकार को नहीं देकर आपके सदन के पटल पर रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सदन के पटल पर इस तरह के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन रखने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, विना अनुमति के कोई भी कुछ भी सदन के पटल पर नहीं रख सकता है ।

श्री मेघराज तावड़ : इसका क्या उपाय है यदि सरकार सुने नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सरकार को आप ले जाकर दे आवें ।

श्री मेघराज तावड़ : लाठी चार्ज भी करे.....

श्री अध्यक्ष : लाठी चार्ज के वारे में मैंने, माननीय सदस्य, पूर्व में ही व्यवस्था दे दी है कि यदि आज कोई घटना हुई है तो इसकी जानकारी मैं प्राप्त कर लूंगा, माननीय सदस्य । जहां तक हस्ताक्षरों का, इस तरह के ज्ञापनों का प्रश्न है, यह राज्य सरकार को आप दें ।

श्री मेघराज तावड़ : आपके द्वारा ही मैं इसको पेश करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, हमारे द्वारा नहीं । ऐसा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह कौन से लाठी चार्ज की वात कह रहे हैं ?

श्री मेघराज तावड़ : आज दो तरह के प्रदर्शन हुए हैं । एक भारतीय जनता-पार्टी की तरफ से......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । विधायी कार्य ।

श्री मेघराज तावड़ : एक हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ऑल इंडिया स्टूडेंट फैडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फैडरेशन.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । कृपया वैठ जावें, माननीय सदस्य ।

विधेयक का पुरःस्थापन

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । श्री हीरालाल देवपुरा, प्रभारी मंत्री ।

(श्री अध्यक्ष)
राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 पुरःस्थापित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके इण्ट्रोडक्शन की स्टेज पर ही विरोध करना चाहूंगा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसको इण्ट्रोड्यूज करने की अनुमति नहीं दी जाय। आप चाहें तो रूल कोट कर दूं मैं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव तो आने दीजिये इनका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल पढ़ देता हूं

Motion for leave to introduce Bill.--If a motion for leave to introduce a Bill is opposed,....

'मोशन' शब्द दिया है उसमें।

देख लीजिये उसमें है।

श्री परसराम मदेरणा : Referring to which rule ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 64, I am referring to rule 64.

(विराम)

श्री अध्यक्ष : कौनसा नियम ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 64। मैं सुना दूं, साहब।

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question:

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House the Speaker may permit a full discussion thereon.

श्री अध्यक्ष : Let him first introduce the Bill.

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम, सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। अभी तो केवल एक ही पॉइन्ट पर विरोध करना चाहूंगा। बाद में अगर यह सदन इसको ले लेता है और चर्चा होगी तो मैं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आपका ध्यान स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की ओर दिलाना चाहूंगा, बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की ओर।

"The object of the Rajasthan Land Reforms & Acquisition of

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
Landowners Estates Act, 1963 was to provide for the acquisition of estates of the landowners and to carry out other measures of agrarian reforms. Section 10 of this Act made exclusions from acquisition of certain properties of the landowners".

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कौन सा प्रस्ताव कर रहा हूं और ये किसको कोट कर रहे हैं। मैं प्रस्ताव कर रहा हूं, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I am sorry, Sir

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं ताज्जुब यही कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक, 1983-84 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक, 1983-84 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 20 घंटे का समय मिलेगा। इस समय का दलों में बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है :—

	घंटों में
कांग्रेस (आई) पार्टी	13.15
भारतीय जनता पार्टी	3.30
जनता पार्टी (जे.पी.)	1.30
लोकदल	0.45
कांग्रेस (श)	0.30
भारतीय साम्यवादी पार्टी	0.25
मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी	0.25

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : कुल कितने घंटे का बंटवारा है ?

श्री अध्यक्ष : 20 घंटे का। कुछ घाटा है, मैंने 20 मिनट और जोड़े हैं। उस दरमियान उसकी पूर्ति हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : असंतुष्ट बोलेंगे ही नहीं।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : हम सब संतुष्ट हैं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक 1983-84 पर सामान्य वाद-विवाद ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो आय-व्ययक का ब्यौरा सदन के सामने रखा है इसको पूरा पढ़ने के बाद, पूरा सुनने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजस्थान के विकास के कदम थम जायेंगे । प्रगति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से यथा स्थितिवाद जो चल रहा है उस यथास्थितिवाद को भी कायम नहीं रखा जा सकेगा । बल्कि ऑन गोइंग स्कीम्स जो हमारी हैं, उनमें भी राज्य सरकार को कटौती करनी पड़ेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली बिजली पर कर भार बढ़ाया था । इस बार मंत्री महोदय ने फिर कर भार बढ़ा दिया । बिजली तो मिल नहीं रही, कहीं 50 पर्सेन्ट , कहीं 75 पर्सेन्ट, कहीं सैंट पर्सेंट कट चल रहा है । मध्यम उद्योगों में 30 पर्सेंट, 35 पर्सेंट कट चल रहा है । इस बिजली, जो प्रयुक्त होती है, पर कर भार बढ़ा कर माननीय वित्त मंत्री महोदय औद्योगिक प्रगति को अवरुद्ध कर देंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि गंभीरता से इस पर विचार करें । सामान्य रूप में केन्द्र ने 700 करोड़ का टैक्स लगाया है और आप 18 करोड़ के टैक्स लाये हैं । किन्तु 18 करोड़ का ही हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता पर टैक्स नहीं है । 2750 करोड़ का टैक्स लग चुका है पिछले 8-10 दिनों में । आवश्यकता यह थी कि कोई ना कोई राहत माननीय मंत्री महोदय आम व्यक्ति को देते, आम किसान को देते, आम कंज़ूमर को देते । किन्तु माननीय मंत्री महोदय ने कोई प्रयास नहीं किया है । फलस्वरूप बजट प्रस्तावों से आम व्यक्ति कोई राहत महसूस नहीं करेगा ।

मैं थोड़े कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा और मैं इस बात को साबित करूंगा कि बजट प्रस्ताव, जो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने रखे हैं, XXX केवल मात्र वाहवाही लूटने के लिये, आपका प्रचार करने के कारण कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर दिये गये हैं जो आंकड़े राजस्थान की प्रगति से कोई तालमेल नहीं रखते । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो छठी पंचवर्षीय योजना 1981-82 में प्रारम्भ हुई, उसमें राज्य सरकार अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी । 1980-81 से शुरू हुई है योजना, 1980-81 की 348.36 करोड़ की योजना थी, 1981-82 की 340 करोड़ की रही ।

(2.35 म. प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

1982-83 में फिर 340 करोड़ की रही और इस बार माननीय मंत्री महोदय 416.74 करोड़ की योजना लाये । इनका योग 1444 करोड़ होता है जबकि कुल योजना 2025 करोड़ की है और एक वर्ष बाकी है । अगर पंचम वर्ष के लिये बाकी का प्रावधान रखा जाय तो

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

581 करोड़ रुपये यदि राज्य सरकार को मिलेंगे अगले बजट में तो ही पंचवर्षीय योजना के टार्गेट पूरे हो सकते हैं। इस बजट भाषण में ढिंढोरा तो पीटा गया है कि हमने 22.57 पर्सेन्ट इस बार मूल योजना को इन्क्रीज कर दिया किन्तु, माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं, 581 करोड़ आप किसी भी कीमत पर अगले वर्ष नहीं रख सकते हैं। आपने स्वयं अपने बजट में कहा है, हमको अतिरिक्त साधनों से जो पैसा इकट्ठा करना है, उसमें से 75 करोड़ रु. तो हम इकट्ठा कर ही नहीं सकेंगे। 2025 करोड़ में से वह 75 करोड़ तो वैसे ही माइनस हो गया। जिस परिमाण में पिछले साल इस साल में केन्द्रीय सहायता बढ़ी है वह भी रखें तो केवल 530 करोड़ रख पायेंगे। 581 करोड़ कहां से आयेंगे, कैसे आयेंगे? इस कारण से इन पांचों वर्षों में यदि 2025 करोड़ रुपये की योजना बनती, तो फाइनेन्शियल टार्गेट पूरे होते, उसके फिजीकल टार्गेट पूरे होते। मैं राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। जिस गति से वह बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, बढ़े तो नहीं, इसका भी जिक्र करूंगा मैं आपसे, उस गति से पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य वे पूरे नहीं कर सकेंगे। राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है। जब छठी पंचवर्षीय योजना बन रही थी, उस समय हमने 3125 करोड़ की योजना की मांग की थी। 3125 करोड़ की योजना तो मिली नहीं, 2025 करोड़ की मिली, उसमें भी जो स्थिति पैदा हो गई है, उस नाते से इस वर्ष 22.57 पर्सेन्ट इन्क्रीज किया है। योजना के तीन साल निकल गये, इस साल थोड़ा सा इन्क्रीज बताने की कोशिश की है। मैं फिर मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं आप खुद ही विचार करके देखें, आपने कितने करोड़ की मांग की थी। आपने स्वयं मांग, की थी 604 करोड़ रुपये की, इस वर्ष के लिये 604 करोड़ प्रस्तावित किये थे, मांग की थी, केन्द्र सरकार के सामने गये थे, योजना आयोग के सामने गये थे। 604 करोड़ में से 494 करोड़ रुपये तो आन गोइंग स्कीम्स के थे। अगर 604 करोड़ रुपये नहीं मिलते तो 494 करोड़ रुपये तो मिलते। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 604 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की थी। आप गये थे झोली फैला कर योजना आयोग के सामने, झोली फैलाकर गये थे केन्द्र सरकार के सामने और आपने 494 करोड़ रुपये की आन गोइंग स्कीम्स के लिये मांग की थी। किसी नये काम के लिये नहीं, नये विकास के लिये नहीं। नये इन्फ्रास्ट्रक्चर, के लिये नहीं, नयी प्रगति के लिये नहीं, 494 करोड़ की मांग तो ऑन गोइंग स्कीम्स के लिये की थी। आज कह रहे हैं, मिला कितना। जो आंकड़े वह दे रहे हैं उनमें हैं 416 करोड़ और 494 करोड़ आन गोइंग स्कीम्स के लिये हमको आवश्यक रूप से चाहिये थे, तो आन गोइंग स्कीम्स में हमको कटैलमेंट करना पड़ेगा। नया काम तो छोड़िये, नया विकास तो छोड़िये, प्रगति के कदम तो छोड़ दीजिये, नये विकास की बातें, नये विकास का इन्फ्रास्ट्रक्चर तो समाप्त कर दीजिये, अभी तो ऑन गोइंग स्कीम्स में ही राज्य सरकार को यह बजट पास करने के बाद 416 करोड़ की योजना प्रस्तावित करने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के बाद कटौती करनी पड़ेगी । इसलिये मैं कहना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री महोदय, प्रगति के कदम रुक गये हैं, थम गये हैं । नया कुछ होगा नहीं । नया कुछ होने की आशा नहीं । इसलिये इस पर आप फिर विचार करें । इस पर पहले विचार करने की आवश्यकता थी, अब तो उनके हाथ की बात नहीं रही क्योंकि वह गये थे केन्द्र सरकार के सामने, योजना आयोग के सामने । मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं, एक बात और है, आप इस बजट को देखेंगे, इसमें प्राथमिकता तय की गई है । पृष्ठ 4 के कॉलम नं. 13 पर लिखा है, "वर्ष 1983-84 की योजना में विद्युत् एवं सिंचाई के क्षेत्र में बुनियादी विकास को दी जाने वाली प्राथमिकता को कायम रखने के साथ साथ सामाजिक सेवाओं के हिस्से को भी बढ़ाया गया है" मैंने कहा ना कि XXX इतनी सामान्य नहीं प्राथमिकतायें इनकी । what is first priority इन्होंने, कहा है इरिगेशन एण्ड पावर को । दूसरी प्राथमिकता का जिक्र किया है इन्होंनेस, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं मैं चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय जरा विचार करें यदि आपके पास यह पुस्तक हो, आय-व्ययक अध्ययन, 1983-84 के पृष्ट 38 पर पूंजीगत प्राप्तियां एवं लागत है । आपने प्राथमिकता दी है बिजली और सिंचाई को और इनके लिये जो पैसा रखा है वह है 216.38 करोड़ । फर्स्ट इम्पार्टेन्स दी है इसको । और कहते हैं माननीय मंत्री महोदय कि सिंचाई और बिजली के लिये जो पिछले साल बजट रखा था उससे ज्यादा बजट है । यह कहने से काम नहीं चलता । वित्त मंत्री बड़े विद्वान हैं, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि एक प्रकार का जो आउट ले होता है बजट का, जो योजना रहती है उसके दो भाग रहते हैं । दो भागों में से एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है पूंजीगत लागत यानि केपिटल आउट-ले । इन दो भागों का विश्लेषण करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नित्य प्रति के कामों के लिये, रैकरिंग कामों के लिये, लोगों की तनख्वाह, पगार के लिये रहता है । तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें जाता है । केपिटल आउट-ले का संपूर्ण उपयोग विकास के लिये होता है । बांध बनायें, स्कूल बनायें, जलाशय, जलदाय विभाग की योजना के लिये टैंक बनायें, पाइप लाइन खीचें, यह सारे का सारा खर्चा, जिसके कारण प्रगति की संभावना होती है, व्यक्ति को राहत मिलती है, उससे होता है । पी. एच. ई. डी. का मामला लें, टैंक बनायेंगे पाइप लाइन खीचेंगे, वहां के कर्मचारियों का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा होगा, वह लोगों को राहत नहीं देगा, उसका उपयोग नहीं है । उपयोग है जो पूंजीगत लागत है, कैपिटल आउट-ले है उसका प्रयोग विकास की दृष्टि से, लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से होता है । माननीय मंत्री महोदय, पेज 38, आय-व्ययक अध्ययन, वर्ष 83-84 को देखें । यह बात सच है कि इसमें 216 करोड़ लिख कर संतुष्ट हो गये किन्तु संख्या 3 के चौथे नम्बर पर सिंचाई, बिजली और बहु प्रयोजन नदी परियोजनाएं लिखा है। उसमें कैपिटल आउट-ले क्या है ? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वर्ष 1981-82 का कैपिटल आउट-ले था 9935.63 लाख, 1982-83 का 10530.80 लाख और माननीय मंत्री महोदय ने इस बार प्रस्तावित किया है 9845.45 लाख वर्ष 83-84 के लिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इससे बांध बनायेंगे, नहरों का निर्माण करेंगे और प्रगति के अन्य कार्य नई-नई लाइनें खींचने के लिये लगायेंगे। यह राशि कम हो गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे, जब कैपिटल आउट-ले घटता है, पूंजी घटती है तो निश्चित रूप से विकास के जो साधन हैं, सीढ़ियां है, वह कम होंगी। जैसे नदी परियोजनाओं के विषय में मैंने बताया, कम बांध बनेंगे, कम नहरें खुदेंगी। कम इस प्रकार की बातें होंगी। यह प्रायोरिटी है। This is your first priority. राजस्थान सरकार की प्रथम वरीयता यह है। विकास करने वालों का दृष्टिकोण यह है।

एक इन्होंने बताया सामाजिक और सामुदायिक सेवायें, यह संख्या 2 पर है। सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें आती हैं शिक्षा, कला एवं संस्कृति और जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया है। पीने का पानी मुहैय्या करेगी राज्य सरकार और गांवों के बड़े बड़े नाम, नम्बर्स कोट किये गये हैं। मैं, माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि केपिटल आउट-ले पब्लिक हैल्थ में कम हो गया है। इससे क्या होगा? वर्ष 1981-82 में 5228.65 लाख रखे, 1982-83 में 6300.34 लाख रखे और 1983-84 में प्रस्तावित है 5053.50 लाख। शर्म से डूब मरने की बात है। बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा था। पिछली बार प्रांत में हैंण्ड पम्प्स खड़े कर दिये और आज पम्प खड़े करने की मंत्री महोदय बात करना चाहते हैं They want to give first priority, जिसको प्रथम प्राथमिकता देना चाहते हैं वह है सामाजिक और सामुदायिक सेवायें; पीने के पानी की उपलब्धि। पीने का पानी उपलब्ध कराने का हवाला दिया है और केपिटल आउट-ले 1981-82 से कम 1982-83 में और 1982-83 से कम 1983-84 में हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा, कला और संस्कृति में 1981-82 में 185.39 लाख था, 1982-83 में संशोधित अनुमान था, 267.71 लाख और 1983-84 में 141.81 लाख है। क्या बनेगा इससे? इससे स्कूल खड़े होंगे, अध्यापक लगाने की बात कह दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस पर पूरा विचार करने की आवश्यकता है। केवल अंक बढ़ा दिये। राशि नित्य प्रति के, डे-टू डे के कामों में, तनख्वाह में, पगार में, प्रतिदिन के रेकरिंग के कामों में लगती रहे। नये काम करने की दृष्टि से पैसा कम लगा तो क्या होगा प्रगति का? रफ्तार प्रगति की थम जायेगी, रुक जायेगी। यह कदम प्रतिगामी होगा। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय का यह प्रतिगामी बजट है। प्रगति को अवरुद्ध करने वाला है, रोकने वाला है। माननीय सभापति महोदय, संख्या 3 के भाग पांच पर है परिवहन एवं यातायात, वर्ष 1982-83 का बजट

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तत्कालीन वित्त मंत्री चन्दनमल बैद ने प्रस्तुत किया था उसके पृष्ठ 6 पर देखिये, परिवहन और संचार में 23.70 करोड़ का प्रावधान किया गया था और नये वित्त मंत्री जी ने इसमें 19 करोड़ का प्रावधान रखा है। हुआ तो उनसे भी कुछ नहीं किन्तु उनका फिगर जरूर ज्यादा था किन्तु यहां तो मूल में ही घाटा हो गया कितनी बसें खरीदेंगे ? क्या 50 प्र. श. खरीद सकेंगे ? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, टायरों का क्या होगा ? उनके कारण बसें रुकी रहेंगी, उनका क्या होगा ? पर्यटन के विकास का क्या होगा ? सड़कों का क्या होगा ? मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, सड़कों का मामला ऐसा किया है इन्होंने इसके बारे में अगर विचार प्रकट करने लगूं तो आप लोग हंसेंगे। परिवहन एवं संचार में तो मूल में ही कमी है, केपिटल आउट-ले में तो और भी कमी हो गयी है, पूंजीगत लागत उस नाते से और कम हो गयी है। वर्ष 1982-83 का आय-व्ययक अध्ययन, जिसका वर्णन किया गया है, की आर्थिक समीक्षा को देखेंगे, उसमें इन्होंने लिखा है, 603 कि. मी. सड़क बनाने का अनुमान है। यह भी लिखा है कि उस वर्ष में 1000 से कम आबादी वाले 2608 गांवों को इससे लाभ पहुंचेगा और 1000 से 1500 की आबादी वाले 1067 गांव और 1500 से अधिक आबादी वाले 2150 गांव को लाभ पहुंचेगा। तो उसमें तो 603 कि. मी. सड़क का निर्माण हो गया है और इसमें वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य ही 500 कि. मी. का है। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह आपके बजट भाषण में है कि 503 कि. मी. सड़क निर्मित करेंगे। कितने गांवों को जोड़ देंगे ? आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि 1500 से अधिक आबादी वाले 68 गांव जुड़ेंगे। एक हजार से कम आबादी वाले 85 गांव जुड़ेंगे और हजार से 1500 की आबादी वाले 24 गांव जुड़ेंगे। कुल 177 गांव को जोड़ेंगे, यह लक्ष्य है। प्राप्ति क्या होगी, पता नहीं। जो इस प्रकार की योजना में प्रावधान किया गया है उसके कारण 177 गांव इस एक वर्ष में जोड़े जायेंगे। राजस्थान में 33,000 गांव हैं और अभी तक 5957 गांवों तक सड़क पहुंची है। इन 177 गांवों में 500 किलोमीटर सड़क यह दे रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय, बिजली और सड़क ये दोनों ही प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, आप गंभीरता से विचार करें कि आपने परिवहन और संचार के साथ में इस बजट में किस प्रकार का व्यवहार किया है। जो शब्द आपने लिखे हैं। योजना व्यय आपने लिखा है सड़कों का, यातायात के विस्तार का, परिवहन, पर्यटन का, यह उन सबको अवरुद्ध करने वाला है। इससे किसी प्रकार की कोई भी प्रगति नहीं होने वाली है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, कृपया इस पर विचार करके देखें। 416 करोड़ की जो बात कही है, मैं आपसे इसलिये कह रहा हूं कि पूंजीगत लागत यह हो गई, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, यह 494 करोड़ रुपये ऑन गोइंग वर्क्स के कटेंगे और कटने के बाद कोई नया काम लेने की इस वर्ष में कोई भी दिशा नहीं है, इच्छा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं है। इस प्रकार करने का कोई व्यवहार नहीं है, यह प्रकट कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, विद्युत् के बारे में प्रायोरिटी का कहा गया, फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं आरोप लगा रहा हूं, विद्युत् के उत्पादन के बारे में जब जब मौका पड़ता है हमारे ढाई साल की बड़ी चर्चा की जाती है, उत्पादन कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, जिस समय हम आये थे, शून्य था बिलकुल, कोई नयी योजना उस समय किसी पुरानी सरकार द्वारा प्रस्तावित नहीं थी। केवल कोटा थर्मल प्रोजेक्ट 1976 था। इस प्रकार की स्थिति थी। 1976 के सितम्बर महीने में योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी थी। 110 मेगावाट की दो इकाइयां कोटा में लगाई जायें। मैं यह निवेदन करूंगा कि हम जून, 1977 में आये। सितम्बर, 1976 से जून, 1977 तक क्या होता रहा? क्या होता रहा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। होता यह रहा कि कोटा में चम्बल के किनारे यह थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जाये या अलानिया में लगाया जाये। कितना धुंआ निकलेगा। कैसा निकलेगा? एक के ऊपर एक रिप्रेजेन्टेशन लगाते रहे, टाउन प्लानर लगातार इस प्रकार की बात करता रहा। बिजली वाले कह रहे थे कि हमने इलेक्ट्रोन लगाने की कोशिश की है। इस धुएं को समाप्त करेंगे। इतनी ऊंची चिमनी लगा रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं। जिस समय मैं बिजली मंत्री बना तो मुझे डर लगता था कि कहीं थर्मल पावर प्रोजेक्ट वहां से उठ कर न चला जाय। ऐसी स्थिति बनी थी। दुबारा प्रस्ताव बने तो आप जानते हैं तो स्थिति कैसी हो जाती है। एक बार टैन्शन पैदा हो तो दस स्थानों के झगड़े खड़े हो जाते हैं और झगड़े हो जाने के पश्चात् उससे उत्पत्ति नहीं होती है, उसमें से बहस निकलती है और बहस से ऐसे कामों में देरी होती है। मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री महोदया हैं, मुख्य मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, उन पर आरोप लगाना चाहता हूं, आप देख लीजिये, यह योजना थी कि 1981 के मार्च में 110 मेगावाट की प्रथम इकाई आ जायेगी। सितम्बर, 1981 में 110 मेगावाट की दूसरी इकाई आ जायेगी। यह निर्णय था। इस निर्णय के साथ उस समय जनता पार्टी की सरकार आयी। जैसा मैंने निवेदन किया, जो धर्म संकट था, जो स्थिति पैदा हुई थी, जिस प्रकार के डिस्कशन चल रहे थे उसमें एक निर्णय लिया, कोई जगह नहीं बदली जायेगी। इतना तो हम आगे बढ़ गये, निश्चित रूप से कोटा में इसी स्थान पर कोटा थर्मल प्रोजेक्ट लगाया जायेगा। अब आंकड़े बताये जाते हैं। बिजली की बहस के समय यह कहा जाता है कि तुमने इतना लगाया और हमने इतना लगाया। मैं आपके माध्यम से बिजली मन्त्री महोदया और मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जब कोई इकाई शुरू की जाती है, तो प्रारंभ के साल में उस पर रुपया ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जनरेशन एकदम हो जायेगा। 1981 में लगा देते वह नहीं लगाया। 1982 का मार्च निकल गया। 1983 का मार्च निकल

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जायेगा और अब जून, 1983 में लगाया जायेगा, हम वाणिज्यिक उत्पादन कर देंगे। यह आप कर देंगी, बिजली मंत्री महोदया, तो मैं आपको बधाई दूंगा। जून में आप कर दें परन्तु कहीं यह सितम्बर, अक्टूबर तक न चला जाय, मुझे डर है, यह मैं साबित करूंगा, आपकी अकर्मण्यता से, सरकार की अकर्मण्यता से। जेनरेशन की ओर पूरा ध्यान नहीं देकर केवल प्रोपेगण्डा किया जा रहा है। मुख्य मंत्री ने किस प्रकार इसको प्रोपेगण्डा का माध्यम बनाया है, यह मैं बताऊंगा, क्योंकि मुख्य-मंत्री यहां पर बैठे हैं इसलिये मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था कि स्थिति क्या थी। पहले साल में यह तय हो गया था कि इस सारी योजना के अन्दर 4 करोड़ रुपया 1977–78 में दिया जायेगा। योजना आयोग ने 1977–78 में जून, 1977 में हम आये, चार करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया गया था। प्रारम्भ में इतने ही रुपये की आवश्यकता होती है। प्रारम्भ में 50 करोड़ रुपया खर्च करना चाहें तो नहीं कर सकते, असम्भव है। हम पर आरोप लगाया जाता है, यह गलत है। पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। काम की शुरूआत करनी होती है। योजना आयोग ने चार करोड़ रुपये की मन्जूरी दी थी। सभापति महोदय, मैं बिजली मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, 1977–78 में हमने 4 करोड़ रुपये का काम पूरा करा, यही नहीं हमने अपने रिसोर्सेज से दो करोड़ रुपया और लिया, योजना आयोग से 4 करोड़ से 6 करोड़ रुपये करवाये। इस प्रकार आप देखेंगे, 1977–78 के बाद 1978–79 में योजना आयोग ने 10 करोड़ रुपये मंजूर किए। किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम 2.50 करोड़ रुपये और लाये। इस प्रकार कुल साढ़े बारह करोड़ रुपये 1978–79 में कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिये हमने स्वीकृत कराये। 1979–80 में योजना आयोग ने 27 करोड़ का प्रावधान रखा था, इसमें 8 करोड़ रुपये और बढ़ाये गये, और इस प्रकार 35 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया। बिजली मंत्री होने के नाते मैं हर दो महीने में देहली जाकर इसका मानिटरिंग करता था। यह भी देखता था कि किसान की जमीन कैसी है, खेत कैसा है, वह पानी चाहती है, वह कुएं से पानी निकाल कर खेत को पानी दे, इस बात की आवश्यकता थी। इसलिये वहां पर बिजली जल्दी से जल्दी लाई जाये। इसलिये 1977–78 में, 1978–79 में और 1979–80 में लगातार योजना आयोग से बढ़ोत्तरी करवाते रहे किन्तु फिर आ गया 1980–81, 45 करोड़ रुपये का बम्पर प्रावधान रखा गया 1980–81 में। आपको सुन कर आश्चर्य होगा। मैंने सवाल किया था यहां विधान सभा में, माननीय मंत्री महोदय बतावें कि फरवरी, 1981 तक कितना व्यय हुआ है थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर? आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि 45 करोड़ रुपये में से 17 करोड़ रुपये व्यय हुए फरवरी, 1981 तक। कहां ले जाना चाहते हैं? कौनसी बिजली की आवश्यकता समझते हैं? भाषणों से काम नहीं चलेगा। मोनिटरिंग चाहिये। इस नाते से इसको

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

स्टडी चाहिये। जब मैंने यह सवाल किया तो हड़कम्प मचा। रिकार्ड, फाइल आपके पास है। 1 मार्च से 7 मार्च, 1981 तक 17 करोड़ रुपया और रिलीज किया गया जब कि 45 करोड़ रुपये का प्रावधान था। खर्च नहीं कर सके। यह 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रावधान किया था। अब यह पैसा कहां लगा, कहां लगा, किसमें लगा? यहां से जो प्रावधान किया गया, वह सही प्रकार खर्च हुआ या नहीं हुआ? मुझे कुछ नहीं कहना है। कुल 36 करोड़ रुपया खर्च हुआ जब कि 45 करोड़ का प्रावधान था। उसमें से 7 करोड़ रुपया लेप्स हो गया। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की जनरेशन अपने प्रदेश के लिये बहुत आवश्यक है, अवश्यम्भावी है। इसकी पहली यूनिट मार्च, 81 तक पूरी होनी थी, उसके साथ दुर्लक्ष्य करने का यह उदाहरण है। पुराने बिजली मंत्री चले गये, नये बिजली मंत्री आ गये, नये मुख्य मंत्री आ गये और कोटा पहुंच गये, बायलर लाइटर, कोटा थर्मल का बायलर लाइटर क्यों? पंचायतों के, पंचायत समितियों के चुनाव चल रहे थे, मैंने पिछले साल यह सवाल उठाया था, इस बार फिर पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका जवाब दें कि कितना खर्चा हुआ इस बायलर लाइटर पर, काहे से हुआ बायलर, लाइटर, किस चीज से बायलर लाइटर हुआ। बायलर लाइटर होगा तब जब कार्माशियल प्रोडक्शन होता है उसके 6 महीने पहले किया जाय एक सीक्वेंस है, बायलर लाइटर, फिर और काम, फिर और काम इतना ही नहीं, श्रीमान् मुख्य मंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री को तो कह दिया था, वह तो व्यस्त थीं हरियाणा उधर के चुनावों में पर उनको कह दिया था कि आइये, राष्ट्र को समर्पण करने के लिये आइये, कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने के लिये आइये। रिकार्ड के आधार पर बता रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बताना चाहता हूं, उन्होंने उनको कह दिया था कि जून तक हो जायेगा, राष्ट्र को समर्पण करने आ जाइये। कितने लाख का खर्चा हुआ, उसका क्या उपयोग हुआ, कौनसा काम हुआ, कौनसी बिजली वहां से निकली, क्या वहां से बिजली जनरेट हुई है? जब बिजली मंत्री जी उत्तर दें तो यह बतायें कि मुख्य मंत्री महोदय अब बाइलर लाइटर करने गये थे तो उसके क्या कारण थे? उसको बताने की कोशिश करेंगे। आवश्यकता तो यह थी कि मुख्य मंत्री जी भारी उद्योग मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते, वे प्रधान मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते कि भेल बहुत सारी मशीनरी नहीं भेज रहा है हमारी फाइनल फेज में है। इसको भेजो ताकि थर्मल पावर की प्रथम यूनिट शुरू हो। वह तो नहीं हुआ। यह कहने की हिम्मत भी नहीं थी, जरूरत भी क्या है। कोटा में प्रोपेगण्डा करने के लिये, प्रचार करने के लिये, बायलर लाइटर करने के लिये मुख्य मंत्री जी पहुंच गये। उसके बाद किस्सा अब क्या हुआ? क्या किस्सा है? एक साल तो हो गया बायलर लाइटर हुए, बिजली मिली है, उद्घाटन हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले तो हमने विधान सभा में सवाल नहीं उठाये डेमरेज के अभी दिसम्बर में, नवम्बर के महीने में कोयला आ गया, गुडला स्टेशन पर पड़ा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रहा, गुडला स्टेशन पर रेलवे बन गयी है, रेलवे द्वारा लाना था कोयला थर्मल पावर प्रोजेक्ट लाया नहीं गया और 9 लाख रुपये का डैमरेज फिर लगा दिया रेलवे ने दुबारा, पहले तो हो गया था 10 लाख का, मशीनरी का डैमरेज तो हम दे ही चुके हैं, यह नो लाख का डैमरेज फिर लगा दिया।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : थक गये होंगे, थोड़ा तो रेस्ट कर लें और किसी को बोल लेने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, अनाप–शनाप खर्च हो रहा है। रेलवे जब बनाई, शायद 11 करोड़ रुपया थर्मल पावर प्रोजेक्ट वालों ने रेलवे को दे दिया है। कान्ट्रेक्ट हुआ था दे दिया, रेल बन गई, इन्सपेक्शन हो गया और इन्सपेक्शन होने के बाद थोड़े दिनों के बाद रेल तो नहीं केवल इंजन चला गुड़ला से। जिम्मेदारी थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर आ गयी थी क्योंकि पैसों का चुकारा कर दिया था रेलवे को। रेल धंस गई, डेढ़ डेढ़ फीट धंस गयी, जगह जगह गड्ढे हो गये, इंजन डिरेलमेंट हो गया। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से और पूछना चाहता हूं राज्य बिजली मंत्री महोदय उस वक्त बिजली मंत्री नहीं थीं, मैं पूछना चाहता हूं कि इसका पैसा कौन देगा······

(3.05 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

रेलवे नहीं देगी। क्या कर रही है सरकार क्या कर रहा है बिजली बोर्ड? मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अभी तो यह स्थिति पैदा हुई है, अभी चार पांच दिन पहले 36 मीटर की ऊंचाई की बैल्ट जल गयी है, पूरी की पूरी जल गयी है, वहां पर आग बुझाने के कोई साधन नहीं थे, फायर ब्रिगेड ठीक वकिंग पोजीशन में नहीं था। वहां पर एक मजदूर 36 मीटर पर आग बुझाने के लिये चढ़ा, पानी डालते ही पैर फिसला, नीचे 36 मीटर गिरा कंकरों में और उसकी रीढ की हड्डी टूट गयी, पैर फट गया। पूछेंगे क्यों? फायर ब्रिगेड वहां तो था नहीं, नगरपालिका से मंगाया उसमें देर हो गयी। उसको लगता था। कुछ लोग मिलकर इसको बुझा देंगे। उसका दुष्परिणाम है। बैल्ट के जल जाने के कारण मुझको अंदेशा है तीन चार महीने में यह थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 110 मेगावाट जिसकी जून में आपने घोषणा की है, की चाहे मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में घोषणा की हो, चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में की हो, अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है। राजस्थान प्रदेश को बिजली की बड़ी आवश्यकता है। सचमुच आवश्यकता है। कुछ करिये। हां, इन दिनों अखबारों में खूब छपा है। बिजली मंत्री महोदया वहां जा रही हैं, सम्पर्क कर रही हैं, बिजली लाने की कोशिश कर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में गांधी सागर से और उज्जैन से जो लाइन है वह कटी हुई है, बिजली कटी हुई है, बिजली नहीं मिल सकती है, हमको। आपने कहा कि सिंगरोली से कुछ नई 18 मेगावाट और पैदा हो जायेगी। इसमें लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चाहता हूं, इसमें लिखा है, 18 मेगावाट बिजली लायेंगे। कहां से ? 400 के. वी. की लाइन हमारे पास है ? नहीं है। 200 के.वी. की जो लाइन है वह भी भरतपुर से आगरा तक की है, वह सिर्फ भरतपुर से आगरा तक ही, जुड़ी हुई है उससे लाना संभव होगा ? बिजली तो हम ला नहीं सकेंगे। 400 के. वी. की लाइन हमारे पास है नहीं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं बिजली के संबंध में कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेशन में देरी की गयी, अनाप शनाप खर्चा किया गया, जान बूझ कर खर्चा किया गया है और इसकी प्रगति कैसी हुई है, इसका पता नहीं। पलाना का जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से विनम्र अपील करना चाहता हूं, कोटा की दोनों यूनिट आ जायं; 210 मेगावाट के दो यूनिट आ जायं इसके बाद 220 मेगावाट का एक और यूनिट आ जाये परन्तु पश्चिमी राजस्थान सदा तड़पता रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिये पलाना योजना है उस पर जोर लगाना पड़ेगा। एक करोड़ हमने दे दिया है एक करोड़ और दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा। कैसा मीठा भाषण दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, इस प्रकार की हमारी वह है, उनसे वार्ता चल रही है, विचाराधीन है, वहां पर। जब वार्ता शुरू हुई थी, किसके समय शुरू हुई थी, वह वार्ता कहां पहुंची है, अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी बन गयी है, पास कर दी गयी है ? इस पलाना को खत्ते में डालेंगे आप। पहिले कोशिश करिये कोई एजेंसी लगाइये इसके पीछे, पलाना को अविलम्ब पूरा किया जाय। इसको करने की आवश्यकता है। इसके बिना। काम नहीं चलेगा। पलाना योजना पश्चिमी राजस्थान में बहबूदी के लिये, प्रगति के लिये। अगर राजस्थान केनाल में लिफ्ट करना चाहते हैं कुछ और कोशिश करना चाहते हैं पश्चिमी राजस्थान के उद्योगों को, जोधपुर के उद्योगों को, बीकानेर के उद्योगों को राहत देना चाहते हैं इन सबको करने के लिये सतत् प्रयत्न करना पड़ेगा। एक करोड़ रुपया दे दिया, सर्वे हो गया। एक करोड़ उन्होंने दे दिया। काम चल गया दो करोड़ में। मैं कहना चाहता हूं कि उनके साथ लगातार संपर्क करने की आवश्यकता है किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जर्मनी टीम गई थी, वार्ता करने के लिये गयी थी पलाना के लिये, कौन-कौन गये थे उसमें क्या थर्मल का कोई एक्सपर्ट था ? थर्मल को जानने वाला कोई एक्सपर्ट था ? नहीं। उसमें तो आई. ए. एस. अधिकारी गये थे, और भी पता नहीं कौन-कौन गये थे, इसका वर्णन मंत्री महोदय करेंगे अपने आप। मेरा आरोप है कि बिजली जनरेशन आवश्यक है, प्रदेश के लिये आवश्यक है और उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसके लिये पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा ह। जो पैसा दिया जा रहा है उसका मोनिटरिंग नहीं किया जा रहा है।

समयबद्ध प्रोग्राम के हिसाब से चाहे पलाना हो, चाहे कोटा का थर्मल हो, चाहे और छोटे मोटे हाइडल प्रोजेक्ट हों, उन पर बराबर ध्यान नहीं दिया जा रहा। केवल मात्र यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम तो इस नाते बहुत देखने की कोशिश कर रहे हैं।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सिंचाई की भी एक प्रगति की है। मैंने कहा न आपसे कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया, XXX वैसे तो असंसदीय कहते हैं XXX किन्तु किसी व्यक्ति के लिये कहना मैं तो XXX कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : XXX इस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : असत्य का पुलन्दा है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं मैं चैलेंज करता हूं। पृष्ठ-2 पर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने ......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : XXX अपने आप में अन् पार्लियामेण्ट्री नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : अपने आप में नहीं है लेकिन XXX जो वित्त मंत्री ने पेश किया है, तो XXX नहीं, तथ्य से परे हैं या अन्य किसी तरीके से ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई वर्ड अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं है, एक किसी स्थिति का, एक किसी वस्तु का वर्णन करता है, अपने आप में कुछ नहीं है लेकिन XXX शब्द ऐसा है कि इसको कई मायनों में अनपार्लियामेंट्री माना गया है .....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यक्ति को कहा जाये हाउस में कि आप XXX बोल रहे हैं, आप XXX हैं तो अनपार्लियामेंट्री होता है। मैं किसी कागज के लिये कहूं कि XXX

श्री अध्यक्ष : जो पेश किया है वह XXX है। उस संदर्भ में मैंने निवेदन किया है ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाक्यूमेंट के बारे में तो कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब उसका आथर जो है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आथर के बारे में नहीं कहा। आथर यह नहीं है।

एक माननीय सदस्य : रूलिंग दे दी गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूलिंग दे चुके, वह नहीं है। वह तो आपके लिये भी वही लागू होगी और हमारे लिये भी वही लागू होगी।

(व्यवधान)

वह मैं समझता हूं। इसका भी कल परसों आ रहा है कि रूलिंग को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि रूलिंग को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उसके भी संदर्भ हैं, जिस संदर्भ में क्वेश्चन किया जा सकता है ....

श्री अध्यक्ष : वह तो क्वेश्चन आप कर ही रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं। मैं इसलिये आपसे निवेदन कर रहा हूं क्योंकि इस सदन में XXX शब्द निकलते ही चेयर की तरफ से फट रूलिंग हो जाती है।

XXX शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कभी नहीं होता। हम बराबर देखते हैं और जब परिस्थिति ऐसी होती है उस वक्त ही इस तरह का विनिश्चय देते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पश्चिमी राजस्थान के लिये बोल रहे हैं। हम लोग भी आपको समझना चाहते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : धीरे बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी बोली को भी सुनते हैं, बड़ी मीठी है उसको सुनते हैं। आप भी सुनें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पश्चिमी राजस्थान की इतने हिमायती बन रहे हो, थोड़ा धीरे बोलें, हम समझ पायेंगे कि आप कितना कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धीरे बोलेंगे तो आप में समझने की क्षमता है ही नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अरे हुजूर, वैस्टर्न राजस्थान तो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाषणों से नहीं होगा यहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो जैसे वहीं से आ रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सन् 1977 में क्या हुआ था? छप गये थे आप लोग वहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सन् 1952 में क्या हुआ था जिस समय आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 1972 में क्या हुआ था?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सन् 1952 में क्या हुआ था जिस समय आपके पिताजी ने चुनाव लड़ा था?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह बाड़मेर से नहीं लड़ रहे थे।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ऊपर मैं चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री पुस्तक उठा लें तो बता दूं मैं। 6 नम्बर पर, "छठी पंचवर्षीय योजना के योजना काल में सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 के 38 हजार पांच सौ हैक्टेयर के मुकाबले वर्ष 82-83 में 96 हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है।" 96 हजार हैक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध हो जायेगी, यह वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं। महामहिम राज्यपाल क्या कह रहे हैं। यह भाषण है 17 का और एक भाषण है 1 मार्च का, 13 दिन का बीच में अंतर आ गया। महामहिम राज्यपाल कहते हैं, पृष्ठ-5 "चालू वर्ष में 76 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है जिसमें से 46 हजार हैक्टेयर राजस्थान नहर परियोजना से की जायेगी।"

श्री अध्यक्ष : चालू वर्ष, इसके मायने यह हुआ, 1982-83 और मंत्री जी ने जो आय व्ययक प्रस्तुत किया है वह 83-84 का ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं। देखिये

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
वर्ष, 1981-82 के 38,500 हैक्टेयर के मुकाबले वर्ष, 1982-83 में 96 हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है। I need a clarification from him. फिर मैं आगे बात करूंगा। मैं आप से चाहता हूं। क्योंकि यह तो डॉक्यूमेंट्री बात है। दोनों चीजें हैं ....

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के उस अंश को दुबारा पढ़िये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, बिलकुल। चालू वर्ष में 76 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है ....

श्री अध्यक्ष : लक्ष्य है। यह कहते हैं कि इतना प्राप्त हो जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज कौन सा महीना कौन सा दिन है। मैं इसलिये चाहता हूं, मेरा कहना सही है, यह ठीक है ना कि लक्ष्य तो 76 हजार का है और यह 96 हजार है। यह कहना है क्या? वह कह दें, मैं आगे की बात करूं। मैं इसलिये चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी बात है कि It will directly reflect upon the Finance Minister. इसलिये मैं चाहता हूं कि क्लेरिफिकेशन अभी कर दें, इन दोनों में से क्या इनका अभिप्राय है? यह तो डाक्यूमेंट है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : इसका जवाब मैं दे दूंगा अपने टाइम पर ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान केनाल से 46 हजार .....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : हर रोज बढ़ता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : इसका मंत्री जी उत्तर दे देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन की इनएक्यूरेसीज के बारे में जब तक तुरन्त स्पष्टीकरण नहीं हो, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : स्पष्टीकरण की अभी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह तो कह दीजिये कि लिखा हुआ दोनों जगह, है दोनों ही सही है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : 96 हजार जो मैंने लिखा है, वह बिलकुल सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह जानना चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और बजट भाषण में जो आंकड़े दिये गये हैं, वह दोनों सही हैं? यह कह दें कि दोनों सही हैं? यह तो कह दें।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। राज्यपाल महोदय के भाषण में कब तक की स्थिति है और इस साल में 96 हजार की मार्च एण्ड की परिस्थिति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो पूछ रहा हूं । दोनों ही सही हैं ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : हां, दोनों सही हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान वार्षिक प्रतिवेदन, 82-83 राजस्थान नहर और सिंचाई विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं, आपने दोनों सही कहा इसलिये। यह प्रगति विवरण 82-83 का है, राजस्थान नहर परियोजना को, इसकी अंतिम लाइन है, "प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष 1982-83 में राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 46 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता, 6.06 लाख हैक्टेयर हो जायेगी।" It is one document of Rajasthan Nahar. This is another पृष्ठ-10 "भौतिक लक्ष्य 82-83" टोटल है 29.960. i. e. 30 46 और 30=76 That says Mahamahim Rajyapal. And it is 96 thousands यह कह रहे हैं माननीय वित्त मंत्री महोदय। मैं बताना चाहता हूं इसके पीछे कारण क्या है, कहीं क्षमा नहीं मांगनी पड़े, वापस नहीं लेना पड़े। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि अभी करेक्शन करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : अपने उत्तर में स्पष्टीकरण दे देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह जो दोनों आंकड़े आपने पढ़े हैं यह तो हैं क्रिएशन आॅफ पोटेंशियल इन सैकण्ड स्टेज और जो श्रीमन् ने फरमाया वह है सेल ऑफ लैंड।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सेल ऑफ लैंड नहीं कह रहा हूं, मैं तो क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल की चर्चा कर रहा हूं। आप कहां से आ गये बीच में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप विश्वास में हैं, भाटी साहब। आज कान्फिडेंस से बोल रहे हैं और उनको फंसाने के लिये पूरी तरह तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है तो इसको सीरियसली लेना चाहिये। यह जो आंकड़े दिये हैं वह सेल ऑफ लैंड के हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस विवाद में नहीं पड़ें। जो अंतर है उसका वाद में वित्त मंत्री जवाब दे देंगे। उस वक्त इसका स्पष्टीकरण मिल जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो ठीक है लेकिन यह सरकार, जो छोटी सरकार बोल रही है, की बात को कितना सीरियसनेस से लिया जाय, यह तो जानना पड़ेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और डाक्यूमेंट पेश करूं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं इसलिये मैंने उस शब्द का प्रयोग किया था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं नगरीय जलदाय योजनायें, जो हैं, आई. डी. एस. और विश्व की कई एजेन्सीज से हमारा संपर्क हुआ है, संबंध हुए हैं, आपसी योजनाएं चल रही हैं 20 करोड़ की। कम से कम एक वर्ष में मैं समझता हूं, पंचवर्षीय योजना का जो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

ढांचा बना हुआ है उसके साथ तालमेल नहीं बैठा सकेंगे। इस बजट में प्रावधान है 11 करोड़ का। बाकी 9 करोड़ कहां से आयेगा ? कौन देगा ? अगर 9 करोड़ हम नहीं देंगे तो उसके अनुसार उन सारी एजेन्सीज से हमारा संबंध हुआ है, जो हमारे साथ संपर्क में रहकर उन योजनाओं को चलाने वाले हैं, उनसे क्या पैसा आयेगा ?. आयेगा तो क्या केन्द्र सरकार में रह जायेगा या केन्द्र सरकार से हमारे यहां नहीं आयेगा ? और आयेगा तो हम उनका तो खर्च कर देंगे और अपना खर्च नहीं करेंगे ? क्या मन्शा है ? क्या यह अपने वायदों को तोड़ना चाहते हैं ? क्या वायदों को समाप्त करना चाहते हैं ? जो ईयर-मार्क राशि है उस नाते से आपस के समझौते के कारण कम से कम वह तो बजट में मुहैय्या करते। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने उसका कोई जिक्र करने की कोशिश नहीं की है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उद्योगों के विषय में एक पंक्ति मैंने कही थी, हालत क्या हुई ? यह भाषण है पिछले वर्ष का श्रीमान वित्त मंत्री जी का पेज 21 पर, लघु उद्योगों पर जो प्रयुक्त होने वाली बिजली है उस पर 4 पैसा प्रति यूनिट कर लगाया, मध्यम उद्योगों पर 6 पैसे प्रति यूनिट उन्होंने कर लगाया, एच. टी. 15 लाख तक के उपभोक्ताओं पर 6 पैसे, उससे ऊपर प्रति यूनिट 9 पैसे प्रति यूनिट। यह कर लगाये गये थे पिछले वर्ष ही और बड़ी वाह-वाही लूटने की कोशिश की कि नया कर नहीं लगाया, सिर्फ छोटा सा कर लगाया। किन्तु आपने वही ढूंढे, उन्हीं को ढूंढा। आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी। कभी एक फिजां बनी थी देश-प्रदेश में, प्रवासी राजस्थानी भाई इन्वीटेशन पाते थे, आते थे राजस्थान में अपने उद्योगों को लगाने के लिये किन्तु आज हालत क्या है ? बिजली तो मिल नहीं रही है। बिजली मंत्री महोदय कहेंगे, किसानों को दे रहे हैं। आज के किसान ऐसी स्थिति में हैं? आपने लगाया है उन पर ? मध्यम उद्योगों और वृहद् उद्योगों पर लगाया है, उनसे तो लेबर पोटेन्शियल बनता है, रोजगार के साधन बनते हैं। इसलिये कम से कम ऐसा तो मत करो कि औद्योगिक दृष्टि से प्रगति को अवरुद्ध कर दो। माननीय मंत्री महोदय ने उसको पूरा पूरा अवरुद्ध करने की कोशिश की है।

मैं इस बजट को देख रहा था, कोटा का रहने वाला हूं, 5 करोड़ रुपये सी. ए. डी. चम्बल के लिये चाहिये था। 5 करोड़ रुपया। जो हमारी चर्चा हुई है, हमारी चर्चा के आधार पर जो वर्ल्ड बैंक से चर्चा हुई है सैकण्ड फेज में 5 करोड़ रुपये चाहिये थे उसमें से 1.4 करोड़ रुपया मुहैय्या किया गया है, 1.4 करोड़ रुपया। मैंने आपसे अंदेशा प्रकट किया था और मैं फिर अंदेशा प्रकट कर रहा हूं, मुझे तो प्रसन्नता हुई थी जब माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान छपा था, कोटा के जननायक में पढ़ने को मिला कि नहीं, इस सी. ए. डी. को नहीं तोड़ा जायगा। आज बजट में जो प्रावधान हो गया है उसके कारण क्या स्थिति बनी है, उसके कारण हालात क्या बने हैं? ऐसा लगता है कि सी. ए. डी. को विदा किया जा रहा है, विदा हो गये 8 ओ. एफ. डी. के डिवीजन, 2 एफ. एम. के डिवीजन वहां हैं, इन 10 में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

से केवल मात्र 28 जून तक 6 चले जायेंगे, 2 डिवीजन रह जायेंगे 8 में से, इरिगेशन के 7 में से 2 रह जायेंगे। और एम्प्लायमेंट की दृष्टि से क्या होगा, अन-एम्प्लायमेंट बढ़ेगा। अन-एम्प्लायमेंट की दृष्टि से जैसा मैं कहना चाहता हूं, 2 सौ वर्कचार्ज चले जायेंगे, 4 हजार 9 सौ प्रतिदिन काम करने वाली मजदूरी पर जो हैं उन लोगों की छुट्टी हो जायेगी, 1 हजार 375 जो कर्मचारी परमानेन्ट हैं वह चले जायेंगे। आपकी तो स्पेशल कृपा है उस सी. ए. डी. पर। पता नहीं कौन से वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग, जिनके संबंध हैं जिनके मोगे हैं, छोटे छोटे मोगे लगा रखे हैं ओ. एफ. डी. के बाद तो 6 सौ बीघा में मोगा लगाना होता है। जब 6 सौ बीघा में मोगा लगा तो जिन्होंने छोटे छोटे मोगे लगा रखे हैं, छोटी छोटी में लगा रखें हैं उनका क्या होगा? वह वेस्टेड इन्ट्रेस्ट उन पर हावी हैं। कुछ विकृतियां जरूर हैं उन विकृतियों को दूर किया जाना चाहिये, यह बात सच है। ओवर हैड चार्जेज को कम करने की आवश्यकता है, यह बात सच है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो होता है उसको ठीक करने की जरूरत है, यह बात सच है। उसकी अपीलेंट ऑथोरिटी बननी चाहिये, यह बात सच है, किन्तु वह तो नहीं है। माननीय वित्त मंत्री महोदय एक झटके से योजना आयोग के सामने कह गये, मुख्य मंत्री जी तो कुछ बोल नहीं पाये, उन्होंने तो कह दिया कि 5 करोड़ नहीं 1.4 करोड़ से ही काम चला लेंगे। क्या बयान छपा है, मुझे तो कष्ट हुआ, कोई न कोई तो उस बयान को कॉन्ट्रेडिक्ट करता, सरकार की तरफ से कॉन्ट्रेडिक्ट होता, कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर राजस्थान को अंधेरे में रखा जा रहा है ....

(व्यवधान)

श्री बृज सुन्दर शर्मा : लाखों आदमी उड़ गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लाखों उड़ गये उनको तो रोकिये, उस नाते से कोशिश कीजिये। एक तरफ सी. ए. डी. में यह हालत है दूसरी तरफ जे. के. में छटनी हो रही है। इस सारे बजट में एम्प्लायमेंट जनरेशन का क्या ध्यान किया गया है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जवानों में वह आग सुलगेगी, क्या धीरज रखेंगे? अन-एम्प्लायमेंट के आधार पर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, एक बार पहले शुरू हुई थी, गुजरात से पहुंची थी बिहार, बाबू जयप्रकाश नारायण का सहयोग मिला था, कहीं ऐसा न हो जाय। क्या है इस बजट में एम्प्लायमेंट जनरेशन की दृष्टि से? एम्प्लायमेंट जनरेशन की दृष्टि से कुछ नहीं है। इसलिये मैंने कहा कि कोई न कोई राहत दे देते, आम आदमी को दे देते, किसानों को दे देते।

अन्त में एक बात कह कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को समाप्त करूंगा। क्या राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें किसानों के काम आने वाली जो खाद है, आप अगर और राज्यों को देखेंगे, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि सब राज्यों में उनको सब्सिडी दे रखी है, रिबेट दे रखी है खाद की खरीद पर। हिन्दुस्तान के ऐसे बहुत राज्य हैं, बल्कि 80 पर्सेन्ट राज्य हैं जिन्होंने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

किसानों को राहत पहुंचाने के लिये सब्सिडी दे रखी है, रिबेट दे रखी है उनको खाद की खरीद पर। आप कुछ वही राहत दे देते। पिछली बार आपने दुगुनी फ्लेट रेट कर दी। किसान वैसे ही परेशान हैं, पानी मिलता नहीं है उनको, पानी की हालत यह हो रही है, बिजली की हालत यह हो रही है, तो कुछ तो राहत दे देते। लेकिन नहीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी बजट प्रस्तावों पर विचार चल रहा है, आप उस पक्ष में आयेंगे। कुछ ना कुछ किसानों को खाद की दृष्टि से सब्सिडी दें जैसी कि बाकी सब राज्यों में है, आन्ध्र प्रदेश में स्माल फार्मर्स को 33.33 सब्सिडी मिली हुई है, गुजरात में उसी प्रकार सब्सिडी मिली हुई है सारे किसानों को, हिमाचल प्रदेश में 33.33 पर्सेंट मिली हुई है, जम्मू कश्मीर में 33 पर्सेंट मिली हुई है, कर्नाटक में 33 पर्सेंट मिली हुई है, 25 पर्सेंट मिली हुई है मध्यम किसानों को, सब किसानों को सब जगह मिली हुई है। आप चाहें तो मैं आपके अध्ययन के लिये यह दे सकता हूं, यदि आप कुछ करें, राजस्थान के किसानों के लिये कुछ करें या न करें, पिछली बार कर लगाये गये। केवल यह ढिंढोरा पीटा गया कि 18 सौ करोड़ रुपये के टैक्स लगाये, इससे काम नहीं चलेगा। आज जो मैंने निवेदन किया कि साढ़े सत्ताइस सौ करोड़ रुपये के टैक्स लग गये हैं। सीमा खतम हो गयी, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता, चाहे केन्द्र हो, चाहे प्रान्त हो शक्ति नहीं रही है। कुछ राहत की आवश्यकता थी वह राहत देने की कोशिश नहीं की गई है।

वित्त मंत्री महोदय, वह फटी चादर लाये हैं, वह फटा कम्बल लाये हैं जो राजस्थान प्रदेश के लोगों को उढ़ाना चाहते हैं, उनका नंगा बदन उससे नहीं ढकेगा। केवल मात्र थोथी बात कह कर, थोड़ी सी चर्चा करके कहना चाहेंगे वह संभव नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री महोदय बजट प्रस्तावों के सब आस्पेक्ट पर समुचित रूप से विचार करें, प्रतिगामी बजट को बदलने की कोशिश करें, प्रस्ताव में बदलाव लावें, किसानों को राहत दें, आम आदमी को राहत दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर माननीय वित्त मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि इन बजट प्रस्तावों पर पुनः विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम !

जो माननीय सदस्य बोलने को उत्सुक हों उनका नाम भी अगर दिया गया हो, जब तक वह इच्छा व्यक्त नहीं करें तब तक नाम नहीं पुकारा जाता है। जिन माननीय सदस्य को बोलना हो, वह अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जायं। ऐसी हमारी परम्परा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रजेंट हैं वह बाद में बोलने के हकदार नहीं रहेंगे क्योंकि आज तो कोई बोलने वाले नहीं हैं। अमराराम जी खड़े हो गये वरना आपकी तरफ से कोई नहीं बोलना चाहता था ......

श्री शिवराम शर्मा : हम सब बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है वह बहुत अच्छा बजट पेश किया है। कोई नये टैक्स नहीं लगाये गये हैं उसके बावजूद भी किस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिरता रह सके, किस प्रकार से हमारी योजनायें हैं वह निरन्तर रूप से चल सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया है। मैं इसके लिये हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस साल जो बिजली के लिये योजना बनाई है उसके लिये जो बजट रखा है वह वास्तव में सराहनीय है। इसके साथ साथ मेरा यह सुझाव भी है कि बिजली पर जब तक कन्ट्रोल नहीं होगा, बोर्ड के अधिकारियों पर जब तक कन्ट्रोल नहीं होगा तब तक हम कितनी भी योजनायें बनायें, कितना भी पैसा इस बजट में रखें, काश्तकारों को बिजली पूरी उपलब्ध नहीं होगी और तब तक हमारे ऊपर आज जो ओवर ड्राफ्ट हैं, आर्थिक अस्थिरता है वह दूर नहीं हो सकती। बिजली बोर्ड का संचालन करने का जो अधिकार दिया गया है, इसके साथ साथ मेरा सुझाव है कि कुछ इसमें संशोधन करके जो लोग उद्योग धन्धे पनपा सकते हैं ऐसे प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर यानि प्राइवेट लोग, जो प्लान्ट लगा सकते हैं, को भी प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि हमारे यहां पर बिजली की आज जो असुविधा है वह दूर हो सके और काश्तकारों को बिजली पूरी नहीं मिल रही है उन्हें पूरी बिजली मिल सके। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के अन्दर बिजली की समस्या इतनी नहीं है इसी कारण से वहां उद्योग अच्छी तरह से जमे हैं और वहां के लोग राजस्थान के अन्दर बिजली की कमी के कारण उद्योग स्थापित नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में निरन्तर अकाल पड़ता रहता है। जहां निरन्तर अकाल पड़ता है वहां यदि उद्योग धन्धे स्थापित हो जायेंगे तो हमारे यहां के मजदूरों को गुजरात, हरियाणा और पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिये . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों का ध्यान मैं इस नियम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उन सदस्य और आसन के बीच में से कोई माननीय सदस्य नहीं निकले . . . . .

श्री अमराराम चौधरी : बिजली हमारे उद्योग धन्धों को मिले, इसके लिये हमारी जो योजना है और इसके लिये जो बजट रखा है वह इस साल बहुत अच्छा बजट रखा है। लेकिन जब तक गांवों के लिये और टेल के गांवों के लिये कोई ऐसी कन्सट्रक्टिव योजना बिजली की नहीं बनायेंगे तब तक हमारे जो उद्योग धंधे हैं वह पनप नहीं सकेंगे। और जब तक उद्योग धन्धे नहीं पनपेंगे तब तक हमारे जो काश्तकार हैं, जो मजदूर हैं, जो अकाल पीड़ित हैं उनको वहां काम उपलब्ध नहीं होगा, उनको अपने गांव छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसलिये ऐसी योजना बनायें कि जिससे बिजली पूरी मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अपने यहां पर स्टील की जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें स्टील की चादर तैयार होती है। स्टील के बर्तन बनाने की फैक्ट्री कम हैं। आज जो 12 पर्सेंट टैक्स है मान लीजिये उस 12 पर्सेंट टैक्स को घटा करके चार पर्सेंट कर दिया

(श्री अमराराम चौधरी)

जाता है तो हमारी ज्यादा इन्कम होगी। आज 12 पर्सेंट टैक्स है और दो फैक्ट्रियां हमारे यहां लगी हुई हैं तो उनमें 24 रुपये हमारी आमदनी हुई प्रति सैंकड़ा। अगर इसकी जगह 4 पर्सेंट कर दिया जाय तो हमारे यहां फैक्ट्री 10 लग सकती हैं और इस लगने से हमारी इन्कम ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस प्रकार के उद्योग, जो लघु उद्योग हैं, को प्रोत्साहन देने के लिये हमारे यहां स्टील पर जो आज टैक्स लगा हुआ है, उसे कम करने पर विचार किया जाना चाहिये। लोग महाराष्ट्र जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं और वहां जाकर यहां की जो चादर है उनसे बर्तन बनाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ऐसे उद्योग स्थापित हो सकते हैं, हमारे यहां से मजदूर उनको उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहां के बर्तन भारत के बाजार के अन्दर सस्ते चल सकते हैं, अन्य प्रान्तों के मुकाबले और अपने राजस्थान की आय भी बढ़ सकती है।

शिक्षा के बारे में जो बजट रखा है मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह मानना है कि कॉलेजेज के बारे में होना चाहिये था बजट भाषण में किन्तु माननीय वित्त मंत्री जी ने कॉलेजों के बारे में कोई बात नहीं कही। आज काफी अर्सा हो गया है, करीब तीन चार साल हो गये हैं, ऐसे बहुत से सिटीज हैं जहां बहुत ज्यादा लोग हैं, आबादी चालीस हजार है, आबादी बढ़ी है। ऐसे सिटीज में कॉलेज का बहुत ही महत्व है। वहां के लोगों को 100 मील चल करके कॉलेज में पढ़ने के लिये जाना पड़ता है। ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों के अन्दर कॉलेजेज की व्यवस्था के लिये बजट रखना चाहिये। मैंने पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय भी यही कहा था, हम इसके लिये भवन बनाने के लिये बजट नहीं रखें तो कम से कम स्टाफ के लिये बजट पूरा रखें। हमारे वहां जन सहयोग से भवन बनाने के लिये तैयार हैं। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम पिछड़े हुए जिले बाड़मेर, जो बहुत बड़ा एक जिला है, में सिर्फ एक कॉलेज है। एक कॉलेज के लिये इस साल कोई बजट रखें ताकि भवन की जो सुविधा है वह जनसहयोग से हो जाय। यह मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा जहां तक सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल का प्रश्न है वह भी बजट में नहीं है। सैकण्डरी स्कूल जब तक नहीं होगा, बहुत से ऐसे जो मिडल स्कूल हैं जहां पांच सौ, सात सौ, आठ सौ लड़के पढ़ रहे हैं और भवन भी तैयार है, उसके बावजूद वहां अगर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया तो जहां अकाल पड़ रहा है, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां के गरीब छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां भवन उपलब्ध हैं वहां सैकण्डरी स्कूल की व्यवस्था करें, और बजट में भी प्रावधान रखें।

डिस्पेन्सरीज, प्रसूति गृह और प्राइमरी हेल्थ सैन्टर्स के लिये प्रावधान रखा है यह बहुत ही अच्छा है। दूर दराज गांवों के जिन लोगों को सुविधायें प्राप्त नहीं हैं उनको इनसे बहुत ही सुविधा मिलेगी। आयुर्वेद औषधालय के लिये प्रावधान रखा है उसके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। मेरा निवे-

(श्री अमराराम चौधरी)

दन है कि आयुर्वेद औषधालय की सुविधा सब जगह लोगों को मिले ।

मेरा एक सुझाव यह है कि जो 200 विधान सभा क्षेत्र हैं उन सबमें स्कूल हैं फिर भी जहां एक बार दस स्कूल खुल गये वहां फिर कहते हैं कि अब आप 5 स्कूल और दे दें । प्राइमरी स्कूल हो या मिडल स्कूल हो, भई, इनको आप बराबर बांटो । जहां विकास नहीं हुआ है, जिस क्षेत्र के अन्दर विकास नहीं हुआ है, रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर, पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्दर, जैसे बाड़मेर जिला है, जैसलमेर जिला है जो आपके सीमा प्रहरी है उन क्षेत्रों के अन्दर विद्यार्थियों के पीने के लिये पानी नहीं है वहां आने जाने के साधन नहीं हैं । ऐसे लोगों को जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे तब तक अपना जो प्रजातन्त्र है एक सफल प्रजातन्त्र नहीं हो सकता ।

आज हजारों रुपया, लाखों रुपया आप प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं इसलिये कर रहे हैं कि हमारे जो प्रौढ़ लोग हैं वह शिक्षित हों । लेकिन उसके पहले बच्चों को शिक्षा की बहुत जरूरत है । बच्चे जा नहीं सकते, पांच दस मील तक । ऐसी जगह दस दस मील पर स्कूल हैं वहां नजदीक से नजदीक, मेरा सुझाव है, दो मील, मील के फासले पर जो गांव हों, रेवेन्यू विलेज हों, उन गांवों में और ढाणियों में प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान रखें । यह नहीं हो जैसा कि आपने रखा है कि एक एम. एल. ए. के क्षेत्र में 5 खोल देंगे । उस कैटेगरी को चेन्ज करके आप पिछड़े यानि पिछड़े को पहले की महत्वता को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था करें ।

मैं वित्त मंत्री जी के इस बजट भाषण का स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं । जयहिन्द ।

श्री अध्यक्ष : चाव खां !

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो 1983-84 का बजट हमारी विधान सभा में पेश हुआ उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं । यह बजट तो हर साल पेश होता रहता है जैसा भी हो अच्छा हो या बुरा हो । वैसे बजट अच्छा हुआ करता है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि जो बजट पेश होता है उसमें जो रकम जिस काम के लिये रखते हैं उसका सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता । जब तक उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा तब तक हमारा यह राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता । हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान होता है उसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि जिस काम के लिये जो बजट पेश हुआ, पास हुआ, जितनी रकम निकाली गई उसका 33 प्रतिशत उस काम के लिये खर्च किया जाता है और वह काम अधूरा रह जाता है मैं यह देख रहा हूं कि जो भी काम ठेकेदारों को दिया जाता है, जो पैसा उनको दिया जाता है उस काम के लिये उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता । जब तक वह पैसा सही तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा हमारा राजस्थान आगे नहीं निकल सकता । हम तो विपक्ष के हैं, हम तो विरोधी हैं इसलिये हम महसूस करते हैं कि हमारी बातों पर अमल नहीं किया जायेगा । लेकिन मैंने यह देखा है कि जो पक्ष के हैं, अध्यक्ष महोदय, वह अपनी बात रखते हैं लेकिन हमारे मंत्री महोदय उनकी बात का भी यकीन नहीं करते,

(120)

(श्री चाव खां)

हमको तो छोड़िये। आज से कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी है और इन लोगों को जानकारी में नहीं कि हमारा पानी, राजस्थान का पानी कैसे एक जगह से दूसरे सूबों में जा रहा है। मैंने बताया था कि अलवर में एक नाला है उस नाले से पानी अलवर तहसील से गुजर कर हरियाणा में प्रवेश करता है। लण्डवा नाम है उसका, राजस्थान के उस पानी से हरियाणा के दो-तीन बांध कामठाना और रावीली भर जाते हैं। वह पानी चल कर के हरियाणा की लाखों एकड़ जमीन को सिंचित करता हुआ उनके नीचे जो झील है उसको भरता है। दस-दस लाख रुपये की मछलियों के ठेके हर साल वहां छोड़े जाते हैं। उस पानी से हरियाणा दोहरा फायदा ले रहा है। एक तो मछली के ठेके उठाकर और दूसरा तैराकी से फायदा उठाकर। लेकिन हमारी सरकार ने कभी इस बात को नहीं सोचा कि राथली के ऊपर जो हमारा बोर्डर है, वहां पर उस पानी पर बान्ध बांधा जाये जिससे हमारी लाखों एकड़ जमीन सिंचित हो सके। उससे हमारी लाखों रुपये की आमदनी मछलियों के ठेके से बढ़ सकती है। लेकिन सरकार ने इस ओर कभी तवज्जोह नहीं दी। जब तक हमारे सूबे की बिजली और पानी की समस्या की तरफ हमारी सरकार ध्यान नहीं देगी, हमारा सूबा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिजली और पानी के ऊपर आपने जो टैक्स, लगाया, उसकी हमें कोई परवाह नहीं, और टैक्स बढ़ा दो, लेकिन हमें बिजली और पानी वक्त पर दो। दुःख तो इस बात का है कि बिजली पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है फिर भी हमको दो घण्टे बिजली नहीं दी जाती। हमको बिजली कम से कम दो और वह कम से कम दिन में आठ घण्टा बिजली दो तो राजस्थान का किसान विश्वास दिला सकता है कि हम लाखों टन अनाज बाहर के सूबों में देने को तैयार हैं। लेकिन हमें बिजली नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो हम खुद तो भूखे मरते हैं और दूसरे मौज उड़ाते हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि बजट से मुझे आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस पर है कि जिस काम के लिये जो पैसा दिया जाता है, उसका दुरुपयोग होता है। उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिये। सिंचाई विभाग को देखता हूं, पी. डब्ल्यू. डी. को देखता हूं 35 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा काम पर नहीं किया जाता। कोई आपको इत्तिला देता है तो उस पर इन्क्वायरी नहीं की जाती, उस पर यकीन नहीं किया जाता। अगर इन्क्वायरी भी कराते होंगे तो उन्हीं चोरों से कराते होंगे जो चोर चोरियां कर रहे हैं। जिस आदमी ने शिकायत की उसको बुलाया जाये, उससे पूछा जाये, वह बताये कि चोरी कहां हुई। ताज्जुब की बात है कि खनिज विभाग के अन्दर श्री रामदास डॉक्टर, जो करोड़पति पार्टी है और जिसने अपने लड़के श्री रमेश कुमार को ग्राम बोलखेड़ा पहाड़ के बजरी के ठेके का हलफनामा देकर मजदूरों के नाम से ठेका लिया, तीन-चार साल से बजरी के ठेके के नाम पर सिलीकासैंड वगैरह धातु निकाल कर बेच रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वहां बजरी निकलती है, उसके स्थान पर यह धातु निकाली जा रही है जिससे चीनी के बर्तन बनते हैं। यह धातु निकाली जा रही है और

(श्री चाव खां)

नगरपालिका सैक्रेटरी पर उसके द्वारा दवाव डाला जा रहा है कि यह धातु बाहर निकालने की इजाजत दो, हम उसको इकट्ठा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को इस तरह के पत्थर सदन के अन्दर नहीं लाने चाहिये।

श्री चाव खां : अजी यह पत्थर नहीं है, यह बहुत कीमती चीज है सरकार। अगर इसे आप देखें तो पता चलेगा। यह पत्थर नहीं कीमती चीज है।

मैंने जिक्र भी किया था इस मामले का, वह पीछे रह गया उसका कोई जवाब नहीं आया। इतने दिन से वह ठेका अपने लड़के के नाम से लिये जा रहा है और कहता है कि हम मजदूर हैं जो अभी आये हैं। यदि उसकी जांच करवाई जाय तो वह करोड़पति फर्म है। एक साल से एक मजदूर को ठेका नहीं दिया, केवल एक महीने का ठेका दिया और दूसरे साल फिर उसी राजकुमार को ठेका दे दिया। इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, इस तरह गरीबों के नाम को लेकर यह सब कार्यवाही हो रही है। इसलिये मेरी मान्यता है कि इसके बारे में जांच कराई जाये और उसके बाद तुरन्त ठेका कैंसिल किया जाये और जो उसने आज तक घोटाले किये हैं उनके लिये दण्ड दिया जाए। मुझे ताज्जुब होता है हर सूबे में हम देखते हैं, हमारे यहां पंजाब की कमेटी आई थी, उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, मैं भी उसमें शामिल हो गया, आपस में बातें हुई, कुछ गिटपिट हुई, मुझे पता नहीं, हम बैठे दोनों तरफ की सुनते रहे। सुनने के बाद हमने कहा कि आप हमारी सुन लीजिये। उन्होंने कहा, क्या कहते हो? मैंने कहा कि आप मुझे बतायें कि आपके सूबे में किसान के ट्रैक्टर पर टैक्स है? उन्होंने कहा, हमारे यहां नहीं है। मैं ताज्जुब करता हूं कि राजस्थान सरकार किसानों के ट्रैक्टर पर टैक्स लगाती है, जो किसी सूबे में नहीं है। राजस्थान के किसान के ऊपर इस तरह का टैक्स लगाया जा रहा है। कहते हैं कि उसमें इंजन है। मान लिया कि ट्रैक्टर में इंजन है लेकिन ट्राली के अन्दर क्या इंजन होता है? उस पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। किसानों की तरफ सरकार की आज तक तवज्जोह नहीं है। इसलिये मेरी राय है कि राजस्थान सरकार ट्रैक्टर पर टैक्स खतम कर दे। यह ट्रैक्टर टैक्स दूसरे सूबों में नहीं है तो सिर्फ राजस्थान में ही क्यों है?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा नगरपालिकाओं की ओर चलता हूं। हमारी जो नगरपालिकायें हैं हमारे यहां पर मंत्री जी बैठे हैं मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप इन्क्वायरी करा लें। मैं अगर झूठा साबित होता हूं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके यहां से काला मुंह करके निकल जाऊंगा और इस्तीफा दे दूंगा। मेरे क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं उनके संबंध में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के चेअरमैन साहब का घर का भट्टा है ईंटों का और कुछ दूसरे सदस्यों की उसमें साझेदारी है। सड़क निर्माण और दूसरे कार्यों के लिये जो टेन्डर मांगे गये थे वह तो नम्बर एक

(श्री चाव खां)

के माल के लिये मांगे गये थे पर वहां जो माल लगाया जा रहा है वह है नम्बर तीन का माल। मिट्टी से चिना जा रहा है, हजारों लाखों रुपये का घोटाला हो रहा है लेकिन किसी की कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आप आज इन्क्वायरी करा लीजिये वहां पर एक बिल आया था, जहां निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर तो सैक्रेटरी ने जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसने तो टेन्डर पहले नम्बर के माल का दिया था पर नम्बर तीन का माल लग रहा है। तो उसने उस बिल को मंजूर नहीं किया। वहां नगरपालिका के जो चेअरमैन हैं उन्होंने उस सैक्रेटरी को धमकी दी कि अगर तुमने यह बिल पास नहीं किया तो तुम्हारा तबादला करा दिया जायेगा। इसके उपरान्त भी उसने वह बिल पास नहीं किया। यहां पर लोग आते हैं, शिकायत एक नहीं दस शिकायतें लेकर आते हैं, लाखों रुपये के प्लाट रिश्तेदारों के नाम पर छोड़ दिये गये। उसके लिये लोग कोर्ट में गये और स्टे लगवाया। उन्होंने जाकर एस. डी. एम. को कहा। इस प्रकार से एक नहीं कई शिकायतें हैं। आप उनकी जांच कराइये, कितने रुपयों का घोटाला है कामां नगरपालिका के अन्दर। उसके सैक्रेटरी को आये दो ढाई महीने हुए हैं। जब नगरपालिका के सैक्रेटरी ने उस चेअरमैन की बात को नहीं माना और उसने उनके कहने पर हस्ताक्षर नहीं किये तो उन्होंने उस सैक्रेटरी का तबादला करा दिया। यह आज इस सरकार के अन्दर हो रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह भाटी जी यहां पर बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहता हूं कि आप टैक्स लगाओ। टैक्स लगाने से हमारा देश मजबूत होगा। टैक्स लगाने से जितना पैसा आयेगा उसकी हमें परवाह नहीं है लेकिन कोई काम तो करें। अध्यक्ष महोदय, काम नहीं होता है, हमारा पैसा गलत कामों में लग रहा है और लोगों को इसकी परवाह नहीं है। मुझे यह देख कर दुःख होता है। अभी कल परसों की ही बात है, अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहस हो रही थी कि राजस्थान कैनाल पर किसी पुल का 70 लाख रुपये का ठेका दिया गया था पर जब इन्क्वायरी कराये जाने की बात आई तब उसमें 40–50 लाख रुपये का घोटाला पाया गया। उस राजस्थान नहर में पानी छोड़ा गया और बाद में वह नहर तोड़ दी गयी।

(3.55 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)

तो अब यह कहा गया कि वह साहब नहर टूट गयी। मैं पूछता हूं कि वह नहर कैसे टूट गयी? आप उन अधिकारियों की जायदाद कुर्क करो, उनकी जायदाद की जांच कराओ कि पहले उनके पास कितनी जायदाद थी और अब उनकी कितनी जायदाद है। पहले उनकी हैसियत क्या थी और अब उनकी क्या हैसियत है। जब तक सरकार इन सारी बातों की जांच नहीं करायेगी तब तक आप चाहे जितने टैक्स लगा लो कुछ भी बनने वाला नहीं है।

(श्री चाव खां)

सभापति महोदया, बसों के मामलों में भी मैंने जाकर देखा। एक मुलाजिम को 90-95 रुपये जूते के लिये मिलते थे। उसको अब रुपये देना बन्द कर दिया है और अब उसको खरीद कर जूते दिये गये हैं। सभापति महोदया, आप उन जूतों को मंगाकर देखिये, वह जूता 25 रुपये से ज्यादा कीमत का नहीं है। हर मामले में यही घोटाला है। कहां तक कहा जाय, लाखों रुपये का गबन है। जहां भी देखा जाकर, घोटाला ही घोटाला है। हम तो कहते हैं, भाई, तुम्हारा बहुमत है। इस तरह का बहुमत तो तुम्हारा कभी आने वाला नहीं है लेकिन ढाई पौने तीन साल से देख रहे हैं कि एक साल तो पहाड़िया के पीछे लगे रहे। सारा पैट्रोल डीजल दिल्ली में जाकर फूंक दिया। वही अब चल रहा है। मंत्रियों के पास जायें तो कोई मिले नहीं, मुख्य मंत्री जी के पास जायें तो मिले नहीं। कहते हैं कि दिल्ली गये हैं। अरे, इसमें भी तुम्हें संतोष नहीं है, इससे ज्यादा और क्या चाहिये। काम करिये, भाई। हर आदमी तो मंत्री बन नहीं सकता और न हर आदमी मुख्य मंत्री बन सकता है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो उससे काम लीजिये। अगर आप लोगों का यही हाल साल डेढ़ साल रहा तो आप को बाद में जब जनता के सामने जाना पड़ेगा उस वक्त आपको जनता को मुंह दिखाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हम अब से पहले कहां थे। अगर अभी नहीं संभले तो याद कर लो मेरी आज आपके सामने भविष्यवाणी है कि ढाई साल बाद आप यहां पर बैठेंगे, जिस जगह हम बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री चाव खां : जो भी वक्त आपके पास है उसमें आप काम करो। तुम्हें काम करने के लिये तनख्वाह मिलती है। मैं हमेशा ही यही ध्यान रखता हूं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, एक एम. एल. ए. की जिम्मेदारी क्या है। सभापति महोदया, मैं आज दिन तक पूरी तरह समझ नहीं पाया कि एक एम. एल. ए. की क्या जिम्मेदारी है। जो भी मैं आज तक समझ पाया हूं एक एम. एल. ए. की जिम्मेदारी यह है कि जिन लोगों ने उसको चुन कर भेजा है उनके दुःख को अपना दुःख समझे। जहां पर उनका पसीना गिरे वहां अपना खून बहाए। जो सरकार तनख्वाह दे रही है उसको हलाल करो। लोग कहते हैं कि सरकार अन्धी नहीं है, सरकार बहरी नहीं है लेकिन मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूं, सभापति महोदया, यह सरकार अन्धी और इतनी बहरी है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सरकार को अपने विधायकों के ऊपर यकीन नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन चुने हुए लोगों की बात तो कम से कम आप मानो। जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उस क्षेत्र में लोगों को पेमेंट मत दीजिये जब तक कि वहां का क्षेत्रीय विधायक इसके बारे में पूरी जांच नहीं कर ले कि काम सही हुआ या नहीं हुआ है। आप यह मत सोचो कि हमारे धन्धे बन्द हो जायेंगे। आप उन विधायकों की रिपोर्ट लेकर ही पेमेंट करो तो उन ठेकेदारों को कुछ भय होगा, ताकि कार्य सही हो सके। मुझे इसी बात का दुःख है कि कोई सुनने वाला नहीं है। अब यह जो बजट आपने रखा है इसके बारे में तो मुझे ज्यादा

(श्री चांद खां)
जानकारी तो नहीं है, मैं यही कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छा बजट वित्त मंत्री जी ने रखा है। बस धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमराराम !

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदया, मेरा नाम नहीं पुकारा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है लिस्ट में।

श्री अमराराम जी, आप शायद बोल चुके हैं। श्री अमीन खां !

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदया, मेरा नाम भी है, अध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका नाम बाद में है।

श्री अमीन खां !

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष 1983-84 का बजट रखा है ......

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री जी हाजिर हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशु पालन) : मौजूद हूं। मेरे पास इंडिपेंडेंट चार्ज है दोनों ही हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, उद्योग) : सभापति महोदया, ऐसा कोई पूर्व में कनवेन्शन तो नहीं है कि केबिनेट रेंक का मंत्री यहां होना चाहिये।

श्री सभापति : मंत्री जी होने चाहिये।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने फर्माया अभी बुलवा लेते हैं It is an order from the chair. It will be complied with वैसे कोई ऐसा पूर्व में कनवेन्शन तो नहीं है पर आपने कहा है तो तामील होगा।

श्री सभापति : कृपया बुलवा लें। ऑर्डर, ऑर्डर। श्री अमीन खां !

श्री अमीन खां : सभापति महोदया वर्ष 1983-84 का वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। अपन सभी को मालूम है कि पिछले चार साल से राजस्थान के अधिक भाग में भयंकर अकाल पड़ रहा है। उस अकाल की वजह से सरकार को करोड़ों रुपया अलग से गरीबों को बचाने के लिये खर्च करना पड़ा। इसके अलावा भी सरकार ने विकास के कार्यों को भी बन्द नहीं किया। विकास के कार्यों को चालू रखा। पिछले साल हायर सैकेण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूलों का विस्तार किया गया। मुझे तो मेरे दायरे में खुशी के लिये वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना पड़ेगा। उन्होंने एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की घोषणा इतने वित्तीय संकट के उपरान्त भी की, यह काबिले तारीफ है। 600 मिडिल स्कूलों और तीन हजार प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिये नये पद सृजित किये, इसके

(श्री अमीन खां)

अलावा हमारे पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में एक सौ पशु चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा की है, यह भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है।

पेयजल योजनाओं के लिये 31 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान रखा है जो बहुत अच्छा है। इसी चालू वर्ष में करीब 23 करोड़ रुपये की पेयजल की योजनायें पश्चिमी राजस्थान के लिये भारत सरकार ने स्वीकृत की हैं, जिनके कार्य भी चालू हो गये हैं जिससे पश्चिमी राजस्थान के जिन दुखी इन्सानों को पानी मिलने का विश्वास भी नहीं होता था उनको अब पीने का पानी मिलेगा।

इसी प्रकार 500 सब-सैंटर्स, 13 डिस्पेंसरीज और 12 प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स भी खोले जा रहे हैं जिनसे भी काफी लोगों को सुविधा मिलेगी।

अब मैं मेरे कुछ सुझाव वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूं। राजस्थान आज पांचवीं साल भी लगातार अकाल की चपेट में है। मेरे क्षेत्र के इन्सानों का मेन गुजारा पशुपालन से होता है। पशुपालन उनका एक धंधा है। वहां पर पशुओं के लिये चारे का भारी संकट है। इसके लिये स्पेशल तौर से व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये, नहीं तो वहां का पशु हमेशा के लिये खतम हो जायेगा। जिससे वहां के इन्सानों का जिन्दा रहना बड़ा कठिन हो जायेगा। मैं तो इतना ध्यान अपने दिमाग में नहीं रख सकता हूं हमारे मंत्रियों और मुख्य मंत्री को रखना चाहिये कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा जोधपुर के ऊपर के हिस्से में डैजर्ट की जमीन में राजस्थान नहर का पानी जब तक नहीं पहुंचेगा और उस नहर के पानी की पशु पालकों के लिये विशेष तौर से व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक वहां अकाल पड़ता रहेगा। बार बार अकाल राहत कार्य खोलकर लोगों को जिन्दा रखना बड़ा कठिन है। इस नहर के पानी का पशुओं के लिये विशेष इन्तजाम करने के लिये युद्धस्तर पर कोई समयबद्ध कार्य पूरा कर लेना चाहिये। इसके बिना वहां के पशुपालकों का वहां रहना इस जमाने के अनुसार बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

सभापति महोदया, मुझे एक चिन्ता इस बात की लगी कि हमारे राजस्थान के पुलिस महकमे में सब-इन्सपेक्टर से लेकर डाइरेक्टर जनरल की पोस्टों तक बहुत ज्यादा प्रमोशन हुए जिससे आम लोगों का यह मानना है और आम साधारण गरीब आदमी का मानना है कि सरकार के ऊपर पैसों का भार ऑफिसरों को खुश करने की नीयत से किया गया है, यह पब्लिक के हक में नहीं है। इन्सान की सुरक्षा, गरीब आदमी की सुरक्षा, गांवों की सुरक्षा और गली में सुरक्षा के लिये पुलिस का एक सिपाही खड़ा रहता है। तो मेरा वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्री जी से, सभापति महोदय, आपकी मार्फत यही निवेदन है कि पुलिस के यह इन्सपेक्टर्स, डी. वाई. एस. पी., एडीशनल एस. पी. को प्रमोशन नहीं देकर, जहां जरूरत एक डी. वाई. एस. पी. की है वहां चार एडीशनल एस. पी. का पैसा खर्च करने के बजाय कान्सटेबलरी पुलिस की जो है उस पर ज्यादा जोर देना चाहिये।

(श्री अमीन खां)

आप और हम सब जानते हैं कि सुरक्षा जो नागरिक की करता है वह सिपाही ही हर जगह खड़ा रह कर करता है। एडीशनल एस. पी., डी. वाई. एस. पी. तो एक दूसरे की होड़ और प्रमोशन के चक्कर में लगे रहते हैं। इसलिये आम लोगों का मानना है कि पुलिस के अन्दर प्रमोशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिये जितना कि कान्सटेबल पर देना चाहिये।

अब मैं, सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सन् 1981 की जो जनगणना हुई है आप स्वयं भी जानती हैं कि सारे हिन्दुस्तान में बाड़मेर जिले के लोग अशिक्षित ज्यादा हैं। जो स्कूलों का विभाजन करते हैं वह सिर्फ जन प्रतिनिधि की गिनती के हिसाब से खुश करने की नीयत से करते हैं कि आपके हिस्से में पांच पांच आते हैं, यह कोई शासन का न्याय नहीं है। शासन का फर्ज है अशिक्षित को शिक्षित करना। तो जिस इलाके में 85 पर्सेंट लोग अनपढ़ हैं वहां प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल ज्यादा खोलने चाहिये। मेरे से पूर्व भाई अमरा राम ने कहा कि हम तो कालेजों की बात करते हैं। फिर हमारे इलाके में, सभापति महोदया, बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस किलोमीटर तक गांव और ढाणियों में ही अभी तक प्राइमरी स्कूल नहीं है तो ढाणियों के लोग तो सौ साल तक भी बच्चों को कालेज भेजने के सपने नहीं देख सकते। इसलिये सरकार का यह फर्ज है कि ऐसे इलाकों में स्कूल खोले। विधान सभा के क्षेत्रों की संख्या 200 है उसका स्कूलों की संख्या में भाग दे दें और उस तरह से स्कूल खोले जायें, यह बिलकुल ही गलत तरीका होगा। पिछड़े को पहले की प्राइम मिनिस्टर ने बार बार हिदायतें दी हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम में भी प्रधान मंत्री जी ने बार बार निर्देश और हिदायतें दी हैं उसके उपरान्त भी यह सरकार की नीति है, मंत्री विधायकों की डिजायर पर या प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पर स्कूलों की स्वीकृति करते हैं उससे हमारा इलाका आज से सौ साल पीछे चला जायेगा शिक्षा के मामले में, सभापति महोदय, इसकी हमें बहुत बड़ी चिन्ता है।

सभापति महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर बोर्डर इलाका होने के नाते देश की हिफाजत और देश की रीतिनीति के लिये वफादारी वहां का हर नागरिक आदमी और औरत समझे, देश की सुरक्षा के हित में यह बात है इसलिये वहां हर औरत आदमी को पढ़ा लिखा करना देश के हित में होगा। वहां का एक एक बच्चा अलग तालीम ले तो देश की सुरक्षा में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा उसका होगा। बोर्डर पर, सभापति महोदया, सरकारी कर्मचारियों को बोर्डर अलाउन्स दिया जाता है। उसका मतलब यही है कि बोर्डर पर कई परिस्थितियां हैं, बोर्डर पर पानी नहीं है, डेजर्ट है। इसी प्रकार स्कूल खोलना हो, चाहे सब-सैंटर खोलना हो, चाहे चिकित्सालय खोलना हो वह वहां ही खोला जाना चाहिये। लेकिन होता यह है कि खुशहाल एरिया, जहां 95 प्रतिशत शिक्षित लोग हैं, में भी उतना ही पैसा खर्च किया जाता है और 95 प्रतिशत जहां अशिक्षित हैं वहां भी उतना ही पैसा बजट में खर्च किया जाता है। यह न्याय नहीं होगा।

(श्री अमीन खां)

आखिर में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनायें जो स्वीकृत की जाती हैं वह भी मेरे ख्याल में आंख मीचकर की जाती हैं। हमारे जिले में पंचायत समिति शिव ऐसी है कि उसमें आज तक ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना भी नहीं बनाई गयी। सभापति महोदया, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि शिव पंचायत समिति और उससे लगता हुआ जैसलमेर जिले की पंचायत समिति सम के गांव में ही अथाह जमीन के नीचे पानी है, बाड़मेर जिले की पंचायत समिति के बायतू के तीस चालीस गांवों और बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बाड़मेर के 35 गावों को शिव तहसील के गांवों से पानी पिलाया जाता है जिसके लिये करीब 4।। करोड़ की भारत सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है लेकिन उन गांवों के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत नहीं की। दूसरी तरफ ऐसे गांवों के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत की है जिनमें न तो कोई दुकान है, न कोई कस्बा है और न एक भी ट्यूबवैल है। ढाणियों में लोग रहते हैं वहां के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत की है, यह हमारी समझ में नहीं आता है, लोग बड़ी मजाक करते हैं। इसलिये विद्युतीकरण योजना में पीने के पानी के जो ट्यूबवैल हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिये ताकि इन्सानों को रेगिस्तानी इलाके में पानी मिल सके।

दूसरा मेरा यह भी निवेदन है सरकार से, सभापति महोदया, आपकी मार्फत कि हमारा रेगिस्तानी इलाका है। वैसे सभी माननीय सदस्य मेरी इस बात को शायद मजाक के तौर पर लेंगे कि गधा एक जानवर ऐसा है जो 50 प्रतिशत लोगों का खैरख्वाह जानवर है। 50 पर्सेंट वहां के लोग गधे से खेत काश्त करते हैं, गधे से पानी भर कर लाते हैं, गधे से कुओं से पानी निकालकर सिंचाई करते हैं, अपने जानवरों को पिलाते हैं और इन्सान भी पानी पीते हैं। सभापति महोदया, भाटी साहब और हमारे साथी सब जानते हैं गधा जितनी घास चरता है उतनी घास गाय भी नहीं चरती। गधे और घोड़े की जुगाली रात और दिन चलती है। सरकार में किसान प्रतिनिधि होने के बावजूद भी गधे, भेड़, बकरी और ऊंट को जानवर नहीं गिन कर गोचर के कानून में, सभापति महोदया, इनके लिये कोई प्रावधान ही नहीं है। जहां हम ग्राम पंचायत की सभा में एक प्रस्ताव कराते हैं, गाय और भैंस के बारे में आधा बीघा जमीन का प्रावधान है तो बाकी जानवरों को यह कतई गिनते नहीं। अब जैसे भारत सरकार की स्कीम है आई. आर. डी. के तहत भेड़ें खरीदी जाती हैं, ऊंट खरीदे जाते हैं, बकरियों की यूनिट भी खरीदी जाती है किन्तु इनके लिये चरागाह नहीं हैं। सरकार को यह पता नहीं, यह जानवर भी हैं। इसलिये सरकार को इस मामले को बड़ी गम्भीरता से लेकर तत्काल गोचर का बिल लाकर उसमें आधा बीघा इन जानवरों भेड़, बकरी, और गधे के लिये भी कुछ प्रावधान करना चाहिये। नहीं तो गाय तो बेचारी एक भोला जानवर होती है, गाय की घास गधा, भेड़, बकरी और ऊंट खा जायेंगे और गाय के लिये गोचर नाम को रह जायेगा और चरागाह को लेकर मुसीबत आ जायेगी।

(श्री अमीन खां)

आखिर में, सभापति महोदया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में पांचवां अकाल है और यह पहला वर्ष है जिस वर्ष मार्च के महीने में भी 34 हजार से अधिक मजदूर जिले में नहीं लगे हैं जब कि जिले के गांवों की आबादी 11 लाख है। इस जिले में मार्च और अप्रेल महीनों में हमेशा एक एक लाख की तादाद में मजदूर लगते रहे हैं। इस वर्ष केवल 34 हजार मजदूर लगाने से वहां के लोगों में भारी असंतोष है। इसके अलावा कई गांवों में 15-15 किलोमीटर तक पीने का पानी नहीं है। ऐसे गांवों के लिये इस मार्च के महीने में कम से कम एक लाख मजदूरों की संख्या करनी चाहिये, गायों के लिये चरागाह की व्यवस्था की जानी चाहिये। हर तीन, चार पंचायतों के बीच डिपो की व्यवस्था करनी चाहिये। नहीं तो वहां के लोगों में भारी असंतोष होगा और लोग बरबाद हो जायेंगे।

इतना कह कर मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतने वित्तीय संकट के उपरान्त आम आदमी पर कोई भी कर नहीं लगाकर विकास के कार्य चालू रखे हैं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदया, मैं ऐसा मानता हूं कि बजट किसी प्रदेश के भविष्य का एक आधार बनता है। मैं आपके माध्यम से सदन में इस बात को रखना चाहता हूं कि राजस्थान की हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में कहां एग्जिस्टेंस है। क्या हमने बजट को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा है कि हम सबसे अन्तिम श्रेणी में लगातार पिछले 30, 32 वर्षों से चले आ रहे हैं ? इस स्थिति से ऊपर उठने के लिये क्या कोई हम बजट के रूप को बदल सकते हैं या नहीं ? यह कह कर खुश हो जायें कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, इससे कोई भला नहीं होगा। फिर तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि बजट बनाने के लिये वित्त मंत्री जी की कोई आवश्यकता ही नहीं, बजट के लिये इतनी बड़ी-बड़ी फार्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जितना पैसा है, उसको इतने इतने में बांट दें और इसके हिसाब से रुटिन वर्क चलते रहें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा नम्बर है, जनसंख्या की दृष्टि से हम हिन्दुस्तान में 9 वें नम्बर पर हैं किन्तु साक्षरता की दृष्टि से हम 15 वें स्थान पर हैं। शिक्षा की दृष्टि से सबसे नीचे 15 वें स्थान पर हैं। विद्युत का जो उपभोग हम करते हैं उसमें हम 11वें स्थान पर हैं। सड़कों की लम्बाई के हिसाब से हम 11वें स्थान पर हैं। प्रति व्यक्ति राजस्व आय है उसके हिसाब से हम 11वें स्थान पर स्टैंड करते हैं। टैक्स रेवेन्यू की दृष्टि से राजस्थान 11 वें स्थान पर है। केन्द्रीय कर प्रति व्यक्ति के हिसाब से राजस्थान 11 वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय की दृष्टि से हम 10 वें स्थान पर हैं और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हम 11 वें स्थान पर हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान जिस स्थिति में आज से 30 वर्ष पहले चल रहा था उसी स्थिति में आज भी और लम्बे समय

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

तक आप इसे बनाये रखना चाहते हैं ? क्या आप यह चाहते हैं यह राजस्थान किसी भी प्रकार से उस स्थिति से नहीं उबरे। वास्तव में लोकतान्त्रिक देश की व्यवस्था यह होती है कि जिन लोगों के पास अधिक धन है, जिन लोगों के पास अधिक सम्पत्ति है उनकी सम्पत्ति का अर्जन किया जाये, उनसे प्राप्त की जाय और जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं उन लोगों को उस पैसे के आधार पर ऊपर उठाया जाये, तो ही हम गरीबी और अमीरी की खाई को कम कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो ऐसी मान्यता है कि यह बजट गरीबी और अमीरी की खाई को बढ़ाने वाला बजट है।

यही नहीं, सभापति महोदया, यह राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के सामने चैलेंज बन कर खड़ा है। हमारे वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया उनको राजस्थान के नौजवानों के बारे में शायद यह अहसास भी नहीं होता है कि राजस्थान का पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार है। मैं पूछना चाहता हूं, यह पोथी किस काम की जिसमें राजस्थान के उन नौजवानों, जिनका भविष्य अन्धेरे में झूल रहा है, के लिये एक शब्द कहने की आपको फुर्सत नहीं। मैं आपको उदाहरण के आधार पर बताना चाहता हूं कि किस तरह के जुल्म और ज्यादतियां इन लोगों के साथ हुई हैं। केवल अधिकारियों, जो बजट को बनाते रहते हैं, को खुश करने के लिये इसे पेश करते रहते हैं। राज्य कर्मचारियों की जो पिछले पांच साल में भर्ती हुई है उन भर्ती के आंकड़ों को देखने का कभी आपने प्रयत्न किया ? आपने कभी सोचा है कि यह लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं यह अपने पद बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर सकते हैं, इसके लिये तो उनको पैसा भी मिल जाता है, फण्ड भी मिल जाता है लेकिन एक चपरासी की नौकरी के लिये पैसा नहीं। आप बड़े गरीब देश के लोग हैं। आप देखिये, सन् 1977-78 में 1721 लोग हमारे यहां 1150-1650 से 2500 की ग्रेड में थे और आज सन् 82-83 के अन्त तक 2752 हैं। एक हजार लोग इन बड़े पदों पर बड़ी तनख्वाह पर हमने अपाइंट किये, जिसका पर्सेंट 60 है। 60 पर्सेंट की इसमें बढ़ोतरी की है। पिछले सालों का आप देखिये। 2366 पद थे और वर्ष 82-83 के अन्त तक 2752 हुए तो 16 पर्सेंट की वृद्धि की लेकिन इस पर्सेंट के हिसाब से चपरासी के पद नहीं बढ़ाये। चपरासियों की संख्या वर्ष 1981-82 में थी 1,26,490 और वह घट कर 1,26,132 रह गई, जितने पर्सेंट घटी वह .03 पर्सेंट घटी। .03 पर्सेंट चपरासियों के पदों में हमने कमी की। और देखिये, एल. डी. सी. जो 355-570 की ग्रेड में आते हैं, साल 1981-82 में 1,94,223 लोग नौकरी पर थे जिनके पद इस वर्ष 1982-83 के अन्त तक 1,95,939 हैं। केवल 516 लोगों की भर्ती और हुई। अगर इसका पर्सेंट निकाला जाये तो .02 पर्सेंट हमने नये एल.डी.सीज. को नौकरी दी, हमारे राज में। श्रीमान्। यही नहीं इसके आगे यू. डी. सी. को ले लीजिये यू. डी. सी. में हमने वृद्धि कितनी की 16 पर्सेंट अर्थात् पिछले लम्बे समय से यह जो जॉब मिलने चाहिये शिक्षित बेरोजगारों को, उसमें यह हमारा दुर्लक्ष रहा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यू. डी. सी. का डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : किसी का भी होता है। लेकिन पद जो हमारे पास हैं उनकी प्रमोशन के आधार पर पूर्ति होती है, कुछ भी होता है। किन्तु जिस ग्रेड में लोगों की जो संख्या है वह इस बात को बता रही है। आप देखिये 620 वाली ग्रेड में, 620-1100 की ग्रेड में भी हमने 80 प्रतिशत की वृद्धि की है। 1977-78 से लेकर आज तक, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं इतनी वृद्धि तो आप कर सकते हैं लेकिन इस बजट भाषण में शिक्षित बेरोजगारों के लिये एक शब्द कहने के लिये नहीं है। क्या बजट में उनके लिये कोई प्रावधान है? क्या आप चाहते हैं जितने भी शिक्षित लोग हैं वे इस स्थिति में आ जायें कि देश को आग में झोंक दें। अपनी मजबूरी के कारण फालतू रहेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से उच्छृंखल बनता चला जायेगा।

श्रीमान्, यही नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आखिर हमने जो कुछ भी वृद्धि की है, आप देखिये, आपके राजस्व में जो रिसीट्स हैं उसकी वृद्धि और आपका खर्चा है इन दोनों में तालमेल नहीं है। आपने कभी भी कृपा करके न तो इन आंकड़ों को टटोलने की कोशिश की कि आखिर यह अन्तर क्यों है, क्यों इतना बड़ा गैप आता है। कभी तो 145 करोड़ का गैप आता है। श्रीमान्, देखिये वर्ष 79-80 में 653 करोड़ की आय थी, उसके बाद हुई 752 फिर 857। इनकी 'वृद्धि थी 99 करोड़, 105 करोड़। 82-83 में हमारी वृद्धि हुई 146 करोड़। और इस समय 83-84 में आपकी वृद्धि हो रही है केवल 85 करोड़। इससे पहले वाले साल में 146 करोड़ अधिक आय प्राप्त की और इस वर्ष 85 करोड़ ही प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं आपके एक्सपेंडिचर में भी ऐसा ही है। जिस तरह से आपने पिछले साल 973 करोड़ खर्च किया, इस साल 1074 करोड़ खर्च कर रहे हैं। पिछले साल आपका 151 करोड़ रुपया बढ़ा था उससे पिछले वाले साल से और इस बार बढ़ा रहे हैं केवल 101 करोड़। यह इस बात को सिद्ध करता है कि आपको इसका बराबर ध्यान नहीं है कि हमारी आय बढ़ी तो वापस घटी क्यों और उसके कारण से हमने इसको पांच साल में क्यों किया। आप बहुत समझाने की कोशिश करें कि बहुत उम्दा बजट है। मैं कहता हूं यह यथार्थवादी नहीं प्रतिक्रियावादी हो रहा है। आपने पर्सेंटेज देखा है। इस खर्चे का उठाकर हमने क्या तुक्का मार लिया, हमने इसमें क्या वृद्धि कर ली? लगातार आप देखिये, 81-82 में भी सिंचाई और विद्युत् पर हमारे बजट का जितना प्रोविजन होता है उसका 52 प्रतिशत खर्च होता था लेकिन पिछले साल 1982-83 में इसका प्रतिशत घटा कर 51 प्रतिशत कर लिया और इस साल भी आप 51 प्रतिशत ही रख रहे हैं। तो फिर कौन सी वृद्धि की? यही नहीं, श्रीमान्, आप देखिये कि परिवहन के बारे में बड़ा अजीब सा नाटक चल रहा है। हम कहते हैं कि लोग मर रहे हैं, लोगों को बस नहीं मिलती है, लोग खड़े रहते हैं, आने जाने की सुविधा नहीं है, बसों के ऊपर बैठकर आना पड़ता है, लोगों की जानें जा रही हैं लेकिन आप उसके खर्चे लगातार पिछले तीन सालों से घटाते जा रहे हो। परिवहन पर हमारे यहां लगभग 6 प्रतिशत टोटल बजट का

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

खर्च होता है 81-82 में, उसके बाद 82-83 में यही 6 प्रतिशत रखा लेकिन इस बार 83-84 में आपने अपने खर्चे का 4 प्रतिशत ही केवल परिवहन पर खर्च किया है। आप चाहें तो मैं आंकड़े बता सकता हूं कि किस प्रकार कटौती करते जा रहे हैं। 80-81 में हम 26 करोड़ 60 लाख खर्च करते थे और आज कर रहे हैं हम 19 करोड़। हम विकास कर रहे हैं? हमारा बजट, बहुत ही सन्तुलित बजट, बड़ा सुन्दर, बड़ा अच्छा बजट है। 26 करोड़ जो खर्च करते थे आज से तीन साल पहले 80-81 में परिवहन पर उसको घटाकर हमने आज किया है 19 करोड़ रुपया। यही नहीं हमारे उद्योग और खनिज जो वास्तव में हमारे यहां के लोगों की आमदनी या रोजगार का एकमात्र साधन है उस साधन का भी हम ठीक प्रकार उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमने केवल पिछले साल 82-83 में खर्च किया था 16 करोड़ 10 लाख और इस साल बढ़ाया है कितना, 18 करोड़। आखिर हम राजस्थान की सम्पदा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, मंत्री महोदय, आप वित्त मंत्री का भार संभालते हैं ऐसा मुझे पता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान पिछले पांच सालों से अकाल की चपेट में चल रहा है, सूखा पड़ रहा है हमारे यहां। 22-22 हजार गांव हमारे 33 हजार गांवों में से अकाल की चपेट में हैं, कभी 21 हजार हैं, कभी 23 हजार हैं तो कभी 17 हजार हैं। पिछले चार सालों से तो लगातार अकाल चल रहा है लेकिन क्या आपने पुरानी पोथियों को देखा? हमारे यहां सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम पर 82-83 में जो बजट था, 8.06 करोड़ था, अब 83-84 में क्या दे रहे हैं? आप सुन कर ताज्जुब करेंगे, 1983-84 में दे रहे हैं 2 करोड़ 20 लाख रुपया। कहने के लिये रोज यहां भाषण दे रहे हो, हम अकाल राहत कार्य शुरू करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे। बजट में आपके पास पैसा नहीं है। कहां से करोगे मदद? लोगों के सामने केवल भ्रमजाल खड़ा मत करो कि इतने मजदूर लगा दिये हैं। यह झूंठी हाजरियां मत बताओ। लोगों को कम से कम साफ बात तो कहो। अगर आपके पास बजट नहीं है तो यह क्यों नहीं कहते? गोल-मोल कह कर उत्तर देने की कोशिश क्यों करते हो? क्यों राज्यपाल महोदय से चाहे जिस ढंग से आप बुलाते हो।

यही नहीं इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से राहत में है जो पैसा वह आप देखिये, 82-83 में 11.01 करोड़ का प्रावधान था और 83-84 में आप क्या कर रहे हो, 7.79 करोड़ रुपया रखा है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में पैसा आपने घटाया, प्राकृतिक आपदाओं में आपने पैसा घटाया और फिर कह रहे हैं नहीं, हमने बहुत ही अच्छा और बड़ा सुन्दर बजट रखा है। उसके लिये बहुत बहुत बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, आपके इस बजट भाषण में यह राजकीय उपक्रम नाम की जो संस्था है, इसके द्वारा कुछ काम चल रहे हैं, रोडवेज का काम चल रहा होगा और किसी का चल रहा होगा, आपने इसमें किस प्रकार का प्रोविजन रखा है। आप का कहना यह है कि यह तो लगातार घाटे में जाते हैं। अगर ये घाटे में जाते हैं, आपका मन इस बात के लिये

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

तय हो गया, आपने बिलकुल इरादा पक्का कर लिया कि हमारे यह राजकीय उपक्रम में चलने वाले जितने भी उद्योग हैं, या काम हैं ये घाटे के ही सौदे हैं, तो फिर बन्द क्यों नहीं कर देते हो ? वहां तो प्रगतिशील और समाजवादी बनने के लिये नाटक रचते हो और दूसरी तरफ आप उसकी हत्या करते जा रहे हो। अभी आपने देखा होगा, राजकीय उपक्रम में 3 करोड़ 37 लाख का प्रोविजन रखा है, लेकिन इसमें भी आप देखिये, उद्योग पर हमारा पिछले साल था 1 करोड़ 61 लाख रुपया और इस बार 83–84 में 1 करोड़ 43 लाख रुपया है। उद्योग में जो धन है आप उसको कम कर रहे हैं। राजकीय उपक्रम के नाम से इस राजस्थान को कहां ले जाना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे पास कुछ ही धन दौलत है राजस्थान में, वह है खनिज। मैं पूछना चाहता हूं, खनिज के बारे में कोई कुछ बताया है आपने कि इस खनिज से राजस्थान का क्या भविष्य बन सकता है। क्या राजस्थान कोई कंगाल राज्य है ? राजस्थान में आज भी ऐसे खनिज हैं जो हिन्दुस्तान में किसी के पास नहीं हैं। यह मोनोपोली खनिज हैं हमारे पास लेकिन फिर भी हम कंगाल हैं क्योंकि हम इनका ठीक प्रकार से युटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक प्रकार से उपयोग नही कर पा रहे हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, पता नहीं किस कारण से खनिज में उत्पादन और उनमें लगने वाले लोगों का प्रतिशत ठीक प्रकार से बढ़ा नहीं पा रहे हैं। वास्तव में जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं जिनको हम डवलप करें तो निश्चित रूप से हमारी इस जनसंख्या का उपयोग हो सकता है, हमारे यहां के लोगों की माली हालत सुधर सकती है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से 81 में हमने 127.57 करोड़ की आमदनी की थी और 82–83 में हमने 133.81 करोड़ की आमदनी की है अर्थात् हमारी आमदनी बढ़ी है केवल 6 करोड़ रुपया। जब हम कहते हैं कि हमारे यहां आगूचा की खोज हो गई, यह हो गया, वह हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे यहां मारबल के नये जोन निकल गये, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, यहां इतना बड़ा भण्डार मिल गया, उसके बाद भी हमारी जो आमदनी है इसमें एक वर्ष में इतनी कम वृद्धि क्यों हुई ?

सभापति महोदय, यही नहीं, हमारे यहां····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस पर काम पर लगने वाले लोग हैं, 1 लाख 36 हजार इस पर काम पर लगे हुए थे 81–82 में और 82–83 में एम्प्लायमेंट कितना बढ़ाया, 1 लाख 44 हजार लोगों का। न हम एम्प्लायमेंट बढ़ा सकते हैं, न हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

शिक्षा की दृष्टि से तो फिर जब डिमाण्ड आयेगी तब कहूंगा क्योंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिये मैं यहीं खतम करता हूं। कहने को कहा गया, तीन हजार नये पद सृजित किये हैं। इससे पहले वाले भाषण में भी आपने कहा। इसके पहले वाले राज्यपाल के अभिभाषण में भी कहा, तीन हजार नये अध्यापकों के पद

(श्री गुलावचंद कटारिया)

सृजित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन माननीय सदस्यों से कि तीन हजार नये पदों के सृजित होने के बाद आपके स्कूल में अध्यापक पहुंच गये क्या ? क्या वहां अध्यापक हैं ? यह पैसा लैप्स हो जाता है, पद सृजित हो जाते हैं, हम अध्यापक भेज नहीं पाते। दूसरी तरफ अध्यापक ट्रेनिंग लेकर सड़कों पर घूमता फिरता है। पद सृजित हो गये। हमने सोचा, हम एक हजार स्कूल खोलेंगे, वहुत अच्छी वात है आप अपनी शिक्षा को वढ़ाइये। आपकी इस वात के लिये तारीफ करूंगा लेकिन एक हजार स्कूल प्राइमरी स्कूल वढ़ाने के लिये खर्चा कहां रखा है। केवल एक ही अध्यापक तो देना पड़ रहा है लेकिन वाहवाही के लिये ऐसे कह रहे हैं जैसे वहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

कृषि की दृष्टि से भी हमारी यही स्थिति है। मैं वताना चाहता हूं, यह कहते हैं कि हम वास्तव में किसानों के हिमायती हैं किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आप इन बड़े पूंजीपतियों के गुलाम बनते जा रहे हो...

(व्यवधान)

...मैंने बहुत कठोर शब्द कह दिया है न, क्षमा चाहता हूं लेकिन ये आंकड़े इस वात को साबित करते हैं कि आप रक्षा किसकी करते हो। आप रक्षा करते हो वड़े उद्योगपतियों की। आपका जो 82-83 का आय-व्ययक का अध्ययन किया है, विद्युत् के वारे में गौर करके देखिये, 80-81 में 44.20 प्रतिशत। जितना हमारी विजली का उपभोग है उसका 44.20 प्रतिशत उपभोग कर रहे हैं उद्योगपति। इसके बाद 81-82 में आपने इनका प्रतिशत वढ़ाया है, 44.63 जो पहले हमारा था 44 परसेंन्ट अर्थात् हमने विद्युत् दी है किसको उद्योगपतियों को अधिक दी है। इस कारण 44.63 प्रतिशत जो उपयोग हुई है विद्युत् वह उनमें हुई है। आप कृषि को देखिये, 80-81 में कृषि में देखिये, 34.31 प्रतिशत विजली का उपभोग कर रहे थे हम कृषि और सिंचाई में और 81-82 में कितना किया, सुनकर आपको ताज्जुब होगा 32.77। एग्रीकल्चर में विजली की खपत हमने घटाई है और उद्योगों को हमने अधिक सप्लाई दी है। यह इस वात को सिद्ध करता है कि हमारे मन में कहीं सोचने के दृष्टिकोण में फर्क है। जब कि एक ओर फायदा दे रहे हैं उनको जिनके पास जनरेटर हैं, स्वयं बिजली पैदा करेंगे उनको छूट देकर। हमारे किसान भाइयों को हम पर्याप्त विजली नहीं दे पाते हैं। कई बार उनके मीटर जल जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी आप उससे मिनिमम चार्जेज वसूल करते हैं, उतनी बिजली उसको नहीं मिलती फिर भी आप उसको तुरन्त वसूल करते हैं। अगर नहीं देता है तो दो महीने में कनेक्शन काट कर आदमी चला आता है। मैं पूछता हूं, जितने भी वड़े उद्योगपति हैं, आज उनके पास कम से कम, मेरा अनुमान ऐसा है, 50 करोड़ रुपये से अधिक हमारा विद्युत् कर बाकी है। उसको वसूल करने के लिये, वित्त मंत्री जी, आपने कोई प्रयत्न किया कि कितना पैसा इन लोगों पर बकाया है इसको हम प्राप्त करेंगे। कृषि में.....

श्री समापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक हमारा पेयजल है। पेयजल के बारे में तो बड़ा आश्चर्यजनक हमारे राज्यपाल भाषण में कहलाया गया है। या तो मेरे समझने में कोई गलती रही है या आपके समझने में थोड़ी गलती रही है, इसको थोड़ा सा देख लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 45 मिनट हो गये आपको।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : एक घंटा हो गया !

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : 20 मिनट हुए हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कुर्सी का आदेश मानिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पेयजल के बारे में इसमें लिखा है राज्यपाल के अभिभाषण में, "पेयजल की व्यवस्था करना राज्य की अहम जिम्मेदारी है।" अप्रेल, 80 में राज्य में केवल 19,800 गांव समस्याग्रस्त हैं, इसका मतलब 33 हजार गांवों में से केवल 19,800 गांवों में काम करना बाकी था। इसका मतलब लगभग 40 प्रतिशत गांवों में आपने पेयजल उपलब्ध करा दिया पेयजल की व्यवस्था कर दी। वर्ष 80–81 एवं 1981–82 में 6,200 समस्याग्रस्त गांव में पेयजल का कम से कम एक साधन उपलब्ध करा दिया गया है, चालू वर्ष में 3,200 गांवों में। इसके बाद आप लिख रहे हैं, मुझे यह भी कहते हुए खुशी है कि सिर्फ 3 साल की अवधि में हमने लगभग 47 प्रतिशत गांवों में इस समस्या को हल कर दिया। 47 प्रतिशत तो आपने केवल इस स्वर्णिम काल में कर लिया और 40 प्रतिशत आप बता रहे हैं कि 80 के पहले हम कर चुके हैं। इसका मतलब समस्याग्रस्त गांव अब नहीं रहे। और दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि 16,000 इतने गांव समस्याग्रस्त हैं जिनको हम मार्च, 84 तक पूरा कर लेंगे। फिर यह समझ में नहीं आता कि आंकड़ों का मायाजाल नहीं तो और क्या है। या तो इसके समझने में और करने में कहीं हमसे गलती हो गयी, मैं ऐसा मानता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह पेयजल की समस्या है, वह वास्तव में समस्या हल नहीं हो सकेगी। कारण यह है कि जिस ढंग से इनका सोचने का दृष्टिकोण है। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में कुछ ही ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें पर्यटन भी एक है। अगर हम पर्यटन को राजस्थान के विकास के लिये पर्याप्त पैसा दें तो हमारे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होगी .....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप संक्षेप में बोल लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

पर्यटन की दृष्टि से हमारे यहां पर्याप्त स्कोप है लेकिन जब कि हम आंकड़े दे रहे हैं कि हमारे यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 80 में हमने

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

बताया, 2 लाख 8 हजार आये, उसके बाद 2 लाख 20 हजार आये और अब 2 लाख 45 हजार आये हैं। इसी तरह से भारतवर्ष के भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने खर्चा क्या किया इसमें ? खर्चा किया हमने 82–83 में पर्यटन पर 44.22 लाख और 83–84 में हम करने जा रहे हैं 66 लाख रुपया। केवल 44 लाख खर्च किया, वह भी किसमें ? हम भवन बनायेंगे, लक्ष्मी विलास में 14 कमरे और खड़े करेंगे। क्या वास्तव में पर्यटन का अर्थ लक्ष्मी विलास में या सर्किट हाउस में कमरे बनाना या उसमें पैसा व्यय करना ही है। या पर्यटन के स्थानों का विकास करना ......

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिसके कारण से लोग पर्यटन की दृष्टि से यहां आकर्षित हों...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, समाप्त कर रहे हैं। 15 मिनट हुए हैं, दो मिनट और दे रही हूं। कृपया कन्क्लूड करिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बिलकुल जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि ....

(व्यवधान)

मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अंतिम। राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, वित्त मंत्री जी, जब आप वाद-विवाद का जवाब दें तब 416 करोड़ रुपये का जो खर्च बता रहे हैं उसके बारे में आप बताना कि इसका ग्रामीण क्षेत्रों में हमने कितना व्यय किया। 40 प्रतिशत है कि 25 प्रतिशत है, क्या है ?

पेयजल के बारे में आपने कहा कि केवल 21 करोड़ में से 11 करोड़ तो आप शहरों में खर्च करेंगे, जहां 20 प्रतिशत पापुलेशन रहती है और जहां 80 प्रतिशत पापुलेशन रहती है, उस पापुलेशन के पीने के पानी के लिये आपने अपने बजट में 10 करोड़ की व्यवस्था की है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि यह ग्रामीणों का विरोधी है, उन बेरोजगार नवयुवकों के विरोध में है, यह इस प्रदेश के विकास के लिये नहीं, मैं इसलिये कहता हूं कि यह प्रदेश को 17वें स्थान पर, 11वें स्थान पर है, ले जाने के लिये आप प्रयत्न करें। आपका इंतजार दूसरे स्टेट नहीं करेंगे कि आप कितनी धीमी गति से चल रहे हैं, कछुए की चाल से, वैसा बाकी स्टेट भी आपकी तरह से चलेंगे, ऐसा नहीं है। मैं यही बात कह कर बात कहता हूं कि टैक्स लगे, अगर बड़े व्यक्ति पर लगता है तो हमें कोई अफसोस नहीं। सामान्य व्यक्ति पर उसका वजन नहीं पड़ना चाहिये। आखिर उनके पास से निकलेगा तभी तो हम समानता ला सकेंगे। इसलिये मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री आत्मा राम !

श्री नाथूसिंह : ऑन ए पाइण्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री सभापति : आपका क्या पाइण्ट आफ आर्डर है ?

(व्यवधान)

पाइंट ऑफ ऑर्डर है, कृपया आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, आज प्रातःकाल हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था, आज जयपुर बन्द है। जुलूस आ रहा था, उस पर लाठी चार्ज हुआ था दोपहर, उस संबंध में यह आश्वासन दिया गया था सदन में कि आज ही इस पर वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : यह नहीं था।

श्री नाथूसिंह : यही था कि आज ही दिया जायेगा। कब दिया जायेगा वह?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह) : आश्वासन यह था कि जानकारी मांगी जा रही है। आज ही जानकारी मंगाकर अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत कर दी जावेगी। फिर जैसा वह आदेश देंगे, वैसा ही करेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि जयपुर दूर नहीं है"

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया समय न लें।

श्री नाथूसिंह : अजमेरी गेट से सूचना आनी है, जुलूस बाहर आया हुआ है....

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : हां बिलकुल, लाठी-चार्ज हुआ है। उसका मामला है। सारा राजस्थान उद्वेलित है इस संबंध में। सरकार बोलना नहीं चाहती......

श्री अमरा राम : पॉइंट आॅफ आर्डर पर भाषण दे रहे हैं।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। श्री आत्मा राम !

***श्री आत्मा राम** (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस सदन में 1983-84 का बजट पेश किया है उसमें कोई करारोपण नहीं करते हुए प्रगतिशीलता को कायम करना चाहते हैं, उसके लिये मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ पैरा 3 में बताया है कि 82-83 में अकाल की तीव्रता होते हुए भी थोक मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। थोक मूल्यों से मुख्य मंत्री जी का क्या मतलब है, यह मैं नहीं समझता हूं। यह निश्चित रूप से है कि कृषि की पैदावार में शायद इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई हो परन्तु जो दूसरी घरेलू काम में आने वाली टूथ पेस्ट जैसी छोटी-मोटी चीजें हैं और कपड़ा है उनके थोक मूल्यों में निश्चित तौर पर 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जब कि सैंटर में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे नरमें का पहले भाव 200 कुछ था अब वह 380 कर दिया गया है, इसी तरह से चने का पहले 180 रुपये था अब 230 रुपये है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भावों को स्थिर रखना कोई अच्छी बात नहीं है। सामंजस्य होना चाहिए। जो कहा है वह तो आप ही जानें पर सामंजस्य रखने के लिय क्या कर रहे हैं इसको विस्तृत रूप से बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसी के साथ-साथ जैसा इन्होंने कहा है कि नरमें के भाव गवर्नमेंट ने 380 रुपये रखे हैं किन्तु वह आज भी 380 से नीचे बिक रहा है। किन्तु कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको गवर्नमेंट खरीदे या 380 के नीचे

(श्री आत्माराम)

भाव नहीं जाने दे जब तक कि नरमे का सीजन है। इसी तरह चने के भाव करीब 200 रुपये हैं जब कि गवर्नमेंट ने खरीद का न्यूनतम मूल्य 235 रुपये रखा है। इसके लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। इसके लिये कोई उन्हें मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। इसके लिये मैं समझता हूं कि जल्दी ही उन्हें इस तरह की कोई कार्यवाही करनी चाहिये। जैसे नरमे का है, चने का मूल्य है, वह कम है जो गवर्नमेंट रेट है उससे कम नहीं दिया जाय।

दूसरा हम यह देखते हैं कि हमार पड़ोस के जो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा वहां जो कणक की आमद होती है, उस रेट पर पता नहीं किस वजह से राजस्थान में नहीं खरीद सकते। इसलिये हमारे यहां के लोग हरियाणा में जाकर बेच कर आते हैं। जब हम यह कहते हैं तो यहां के अधिकारी यह कहते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। पता नहीं हरियाणा और पंजाब में किस तरह से खरीदते हैं, क्या व्यवस्था है और हमारे यहां क्यों नहीं खरीद सकते? वही कणक हमारे यहां पर कम रेट पर लेते हैं जब कि हरियाणा और पंजाब में देकर आते हैं तो वहां आराम से ले लेते हैं। इससे हमारे यहां टैक्स और उसके साथ-साथ मजदूरी जो छोटे-मोटे आदमियों की हो सकती है वह मारी जाती है। इसी कारण हमारा जितना विकास होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। लोगों में, किसानों में, यह भावना पैदा हो रही है कि राजस्थान के लोग, राजस्थान की सरकार किसानों के प्रति उदासीन हैं। इसी तरह से डीजल का भाव है, वह भी पंजाब में और हरियाणा में हमारे से कम है। इसी तरह से खाद का भाव है, जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले ही रिक्वेस्ट की, खाद के अन्दर सब्सिडी दूसरी जगह देते हैं। टैक्स भी काफी कम लगता है। पर हमारे यहां जो कोटा के अन्दर खाद बनती है वह खाद पंजाब के अन्दर दस रुपये कट्टा सस्ती है और हमारे यहां दस रुपये महंगी है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। दूसरा जो......

श्री महाराम चौधरी : इनको किसानों से क्या लेना देना।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री आत्माराम : सिंचाई के लिये मेरा निवेदन यह है कि सिंचाई के लिये कुछ छोटे काश्तकारों को इन्होंने, मेरे खयाल से, ट्यूबवैल या विद्युत् कनेक्शन देने की बात कही है और पिछले साल कुछ दिये भी हैं। पर मैं समझता हूं कि जो मध्यम श्रेणी के हैं या जिनको बड़ा काश्तकार मानते हैं, मेरे खयाल से उनके लिये कोई स्कीम ही नहीं है। पांच-सात साल से ऐसे ही चल रहा है। यह किस तरह से प्रगति की बात करते हैं और किसानों के हित की बात करते हैं। आपको किसानों के लिये कुछ रिजर्वेशन करना चाहिये या किसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिये। जो बिल्कुल छोटे किसान हैं उनको आप सुविधा दें, इसमें कोई दो राय नहीं है परन्तु जो काश्तकार मध्यम दर्जे के हैं या बड़े काश्तकार हैं उनको भी सिंचाई सुविधाएं पहुंचनी चाहियें।

(श्री आत्माराम)

दूसरी यहां राजस्थान कैनाल की बात कर रहे हैं। राजस्थान कैनाल का सैकण्ड फेज काफी तैयार हो गया है। उसके बावजूद पानी होते हुए भी पता नहीं क्यों इरिगेशन का लोगों को लाभ नहीं दे रहे हैं। यह देखने वाली बात है।

दूसरी बात यह है कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट आज से काफी अर्से पहले लागू की थी। मोतीराम कमेटी का मतलब यह है कि भाखरा के अन्दर, गंग कैनाल के अन्दर और राजस्थान कैनाल के अन्दर, सिंचाई की सघनता एक जैसी नहीं है। भाखरा के अन्दर कुछ है, कम क्यूसैक है, उसके बाद दूसरा नम्बर गंग कैनाल का है और तीसरा नम्बर राजस्थान कैनाल का है। तो तीनों में सिंचाई की सघनता बराबर होनी चाहिये। इसका न तो आज ध्यान रखा है और न पहले ध्यान रखा गया है। बड़ी उपयोगी और अच्छी यह स्कीम हैं किन्तु इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह से हमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। किसानों को हो रहा है और उसके साथ-साथ टैक्स का नुकसान हो रहा है। साथ ही जो रोजगार मुहय्या हो सकता है, उसका भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी बातें सिंचाई के संबंध में देखने वाली हैं।

इसके साथ-साथ कृषि संबंधी जो कृषि विभाग है। मेरे ख्याल से कोई प्लाण्ड स्कीम नहीं थी और कृषि विभाग खोल दिया गया। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसमें ओरिजनल चेन्ज की जरूरत है। कृषि का जो विभाग है मेरे खयाल से किसानों से संबंध की उसमें कोई बात नहीं है। ग्राम लेवल से लेकर जिला लेवल तक और जिला लेवल से लेकर प्रान्त लेवल तक जितने भी अधिकारी हैं, मेरे ख्याल से किसानों से कोई संबंध नहीं रखते। किसानों से संबंधित जो विभाग हैं उनसे भी उनका कोई संबंध नहीं है। जैसे सिंचाई का है तो सिंचाई विभाग का अगर कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा उस समय तक सिंचाई का, कृषि का कोई मतलब नहीं रह जायगा। सिंचाई का सबसे ज्यादा बजट है, इस पर बजट का काफी बड़ा भाग लगता है, काफी लम्बा चौड़ा स्टाफ है परन्तु प्लानिंग नहीं होता। आप जायेंगे तो देखेंगे, छोटे से छोटा फील्ड में जो ग्रामसेवक है, उसको कोई काम नहीं है। वैसे तो अगर आप उठाकर देखें, तो काफी कार्य रखा हुआ है। उसके पास बहुत सा काम है परन्तु वैसे जाकर देखें तो कोई काम नहीं है। वह सिर्फ किसानों को एडवाइज करता है जब कि उसको खुद ही पता नहीं है कि क्या एडवाइज करनी है। इसलिये उसकी कोई वेल्यू हो किसानों में, वैसी भी कोई बात नहीं है। इसी तरह से दूसरे जो फील्ड ऑफिसर हैं, डी. ओज. हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर हैं या बी. डी. ओज. हैं, जब उसके पास काम नहीं है तो दूसरे के पास क्या काम होगा। अगर है तो आप बतायें कि सिवायं एडवाइज करने के वह क्या काम करता है, क्या सहयोग देता है? वह एडवाइज भी आप जानते ही हो कैसी करता होगा। इस तरह से सारी स्कीम में कोई प्लानिंग नहीं होने की वजह से जितना पैसा लग रहा है, जो जीपें हैं और पैट्रोल लग रहा है सब जाया जा रहा है, इसके बारे में सोचने वाली बात है।

इसी के साथ-साथ कृषि से सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति है। कृषि

(श्री आत्माराम)

उपज मंडी समिति का जहां तक सवाल है, मैं यह समझता हूं कि उनका पंजाब के पेटर्न पर कानून बना है जो कि आजादी के पहले पंजाब के अन्दर लागू था। मतलब यह है कि आज से तीस साल पहले जो कानून पंजाब में लागू था जो बिल्कुल फिजूल हो गया है, उसको अब अपने यहां लागू किया है दस साल से, पांच साल से, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं क्योंकि ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं, कृषि उपज के ऊपर एक प्रतिशत कृषि उपज मंडी समिति कर लगाती है। अब कहने को तो हम यह कहते हैं कि यह जो कर है यह सीधा किसानों से नहीं लेकर व्यापारी वर्ग से लेते हैं। पर वहां जाकर पता लगेगा, मण्डी के अन्दर आपको पता लगेगा कि दो तरह के भाव वहां चलते हैं। एक तो ढेरियों के भाव और एक अन्दर के भाव। अन्दर के भाव और ढेरियों के भावों में तीस रुपयों का फर्क रहता है। उसमें सब तरह के खर्चे लग जाते हैं। कृषि उपज मंडी समिति का खर्चा, जो कहीं भी लगे, प्रोड्यूसर पर लगता है। मैं यह समझता हूं कि आपको भी यह ज्ञान होगा, अगर आप समझेंगे तो हैरान रह जायेंगे कि किसान अस्सी पर्सेंट पैसा देता है, इन्कम देता है उस अस्सी पर्सेंट देने वाले पर विकास के लिये टैक्स लगता है। यह टैक्स ऐसा है जो कि प्रतिक्रियावादी है, असामाजिक है, समाजवाद के विरुद्ध है और हमारे सिद्धान्तों के विरुद्ध है। एक छोटे से छोटा किसान दो मण भी अनाज लेकर आता है तो उस पर टैक्स लगती है। जब कि प्रिंसिपल यह है कि बड़े पर, जो ज्यादा लेने वाले हैं उन पर टैक्स भले ही लगे पर छोटों पर नहीं लगना चाहिये। यह कृषि उपज मंडी समिति छोटे से छोटे काश्तकार पर टैक्स लगाती है, उसका उपयोग क्या है? जब बेरहमी से कोई पैसा आता है तो होता क्या है, कृषि उपज मंडी समिति को खूब आमद होती है तो वह क्या करती है, जीपें भी चल रही हैं, उनकी दो-दो सवारियां भी चल रही हैं, बेशुमार स्टाफ है। मतलब यह है कहने का कि जब आमद ज्यादा हो तो खर्चा स्वत: ही ज्यादा कर देते हैं। उसके बाद सिवाय सड़क बनाने के कोई ऊपर से प्लानिंग नहीं हो रहा है या इस तरह का कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है कि वह रुपया कहां लगायें। दूसरे उस पैसे से कुछ जगह मेरे खयाल से रेस्ट हाउस जमींदारों के लिये बनाये। वह मेरे ख्याल से रेस्ट हाउस के आदी नहीं होने की वजह से रेस्ट हाउस को यूज नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि सिवाय सड़कें बनाने के और कोई काम में कृषि उपज मंडी समिति का पैसा काम में नहीं आता और इसलिये......

(4.51 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

और सड़कें भी हम क्यों बनायें? जो अस्सी पर्सेंट आज रेवेन्यू देने वाले लोग हैं, अस्सी पर्सेंट रेवेन्यू जो किसान देता है उस किसान का उसके अपने पैसों से विकास न हो, यह कहां तक उचित है? उसका हिसाब हमारे बजट में से होना चाहिये और बजट के हिसाब से पैसा लगना चाहिये। यह क्या तमाशा है कि हमारा अपना विकास इन्कम देते हुए भी न हो। अस्सी प्रतिशत इन्कम हम देते हैं लेकिन 20 प्रतिशत हम पर लगता है। जब हमारे

(श्री आत्माराम)

अपने विकास की बात आती है, हमें गरीब से गरीब आदमी पर टैक्स लगाकर अपना विकास करना पड़े तो मैं समझता हूं यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है, किसी के लिये अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है।

बीज निगम भी इससे संबंधित है। बीज निगम का जहां तक संबंध है, यह सब जानते होंगे, या तो उसके पास अच्छा बीज होता ही नहीं और अच्छा बीज होता है तो वह टाइम पर देता नहीं। टाइम पर भी दे तो इनकी रेट इस तरह की होती है जो कोई भी किसान दे नहीं सकता। कम्पेरेटिव रेट दुगने-तिगुने होते हैं। सब्सिडी देने के बाद हम देखते हैं कि जो कपास का बिनौला है, गेहूं है या दूसरी तीसरी कोई चीज है, उनकी रेट मार्केट रेट से दुगुनी, ड्योढ़ी और तिगुनी होती है, इसके बावजूद भी उनको सब्सिडी नहीं दी जाती है। इस तरह की अव्यवस्था है। यह अव्यवस्था तब है जब हमने अलग अलग निगम बना रखे हैं। निगम बना कर खुश होते हैं कि हमने इण्डिपेण्डेंट बॉडी बना दी, यह खूब चलेगी और बड़ा अच्छा काम करेगी किन्तु इस वक्त यह हालत है। कहने का मतलब यह है कि कृषि उपज में......

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय तो ज्यादा ठीक रहेगा। तीन बजे तो डिबेट शुरू हुई है। बजट पर सब मैम्बर बोल नहीं पायेंगे, इसलिये यदि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक समय बढ़ा दिया जाय......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज तो पहला ही दिन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहला दिन है इसलिये पहले दिन से ही शुरू करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कल से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल से नहीं, मैम्बर बोल नहीं पायेंगे। बढ़ाने दो, भाई, टाइम, इसमें दिक्कत क्या है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पांच रोज तक जनरल डिस्कशन होगा। मैं समझता हूं कि समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष हमेशा कहता है हम लोग मानते हैं। समय बढ़ाने का हमने कभी विरोध किया नहीं। कृपापूर्वक मेरी बात सुन लें।

निवेदन करना यह है कि बजट के ऊपर आठ तारीख तक बहस होगी। आठ तारीख को सरकारी पक्ष बोलेगा। अब कॉल अटेंशन नोटिस यहां कुछ आते हैं, कई बार गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आते हैं इस कारण बजट पर सामान्य वाद-विवाद के लिये जितना समय निर्धारित किया हुआ है, उसमें कमी हो जाती है। इसलिये एक-एक घंटा यदि बढ़ा दिया जाय तो आपत्ति नहीं होगी, मैम्बर ज्यादा बोलेंगे, हमारा नम्बर कम आयेगा, सरकारी पक्ष के ही ज्यादा बोलेंगे। अब आपको यह डर लगता हो कि सरकारी पक्ष के लोग नहीं बोलेंगे तो बात दूसरी है। इसलिये एक घंटे का समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से आधा घंटे के लिये समय बढ़ाया जाता है ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री आत्मा राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि कृषि और ग्रामीण लोगों की बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है । कानून और योजनाएं उन लोगों से बनवायी जा रही है या वह लोग बना रहे हैं या दुर्भाग्य से वह आगे आ जाते हैं जिनको इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है । जैसा मैंने आपको बताया, कृषि उपज मंडी समिति का उस किसान को फायदा होना चाहिये, जिसके फायदे का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है । जब कि, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी कोई ऐसा उदाहरण बता दो, एक भी ऐसा इन्सटान्स बता दो, जिसमें किसान के फायदे के लिये आज तक कोई भी काम किया हो । कृषि उपज मंडी का काम यह है, वह यह देखे कि किसानों की उपज का तोल पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको पेमेंट बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका जो अर्थ है उसकी नाजायज वसूली तो नहीं हो रही है । मैं समझता हूं, यह सब बातें हो रही हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब हमारे यहां की तीन-चार मंडियों को ही नहीं पकड़ा गया तो दूसरी जगह पर किसे पकड़ा गया होगा । कोई नहीं पकड़ा गया होगा । तंग करने की बातें, मेरे ख्याल से, हर एक समिति में होंगी, एक ही नहीं सैंकड़ों की तादाद में होंगी कि किस तरह किसानों को, व्यापारियों को कृषि उपज मंडी वाले तंग करते हैं । बात तो करते हैं बिचौलियों को खतम करने की लेकिन इस तरह यह बिचौलिये गवर्नमेंट ने पैदा कर दिये हैं जो किसान को तंग करते हैं, व्यापारी को तंग करते हैं । यह किस कारण हो रहा है इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊं । पहले मैं भी एक दफा अध्यक्ष था । क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारी के पद सृजन की बात थी तो हमने कहा था कि क्वालिटी कंट्रोल से फायदा क्या है ? क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारी से फायदा क्या है ? उन्होंने कहा, साहब यह आपको यह बतायेगा कि इसकी क्वालिटी ऐसी है, इसकी क्वालिटी ऐसी है, उसकी ऐसी है, उसके आधार पर किसान को यह पता चल जायेगा कि उसका माल किस कीमत का है । मैंने कहा, यह ठीक है, लेकिन क्वालिटी बताने के बाद क्या जरूरी हो जाता है कि उसकी कीमत ज्यादा—कमन हीं लगेगी, क्वालिटी के हिसाब से लगेगी । यह कोई जरूरी नहीं है । इसलिये इस क्वालिटी कन्ट्रोल अधिकारी के पद सृजन से फायदा क्या है ? कहने का मतलब यह है कि इस तरह के गैर मतलब के पद सृजित किये जाते हैं और बगैर मतलब के खर्चा लगता है । वह सब हटाने चाहिये । इनकी कोई उपयोगिता नहीं है । यह एक बड़ा बिचौलिया पैदा कर दिया गवर्नमेंट ने जो दोनों तरफ के लोगों को तंग करता है । मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन कामों के लिये कृषि उपज मंडी समिति बनी है, उनमें से एक काम के लिये भी कोई बता दे कि हमने इतने सालों में किसानों के फायदे के लिये यह किया । नहीं बता सकेंगे । जब हम बात करते हैं तो यहां के अधिकारी लोग, मिनिस्टर लोग और दूसरे लोग यह कहते हैं कि हम उपज की और आमदनी की बात करेंगे । यह कृषि उपज मंडी की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन जहां आमदनी बढ़ानी चाहिये वहां तो यह बढ़ाने की

(श्री आत्माराम)

बात नहीं करते । दूसरी बातें हैं, इण्डस्ट्री है, जहां इनको आमदनी बढ़ानी चाहिये वहां आमदनी बढ़ाने की बात नहीं करते । किसानों के फायदे के लिये कृषि उपज मंडी समिति बनायी है, लेकिन किसानों के फायदे की कोई बात नहीं करते, यह तो आमदनी की बात करते हैं । इनको पता नहीं है क्या कि कुए में भांग पड़ गयी है । जहां आमदनी की बात करनी चाहिये वहां आमदनी की बात नहीं करते । जहां किसानों के हित की बात, दूसरे कंज्यूमर के हित की बात करनी चाहिये वहां उनके हितों की बात नहीं करते ।

इसके साथ-साथ शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है, शिक्षा का एक ढर्रा चल रहा है । यह फर्मा भी रहे हैं, अच्छी शिक्षा की बात । मैं समझता हूं, अच्छी शिक्षा कुछ जगह कुछ सामान फेंक देने से नहीं हो जायेगी । शिक्षा का स्तर सुधारने और छात्रों में डिसिप्लीन लाने की जरूरत है । उसकी ओर ध्यान नहीं देकर हम सिर्फ कुछ जगह ड्रेस वेस खरीद करके अच्छी शिक्षा देना चाहें तो मेरे ख्याल से अच्छी शिक्षा होने वाली नहीं है । स्कूलों में अभी मेरे ख्याल से पोस्ट्स खाली पड़ी हैं । तीन हजार पद सृजन की बात है । जितना कुछ हो गया वह भी अच्छा है । अभी पोलीटेक्निक संस्था खोलने की बात चली । यह ठीक है कि कुछ जगह खोल दिया गया या खोल रहे हैं, यह अच्छी बात है लेकिन इसमें भी कुछ सिद्धांत कुछ प्रिंसिपल होना चाहिये । होता क्या है जिसके पास लाठी है उसकी भैंस चरती है । सिद्धांत नहीं होने की वजह से यह होता है कि भीलवाड़ा वाले राज में आ गये तो भीलवाड़ा में स्कूल खोल देंगे, भरतपुर वाले राज में आ गये तो वहां खोल देंगे, चित्तौड़गढ़ वाले राज में आ गये तो वहां खोल देंगे । इसके लिये कोई प्रिंसिपल होना चाहिये । नयी इंस्टीट्यूशन खुले, नयी कोई संस्था खुले, उसके लिये सिद्धांत होने चाहियें उन सिद्धांतों के आधार पर स्कूल खुलने चाहिए । एग्रीकल्चर कॉलेज की बात है, कहां हो इस पर कोई नहीं सोच रहा है । गंगानगर में एग्रीकल्चर कॉलेज की बड़ी जरूरत है लेकिन वहां पर नहीं खोल कर अपने-अपने हिसाब से बिना सिद्धान्तों के खोलते हैं तो यह चलने वाली बात नहीं है ।

पंचायती राज की जहां तक बात है, पंचायती राज के बीच में मेरे ख्याल से दस साल, सात साल, पांच साल चुनाव नहीं हुए । चुनाव रोक दिये गये थे । यह कहा, इसकी दुबारा स्टडी कर रहे हैं । इसमें जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उनकी स्टडी करके उन खामी और कमजोरियों को ठीक करने के बाद दुबारा चुनाव चालू किये जायेंगे । अब यह कहते हैं, नया पंचायती राज पुनर्स्थापित कर दिया, अच्छी बात है, सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है । पर इस ढांचे से पुराने वाला ढांचा हमने अनफिट करके छोड़ा था उसको अधकचरे रूप में फिर ला रहे हैं, उससे फायदा क्या हो जायगा ? पुराना ढांचा कुछ ठीक था । उस वक्त क्या था कि सब डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर पंचायत समिति में रहा करते थे । पंचायत समिति उन विभागों के काम-धन्धे भी करती थी । उस वक्त यह महसूस किया गया कि पंचायत समिति पूरा कंट्रोल नहीं कर रही है, डिपार्टमेंट पूरा साथ नहीं दे रहे हैं, जितना कुछ होना चाहिये, उस हिसाब से कोऑपरेशन,

(श्री आत्माराम)

सहयोग से काम नहीं हो रहा है । इसलिये कुछ चिन्ता हुई । उन्होंने यह कहा, इसको दुबारा देख कर फिर चालू करेंगे । अब जब दुबारा चालू कर रहे हैं उसको जो कुछ पुराना रूप था वह रूप नहीं देकर उसका आधा रूप दे रहे हैं और उसके बावजूद यह कहते हैं हमने पुनर्जीवित कर दिया ।

यह सारी बातें हैं जो मैं माननीय अध्यक्ष जी के मार्फत निवेदन करना चाहता था । मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा और प्रगतिशील बजट रखा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम !

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने कल 1983-84 का बजट प्रस्तुत किया है जिसको पढ़, सुन कर हमें ऐसा आभास हुआ कि ऐसा सुन्दर बजट बिना कोई टैक्स लगाये, आशा के अनुरूप पेश किया है । इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । दूसरे लोगों को उम्मीद थी, भय था कि राजस्थान पर बड़ा भारी ओवर ड्राफ्ट चल रहा है इस कारण इस वर्ष भी भारी टैक्स लगा कर ओवर ड्राफ्ट को संतुलित किया जायेगा । परन्तु हमारे वित्त मंत्री जी ने बिना कर का बजट पेश करके उदाहरण प्रस्तुत किया और जिस बुद्धिमता का परिचय दिया उसके लिये मैं उनकी बहुत बहुत सराहना करता हुआ अन्तरात्मा से धन्यवाद देना चाहता हूं ।

गत वर्ष भी हमारे वित्त मंत्री जी श्री चन्दनमल जी ने भी बजट पेश किया था वह बजट ऐसा था जो किसानों को आघात पहुंचाने वाला था । किसान आज पूरे देश के रीढ़ की हड्डी है, वह अनाज पैदा करता है और पूरे देश को पालता है, जो धान होता है वह देश के लिये मंडियों में लाकर बेचता है जिससे सारा देश पलता है परन्तु गत वर्ष बिजली फ्लेट रेट बढ़ा कर और मीटर रेट बढ़ाकर किसानों की अन्तरात्मा को झकझोर दिया । उनके आक्रोश का का सामना करने का अभी उनको अहसास नहीं हो रहा है, यह बाद में जाकर मालूम पड़ेगा कि किसानों को नाराज करने से क्या होता है । इस साल हमारे वयोवृद्ध, बहुत ही पुराने वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उनको मैं अध्यक्ष जी के द्वारा निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो उद्योग चलाते हैं, जिनमें मशीनें डीजल इंजनों से चलाते हैं उनकी बिजली रेट घटाई वह तो अच्छी बात है, उसमें हम को एतराज नहीं है । परन्तु जिन किसानों ने जो कुओं पर कनेक्शन ले रखे हैं और साथ में डीजल इंजन भी लगा रखे हैं जिनसे वे खेती करते हैं क्योंकि पूरी बिजली आप किसानों को देते नहीं, किसान डीजल और विद्युत् मोटर दोनों से शामिल खेती करते हैं, तो उनको भी अपकोछूट देनी चाहिये । आप जितनी बिजली देते हो, उतनी बिजली का ही बिल उनसे लेना चाहिये परन्तु किसानों से मिनिमम चार्ज वसूल किया जाता है बिजली मिलती है पांच घंटे और मिनिमम चार्ज का मार्च महीने में पूरा बिल वसूल किया जाता है । मीटर के हिसाब से बिल आता है 600 रुपये परन्तु मिनिमम चार्ज बनता है 1500 रुपये । तो मार्च में सौ तो वह और 900 का और बिल जोड़ कर दिया जाता है । इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हमारी सरकार को और हमारे वित्त मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों से जो मिनिमम

(श्री रतनाराम चौधरी)

चार्ज वसूल करते हो, इसी सत्र में घोषणा करके उस मिनिमम चार्ज को हटाकर किसानों को राहत दीजिये। मिनिमम चार्ज भविष्य में वसूल न हो, ऐसा कानून में संशोधन लाइये। जो किसान इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप से मिला कर खेती करते हैं उनको आप बिजली बिल और रेट में उसी तरह छूट दीजिये जिस तरह से उद्योग चलाने वाले लोगों को छूट दी है। क्यों एक आदमी को खुश करने के लिये छूट देते हो और किसानों, जो 80 प्रतिशत किसान हैं जिन पर आपकी पार्टी जीवित है, जिसने कन्धे से कन्धा मिला कर आपके पीछे किसान लोबी खड़ी है, को आप क्यों नहीं छूट दे रहे हो?

आपने जो एक हजार स्कूल खोलने का बजट में प्रावधान किया है यह बहुत ही सराहनीय और सुन्दर बात है। एक हजार स्कूल आप खोलेंगे तो आज 200 एम. एल. ए. हैं उनमें हर एक के क्षेत्र में 5–5 प्राइमरी स्कूल मिलने चाहिये। जैसा कि किसी भाई ने कहा कि जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनके हिसाब से स्कूल खोलने चाहिये, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। प्रत्येक एम. एल. ए. को प्राइमरी स्कूल बराबर दिये जाने चाहिये। एजूकेशन की जरूरत सबको है। किसको नहीं? जनता शासन में ऐसा होता था लेकिन हमारी पार्टी तो सबको समान दृष्टि से देखती है। मैं भी 1977 से 80 तक इस विधान सभा में विपक्ष में बैठा था। जनता पार्टी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री शर्मा जी थे उनको भी हमने कहा था कि हमारे क्षेत्र में स्कूल खोलें परन्तु उन्होंने हमारी राय के अनुसार एक भी स्कूल नहीं खोला था। उन्होंने कुछ भी किया जो किया वह भुगता। उन्होंने बदले की भावना से काम किया तो पांच साल के लिये जनता ने जिनको चुन कर भेजा था उनको तीन साल ही में सत्ता से हाथ धोना पड़ा। हमारी पार्टी बदले की भावना से काम नहीं करती है। आपको मालूम होगा 1977 से 80 तक लोग रेडियो सुनना पसन्द नहीं करते थे। क्योंकि रेडियो पर संजय गांधी, इंदिरा गांधी, शाह आयोग के सिवाय कोई न्यूज नहीं आती थी। इसीलिये आज हमारी पार्टी की सरकार आई। क्या आपने देखा कि आपके तत्कलीन मंत्री या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई आयोग बैठाया? अगर बैठाया हो तो बता दें? ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी कभी बदले की भावना से काम नहीं करती है और न ही करना चाहिये। मिडल स्कूल आपने बहुत अच्छी तादाद में खोलने का बजट में प्रावधान रखा है।

इसके अलावा उप स्वास्थ्य केन्द्र काफी संख्या में खोलने का इस बजट में प्रावधान किया है, उनके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु गांवों के किसान एक बात की मांग कर रहे हैं, वह है बिजली। बिजली कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे उनको जरूर देवें।

केवल आपकी घोषणा से काम नहीं चलने वाला है। बिजली का जब तक आप उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे, बिजली के लिये बजट नहीं रखेंगे तब तक किस तरह से किसानों को बिजली दे पायेंगे। मैंने ऐसा सुना है कि बिजली के लिये जो बजट आपने रखा था उसमें थोड़ी बहुत कटौती कर दी है। मेरा निवेदन है कि कटौती के बजाय आपको इसके लिये बजट बढ़ाना चाहिये। दूसरे किसी मद में बजट कम करना पड़े तो कम कर दें। स्कूल पांच के बजाय आप चार, तीन

(श्री रतनाराम चौधरी)

दीजिये, हम सब्र कर लेंगे परन्तु बिजली के लिये आपको पूरा का पूरा बजट देना होगा। किसान बिजली मांग रहा है। उसकी मांग को आप लोग भी अच्छी तरह से समझ गये होंगे। किसान किसी न किसी बहाने से आकर के आपसे बिजली की मांग करता रहा है और आप भी वायदे करते आये हैं। अब आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिये।

(व्यवधान)

मैं वित्त मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम विधायक हैं, आप आपस में मंत्री मंत्री बातों में लगे हुए हैं, हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। हम सच्चे किसान हैं। विधान सभा में बैठते हैं। जब गांव में जाते हैं तो हाथ से खेत को पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं। हम खेती करने वाले किसान हैं। इसलिये हमको मालूम है किसान को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बता दीजिये किसान को एक हैक्टेयर में उपज लेने के लिये कितना खर्च करना पड़ता है।

(व्यवधान)

मुझे मालूम है। किसान को एक हैक्टेयर भूमि में बुआई करने के लिये कम से कम एक हजार रुपये से लेकर तेरह सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और उसको एक हैक्टेयर में उपज कितनी मिलती है? सिर्फ 1500 रुपये की। बचा क्या? निल। किसान खुद की मेहनत उसमें नहीं जोड़ता है। फेमिन रिलीफ वर्क में मजदूर मजदूरी करते हैं उनको भी आप 7/- रुपया देते हैं। किसान का पूरा परिवार पांच वर्ष के बच्चे से लेकर 85 साल का बुड्ढ़ा सब खेत में काम करते हैं। उन सबका लेखा-जोखा रखा जाये तो किसान को कुछ नहीं बचता है किसान सदियों से खेती करता आया है, आज भी करता है परन्तु उसके घर का छप्पर पक्का नहीं है। अगर बचता तो वह भी पक्का मकान बनाता। किसान को कुछ नहीं बचता है। जो व्यापारी हैं उनके परिवार का एक आदमी कमाता है और 25 लोग खाते हैं फिर भी उनके पास बिल्डिंग्स हैं, बैठने के लिये गाड़ी है, उनका एयर कन्डीशन ऑफिस होता है, उनके पास सब कुछ है। अगर किसान की माली हालत ठीक करनी है, उसको उठाना है तो उसकी समस्या पर ध्यान देना होगा। अगर किसान की तरफ आपका ध्यान नहीं है तो किसान भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। किसान बराबर देखता रहता है, कौन क्या करता है। मैं हमारे वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत ही बुद्धिमान और सीनियर लीडर हैं इसलिये किसान पर जो मिनिमम चार्जेज लगाने की कालिख है उसको धो दीजिये, जो डीजल पम्प चलाता है उस को आप रियायत दीजिये, बाकी जिस तरह का आपने बजट रखा है वह सराहनीय है।

जालौर जिले की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जालौर जिला एक पिछड़ा जिला है। इस जिले में बहुत सी नदियां बारह मास बहने वाली हैं। उनका पानी गुजरात में फालतू बारह मास जा रहा है। मैं जब से इस विधान सभा में एक सदस्य बन कर आया हूं, उस समय से इस संबंध में मांग करता रहा हूं। विधान सभा में एम. एल. ए. की बात, सदस्य की बात, चाहे मेरी हो या और किसी

(श्री रतनाराम चौधरी)

की हो, बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिये। हम भाषण थोड़े ही देते हैं हम विधान सभा में बोल रहे हैं। हमारी बात पर गौर करना चाहिये। हम भी सरकार के अंग हैं इसलिये हमारी जो बात स्वीकार करने योग्य है वह स्वीकार कर लीजिये और नहीं करने लायक हो तो बता दीजिये ताकि हम जनता को गलत बात कह कर गुमराह न करें। जैतपुरा नदी व बांडी सेन्दड़ा बारह महीने बहने वाली नदी हैं। अगर इन दोनों नदियों का पानी रोक देते हैं तो कुओं का पानी का स्तर ऊपर आयेगा, बिजली की बचत होगी और इससे खेती का उत्पादन बढ़ेगा। खेती का उत्पादन बढ़ता है तो किसान खुशहाल बनेगा। इसलिये जहां जहां भी नदियां हैं, छोटे-मोटे नाले हैं उन पर इरिगेशन के बंधों का काम आप पहले लीजिये। दूसरा बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये सबसे ज्यादा इस बजट में प्रावधान कीजिये।

इस बजट को बहुत ही सुन्दरता से कोई टैक्स लगाये बिना आपने पेश किया है इसकी मैं तारीफ करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य !

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1983-84 का जो यह बजट पेश हुआ है, राजस्थान की जनता को बड़ी आशाएं थीं कि इस बजट से कुछ राहत मिलेगी लेकिन इस पिछड़े प्रदेश को इस बजट से एक प्रकार से निराशा हुई है। इस बजट की सर्वत्र यह कह कर चर्चा हुई है कि यह बजट यथास्थिति बनाये रखने वाला है। इस बजट से विकास की कोई गति नहीं बनती है और यह प्रतिगामी बजट है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है। अपने राजस्थान में कई प्रकार की समस्याएं हैं। आये दिन यहां पर अकाल पड़ता है। प्रांत में गरीबी और बेरोजगारी है, अशिक्षा है, । पेयजल की भारी समस्या है। प्रदेश में विद्युत् संकट है, महंगाई है और कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी है। राजस्थान की जनता को लग रहा था कि इन समस्याओं को हल करने का इस बजट में संकेत मिलेगा। लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया है उससे राजस्थान की जनता में बड़ी निराशा हुयी है। अध्यक्ष महोदय, 1983-84 की योजना के लिये 416.74 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 82-83 की तुलना में 22.57 प्रतिशत अधिक है यह बहुत कम बढ़ोतरी है। यह इस बात को दिखाता है कि जिस तरह के हालात अपने प्रांत में हैं उनके कारण इस बजट से कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में यह कहा गया है कि सिंचाई और विद्युत् पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। ये अपने बीस सूत्री कार्यक्रम का राग अलापते हैं, उससे राहत पहुंचाने के लिये अधिक बजट देने की चर्चा बराबर की है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई और विद्युत् के लिये 216.38 करोड़ की इन्होंने व्यवस्था की है जिसमें से विद्युत् पर 122.03 करोड़ है। उसमें से 56.88 करोड़ विद्युत् उत्पादन पर और 1.65 करोड़ रुपया ग्राम विद्युतीकरण पर खर्च होगा

(श्री हीरालाल आर्य)

ग्राम विद्युतीकरण पर जो कम खर्च करने की सरकार की नीयत है उससे ऐसा लगता है कि यह सरकार ग्रामों की उपेक्षा करना चाहती है। आज गांवों में बिजली आये, इस बात की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि इस बजट के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कम पैसा खर्च किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि सरकार कम विकास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 1982-83 में 17.36 करोड़ रुपया ग्रामीण विद्युतीकरण पर खर्च किया था जब कि इस वर्ष में केवल 16.65 करोड़ रुपया ही खर्च करने का प्रावधान है जो कि पिछले वर्ष की बनिस्पत कम है। इससे लगता है कि सरकार की ग्रामों में, बिजली पहुंचाने की नीयत नहीं है। सरकार ग्रामों को बिजली पहुंचाने की बात करती है और किसानों के कुओं को विद्युतीकृत करने की बात करती है पर इससे यह साफ पता लगता है कि सरकार की थोथी घोषणाओं में दम नहीं है। यह बात इस बजट को पढ़ने से पता लगती है।

प्रांत में बिजली की बड़ी कमी है। जो भी बिजली उपलब्ध हो रही है वह भी किसानों को समय पर नहीं मिलती है। इस बात से किसान बड़ा रुष्ट है सरकार से। बिजली की मांग जो है उसके अनुसार बिजली उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है। इसके लिये जनता ने, किसानों ने बार बार आन्दोलन किया है। कोटा ताप बिजली घर के लिये कहा गया कि वह जून, 83 में पूरा हो जायेगा और उससे बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा। लेकिन उसका जिस तरह से कार्य हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, उससे तो लगता है कि सरकार उस से ठीक समय पर बिजली उपलब्ध नहीं करा सकेगी। यह मेरी शंका है। जिस प्रकार से यहां पर कोयले का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो काम हो रहे हैं, लोहे और अन्य सामान को समय पर नहीं उठाने पर डेमरेज लगता है किन्तु उस सामान को समय पर विद्युत् मंडल उठाने में असमर्थ है, उससे ऐसा लगता है कि विद्युत् की कमी को सरकार समय रहते ठीक नहीं कर सकेगी और दूसरी जो योजनायें है उनको भी ठीक समय पर पूरा नहीं करा सकेगी।

सिंचाई पर 1983-84 में 91.70 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है जिसमें से 50 करोड़ रु. राजस्थान नहर पर तथा 5.88 करोड़ रुपये माही परियोजना पर खर्च करने का प्रावधान है। माही परियोजना पर वर्ष 1982-83 में 6.86 करोड़ रुपया खर्च किया गया था जब कि इस बजट में केवल 5.88 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े बता कर मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के विकास के लिये एकमात्र परियोजना यदि कोई है तो वह माही परियोजना है जिस पर कम पैसा खर्च किया जा रहा है। इससे लगता है कि सरकार आदिवासियों के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है। आदिवासियों के विकास और नीचे के लोगों को उन्नत करने की बात बराबर कही जाती है पर इस प्रकार के प्रावधान से सरकार का छिछलापन नजर आता है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना का रेगिस्तानी इलाके की सिंचाई करने और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इस पर जिस धीमी गति का काम चल रहा है

(श्री हीरालाल आर्य)

और धीमी गति से काम के साथ-साथ जिस तरह का भ्रष्टाचार राजस्थान नहर में हो रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारियों से निपटने का सरकार का दम नहीं है।

रामसिंह आयोग के बारे में इस सदन में पिछली बार घोषणा की गई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि उसमें दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से दोषी अधिकारियों को दंडित करने का प्रयास नहीं किया गया, उससे ऐसा लगता है कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं रखती है। इसके कारण पश्चिमी राजस्थान और रेगिस्तानी इलाके को यह योजना ठीक समय पर पानी और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो सकेगी।

पेयजल की राजस्थान में बड़ी दिक्कत है। पीने का पानी न मिलने का दंड तो शत्रु को भी नहीं दिया जा सकता है लेकिन आज जिस तरह से गांवों में पीने के पानी का अभाव है उससे ऐसा लगता है कि सरकार की इन गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने की इच्छा नहीं है। इस तरह की बात कही जाती है कि सरकार वहां पर पीने का पानी पहुंचाने के लिये बाध्य है लेकिन जिस तरह के आंकड़े दिये गये हैं कि पेयजल की समस्या को हल करने के लिये 21.60 करोड़ का खर्च होगा जबकि वर्ष 1982-83 में 28.89 करोड़ का खर्च किया गया था। इन आंकड़ों से लगता है कि सरकार पिछले साल के आंकड़ों से भी पीछे जा रही है और दूसरी ओर टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं करके प्रशस्ति ले रही है कि बड़ा अच्छा बजट है। इससे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी समस्या जो राजस्थान की है, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान की पीने के पानी की समस्या है उसको दूर करने में 36 साल के बाद भी यदि कोई सरकार असमर्थ रहती है तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती है।

कृषि एवं अन्य संबद्ध सेवाओं के लिये वर्ष 1983-84 में 69.82 करोड़ का खर्च करने के इस सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। जिसके मैं कुछ आंकड़े यहां पर रखना चाहता हूं। 25 लाख रु. का प्रावधान 1.68 लाख क्विंटल की उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों के लिये रखा गया है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जितना समय बढ़ाया था वह समाप्त हो रहा है।

श्री नन्द लाल मीणा : अभी एक मिनट बाकी है।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : भाषण संक्षेप में करें, माननीय सदस्य।

सदन का समय पांच मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

पांच मिनट के बाद भाषण स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। आपकी पार्टी ने प्रत्येक सदस्य के लिये 15 मिनट का समय दिया था आप उससे अधिक समय ले रहे हैं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हीरालाल आर्य : इन आंकड़ों से लगता है कि सरकार ने अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिये अच्छा बीज और खाद उपलब्ध करवाये लेकिन सरकार कृषि उत्पादन को अवरुद्ध करना चाहती है कम राशि अलॉट करके, उससे ऐसा लगता है। इसके साथ साथ जो खाद और बीज के वितरण में, संकर ज्वार और बीज को लाने में जिस तरह से घोटाले हुए उनकी जांच करने में सरकार अभी तक अक्षम रही है। इससे मुझे लगता है कि सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाना नहीं चाहती है।

परिवहन एवं संचार के लिये वर्ष 1983-84 में 19.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जब कि वर्ष 82-83 में 23.70 करोड़ का प्रावधान था। पैसा कम अलॉट करने से ऐसा लगता है कि परिवहन और संचार साधनों में यह सरकार कोई उन्नति नहीं करना चाहती।

शिक्षा के बारे में निवेदन है कि प्रांत में बड़ी अशिक्षा है। प्राइमरी एजूकेशन के विकास को तो इस बजट में चर्चा की है लेकिन आने वाले वर्ष में कोई नया माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोलने की जो इस सरकार की इच्छा है उससे लगता है कि इस सरकार का बड़ी शिक्षा की तरफ ध्यान देने का कोई विचार नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में और विश्वविद्यालय स्थापित हों जिसके लिये प्रांत के विद्यार्थियों ने बराबर आन्दोलन किया है। हमारे कोटा, बूंदी, झालावाड़ के छात्रों ने हाड़ौती विश्वविद्यालय खोलने की मांग हमेशा की है। वित्त मंत्री जी हमारे संभाग से आते हैं। बड़ा अच्छा होता, प्रांत में हाड़ौती विश्वविद्यालय खोलने की वह घोषणा करते तो शायद विद्यार्थियों को राहत मिलती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कहने को तो कृषि प्रधान देश है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अपने यहां पर कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय नहीं होने की वजह से केन्द्र से जो पैसा कृषि अनुसंधान के लिये आता है, वह खर्च नहीं हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : उदयपुर में है।

श्री हीरालाल आर्य : वह कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। यह अफसोस की बात है कि कृषि प्रधान प्रांत होते हुए भी राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय नहीं हो। एग्रीकल्चर कमीशन ने भी इस बात की रिकमण्डेशन की है कि प्रत्येक प्रांत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो। लेकिन हमारे यहां पर इस प्रकार की यूनिवर्सिटी नहीं है। बड़ा अच्छा होता यदि इस कृषि प्रधान प्रान्त में कृषि के अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिये कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की जाती।

समाज कल्याण और जन जाति क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में जितना पैसा अलॉट किया गया है उससे लगता है कि आदिवासियों और अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों का क्या भला हो पायेगा। जो भी जितना कम अलॉट किया है उसमें भी प्रावधान रखा है कि आदिवासियों के

Page No 150

(150)

(श्री हीरालाल आर्य)

60.01 करोड़ में से 100 किलोमीटर तो सड़कें बनेंगी और 600 आवासीय भवन बनेंगे। तो सड़क या भवन आदिवासियों के लिये नहीं बनेंगे वह तो कर्मचारियों के लिये बनेंगे। उन के रहने के लिये और उनकी सुविधाओं के लिये बनेंगे। इससे आदिवासियों का कोई फायदा होगा, इसमें मुझे शंका है। अच्छा होता यदि यह पैसा आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये सीधे-सीधे खर्च किया जाता, आदिवासियों की शिक्षा, कृषि, सामाजिक जीवन, रहन सहन आदि का स्तर ऊंचा करने पर खर्च किया जाता तो बड़ा अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में पंचायती राज के बारे में संक्षेप में निवेदन करूंगा। कहने को तो आपने पंचायतों को बड़े अधिकार दिये हैं लेकिन पैसा उनको कुछ नहीं देने की वजह से सरपंच, प्रधान, प्रमुख इस सरकार को कोस रहे हैं कि हमें करने के लिये कुछ नहीं दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में खेल कूद का यद्यपि नया पोर्टफोलियो कायम किया है लेकिन नया पोर्टफोलियो कायम करने के बाद, खेल मंत्रालय अलग से बनाने के बाद भी कितना कम पैसा अलॉट किया गया है। हजारों रुपया ही ज्यादा अलॉट किया है, यह आश्चर्य की बात है।

इस बजट में सड़कों के विकास की कोई विशेष चर्चा नहीं है। अतः, अध्यक्ष महोदय, प्रांत की जो समस्यायें हैं उनको दूर करने में यह बजट असमर्थ है। इस बजट से न किसानों का भला होगा, न विद्यार्थियों का भला होगा, न मजदूरों का भला होगा। सभी तरफ निराशा होगी। यह बजट प्रतिगामी है, विकास की दिशा को अवरुद्ध करने वाला और यथास्थिति कायम रखने वाला है, अतः इस बजट का मैं घोर विरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : नाच न जाने आंगन टेढ़ा।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.35 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 3 मार्च, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 211 की सूची

भवन निर्माण एवं सुधार हेतु 103 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया प्रत्येक पर भवन सुधार स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का व्यौरा निम्न प्रकार से है। (स्वीकृत राशि 1.57 लाख रुपये प्राप्त हुई थी प्रत्येक शाला हेतु 1524.00 जिलाधीश, बाड़मेर द्वारा अनुमोदित किया गया)

क्र. सं.	चयनित विद्यालय का नाम	भवन निर्माण सुधार हेतु आवंटित राशि	भवन निर्माण सुधार हेतु उपयोग की गई राशि	कार्य का व्यौरा जिस पर राशि व्यय की गई।
1	2	3	4	5
1.	रा. उ. प्रा. वि., जेसिंधंधर	1524	1402.50	चीणों पर 1402.50 व्यय
2.	,, ,, विराव	1524	1417.50	चीणों पर 1417.50 व्यय
3.	,, ,, वालेरा	1524	1206.00	चूना पर 1206/- व्यय
4.	,, ,, कोटड़ा	1524	–	–
5.	,, ,, काश्मेर	1524	1280.00	चीणों पर व्यय
6.	,, ,, नीम्बला	1524	1038.50	चूने पर 1038.50 व्यय
7.	,, ,, तामलोर	1524	1410.00	चीणों पर 1410 व्यय
8.	,, ,, खुड़ाल	1524	–	–
9.	,, ,, मोखाव	1524	–	–
10.	,, ,, शिवकर	1524	1215.00	चीणों पर व्यय 1215
11.	,, ,, चवा	1524	1255.50	चीणों पर व्यय 1255
12.	,, ,, दाखा	1524	–	–
13.	,, ,, डंडाली	1524	–	–

1	2	3	4	5
14.	रा. उ. प्रा. वि., नोखड़ा	1524	1255.50	चीणों पर 1255.50 व्यय
15.	,, ,, मेहल	1524	1428.00	बजरी पर 648/– कंकरी पर 780 व्यय
16.	,, ,, सरली	1524	–	–
17.	,, ,, वाण्डा	1524	1072.00	चूने पर 1072 व्यय
18.	,, ,, माडेल	1524	–	–
19.	,, ,, पायला कला	1524	–	–
20.	,, ,, कमटमई	1524	1255.50	चीणों पर 1215.00 व्यय
21.	,, ,, मीठूड़ा	1524	–	–
22.	,, ,, धारणा	1524	729.00	चीणों पर 729 व्यय
23.	,, ,, इन्दाणा	1524	1394.44	दरवाजे खिड़की पर व्यय
24.	,, ,, गुड़ामाल	1524	–	–
25.	,, ,, रमणियां	1524	–	–
26.	,, ,, कुशीप	1524	1270.00	चूने पर 670 व चीणों पर 600 व्यय
27.	,, ,, मेली	1524	1500.00	चीणों पर 1500 व्यय
28.	,, ,, जेठन्तरी	1524	1500.00	चीणों पर 1500 रु. व्यय 364.50
29.	,, ,, राखी	1524	930.50	खण्डों पर 231 चूने पर 335 चीणों पर
30.	,, ,, समदड़ी	1524	–	–
31.	,, ,, कोटड़ी	1524	1500.00	चीणों पर 1500 व्यय
32.	,, ,, करमावास	1524	871.00	खण्डों पर 462 चूने 409 व्यय
33.	,, ,, मजल	1524	401.00	चूने पर 201 चीणों 200
34.	,, ,, छाला मोकलसर	1524	–	–
35.	,, ,, गागरिया	1524	–	–
36.	,, ,, खड़ीन	1524	–	–
37.	,, ,, सेतराऊ	1524	1187.00	चीणों पर 1187 व्यय
38.	,, ,, सियानी	1524	1482.00	चीणों पर 1482 व्यय

1	2		3	4	5
39.	रा.उ.प्रा.वि.,	नाद	1524	1150.00	चुने पर 670/— कंकरी 480/— व्यय
40.	,,	,, जसाई	1524	1560.00	चीणों पर व्यय
41.	,,	,, वालेरा	1524	—	—
42.	,,	,, मारूड़ी	1524	1560.00	चीणों पर 1560 व्यय
43.	,,	,, माहावार	1524	1671.84	दरवाजे व खिड़की पर व्यय
44.	,,	,, सनावड़ा	1524	1482.00	चीणों पर व्यय
45.	,,	,, गरल	1524	1215.00	चीणों पर व्यय
46.	,,	,, धारासर	1524	—	—
47.	,,	,, तारातरा	1524	1638.00	चीणों पर व्यय 1638
48.	,,	,, बाछड़ाउ	1524	1560.00	चीणों पर व्यय 1560
49.	,,	,, चूली	1524	1560.00	चीणों पर व्यय 1560
50.	,,	,, इसरोल	1524	1215.00	चीणों पर व्यय 1215
51.	,,	,, देरासर	1524	1482.00	चीणों पर 1482 व्यय
52.	,,	,, भादरेश	1524	1215.00	चीणों पर व्यय 1215
53.	,,	,, नेतराड़	1524	1617.84	दरवाजा व खिड़की का भुगतान बकाया
54.	,,	,, कोनरा	1524	1617.00	,,
55.	,,	,, टोंक	1524	1617.84	,,
56.	,,	,, आलमसार	1524	1617.84	,,
57.	,,	,, बुरहान का तला	1524	1617.84	,,
58.	,,	,, बोड़का तला	1524	—	—
59.	,,	,, सावा	1524	1617.84	दरवाजे व खिड़की का भुगतान बकाया है
60.	,,	,, बीखा	1524	1617.84	,,
61.	,,	,, सरला	1524	1617.84	,,
62.	,,	,, भेडाणा	1524	—	—
63.	,,	,, गाधव कला	1524	1617.84	दरवाजे व खिड़की पर व्यय
64.	,,	,, कोजा	1524	—	—
65.	,,	,, दुध	1524	—	—
66.	,,	,, मागता	1524	1671.84	दरवाजे व खिड़की पर व्यय

1	2		3	4	5
67.	रा.उ.प्रा.वि.,	अरणियाली	1524	1671.84	दरवाजे व खिड़की का भुगतान बकाया
68.	,, ,,	लूखू	1524	1617.84	दरवाजे व खिड़की पर व्यय
69.	,, ,,	लोहारवा	1524	1617.84	दरवाजे व खिड़की पर व्यय
70.	,, ,,	बामरला	1524	1617.84	दरवाजे व खिड़की पर व्यय
71.	,, ,,	उड़ासार	1524	–	–
72.	,, ,,	कपरडी	1524	1361.50	चीणों पर 1093.50 चूने पर 268 व्यय
73.	,, ,,	भूरटिया	1524	1458.00	चीणों पर व्यय 1458
74.	,, ,,	भडखा	1524	783.00	बजरी पर 180 चूने पर 603
75.	,, ,,	माड़पुरा बरवाला	—	–	–
76.	,, ,,	डूढा	1524	947.50	बजरी पर 277.50 चूने पर 670 व्यय
77.	,, ,,	छीतर का पार	1524	1337.00	चीणों पर 1002 चूने पर 335 व्यय
78.	,, ,,	बायतू पन्नजी	1524	1458.00	चीणों पर 1458 व्यय
79.	,, ,,	बायतू भीमजी	1524	1279.00	चीणों पर एवं चूने पर व्यय
80.	,, ,,	कानोड़	1524	(मुगिया 500	चूनो 670 व्यय)
81.	,, ,,	भाक	1524	1072.00	चूने पर 1072 व्यय
82.	,, ,,	भीमड़ा	1524	1279.00	चीणों पर 810 चूने पर 469 व्यय
83.	,, ,,	अकदड़ा	1524	1279.00	चीणों पर 810 चूने पर 469 व्यय
84.	,, ,,	रतेउ	1524	1458.00	चीणों पर 1458 व्यय
85.	,, ,,	कूम्पलिया	1524	1863.00	चीणों पर व्यय 1863
86.	,, ,,	संतरा	1524	980.00	बजरी पर 210, चूने पर 670
87.	,, ,,	कोटनोद	1524	1139.00	चूने पर 1139 रु. व्यय
88.	,, ,,	परेरू	1524	1072.00	चूने पर 1072 व्यय

1	2	3	4	5
89.	रा.उ.प्रा.वि., खोंखसर	1524	1458.00	चीणों पर व्यय 1458
90.	,, ,, पारलू	1524	1480.00	चीणों पर व्यय 1480
91.	,, ,, थोव	1524	1003.00	वजरी 333 चनेनी 670 व्यय
92.	,, ,, पाटोदी	1524	1118.00	वजरी 33 चूना 335 पत्थर 450 व्यय
93.	,, ,, वागावास	1524	1003.00	बजरी 33 चूना 670
94.	,, ,, कालेवा	1524	922.00	चूने 670 वजरी पर 252
95.	,, ,, टापरा	1524	1003.00	वजरी व चूने का व्यय
96.	,, ,, चादेसारा	1524	1139.00	चूने पर 1139 व्यय
97.	,, ,, दुछावा	1524	922.00	वजरी पर 252 चूने पर 670 व्यय
98.	,, ,, डोली कला	1524	922.00	वजरी पर 252 चूने पर 670 व्यय
99.	,, ,, मन्डली	1524	1310.00	चीणों व चूने पर व्यय
100.	,, ,, कल्याणपुरा	1524	922.00	वजरी पर 252 चूने पर 670.
101.	,, ,, कन्या पचपदरा	1524	–	–
102.	,, ,, कन्या जसोल	1524	–	–
103.	,, ,, वायतू कन्या	1524	–	–

1. योग भवन सुधार हेतु स्वीकृत राशि 1,57,000 रा. उ. प्रा. वि. हेतु

2. भवन सुधार हेतु उपयोग की गई राशि 1,02,722.88
   1. आहरित कर भुगतान की गई (89726.16)
   2. वकाया राशि दाहित्व (12996.72)

ह.
जिला शिक्षा अधिकारी,
बाड़मेर।

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 408 की सूची

सूची संख्या—1

क्र. सं.	रिक्त पद का नाम	संख्या
1.	परसोनल मैनेजर	1
2.	एस्टेट मैनेजर	1
3.	सहायक सचिव	1
4.	सहायक नगर नियोजक	1
5.	सहायक वास्तुविधिक	1
6.	साइट इंजीनियर	25
7.	भूमि अवाप्ति अधिकारी	1
8.	सहायक आवासन अधिकारी	2
9.	तहसीलदार	1
10.	निजी सहायक	2
11.	विधि सहायक	1
12.	लेखाकार	4
13.	सीनियर ड्राफ्ट्समैन	1
14.	वरिष्ठ लेखाधिकारी के निजी सहायक	1
15.	कनिष्ठ साइट इंजीनियर	72
16.	सहायक	6
17.	लेखा सहायक	46
18.	प्रयोगशाला सहायक	20
19.	भूमि निरीक्षक	1
20.	जूनियर ड्राफ्ट्समैन	21
21.	स्टेनो टाइपिस्ट	15
22.	पटवारी	3
23.	चालक	4
24.	सर्वेयर	2
25.	ट्रेसर	17
26.	कनिष्ठ सहायक	114
27.	मशीन मैन	2
28.	हैल्पर	36

सूची

वर्ष 1981–82 एवं 82–83 में चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई नियुक्तियां ।

क्र. सं.	नाम व पद	संख्या
वर्ष 81–82		
	कनिष्ठ सहायक	3
वर्ष 82–83		
1.	परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ)	9
2.	परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ)	42
3.	लेखा सहायक	30
4.	आर्किटेक्ट सहायक	1
5.	टाउन प्लानिंग असिस्टेंट	1
6.	वरिष्ठ प्रारूपकार	1
7.	कनिष्ठ प्रारूपकार	4
8.	ट्रेसर	3
9.	फैरोमैन	1
10.	स्टेनो टाइपिस्ट	8
11.	कनिष्ठ सहायक	13
12.	विधि सहायक	—
13.	निजी सहायक	—
		113

(158)

सूची

वर्ष 81–82 एवं 82–83 में की गई तदर्थ नियुक्तियों का विवरण

क्र. सं.	नाम पद	संख्या
वर्ष 1981–82		
1.	कनिष्ठ सहायक	28
2.	टेलीफोन ऑपरेटर	1
3.	हैल्पर	1
		30
वर्ष 1982–83		
4.	परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ)	1
5.	परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ)	65
6.	लेखा सहायक	1
7.	वरिष्ठ सहायक	35
8.	विधि सहायक	1
9.	निजी सहायक	1
		104

कुल योग : 134

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 98 की सूची

खसरा नम्बर 704 एवं 1639 की भूमि पर दुकान लगाकर काबिज दुकानदारों की सूची:—

क्र. सं.	नाम व पता	रकबा वर्ग फुट	काबिज बेदखल	आदेश बेदखल	शास्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भवानी शंकर पुत्र नत्थी लाल शर्मा, साकिन इटावा	464	2	26-12-81	6.00
2.	श्री बालू शंकर पुत्र श्री निवास शर्मा, इटावा	520	3	1-5-81 26-12-81	5.00 6.00
3.	श्री सूरज प्रकाश, जगदीश प्रसाद पुत्र कृष्ण गोपाल ब्राह्मण, सा. इटावा	176	2	19-1-82	7.50
4.	श्री पवन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद, सा. इटावा	99	2	19-1-82	7.50
5.	श्री किशन लाल पुत्र मूलचन्द नाई, इटावा	380	10	19-2-82	7.50
6.	श्री कैलाश चन्द पुत्र गंगा विशन नाई,	56	2	19-1-82	7.50
7.	श्री मदन लाल पुत्र गंगाविशन नाई	56	10	19-1-82	7.50
8.	श्री नारायण पुत्र कंवरलाल धाकड़	165	1	19-1-82	7.50
9.	श्री रामनारायण पुत्र रामगोपाल धाकड़	264	2	4-1-82	15.00
10.	धन्ना लाल पुत्र वल्लभ सुनार सा., इटावा	192	5	19-1-82	7.50
11.	श्री गणपत पुत्र बद्रीलाल, नि. गेंता	12	2	19-1-82	7.50
12.	श्री लटूर पुत्र हरीनाथ योगी, इटावा	54	1	8-2-82 (वर्तमान में कब्जा नहीं है)	7.50
13.	श्री गोपाल पुत्र किशन माली नि., इटावा	130	1	25-1-82	7.50
14.	श्री धन्ना पुत्र भैरूलाल, इटावा	117	2	25-1-82	7.50
15.	श्री राधेश्याम पुत्र माधोलाल महाजन	280	10	20-1-82	75.00
16.	श्री कोशलकिशोर पुत्र मांगीलाल सोनी	160	10	20-1-82	30.00
17.	श्री हेमराज पुत्र मथुरालाल धाकड़ साकिन, इटावा	144	2	20-1-82	7.50
18.	श्री मोतीलाल पुत्र मांगीलाल, इटावा	200	4	20-1-82	22.50
19.	श्री चन्दूलाल पुत्र वनवारीलाल	60	2	20-1-82	7.50
20.	श्री देवकरण पुत्र बिहारी लाल	20	5	20-1-82	7.50

Page No 160

(160)

1	2	3	4	5	6
			खसरा नम्बर 1639 के अतिक्रमी		
21.	श्री अमरलाल पुत्र बिरधीलाल धाकड़	518	15	18-1-82	4.80
22.	श्री सूरजमल पुत्र केसरीलाल ब्राह्मण, इटावा	100	2	8-2-82	7.50
23.	श्री बद्रीलाल पुत्र हीरालाल, महाजन, इटावा	90	10	18-1-82	4.80
24.	श्री गजानन्द पुत्र सूरज मल खाती	224	5	25-1-82	18.75
25.	श्री रामनिवास पुत्र हीरालाल महाजन	722	15	18-1-82	4.80
				31-10-81	60.00
26.	श्री भंवरलाल पुत्र गोपाललाल ब्रा.	684	17	18-1-82	4.80
				31-10-81	24.00
27.	श्री बृजमोहन पुत्र रामपाल महाजन, इटावा	403	13	18-1-82	4.80
28.	श्री नेमीचन्द पुत्र चतुर्भुज ब्राह्मण	330	17	8-2-82	7.50
				31-10-81	32.00
29.	श्री बशीर मौहम्मद पुत्र गनी मौहम्मद	666	15	25-1-82	45.00
30.	श्री राधेश्याम पुत्र केसरीलाल ब्रा.	264	13	8-2-82	5.00
31.	श्री रामकरण पुत्र चतुर्भुज खाती	220	13	8-2-82	97.50
32.	श्री गिरधर पुत्र चतुर्भुज ब्रा.	510	5	25-1-82	15.00
33.	श्री रामपाल पुत्र हीरालाल तेली	180	13	20-1-82	7.50
34.	श्री दिनेश कुमार पुत्र हरिप्रसाद कोठारी	180	5	20-1-82	7.50
35.	श्री रामनारायण पुत्र घासीलाल महाजन	504	13	20-1-82	7.50
36.	श्री शुभराती पुत्र अहमदबक्श मुसलमान	325	13	20-1-82	7.50
				20-11-81	57.60
37.	श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र माधोलाल महाजन	448	2	20-1-82	7.50
38.	श्री मांगीलाल पुत्र मन्नालाल तेली, केशवपुरा	148	10	20-1-82	225.00
				8-2-82	7.50
39.	श्री भैरूलाल पुत्र रघुनाथ महाजन, इटावा	350	9	22-3-82	5.00
40.	श्री रामनारायण पुत्र घासीलाल	200	13	31-10-81	48.00
41.	श्री जुम्मा पुत्र ख्वाजू लुहार	204	2	20-1-82	15.00

परिशिष्ट—4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

अजमेर में ताप विद्युत् गृह लगाने हेतु सर्वेक्षण

215. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल ने अजमेर में ताप विद्युत् गृह लगाने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण कराया था ?

(2) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे और मंडल ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो अब इसका निर्माण कब प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल द्वारा अजमेर में ताप विद्युत् गृह लगाने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु सूचनायें एकत्रित की गई थीं ।

(2) अजमेर में जल स्रोतों की कमी है । शहर के पीने के जल की आपूर्ति भी बनास नदी से होती है और इससे भी आवश्यकतानुसार जल नहीं मिल पाता है । वांछित मात्रा में जल स्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण अजमेर में ताप विद्युत् गृह स्थापित करना उपयुक्त नहीं होगा ।

(3) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

पचपदरा क्षेत्र में राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण

217. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पचपदरा में अकाल राहत कार्यों के तहत अधूरी, नई सड़कों का कार्य खोलने हेतु कुल कितने प्रस्ताव दिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त प्रस्तावों में से कोई कार्य प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कुल 13 अपूर्ण सड़क राहत कार्यों के एवं एक सड़क मरम्मत के कार्य का प्रस्ताव यानी कुल 14 कार्यों के प्रस्ताव जिलाधीश से प्राप्त हुए थे इसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) इन कार्यों में से 2 अपूर्ण सड़क कार्य एवं एक सड़क मरम्मत कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं जो सूची के क्रम संख्या 1, 13 एवं 14 पर उल्लेखित हैं । साथ ही ये कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं । शेष कार्य अभी स्वीकृत नहीं किये गये क्योंकि कार्यों की स्वीकृति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिले के लिये निर्धारित अधिकतम श्रम संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी दुगनी संख्या तक ही कार्य स्वीकृत किये जावें ।

बाड़मेर जिले के लिए इस अधिकतम श्रमिक संख्या को ध्यान में रख कर कार्य स्वीकृत किये गये हैं ।

Page No 162

(162)

सम्वत् 2039 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के अपूर्ण व नये सड़क कार्यों के प्रस्ताव जो प्राप्त हुए:—

क. सं.	नाम कार्य
(1)	अपूर्ण ग्रेवल सड़क परेऊ से हीरों की ढाणी कि. मी. 9/0 से 20/0 तक
(2)	अपूर्ण ग्रेवल सड़क गिडा से खोखसर कि. मी. 5/0 से 25/0
(3)	अपूर्ण डामर सड़क बागूण्डी से मलवा महादेव मंदिर कि. मी. 0/0 से 9/0
(4)	अपूर्ण ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य उमरलाई से लोहारों की ढाणी कि. मी. 5/0 से 6/0 तथा 11/0 से 17/0
(5)	अपूर्ण ग्रेवल सड़क खेड़ से खारापार वाया बागूण्डी 0/0 से 17/0 एवं 19/0 से 24/0 तक
(6)	अपूर्ण ग्रेवल सड़क गोल स्टेशन से भीमरलाई 0/0 से 6/0
(7)	अपूर्ण ग्रेवल सड़क धीवी से होलोनी 0/0 से 6/500
(8)	अपूर्ण ग्रेवल सड़क कांकराजा से पिण्डारन 0/0 से 6/0
(9)	अपूर्ण डामर सड़क डोली से कोरना 0/0 से 19/0
(10)	अपूर्ण डामर सड़क एप्रोच सड़क भीमरलाई 0/0 से 2/500
(11)	अपूर्ण डामर सड़क जोधपुर से बालोतरा को चौड़ा करने का कार्य 46/0 से 56/0 व 90/0 से 95/0
(12)	अपूर्ण ग्रेवल सड़क दुधवा से पीबी 0/0 से 15/0
(13)	अपूर्ण ग्रेवल सड़क खानोडा से बडनामा पंचायत मुख्यालय तक 0/0 से 8/0
(14)	मरम्मत कार्य ग्रेवल कार्य पचपदरा साल्ट से परेऊ 0/0 से 25/0

जिला स्तर पर गठित परिवहन समितियां

218. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला स्तर पर परिवहन समितियां विद्यमान हैं ? यदि हां, तो इनकी बैठकें वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है ? कोटा जिले में गत 3 वर्षों में इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में यह समितियां विद्यमान नहीं हैं। कोटा जिले में गत 3 वर्षों में समिति की 3 बैठकें हुई थीं।

नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण

219. श्री सुरजाराम टाक (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में स्थित निम्नलिखित गांव चूरू, नागौर जिले की सीमा से लगते हुए हैं, जहां

(श्री सुरजाराम टाक) -
ग्रामीण लोगों को आवागमन के कोई सुगम साधन उपलब्ध नहीं हैं:—

1. थावरिया से लालगढ़ (वाया मैंनसर)

2. नोखा (वाया अपालिया से मैंनसर)

3. पांचू से नापासर (वाया नोखा मंडी)

4. साधासर (वाया मंसूरी) से डूंगरगढ़ ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधार्थ उक्त मार्गों पर शीघ्र सड़क निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1 एवं 2)–इन सड़कों के निर्माण की कोई योजना धनाभाव के कारण अभी विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा के विषय में प्रस्तुत ज्ञापन

220. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या लोक सेवा समिति, हाड़ौती संभाग विज्ञान नगर, कोटा ने राजस्थान आवासन मंडल के विषय में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ?

(2) क्या इसी प्रकार का ज्ञापन समिति का पदाधिकारियों ने मुख्य मंत्री जी से प्रत्यक्ष मिलकर उनको दिया है जो उन्होंने विभाग के पास उचित कार्यवाही हेतु भिजवा दिया है ? इस ज्ञापन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? कृपया विवरण सहित ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जांच जारी है।

बेरोजगार युवकों को रोजगार

221. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में जनवरी, 1983 तक पंजीकृत और अपंजीकृत बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी है ?

(2) जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि में कितने-कितने पंजीकृत और अपंजीकृत बेरोजगार युवकों को सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया गया तथा कुल संख्या के अनुपात में रोजगार दिये गये युवकों का अनुपात क्या रहा ?

(3) बढ़ती हुई बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु रोजगार के अन्य साधन जुटाने के लिये वर्ष 1983-84 के लिये और दीर्घकालीन क्या योजनायें राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

(4) 1 अप्रेल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक कितने बेरोजगार युवकों को सरकार द्वारा सरकारी, गैर-सरकारी,

(श्री दीपेन्द्र सिंह)
अर्द्ध सरकारी निगमों, निकायों में रोजगार प्रदान कराने की योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) प्रदेश में 31 जनवरी, 1983 तक 4,05,353 व्यक्ति नियोजन सहायता हेतु नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिका पर पंजीकृत थे । अपंजीकृत बेरोजगार युवकों की संख्या विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है ।

(2) इस अवधि में नियोजन कार्यालयों द्वारा 2,15,463 व्यक्ति पंजीकृत किये गये और 16,119 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जो इस अवधि में पंजीकृत संख्या का 7.48 प्रतिशत है । अपंजीकृत बेरोजगार युवकों को मिले रोजगार के आंकड़े नियोजन कार्यालयों द्वारा संकलित नहीं किये जाते हैं ।

(3) छठी योजना का एक मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी में कमी करना है । अतः इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक योजनाओं में ऐसे विकास कार्यक्रमों जैसे पशु पालन, वन विकास, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समग्र ग्रामीण विकास, मरु विकास कार्य-क्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, वृहद् तथा मध्यम सिंचाई योजनायें तथा लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है । जिनसे नियोजन के अधिकाधिक अवसर सृजित हो सकें ।

(4) वार्षिक योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त नियोजन के अवसरों द्वारा वर्ष 1983 में कुल 3.95 लाख व्यक्तियों को नियोजन के अवसर उपलब्ध होने का अनुमान है ।

बाड़मेर जिले में भूमि के कब्जों का नियमन

222. श्री **अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत कितने जिले आते हैं ? कृपया उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जो जिले डी. पी. ए. पी. में आये हैं उनमें भूमि आवंटन बन्द है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिर्फ बाड़मेर जिले में ही भूमि नियमन का कार्य 1-1-1975 से बन्द है, जब कि बाकी जिलों में डी. पी. ए. पी. के होते हुए भी दिनांक 1-1-1975 वाले कब्जों का नियमन कर दिया गया है ? यदि हां, तो बाड़मेर जिले के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान में डी. पी. ए. पी. में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले के विकास खण्ड कोटड़ा, झंडोल, खैरवाड़ा एवं अजमेर जिले के विकास खण्ड जवाजा एवं मसूदा आते हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । नियमन पर प्रतिबन्ध की नीति समस्त मरुस्थलीय जिलों में समान रूप से लागू है ।

ग्राम आनन्दपुर (वहरोड) के बांध की मरम्मत

223. श्री सुजानसिंह यादव (वहरोड): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत ग्राम आनन्दपुर तहसील बहरोड के टूटे हुए बांध की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार तहसील बहरोड के ग्राम जखराना में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत नवीन बांध बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिलाधीश को इस कार्य के बाबत प्रस्ताव भेजने हेतु आदेश दिये जा रहे हैं । प्रस्ताव आने पर विचार किया जावेगा ।

(2) ग्राम जखराना अभावग्रस्त नहीं है । ऐसी दशा में वहां कोई राहत कार्य चालू नहीं किया जा सकेगा ।

सड़कों की मरम्मत पर खर्च राशि

224. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य वर्षा ऋतु से पहले किया जाता है ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, व उदयपुर में कितनी कितनी धनराशि, 1981-82 व 1982-83 में खर्च की जा चुकी है और मार्च, 1983 तक खर्च की जायेगी ? कृपया व्यय की गई राशि की सूची व नगर के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नगरों में से अजमेर नगर की सड़कों पर सबसे कम व्यय किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अजमेर में टूटी सड़कों की मरम्मत कब तक पूरी की जायेगी ?

उत्तर

(1) सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य आवश्यकतानुसार किया जाता है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) यह सही नहीं है कि उपरोक्त नगरों में से अजमेर नगर की सड़कों पर सबसे कम खर्च किया गया है । विभाग की सड़कों की मरम्मत आवश्यकतानुसार की जाती है तथा साधारणतया हालत ठीक है ।

(प्रपत्र "क")

सार्वजनिक विभाग द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	नगर का नाम	वर्ष 1981-82 में किया गया व्यय (लाखों में)	वर्ष 1982-83 में अब तक किया गया व्यय (लाखों में)	वर्ष 1982-83 का मार्च, 83 तक का प्रस्तावित व्यय (लाखों में)
1.	अजमेर	26.00	21.90	24.40
2.	जोधपुर	47.84	24.26	30.00
3.	भरतपुर	1.14	1.83	1.93
4.	भीलवाड़ा	1.50	5.00	6.00
5.	उदयपुर	16.73	11.91	14.66

सब-तहसीलों को तहसील बनाना

225. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1981 के पश्चात् कितनी सब-तहसील नई बनाई गई हैं तथा कितनी सब-तहसीलों को तहसील का दर्जा दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार कितनी और सब-तहसीलों को तहसील का दर्जा देना चाहती है तथा यह कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1981 के पश्चात् 28 उप-तहसीलें नई बनाई गई, 4 के मुख्यालय बदले गए व तीन को तहसील बना कर क्रमोन्नत किया गया । सूचियां सदन के पटल पर रखा दी गई हैं ।

(2) तीन और नई तहसीलें बनानी हैं, जो कि उप-तहसीलों को क्रमोन्नत कर भी बनाई जा सकती हैं अथवा नए स्थानों पर भी स्थापित की जा सकती हैं । मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

सूची उप-तहसील जिन्हें 1.4.1981 के पश्चात् तहसील का दर्जा दिया गया।

क्र. संख्या	नाम जिला	उप-तहसील	नवीन तहसील में क्रमोन्नत
1.	बाड़मेर	गुडामालानी	गुडामालानी
2.	जोधपुर	भोपालगढ़	भोपालगढ़
3.	जयपुर	गोविन्दगढ़	चौमू

नोट:—उक्त नवस्थापित तहसीलों का नया कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया व नवीन तहसीलें स्थापित होने की दिनांक से जिला बाड़मेर में गुडामालानी, जोधपुर में भोपालगढ़ व जयपुर में गोविन्दगढ़ उप-तहसीलों को समाप्त किया गया।

1 अप्रेल, सन् 1981 के पश्चात् स्थापित की गई नई उप-तहसीलों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	नाम तहसील	प्रस्तावित उप-तहसील
1	2	3	4
1.	अजमेर	अजमेर	पुष्कर
2.	बांसवाड़ा	बागीडोरा	भुखिया
3.	बांसवाड़ा	घाटोल	पीपलखूंट
4.	भीलवाड़ा	शाहपुरा	फूलियाकलां
5.	भीलवाड़ा	मांडल	करेड़ा
6.	बीकानेर	बीकानेर	पूगल
7.	कोटा	लाडपुरा	मन्डाना
8.	नागौर	नावां	कुचामन सिटी
9.	नागौर	परबतसर	पिलवा
10.	जयपुर	सांभर	किशनगढ़ रैनवाल
11.	जैसलमेर	जैसलमेर	फतेहगढ़ (सागड़)
12.	जैसलमेर	पोकरण	भिनियाणा
13.	जालौर	भीनमाल	रानीवाड़ा

1	2	3	4
14.	झालावाड़	झालरापाटन	असनावर
15.	झालावाड़	पिड़ावा	सुनेल
16.	झूंझुनूं	झुंझुनूं	मलसीसर
17.	जोधपुर	शेरगढ़	बालेसर
18.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	चौथ का बरवाड़ा
19.	बाड़मेर	शिव	गडरारोड
20.	सीकर	दांतारामगढ़	पलसाना
21.	सीकर	श्रीमाधोपुर	खन्डेला
22.	भरतपुर	धौलपुर	मनिया
23.	चित्तौड़गढ़	बेगू	परसोली
24.	सिरोही	पिंडवाड़ा	भांवरी
25.	अलवर	राजगढ़	रैणी
26.	बूंदी	बूंदी	तालेड़ा
27.	चूरू	राजगढ़	सिद्धमुख
28.	चूरू	सुजानगढ़	बीदासर

1 अप्रेल, 1981 के पश्चात् निम्नलिखित चार उप-तहसीलों के मुख्यालय परिवर्तन किये गये

क. सं.	नाम जिला	तहसील	उप-तहसील के मुख्यालय में परिवर्तन
1	2	3	4
1.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	वसाड़ के स्थान पर देवगढ़
2.	गंगानगर	नौहर	फेफना के स्थान पर रावतसर
3.	अजमेर	ब्यावर	सताना के स्थान पर विजयनगर
4.	अजमेर	ब्यावर	राजगढ़ के स्थान पर टाटगढ़

मिनी तथा माइक्रो पावर प्लान्ट्स लगाने के प्रस्ताव

226. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) **श्री भैरू सिंह गूर्जर** (खारची): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्र को मिनी तथा माइक्रो पावर प्लान्ट्स के प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने मेगावाट के और कहां-कहां के ? क्या उक्त प्रस्तावों के बारे में केन्द्र से राज्य सरकार को कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार लिग्नाइट पर आधारित कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं हाथ में ले रही है ? कृपया इन परियोजनाओं की क्षमता एवं अब तक की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत मंडल ने 10 मिनी तथा माइक्रो योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किये हैं। प्रस्तावित योजनाओं के नाम, स्थान तथा क्षमता का विवरण दर्शाते हुए सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। इन योजनाओं में से अनूपगढ़ पन बिजली योजना, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं योजना आयोग से स्वीकृत हो चुकी है और इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। सूरतगढ़ और आर. एम. सी. चम्बल, कोटा पन बिजली योजनायें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तो स्वीकृत हो चुकी हैं लेकिन इनकी योजना आयोग से स्वीकृति आना अभी बाकी है। शेष सात योजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन हैं।

(2) पलाना में लिग्नाइट पर आधारित एक तापीय बिजली घर स्थापित करने की परियोजना बनाई गई है। इसके अधीन 60-60 मेगावाट के 2 विद्युत संयंत्र लगाने की योजना है। इस योजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से दिनांक 27-5-1980 की बैठक में स्वीकृत किया जा चुका है, परतु इसके लिये, योजना आयोग भारत सरकार द्वारा विनियोजन स्वीकृति अभी नहीं दी गई है। योजना के लिये भूमि अवाप्त करने की प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली गई है।

सूची

राजस्थान राज विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तावित मिनी माइक्रो विद्युत गृहों का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिला	परियोजना का स्थान/बांध/ नहर का नाम	प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में)
1.	अनूपगढ़ पन बिजली योजना	श्री गंगा-नगर	राजस्थान नहर की अनूपगढ़ शाखा पर	9
2.	आर. एम. सी. पन बिजली योजना	कोटा	दायीं मुख्य नहर चम्बल परियोजना	6
3.	सूरतगढ़ पन बिजली योजना	श्री गंगा-नगर	राजस्थान नहर की सूरतगढ़ शाखा पर	4
4.	जाखम पन बिजली योजना	चित्तौड़गढ़	जाखम बांध पर	9
5.	चारण वाला पन बिजली योजना	बीकानेर	राजस्थान नहर का चारण वाला शाखा पर	2
6.	माउन्ट आबू पन बिजली योजना	सिरोही	सलागांव व गंभीरी बांधों पर	2.5
7.	पूगल पन बिजली योजना	बीकानेर	राजस्थान नहर की पूगल शाखा पर	2.25
8.	आर. एम. सी. माही पन बिजली योजना	बांसवाड़ा	दायीं मुख्य नहर माही परियोजना	0.8
9.	बिरसलपुर पन बिजली योजना	बीकानेर	राजस्थान नहर की बिरसल-पुर शाखा पर	1.45
10.	गैस थर्मल प्रोजेक्ट, रामगढ़	जैसलमेर	रामगढ़	3.00

ग्राम बोलखेड़ा (कामां) के पत्थर एवं बजरी का ठेका

227. श्री चाव खां (कामां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील कामां जिला भरतपुर में ग्राम बोलखेड़ा पहाड़ का बजरी एवं पत्थरों के लिये ठेका दिया हुआ है ? यदि हां, तो किस ठेकेदार को और किस-किस चीज का कब तक के लिये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह ठेका नियमानुसार दिया गया है ? क्या ठेका देने से पूर्व खान मजदूरों, अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों को ठेका देने का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस ठेके को निरस्त कर किसी गरीब आदमी को दे सकती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) ठेकेदार से बजरी तथा पत्थरों पर जो रॉयल्टी वसूल की जाती है, वह किस प्रकार तय की जाती है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बोलखेड़ा पहाड़ के नाम से कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है परन्तु निकट ग्राम बोलखेड़ा, तह. कामां में बजरी, सिलिका-सैन्ड, चायनाक्ले, माइका व सोपस्टोन के खनिज के लिये खनन पट्टे स्वीकृत हैं । विवरण संलग्न परिशिष्ट (क) पर है ।

(2) जी हां । सभी पट्टे नियमानुसार स्वीकृत किये गये हैं । बजरी के खनन पट्टे इस क्षेत्र में देने की अब नीति नहीं है. अतः अल्पावधि अनुमति पत्र स्वीकृत किये जा रहे हैं जो अभी तक खान मजदूरों या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को ही दिये गये हैं । वर्ष 1981–82, व 1982–83 में स्वीकृत अल्पावधि अनुमति पत्रों की सूची संलग्न परिशिष्ट "ख" पर है ।

(3) जी नहीं । खनन पट्टे नियमानुसार ही निरस्त किये जा सकते हैं ।

(4) रॉयल्टी एक लीज वर्ष में क्षेत्र से निकाले गये व निर्गम किये अथवा उसी क्षेत्र में क्षय किये गये खनिज की मात्रा के आधार पर उस लीज वर्ष के लिये तय की जाती है । यदि डेडरेन्ट जो पट्टाधारी से अग्रिम किश्तों के रूप में लिया जाता है, खनिज की उपरोक्तानुसार तय की गई रॉयल्टी से अधिक है, तो रॉयल्टी अलग से वसूल नहीं की जाती । खनिज की मात्रा पट्टाधारी द्वारा दिये गये समस्त रिकार्डो के आधार पर तय की जाती है । यदि बजरी अथवा अन्य किसी अप्रधान खनिज के लिये अल्पावधि अनुमति पत्र स्वीकृत किये जाते हैं तो अल्पावधि अनुमति पत्र में अंकित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी अग्रिम ही वसूल कर ली जाती है ।

परिशिष्ट "क"

ग्राम नौलखेड़ा, तहसील–कामां, जिला–भरतपुर में स्वीकृत पट्टों का विवरण

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	खनिज जिसके लिये पट्टा स्वीकृत है	खनन पट्टे की अवधि
1.	श्री रामजीलाल शर्मा	सिलिका सैन्ड	27-11-1981 से 26-11-2001
2.	श्री रामजीलाल शर्मा	सिलिका सैन्ड	30-6-1980 से 29-6-2000
3.	श्री रामजीलाल शर्मा	सिलिका सैन्ड चायना क्ले, मायका सोप स्टोन	2-9-82 से 1-9-2002
4.	श्री श्रीदान सिह	बजरी	18-4-78 से 17-4-1988 (द्वितीय नवीनीकरण
5.	श्री शिवकुमार पारीक	सिलिका सैन्ड	पंजीयन नहीं हुआ है

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 81–82 से 82–83 में जारी किये गये अल्पावधि अनुमति-पत्रों की सूची

क्र. सं.	नाम पार्टी	खनिज	क्षेत्र का नाम	अवधि	श्रेणी	खनिज की मात्रा	
1.	श्री रमेश कुमार	बजरी	बोलखेड़ा	15-4-81 से 14-5-81	खान मजदूर	300 टन	
2.	,, ,,	,,	,,	1-6-81 से 31-7-81	,,	200 टन	
3.	,, ,,	,,	,,	9-7-81 से 8-9-81	,,	400 टन	
4.	,, ,,	,,	,,	9-9-81 से 8-11-81	,,	400 टन	
5.	,, ,,	,,	,,	12-11-81 से 11-1-82	,,	400 टन	
6.	,, ,,	,,	,,	16-1-82 से 31-3-82	,,	400 टन	
7.	,, ,,	,,	,,	6-3-82 से 15-4-82	,,	400 टन	(81–82)
8.	,, ,,	,,	,,	25-4-82 से 26-6-82	,,	400 टन	
9.	,, ,,	,,	,,	21-5-82 से 30-6-82	,,	400 टन	
10.	,, ,,	,,	,,	30-7-82 से 15-9-82	,,	500 टन	
11.	श्री हरभजन	,,	,,	9-8-82 से 8-9-82	,,	200 टन	
12.	श्री गोपाल राम बलाई	,,	,,	13-8-82 से 15-9-82	अनुसूचित जाति	200 टन	
13.	श्री हरभजन शर्मा	,,	,,	10-9-82 से 9-10-82	खान मजदूर	200 टन	
14.	श्री रमेश कुमार	,,	,,	18-9-82 से 17-10-82	,,	200 टन	
15.	,, ,,	,,	,,	15-10-82 से 14-1182	,,	300 टन	
16.	,, ,,	,,	,,	17-12-82 से 3	,,	400 टन	
17.	,, ,,	,,	,,	31-1-83 से 20-3-83	,,	400 टन	(82–83)

(174)

बाड़मेर जिले में राहत कार्यों में हुए घोटालों की जांच

228. **श्री हरसहाय मीणा** (किशनगंज) **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत), श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या सरकार को वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के तहत किये गये कार्यों में भारी घोटालों की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या उक्त मामलों में जांच का कार्य चल रहा है ?

(3) उक्त मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायतें इस आशय की हैं कि सड़क कार्यों पर अधिकारीगण एवं ठेकेदारों की साजिश से पूर्व में कराये गये कार्यों के लिये टेण्डर आमन्त्रित किये गये, फर्जी मस्टर रोल व नाप पुस्तिकायें बनाई गई, जो सामग्री मौके पर थी ही नहीं उसके परिवहन के लिये बिल बने तथा संबंधित लोगों ने अनुचित लाभ उठाया ।

(2) जी हां, इन शिकायतों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में एक प्रारम्भिक जांच पंजीयन की गयी तथा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

(3) प्रारम्भिक जांच के मामले में तकनीकी विशेषज्ञ का प्रतिवेदन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्राप्त किया जा रहा है । अपराध के मामले में तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा साक्षियों के बयान लेने की कार्यवाही की जा रही है । मामले अभी अनुसंधानाधीन हैं ।

टोडारायसिंह क्षेत्र की सड़कों को तहसील मुख्यालय से जोड़ना

229. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि एक तहसील मुख्यालय को दूसरी तहसील मुख्यालय से सड़क द्वारा जोड़ा जाय ?

(2) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र की दो तहसीलें टोडारायसिंह तथा देवली सड़क द्वारा जुड़ी हुई नहीं है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी नीति के अनुसार उक्त दोनों तहसील मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) टोडारायसिंह तथा देवली तहसील मुख्यालय सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य स्तरीय पुरस्कृत अध्यापकों का सम्मान

230. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

Page No 175

(श्री जीतमल जैन)

(1) क्या वर्ष 1982 में अलवर जिले के राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो जुलूस में सम्मिलित होने के लिये अलवर नगर के सभी विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अवकाश घोषित किया गया था ? यदि हां, तो ऐसे समारोह के लिये अवकाश घोषित करना क्या नियमानुसार है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस समारोह हेतु खर्च के लिये विभिन्न विद्यालयों के छात्र-कोष में जमा धन का उपयोग किया गया एवं इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से आदेश प्रसारित किये गये ?

(3) क्या इस प्रकार से छात्र-कोष के धन का उपयोग वांछनीय एवं नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, । लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अलवर नगर की शालाओं में उस रोज का कोई अवकाश घोषित नहीं किया गया ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

खनिज अभियन्ता सिरोही को प्रस्तुत आवेदन-पत्र

231. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

खनिज अभियन्ता, सिरोही को वर्ष 1980–81 एवं 1981–82 में कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने आबू पर्वत पर निजी भू-खण्ड स्वामियों के भू-खंड में पत्थर तोड़ने के लिये आवेदन किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

वर्ष 1980–81 एवं 81–82 की अवधि में आबू पर्वत पर निजी भू-खंड पतियों के भू-खंडों में पत्थर तोड़ने के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के निम्न दो आवेदन प्राप्त हुए:—

1. श्री कालूराम पुरोहिया (मेघवाल) दिनांक 22-11-81

2. श्री वेला पुत्र श्री मूलाजी (मेघवाल दिनांक 10-2-82

राहत कार्यों हेतु केन्द्र से प्राप्त राशि

232. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को इस वर्ष अकाल का मुकाबला करने के लिये 64 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस हेतु कितनी धनराशि की मांग की थी और तदनुसार अकाल के मुकाबले हेतु केन्द्रीय अध्ययन दल के सामने क्या योजना प्रस्तावित की थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा की गई मांग से कम धनराशि

(176)

(श्री रंगजी ...) (श्री कैलाश मेघवाल), (श्री घनश्याम तिवाड़ी)
की स्वीकृति से अकाल प्रभावित क्षेत्रों को पूरी राहत नहीं पहुचायी जा सकेगी ?

(4) राज्य सरकार इस संबंध में अपनी ओर से क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जो योजना केन्द्रीय अध्ययन दल के विचारार्थ केन्द्रीय सरकार को भेजी गई थी उसमें मदवार धनराशि की जो मांग की गई थी एवं जिस सीमा तक सहायता देने के लिये केन्द्र सरकार ने 31 मार्च, 1983 तक के लिये जो स्वीकृति दी है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(3) यह सही नहीं है। राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से राहत पहुंचाने के लिये प्रयत्नशील है।

(4) प्रभावित क्षेत्रों की मांग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अकाल राहत व्यवस्था के लिये समुचित रूप से व्यवस्था की जा रही है।

तालिका

क्र. सं.	मद	राज्य सरकार के द्वारा जरूरत के अनुमान की राशि (लाख रुपयों में)	केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई व्यय की अधिकतम सीमा (लाख रुपयों में)
1.	पेयजल व्यवस्था	2,079.50	1.227.50
2.	असहाय सहायता	149.00	50.00
3.	पशु संरक्षण चारा व्यवस्था	917.80	419.70
4.	कृषि आदान अनुदान	500.00	102.00
5.	रोजगार उपलब्ध कराना	5,000.00	1,187.50
		8,646.30	2,986.70

तहसील चौमू के नेशनल हाई वे नं. 11 से सींगोद खुर्द तक सड़क निर्माण

233. श्री तेजपाल यादव (चौमू): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य सरकार ने तहसील चौमू में नेशनल हाई वे नं. 11 से सींगोद खुर्द तक सड़क निर्माण कराने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो किस वर्ष में तथा इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा कराना था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अब सरकार इसे कब तक पूर्ण करा देगी ?

उत्तर

(1) इस सड़क की स्वीकृति सन् 1980 में की गई थी तथा निर्माण कार्य सितम्बर, 1982 तक पूर्ण करना था ।

(2) सड़क का कार्य प्रगति पर है तथा माह अप्रेल, 83 तक 3.5 कि. मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण किये जाने की संभावना है ।

पशुओं की चराई पर पाबन्दियां

234. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या बाढ़ एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1981–82 व 1982–83 में राजस्थान के पशुओं को चराई के लिये किस किस राज्य द्वारा क्या क्या पाबन्दियां लगाई हुई हैं ? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन पाबन्दियों को हटाने के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और कब-कब ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981–82 में पशुओं की चराई की सुविधा देने के लिये गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश सरकारों से पत्र व्यवहार हुआ था । गुजरात सरकार ने सूचना दे दी थी कि उनके यहां सूखे के कारण पशुओं के घुसने पर रोक लगा दी गई है । हरियाणा सरकार ने सूचित किया कि उनके यहां पशुओं के घुसने पर कोई रोक नहीं है, पंजाब सरकार ने सूचित किया कि वे पशु चराई सुविधा नहीं दे सकेंगे क्योंकि राजस्थान से उनकी सीमा नहीं लगती । उत्तरप्रदेश ने 30,000 पशुओं को चराई की व्यवस्था देने के बाबत पत्र में सूचना दी थी । मध्य प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 1981 में सूचित किया कि पूर्व से ही लगभग 3 लाख राजस्थानी पशु उनके जंगलों में चर रहे हैं वे अधिक नहीं ले पायेंगे ।

जहां तक वर्ष 82–83 का संबंध है पाबन्दियों के बाबत किसी राज्य सरकार को नहीं लिखा गया, केवल गुजरात सरकार ने स्वयं ने अपने पत्र दिनांक 5-10-82 के द्वारा सूचित किया है कि उनके यहां अभावस्थिति के कारण पशुओं के घुसने पर रोक लगा दी गई है ।

(2) जहां तक गुजरात सरकार का संबंध है चूंकि उनके यहां अभावस्थिति है इस कारण रोक को हटाने हेतु नहीं लिखा गया ।

भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

235. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सही वॉल्टेज मिल सके इस हेतु झुझाणी में 33 के. वी. ग्रिड स्टेशन बनाने का प्रस्ताव बना कर भेजा गया ? यदि हां, तो कब तथा इसकी स्वीकृति अब कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना क्षेत्र के ग्राम झुझाणी में 33/11 के. वी. की उप चौकी बनाने के बारे में जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उसका तकनीकि विश्लेषण एवं मूल्यांकन वांछित स्तर पर किया जा रहा है। अतः स्वीकृति दिये जाने तथा कार्य के पूर्ण होने की अवधि की निश्चित तिथि अभी बताना संभव नहीं है।

सांचोर क्षेत्र में आवास हेतु भू-आवंटन

236. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में सांचौर क्षेत्र में भयंकर बाढ़ से कई गांवों में घर वह गये थे व उन्हें भारी क्षति हुई थी ?

(2) क्या उक्त बाढ़ में बहने वालों को आवास हेतु भूमि का आवंटन किया गया है। नहीं, तो क्यों ? अब कब तक उन्हें भू-खण्ड दे दिये जायेंगे ?

(3) क्या उक्त संबंध में सरकार भू-आवंटन का आश्वासन भी 1980 में दे चुकी है ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1979-80 में आई बाढ़ से प्रभावित 43 ग्रामों में से 21 ग्रामों के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने हेतु प्रस्ताव जिलाधीश को प्राप्त हुए थे। इन ग्रामों के परिवारों हेतु 73 बीघा भूमि आबादी में बदली जा चुकी है तथा 75 परिवारों को वहां बसने हेतु पट्टे जारी कर दिये गये हैं। इनमें प्रभावित परिवारों में से काफी परिवार अपनी खातेदारी की भूमि में बस गये हैं। शेष के बाबत कार्यवाही जारी है। कार्यवाही पूर्व होने पर कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करके उसका आवासीय प्रयोजन हेतु नियमानुसार आवंटन कर दिया जावेगा। प्रभावित ग्रामों में से ग्राम पंचायत राणोधर के ग्राम रणोदर एवं चारणोंर के प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिये प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(3) वर्ष 1980 में आश्वासन दिया गया था कि प्रभावित परिवारों को अन्य स्थानों पर बसाने के लिये भूमि नहीं दी गई है भूमि देने की कार्यवाही जारी है। प्रभावित ग्रामों में से जालवी, रिड़का, आकोड़िया खेजड़ियाली, सूथड़ी व गलीफा में 73 बीघा भूमि आबादी में बदलकर 75 परिवारों को बसा दिया गया है।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 212 का विवरण

लाइम स्टोन निर्गमन की मात्रा		रायल्टी चुकाई गई राशि का विवरण
माह	टन	रुपया
अप्रेल, 82	29533	1,32,898.50
मई, 82	32198	1,44,855.00
जून, 82	17193	77,368.50
जुलाई, 82	22445	1,01,002.50
अगस्त, 82	34483	1,55,173.50
सितम्बर, 82	28989	1,30,450.50
अक्टूबर, 82	27417	1,23,376.50
नवम्बर, 82	36213	1,62,958.50
दिसम्बर, 82	46226	2,08,017.00
जनवरी, 83	22367	1,00,651.50

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची

सूची आवंटन भूमि ग्राम हुलमाना खुर्द तहसील मुण्डावर

क्रमांक	नाम आवंटी	ख. नं.	रकबा बीघों में	किस्म	किसके द्वारा आवंटन किया गया	वर्तमान में कब्जा	आवंटन का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पृथ्वी सिह पुत्र मुखराम जाट, सा. बहरोड जाट सैनिक	193 मि.	20	बंजड़	जिलाधीश 27-4-66	बदस्तूर	सैनिक
2.	मंगल पुत्र नानगा जाट सा., बहरोड जाट जयें ड. विरा. नं. 15 सुबेसिह पुत्र खुद	195 196	3–05 6–15	बंजड़	उपरोक्त	बदस्तूर	सैनिक
3.	जयनारायण गणपत राम दाताराम चिरंजी पि. नानगा अहीर सा. हुलमाना खुर्द	197	23–02	बंजड़	उपरोक्त 7-5-67	बदस्तूर	,,
4.	कन्हैया श्योदान पि. रामनाथ चमार, सा. देह	257	3–06	बंजड़	तहसीलदार 1966	बदस्तूर	भूमिहीन हरिजन काश्तकार

5.	शिवलाल पुत्र गंगाराम हरिज़न सा., देह	258	2–06	बंजड़	तहसीलदार	बदस्तूर	भूमि-
6.	मंगल पुत्र चुन्ना हरिजन, सा. देह जर्ये इं. नं. 8 विरासत मामचन्द वंशी हरीसिंह पुत्र खुद	306 मिन	2–00	बंजड़	उपरोक्त	बदस्तूर	हीन हरि-
7.	रामजीलाल पुत्र कुडा चंदर पुत्र ठाकुरसी हरी., सा. देह	306 मिन	4–00	बंजड़	उपरोक्त	बदस्तूर	जन
8.	संकरातिया पुत्र नोन्दा चमार सा. देह	431	0–13	बारानी	उपरोक्त	बदस्तूर	काश्त-
		277	1–07				कार
9.	शेर सिंह पुत्र नोन्दा	283	2–05	चारा-गाह	सहा. जिलाधीश 1975	बदस्तूर	,,
	साधुराम पुत्र जगनप्रसाद	8	0–17	बा. प्रथम			
	प्रभूदयाल पुत्र मुकन्दा	269	0–11	,,			
		407					
	चंदगी पुत्र बुद्धा समभाग सा. देह	269	0–12	,,			
		446					
		266 मि.	2–18	बंजड़			

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 217 की सूची

सूची "अ"

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में हड़ताल के दौरान मदवार खर्चों का विवरण

क्रमांक	मद का नाम	व्यय (रु. लाखों में)
1.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खुराक भत्ता	79.37
2.	होम गार्ड्स को दिया गया भत्ता	25.72
3.	वाहनों की मरम्मत रख-रखाव एवं किराया	13.70
4.	कर्मचारियों को दिया गया ओवर-टाइम	76.19
5.	अस्थाई तौर पर रखे गये श्रमिकों की मजदूरी	38.90
6.	यात्रा भत्ता	6.60
7.	सामान की खरीद एवं अन्य फुटकर व्यय	123.90
8.	'गोपनीय सेवाओं' पर व्यय	0.11
9.	अस्थाई तौर पर रखे गये कर्मचारियों के वेतन पर	6.30
	कुल योग :	370.79

परिशिष्ट – 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 218 की सूची

सूची "अ"

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	कोड नं.	ग्राम का नाम	स्वीकृति की तिथि	विद्युतीकरण की तिथि
1	2	3	4	5
1.	8/12/83	बडली	स्वीकृत	4-6-70
2.	49	बासडा	,,	मार्च, 77
3.	6	बावनपाडा	,,	4-6-70
4.	54	भण्डारी	जून, 79	31-12-80
5.	46	ब्राह्मण बोरडा	स्वीकृत	10-6-70
6.	101	चांदपुर	,,	22-2-74
7.	92	मनीपुर	,,	22-2-74
8.	9	गावडी	,,	22-2-74
9.	100	गीजगढ़	,,	4-6-70
10.	86	गिलाड़ी	जनवरी, 79	31-3-79
11.	50	गिरधरपुरा	स्वीकृत	22-2-74
12.	47	गोलिया	,,	19-6-70
13.	48	ईटका	जनवरी, 79	31-2-79
14.	32	भीकन	अगस्त, 79	8-11-80
15.	8	लिखली	,,	मार्च, 77
16.	11	मानपुर	,,	4-6-70
17.	7	मारियाडा	,,	22-2-74
18.	23	मीना सीमला	,,	24-3-79
19.	40	मुरलीपुर	,,	22-2-74
20.	12	निकटपुरी	,,	30-1-81
21.	39	पांचोली	,,	4-6-70
22.	85	पाडली बाढ	जनवरी, 79	31-3-79
23.	37	पिलोडी	,,	31-3-75
24.	44	रायपुर ब्राह्मण	,,	22-2-74
25.	84	रामगढ़	,,	19-6-70

Page No 184

(184)

1	2	3	4	5
26.	102	सरण्डला	जनवरी, 79	22-2-74
27.	5	सिकन्दरा	,,	4-6-70
28.	89	सिकराय	,,	4-6-70
29.	27	उदयपुरा	,,	मार्च, 79
30.	8/11/122	भगलाई	,,	22-2-74
31.	128	भगलाव	,,	मार्च, 77
32.	8/11/121	भाण्डारेज	,,	30-3-63
33.	113	डगलाव	,,	31-3-75
34.	118	गणेशपुरा	अक्टूबर, 79 (नियमित)	19-10-79
35.	70	मित्रपुरा	,,	22-2-74
36.	63	पालावास	,,	22-2-74
37.	65	पाडली	,,	22-2-74
38.	139	सराय	नवम्बर, 78	31-3-78
39.	117	सूरजपुरा	,	22-2-74
40.	129	महाराजपुरा	,,	22-2-74
41.	8/12/80	अचलपुरा	अप्रेल, 74	31-3-76
42.	107	आगावाली	,,	28-9-76
43.	45	विन्दरवाडा	,,	27-9-76
44.	52	छोकरवाडा	,,	26-2-76
45.	60	देवरी	,,	31-3-77
46.	41	धूलकोट	,,	30-11-76
47.	117	फरीशपुरा	,,	30-9-76
48.	106	गण्डरावा	,,	30-8-76
49.	105	गांगदवाडी	,,	30-8-76
50.	68	गुमानपुरा	,,	24-2-78
51.	62	झापडावास	,,	31-3-77
52.	79	झरना	,,	27-2-76
53.	51	कालेड़ा	,,	20-2-76
54.	87	कलावन	,,	30-10-76
55.	63	कारोली	,,	15-3-78
56.	110	लाका	,,	15-3-78
57.	64	मोलकपुरा	,,	31-3-78
58.	65	मोरोली	,,	31-3-78

1	2	3	4	5
59.	53	निहालपुरा	अप्रेल, 74	30-9-76
60.	66	रानोली	,,	31-3-77
61.	42	सीकरी	,,	27-9-76
62.	72	शेखपुर	,,	28-9-76
63.	116	टोरडा	,,	30-9-76
64.	8/11/134	गोटडा	,,	31-3-78
65.	133	विरासना	,,	31-3-77
66.	110	गागंत्यावास	,,	15-3-78
67.	72	विसलवास	,,	7-12-76
68.	145	ईटारडा	मार्च, 76	31-3-78
69.	131	नांगल चापा	,,	31-3-78
70.	112	रजवास	,,	31-3-78
71.	111	रानीवास	,,	31-3-78
72.	130	स्यालावास	,,	31-3-78
73.	73	भांकरी	,,	30-3-77
74.	120	खेडली	,,	7-12-76

सूची "ब"

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में केटेगरीवाइज आवेदन-पत्र मण्डल के पास 1 जनवरी, 1983 को पेन्डिग, ग्रामवार सूची

क.स.	गांव का नाम	कोड नं.	विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या — डोमेस्टिक नं.	डेट सबसे पुराना	नोन-डोमेस्टिक नं.	सबसे पुरानी तारीख	औद्योगिक नं.	सबसे पुरानी तारीख	कृषि नं.	सबसे पुरानी तारीख	अन्य नं.	सबसे पुरानी तारीख	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	कालेड़ा	8/12/5	23	25/3/82	–	–	–	–	2	5/3/80	–	–	25
2.	छोकरवाड़ा	52	5	20/10/81	–	–	–	–	21	31/10/79	–	–	26
3.	भरना	79	–	–	–	–	–	–	16	16/12/80	–	–	16
4.	अचलपुरा	80	20	31/12/82	–	–	1	31/12/85	13	3/2/79	–	–	34
5.	पडारावा	106	–	–	–	–	–	–	4	5/12/80	–	–	4
6.	टोरडा	13	31	30/9/81	–	–	–	–	7	2/2/79	–	–	38
7.	गांगदवाड़ी	105	1	24/9/82	–	–	3	30/8/81	11	26/12/78	–	–	15
8.	परासपुरा	117	–	–	–	–	1	31/8/82	6	16/7/79	–	–	7
9.	शेखपुरया	72	–	–	–	–	–	–	1	25/3/81	–	–	1
10.	धुलाकेट	41	17	12/2/80	–	–	–	–	8	22/3/79	1	12/2/80	26
11.	सीकरी	42	6	28/8/80	1	28/8/81	1	7/10/82	5	2/2/79	1	28/8/80	14
12.	कालवान	87	2	7/7/78	–	–	1	26/9/78	9	3/7/78	1	25/6/79	13
13.	अगावली	107	3	4/11/81	–	–	–	–	15	6/12/79	–	–	18

14. मोचिंगपुरा	64	–	–	–	–	–	–	10	9/1/79	–	–	10
15. मेरोली	65	–	–	–	–	–	–	3	20/10/81	–	–	3
16. कारोली	63	1	22/9/81	–	–	–	–	8	8/11/79	–	–	9
17. भापरावास	62	–	–	1	17/5/79	–	–	1	5/3/80	1	17/5/79	3
18. गुमानपुरा	68	–	–	–	–	2	10/10/79	1	10/8/80	–	–	3
19. रानोली	66	3	20/10/81	1	20/10/8	1	19/5/82	122	20/4/79	–	–	27
20. देवरा	60	4	4/2/83	–	–	1	7/2/82	2	26/12/80	–	–	7
21. लांका	110	18	2/8/80	1	13/10/82	2	29/12/80	3	23/2/80	–	–	24
22. ईंटका	48	25	23/2/80	1	6/4/79	4	3/4/79	22	26/12/79	–	–	52
23. विन्दरवाड़ा	8/12/45	–	–	–	–	–	–	1	25/9/79	–	–	1
24. गिलारिया	86	10	16/11/79	–	–	–	–	1	2/1/81	–	–	11
25. पाडली वाड़	85	2	6/12/79	–	–	–	–	8	10/10/79	–	–	10
26. निकतपुरी	12	–	–	–	–	–	–	13	8/2/80	–	–	13
27. भण्डारी	54	2	1/4/81	–	–	2	14/8/80	1	5/4/80	–	–	5
28. भीभन	82	–	–	–	–	–	–	8	21/8/80	–	–	8
29. मुरलीपुर	40					1	25/12/82	3	12/10/79	–	–	4
30. सरुण्डला	102	40	4/1/82	–	–	3	14/10/81	5	31/5/79	–	–	48
31. मरियाडा	7	5	5/1/82	–	–	4	29/10/77	21	8/12/77	–	–	30
32. सिकराय	89	46	25/9/81	14	25/9/81	12	24/5/78	18	30/12/78	1	4/9/81	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	गिरधरपुरा	50	–	–	–	–	1	28/8/82	3	17/5/78	–	–	4
34.	बासड़ा	49	–	–	18	10/1/80	3	14/10/81	8	18/6/81	–	–	29
35	लीकर्ला	8	–	–	–	–	2	23/8/70	10	9/12/77	–	–	12
36.	रामगढ़	84	1	13/8/82	–	–	–	–	9	10/8/79	–	–	10
37.	गांवड़ी	9	2	6/8/82	–	–	–	–	7	31/12/77	–	–	9
38.	पिलोड़ी	37	40	4/1/82	–	–	2	1/1/79	14	1/1/79	–	–	56
39.	चान्दपुर	101	–	–	–	–	–	–	8	21/1/79	–	–	8
40.	गनीपुर	92	9	24/9/82	–	–	–	–	6	16/11/79	–	–	15
41.	सिकन्दरा	5	30	28/9/81	18	3/10/81	12	23/8/79	29	27/7/79	–	–	89
42.	बावनपाड़ा	6	13	21/10/80	–	–	–	–	5	14/9/79	–	–	18
43.	बुडली	83	–	–	–	–	1	5/4/82	4	19/9/79	–	–	5
44.	गीजगढ़	100	25	23/11/81	7	2/12/81	8	5/8/80	36	22/9/73	–	–	76
45.	पांचोली	39	22	24/9/81	–	–	1	10/6/80	9	1/9/79	–	–	32
46.	रामपुरा	44	–	–	–	–	–	–	17	28/8/78	–	–	17
47.	ब्राहम्ण बराड़ा	46	–	–	–	–	1	24/12/80	9	26/5/79	–	–	10
48.	मानुपर	11	16	16/3/81	–	–	10	12/10/81	11	2/2/79	–	–	37
49.	बिचलवास	8/12/72	1	15/12/82	–	–	3	7/3/81	1	31/8/82	–	–	5
50.	भाकरी	73	7	2/11/82	–	–	7	1/8/78	6	15/9/79	–	–	20
51.	गांगलियावास	110	–	–	–	–	–	–	1	16/2/83	–	–	1
52.	ईटारडा	145	–	–	–	–	–	–	2	4/10/79	–	–	2
53.	पोगलवापा	131	–	–	–	–	–	–	5	25/12/79	–	–	5
54.	खेड़ली	120	2	30/12/82	1	19/9/80	–	–	1	2/8/79	–	–	4

55. भगलाव	128	–	–	–	–	–	–	3	25/9/81	–	–	3
56. भगलाई	122	–	–	–	–	4	7/10/80	14	27/1/79	–	–	18
57. भांडारेज	121	15	9/6/81	–	–	19	12/9/77	38	27/1/79	–	–	72
58. गणेशपुरा	118	1	15/11/79	–	–	–	–	4	15/11/79	–	–	5
59. मित्रपुरा	70	–	–	–	–	–	–	1	4/9/79	–	–	1
60. पालावास	63	–	–	–	–	1	1/9/82	–	–	–	–	1
61. पाड़ली	65	–	–	–	–	1	24/10/80	–	–	–	–	1
62. महाराजपुरा	129	–	–	–	–	–	–	3	29/12/79	–	–	3
63. गीड़ा	134	–	–	–	–	–	–	2	21/9/79	–	–	2
64. बारासन	133	–	–	–	–	–	–	6	13/9/78	–	–	6
65. सराय	139	1	25/9/82	–	–	–	–	1	25/9/82	–	–	2

(190)

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 219 की सूची

सूची 'अ'

अलवर विधानसभा क्षेत्र में अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या
1.	बालाडहरा	5, 6/37
2.	रूंद शाहपुर	5/6/34
3.	ईंटाराना	5/6/198
4.	रूंद मदारपुर	5/6/35
5.	तेहड़पुर	5/6/145
6.	हाजीपुर	5/6/144
7.	रूंद हाजीपुर	5/6/146
8.	ढडीकर	5/6/143
9.	रूंद ढडीकर	5/6/151
10.	टोडियार	5, 6/139
11.	रूंद माव	5/6/142
12.	रूंद निदानी	5/6/140
13.	पालका	5/6/203
14.	बेरका	5/6/200
15.	छतरपुर	5/6/227

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 221 की सूची

जिलेवार वर्षानुसार शैक्षणिक योग्यतानुसार पंजीकृत एवं नौकरी पर लगे युवकों की सूचना

क.सं.	नियोजन कार्यालय का नाम	पंजीकृत युवकों की संख्या			नौकरी पर लगे युवकों की संख्या		
		1980	1981	1982	1980	1981	1982
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	10512	12999	12913	994	1273	886
2.	अलवर	9486	10187	11767	815	583	570
3.	बांसवाड़ा	2685	2450	2700	334	305	215
4.	बाड़मेर	1782	2126	2481	216	386	358
5.	भरतपुर	9636	11210	16445	587	740	592
6.	भीलवाड़ा	4894	4504	4998	1109	849	877
7.	बीकानेर	5219	5809	5240	425	616	538
8.	बूंदी	1411	2516	2431	57	284	198
9.	चितौड़गढ़	3015	3195	3417	323	450	294
10.	चूरू	2542	2984	4229	330	759	310
11.	डूंगरपुर	2722	3063	3049	230	367	220
12.	जयपुर	36814	36132	28811	1185	1373	1898
13.	जैसलमेर	987	837	349	898	330	354

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	जालौर	1471	2203	1799	367	345	434
15.	झालावाड़	2209	2400	2531	282	328	328
16.	झुंझुनूं	9162	6260	8329	451	695	5 9
17.	जोधपुर	7196	9241	9544	1388	1442	983
18.	कोटा	2533	9522	11858	1121	1441	667
19.	नागौर	6826	7238	9758	405	492	379
20.	पाली	4120	3745	4385	585	421	415
21.	सवाई माधोपुर	5965	6431	6455	510	616	221
22.	सीकर	5168	5569	5950	441	408	285
23.	सिरोही	1732	1319	1769	422	286	367
24.	श्री गंगानगर	6442	10307	9907	643	977	879
25.	टोंक	2802	3661	3587	936	422	520
26.	उदयपुर	8094	8554	8957	1525	1006	793
27.	पी. एण्ड. ई.	4989	4457	5072	56	117	84
28.	विशेष नियोजन कार्यालय (विकलांग) जयपुर	250	410	436	54	159	93
	योग..	165732	187113	189612	16780	17400	14140

परिशिष्ट - 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 223 की सूची

जिला जैसलमेर में विगत वर्षों में खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालय की सूची:-

सत्र 77-78

1. घंटियाली — जैसलमेर
2. देवुगा (आइन्ता) — जैसलमेर
3. मदासर (नेडान) — सांवड़ा
4. खेजड़ली (मानयान) — सांवड़ा
5. कजोड़ी (फलसूंड) — सांवड़ा
6. न्यूएटा — जैसलमेर
7. तगसिंह की ढाणी (सन ऑफ केसरी सिंह) — सांवड़ा

सत्र 78-79

1. सगरों की बस्ती — सम
2. धावा — सम
3. सेवड़ा — जैसलमेर
4. पांचों का तला — जैसलमेर
5. दुधिया — जैसलमेर
6. कूपजी की ढाणी — जैसलमेर
7. गेला (दांतियां) — जैसलमेर
8. नालोखा — जैसलमेर
9. रामपुरिया — जैसलमेर
10. करडा — जैसलमेर
11. दूवासर — जैसलमेर
12. प्राणपिया
13. काढ़ा — जैसलमेर
14. आर.डी. 1200 अवंई — पोकरण
15. चौधरिया — जैसलमेर
16. कुछड़ा — जैसलमेर

सत्र 79-80

1. रेशारूंड — जैसलमेर
2. दीपसिंह की ढाणी — सम
3. सोखा — सम
4. लखमना — सम
5. सांवता दीपसिंह की ढाणी — सम

सत्र 80-81

1. वजिरों की ढाणी — जैसलमेर
2. मुन्दारड़ी — जैसलमेर

सत्र 81-82

1. मेहरों की ढाणी — सम

(194)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 227 की सूची

बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, बीकानेर

ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता परियोजना द्वारा कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की सूची:—

क्र.सं.	केन्द्र का नाम
	परिक्षेत्र: पांचू
1.	जांगलू
2.	जांगलू
3.	जांगलू
4.	जांगलू
5.	जांगलू
6.	पांचू
7.	पांचू
8.	पांचू
9.	पांचू
10.	सोमलसर
11.	पिथरासर
12.	पिथरासर
13.	डोंगसरी
14.	डोंगसरी
15.	चिताना
16.	कूदसू
17.	कूदसू
18.	शिनासर
19.	किशनासर
20.	कांकड़ा
21.	कांकड़ा
22.	काँकड़ा
23.	उड़सर
24.	हिम्मटसर
25.	हिम्मटसर
26.	हिम्मटसर
27.	भड़ेली
	परिक्षेत्र: - बंबलू
28.	बंबलू
29.	बंबलू
30.	बंबलू
31.	बंबलू
32.	उदासर
33.	उदासर
34.	रानीसर
35.	आसेरा
36.	शेरेरा
37.	शेरेरा
38.	शेरेरा
39.	रुपेरा
40.	हेमेरा
41.	राजेरा
42.	राजेरा
43.	रुढ़ियावड़ावास
44.	रुढ़ियावड़ावास
45.	रुढ़ियावड़ावास
46.	रुढ़ियावड़ावास
47.	गुसाइसर
48.	गुसाइसर
49.	राइसर
50.	गुसाइसर
51.	गुसाइसर
52.	पनपालसर

क्र.सं.	केन्द्र का नाम
53.	रायसर
54.	रायसर
55.	नौरंगदेसर
56.	भोजरा
57.	हेमेरा
	परिक्षेत्र:—झझू
58.	झझू
59.	झझू
60.	झझू
61.	झझू
62.	हाडलाभाटी
63.	हाडलाराव
64	भोलासर
65.	भोलासर
66.	चकविजयसिंहपुरा
67.	खेतोनाइमूलवान
68.	खाकूसर
69.	हुंदा
70.	हुंदा
71.	हुंदा
72.	लूम्बनामूलवान
73.	लूम्बनाभाटियान
74.	खिदासर
75.	खिदासर
76.	नान्दड़ा
77.	खजोड़ा
78.	भेलू
79.	भेलू
80.	भेलू
81.	खिखनिया पट्टा
82.	सिखनिया कुडियान
83.	दासूडी
84.	दासूडी
85.	दासूडी
86.	मोखा
87.	झझू
	परिक्षेत्र:--गजनेरा
88.	नाल
89.	नाल
90.	गजनेर
91.	गजनेर
92.	चांडसर
93.	कोटड़ा
94.	नाइयों की बस्ती
95.	कोटी
96.	कोलायत
97.	कोलायत
98.	कोलायत
99.	मढ
100.	मढ
101.	मढ
102.	नाल
103.	कोलासर
104.	कोलासर
105.	श्रीरामसर
106.	इन्दों का वाला
107.	श्रीरामसर
108.	करमीसर
109.	गजनेर
110.	चांदी
111.	कोलायत
112.	कोटडी
113.	कोलायत
114.	स्वरूपदेसर
115.	स्वरूपदेसर

क्र.सं.	केन्द्र का नाम
116.	स्वरूपदेसर
117.	चांदी

परिक्षेत्र :–लूणकरणसर

क्र.सं.	केन्द्र का नाम
118.	कपूरीसर
119.	कपूरीसर
120.	मलकीसर
121.	पीपेरा
122.	पीपेरा
123.	नाथवाना
124.	लूणकरणसर
125.	कालू
126.	कालू
127.	हुसेरा
128.	हुसेरा
129.	हुसेरा
130.	दुलमेरार
131.	दुलमेरार स्टेशन
132.	धीरोरागांव
133.	धीरोरागांव
134.	कस्तूरिया
135.	धीरेरा स्टेशन
136.	धीरेरा स्टेशन
137.	लूणकरणसर
138.	कालवास
139.	लूणकरणसर
140.	मलकीसर छोटा
141.	कपूरीसर
142.	बामनवाली
143.	बामनवाली
144.	बामनवाली
145.	धीरेरागांव
146.	मलकीसर
147.	मलकीसर स्टेशन

परिक्षेत्र :–सुरधा

क्र.सं.	केन्द्र का नाम
148.	सरधना चौ.
149.	सुरधनापड़ी
150.	कोटड़ी
151.	किलूच
152.	किलूच
153.	गोगासर
154.	गोगासर
155.	अम्बासर
156.	अम्बासर
157.	सुजासर
158.	देवीकुण्ड सागर
159.	शिवबाडी
160.	शिवबाडी
161.	बेलासर
162.	बेलासर
163.	तेजरासर
164.	नापासर
165.	नापासर
166.	कल्याणसर
167.	कल्याणसर
168.	केसर देसर जाटान
169.	घड़सीसर
170.	घड़सीसर
171.	सुरधना चौ.
172.	नापासार
173.	सुरधना चौ.
174.	सीन्थल
175.	तेजरासर
176.	शिवबाड़ी
177.	रिड़मलसर

क्र. सं.	केन्द्र का नाम
	परिक्षेत्र: दियातरा
178.	दियातरा
179.	दियातरा
180.	दियातरा
181.	दियातरा
182.	खेतालाई शिम्पू
183.	खेतालाई शिम्प
184.	रांबेरी
185.	नयागांव
186.	मंडाल चारणान
187.	गडियाला
188.	गडियाला
189.	गडियाला
190.	कन्या वन्धा
191.	लाडखान
192.	गुड़ा
193.	गुड़ा
194.	गुड़ा
195.	सांखला की वस्ती
196.	बीठनोख
197.	भाणेका
198.	बीठनोक
199.	भाणेकाढाणी
200.	छनेरी
201.	गिर्राजसर
202.	गोविन्दसर
203.	गोविन्दसर
204.	गडियाला
205.	मेडालचारणान
206.	दियातरा
207.	लोहिया
	परिक्षेत्र:—जामसर
208.	हुसनसर
209.	हुसनसर
210.	हुसनसर
211.	खारा
212.	जामसर
213.	जलालसर I
214.	जलालसर II
215.	खीचिया
216.	खीचिया
217.	खीचिया
218.	जामसर स्टेशन
219.	दाउदसर
220.	डांडूसर
221.	डांडूसर
222.	डांडूसर
223.	मालासर
224.	कानासर गांव
225.	कानासर
226.	कानासर गांव
227.	कानासा स्टेशन
228.	जामसर स्टेशन
229.	मालासर
230.	जगदेववाला
231.	मालासर
232.	हुसनसर
233.	गर्तरियासर
234.	जामसरका
235.	जामसर
236.	लालगढ़
237.	धोलेरा
	परिक्षेत्र:—लाखूसर
238.	सोभासर
239.	सोभासर

क्र. सं.	केन्द्र का नाम
240.	बदरासर
241.	लाखूसर
242.	लाखूसर
243.	बदरासर
244.	कावनी
245.	कावनी
246.	कावनी
247.	कावनी
248.	जयमलसर
249.	जयमलसर
250.	जयमलसर
251.	जयमलसर
252.	पूगल
253.	पूगल
254.	पूगल
255.	पूगल
256.	मेहरासर
257.	भरूखावा
258.	जयमलसर
259.	चक नं. 19
260.	भरूखावा
261.	शोभासर
262	बदरासर
263.	नोखा उर्फ हैया
264	भरूखीरा
265.	भरूखीरा
266.	छतरगढ़
267.	छतरगढ़
	परिक्षेत्र :—नोखा गांव
268.	रासीसर
269.	रासीसर
270.	रासीसर
271.	रासीसर
272.	नोखागांव
273.	नोखागांव
274.	नोखागांव
275.	नोखागांव
276.	देशनोक
277.	देशनोक
278.	देशनोक
279.	नरसिंहपुरा
280.	जोरावरपुरा
281.	जोरावरपुरा
282.	मान्यफा
283.	मान्यफा
284	पारवा
285.	पारवा
286.	देसलसर
287.	भामटसर
288.	भामटसर
289.	भामटसर
290.	भामटसर
291.	देशनोक
292.	सुरपुरा
293.	सुरपुरा
294.	सिंजगुरु
295.	सिंजगुरु
296.	उदयरामसर
297.	पलाना

परिशिष्ट--13

अतारांकित प्रश्न संख्या 228 की सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाएं, कोटा

मापदण्ड के अनुसार केवल के तृतीय वेतन श्रृंखला अतिरिक्त आवश्यकता

क्र. सं.	नाम विद्यालय	अध्यापकों की मांग
1.	रा. मा. वि., नैंता	4
2.	रा. मा. वि., पीपल्दा	4
3.	रा. मा. वि., हातोली	3
4.	रा. मा. वि., नोहरगढ़	4
5.	रा. मा. वि., जलवाड़ा	2
6.	रा. मा. वि., घूलेट	6
7.	रा. मा. वि., बंफावर	3
8.	रा. मा. वि., मोईकला	9
9.	रा. मा. वि., कमोलर	11
10.	रा. मा. वि., मण्डाना	4
11.	रा. मा. वि., हरनावदा	4
12.	रा. मा. वि., सोरसन	8
13.	रा. मा. वि., कलंदरा	2
14.	रा. मा. वि., केलवाड़ा	3
15.	रा. मा. वि., कस्बाथाना	4
16.	रा. मा. वि., समरानिया	3
17.	रा. मा. वि., कवाई	3
18.	रा. मा. वि., मोठपुर	6
19.	रा. मा. वि., बंडेरा	7
20.	रा. मा. वि., सुकेत	6
21.	रा. मा. वि., कोयला	2
22.	रा. मा. वि., मोडक स्टेशन	2
23.	रा. मा. वि., खेड़ारसूद्दा	5
24.	रा. मा. वि., बटावदा	4
25.	रा. मा. वि., सीमली	5

क्र. सं.	नाम विद्यालय	अध्यापकों की मांग
26.	रा. मा. वि., बामला	3
27.	रा. मा. वि., फतहपुर	4
28.	रा. मा. वि., दीगोद	4
29.	रा. मा. वि., मन्डावरा	1
30.	उ. प्रा. वि., नवीन कोटा	2
31.	उ. प्रा. वि., पुलिस लाइन	2
32.	उ. प्रा. वि., नान्ता	2
33.	उ. प्रा. वि., कोटड़ी	4
34.	उ. प्रा. वि., ब्रजराजपुरा	1
35.	उ. प्रा. वि., रंगलालाब	2
36.	उ. प्रा. वि., भीममंडी	2
37.	उ. प्रा. वि., गोपाल मील	2
38.	उ. प्रा. वि., किशनपुरा तकिया	1
39.	उ. प्रा. वि., इन्द्रा गांधी नगर	6
40.	उ. प्रा. वि., सिन्धी वल्लभनगर	2
41.	उ. प्रा. वि. देवली अरब	1
42.	उ. प्रा. वि., रायपुरा	1
43.	उ. प्रा. वि., कंसुआ	4
44.	उ. प्रा. वि., बेसिक मोडल	2
45.	उ. प्रा. वि., लाखपुरा	1
46.	उ. प्रा. वि., शास्त्रीनगर	2
47.	उ. प्रा. वि., छावनी नवीन	1
48.	उ. प्रा. वि., विज्ञान नगर	10
49.	उ. प्रा. वि., खेड़ली पुरोहित	3
50.	उ. प्रा. वि., सोगरिया	2
51.	उ. प्रा. वि., बनियानी	1
52.	उ. प्रा. वि., गोपालपुरा	2

क्र.सं.	नाम विद्यालय	अध्यापकों की आव.
53.	उ. प्रा. वि., कसार	2
54.	उ. प्रा. वि., अर्जनपुरा	1
55.	उ. वि. वि., बोरखन्डी	3
56.	उ. प्रा. वि., जाखेड़ा	3
57.	उ. प्रा. वि., गिरधरपुरा	2
58.	उ. प्रा. वि., बनेठिया	1
59.	उ. प्रा. वि., डाबरवमोरी	2
60.	उ. प्रा. वि., कोटसुवां	3
61.	उ. प्रा. वि., कोटड़ा दीपसिंह	3
62.	उ. प्रा. वि., टाकरवाड़ा	1
63.	उ. प्रा. वि., फतेहपुर	2
64.	उ. प्रा. वि., चोखामालियान	1
65.	उ. प्रा. वि., रेलगांव	1
66.	उ. प्रा. वि., अमरपुरा	1
67.	उ. प्रा. वि., जाखड़ादा	2
68.	उ. प्रा. वि., छीपाबड़ोद	3
69.	उ. प्रा. वि., देवरीजोध	5
70.	उ. प्रा. वि., डोरम	5
71.	उ. प्रा. वि., बिलेण्डी	5
72.	उ. प्रा. वि., भनभनी	5
73.	उ. प्रा. वि., राइ	3
74.	उ. प्रा. वि., सेडलीगंज अरू	3
75.	उ. प्रा. वि., अन्ताना	2
76.	उ. प्रा. वि., ननावता	4
77.	उ. प्रा. वि., दिवाली	4
78.	उ. प्रा. वि., सकतपुर	3
79.	उ. प्रा. वि., चरडाना	1
80.	उ. प्रा. वि., सनूरोद	4
81.	उ. प्रा. वि., कन्हैयानोहर	4
82.	उ. प्रा. वि., अन्ता	2
83.	उ. प्रा. वि., देवली चेचट	1
84.	उ. प्रा. वि., मोडक गांव	4
85.	उ. प्रा. वि., देवली मण्डी	3

क्र. सं.	नाम विद्यालय	अध्यापकों की आव.
86.	उ. प्रा. वि., जुल्मी	2
87.	उ. प्रा. वि., गोयन्दा	1
88.	उ. प्रा. वि., धरनावद	1
89.	उ. प्रा. वि., खेड़ली चेचट	1
90.	उ. प्रा. वि., अलोद	1
91.	उ. प्रा. वि., काल्याखेड़ी	1
92.	उ. प्रा. वि., पीपल्दा	1
93.	उ. प्रा. वि., सांगोद	3
94.	उ. प्रा. वि, बोरीनाकला	1
95.	उ. प्रा. वि., खाड़िया	1
96.	उ. प्रा. वि., बालूहेड़ा	1
97.	उ. प्रा. वि., हिंगोनियां	1
98.	उ. प्रा. वि., केशोल	3
99.	उ. प्रा. वि., रोलाना	2
100.	उ. प्रा. वि., कुन्दनपुर	2
101.	उ. प्रा. वि., देगनिया	2
102	उ. प्रा. वि. ढोटी	2
103.	उ. प्रा. वि., हरिपुरा	2
104.	उ. प्रा. वि., दरा स्टेशन	2
105.	उ. प्रा वि. कुराड़	1
106.	उ. प्रा. वि., दीगोद	2
107.	प्रा वि., लाडपुरा	1
108.	प्रा. वि., भाटापाड़ा	1
109.	प्रा. वि., धान मन्डी	2
110.	प्रा. वि. साबरमती	1
111.	प्रा. वि., मोखापाड़ा	1
112.	प्रा. वि. सि. श्रीपुरा II	1
113.	प्रा. वि., नयाखेड़ा	1
114.	प्रा. वि., किशोरपुरा	3
115	प्रा. वि,, गुमानपुरा नवीन	6
116	प्रा. वि., बंगाली बस्ती	6
117.	प्रा. वि., महावीर नगर	4

क्र.सं.	नाम विद्यालय	अध्यापकों की आव.
118.	प्रा. वि., सि. वल्लभ नगर	4
119.	प्रा. वि., गोविन्द नगर	4
120.	प्रा वि., बोरखेड़ा	2
121.	प्रा. वि., भदाना	3
122.	प्रा. वि., थेकड़ा	4
123.	प्रा. वि, कालेपुरा	3
124.	रा. प्रा. वि., अनन्तपुरा	3
125.	प्रा. वि., शिवपुरा	2
126.	प्रा. वि., भीम मन्डी नवीन	3
127.	प्रा. वि., केशवपुरा	2
128.	प्रा. वि., छावनी II	3
129.	प्रा. वि. श्रीराम नगर	3
130.	प्रा. वि., इन्द्रा गांधी नगर	3

कुल योग—371

कोटा जिले में पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी का विवरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत पद	मानदण्ड के अनुरूप अध्यापकों की आवश्यकता	अध्यापकों की कमी
1.	सांगोद	202	217	15
2.	छबड़ा	139	163	24
3.	शाहबाद	103	157	54
4.	बारां	138	165	27
5.	इटावा	183	205	22
6.	छीपा बड़ौद	116	144	28
7.	किशनगंज	117	118	1
8.	अन्ता	170	234	64
9.	चेचट	160	157	-(3)
10.	लाड़पुरा	161	179	18
11.	सुल्तानपुर	182	194	12
12.	अटरू	145	178	33
	योग ...	1816	2111	295

Page No 202

(202)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रा संस्थाएं, कोटा

कोटा जिला

मानदण्ड के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय

क्रम संख्या	नाम विद्यालय	कुल छात्रा संख्या	कक्षा खण्डों की संख्या	मानदण्ड के अनुसार अध्या. की आवश्यकता ग्रेड	संख्या	वर्तमान में स्वीकृत पद	मानदण्डों के अनुसार अधिक/कम अधिक	कम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उच्च माध्यमिक विद्यालय								
1.	बा.उ.मा.वि रामपुरा, कोटा	1276	33	I	19	19	–	–	
				II	35	31	–	4	
				III	1	1	–	–	
2.	,, ,, श्रीपुरा, कोटा	1043	30	I	17	17	–	–	
				II	32	25	–	7	
				III	–	–	–	–	
3.	,, ,, भीममण्डी, कोटा	981	29	I	13	13	–	–	
				II	20	19	–	1	
				III	10	10	–	–	
4..	,, ,, बारां	928	18	I	10	10	–	–	
				II	12	11	–	1	
				III	7	3	–	4	
	योग.. बा.उ.मा.वि.	4228	110	I	59	59	–	–	
				II	99	86	–	13	
				III	18	14	–	4	
	माध्यमिक विद्यालय								
5.	बा.मा.वि, नयापुराबाग, कोटा	598	15	II	9	9	–	–	
				III	12	14	2	–	
6.	बा.मा वि., टिपटा, कोटा	780	19	II	11	11	–	–	
				III	15	12	–	3	
7.	,, गुमानपुरा, कोटा	644	15	II	7	7	–	–	
				III	15	13	–	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	बा.मा.वि.दादाबाड़ी, कोटा	413	9	II	7	7	–	–	
				III	7	2	–	5	
9.	,, वल्लभनगर, कोटा	231	7	II	6	6	–	–	
				III	4	3	–	1	
10.	,, कैथून	117	5	II	6	6	–	–	
				III	3	1	–	2	
11	,, छबड़ा	271	8	II	7	7	–	–	
				III	5	1	–	4	
12.	,, छीपाबड़ोद	236	6	II	6	6	–	–	
				III	4	2	–	2	
13.	,, रामगंज मण्डी	381	9	II	10	10	–	–	
				III	4	–	–	4	
14.	,, मांगरोल	132	5	II	6	6	–	–	
				III	3	1	–	2	
15.	,, अन्ता	200	6	II	7	7	–	–	चार ऐच्छिक
				III	4	1	–	3	विषय चल
16.	,, सुमेरगंजमण्डी	66	5	II	6	6	–	–	रहे हैं।
				III	3	1	–	2	
17.	,, सीसवाली	125	5	II	6	6	–	–	
				III	3	2	–	1	
18.	,, चेचट	124	5	II	6	6	–	–	
				III	3	1	–	2	
19.	,, सांगोद	228	6	II	6	6	–	–	
				III	4	1	–	3	
	योग माध्य. विद्या...	4546	125	II	106	106	–	–	
				III	89	55	2	36	
	महायोग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	8774	235	I	59	59	–	–	
				II	205	192	–	13	
				III	107	69	2	40	अर्थात् 38 पद कम हैं।

ह.
जिला शिक्षा अधिकारी,
छात्रा संस्थाएं, कोटा।

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 232 की सूची

क्रमांक	नाम कार्य	जून, 80 से जनवरी, 83 तक हुआ व्यय	कार्य हो चुका उसका प्रतिशत	शेष कार्य का प्रतिशत	शेष कार्यों को पूरा करने के लिये वांछित राशि
1	2	3	4	5	6
	सार्वजनिक निर्माण विभाग				
1.	सालासर से मंगलूना सड़क	2,47,816/-	25 प्रति.	75 प्रति.	8.00 लाख
2.	अप्रोच रोड बेसवा सड़क	82,162/-	15	85	7.00 ,,
3.	कूदन से पालड़ी सड़क	20,202/-	65	35	4.00 ,,
4.	लछमनगढ़ से सालासर सड़क	1,00,171/-	30	70	35.00 ,,
5.	खण्डेला से पलसाना सड़क	6,65,427/-	100	--कार्य पूर्ण हो चुका है	
6.	रोलसाहबसर से दातरू सड़क	8,78,817/-	20	80	40.00 लाख
7.	धोद से सिगरावट सड़क	3,66,824/-	27	73	10.00 ,,
8.	फतेहपुर से नेछवा सड़क	60,079/-	10	90	50.00 ,,
9.	फतेहपुर से मुकन्दगढ़ सड़क	50130/-	5	95	14.00 ,,
10.	लछमनगढ़ से नवलगढ़ सड़क	3,26,796/-	14	86	20.00 ,,
11.	मन्ढा से खाटू सड़क	67,382/-	5	95	28.00 ,,
12.	गोवटी से कोछोर सड़क	1,099/-	-	100	20.00 ,,
13.	श्रीमाधोपुर से लोहरवाड़ा सड़क	2,06,967/-	10	90	24.00 ,,
14.	चेलासी से पाटोदा सड़क	2,01,900/-	15	85	20.00 ,,
15.	धींगपुर से खाटू सड़क	71,670/-	7	93	10.00 ,,
16.	सेवद बड़ी से मिरन सड़क	58,921/-	5	95	10.00 ,,
17.	खण्डेला मोड़ से चला बाबा टीकड़ी सड़क	2,92,127/-	15	85	20.00 ,,
18.	डोकन से रायपुर सड़क	3,93,601/-	16	84	25.00 ,,
19.	झाड़ली से हाथीदेह सड़क	3,78,085/-	21	79	18.00 ,,
20.	महरोली से गूंडरू	1,33,309/-	10	90	13.00 ,,
21.	अजीतगढ़ से चीपलाटा सड़क	2,71,432/-	6	94	45.00 ,,
22.	पालड़ी से पनलावा सड़क	1,34,515/-	14	86	10.00 ,,
23.	किरोड़ोली से भढाढरे सड़क	1,38,008/5	60	40	5.00 ,,
24.	करड़ से मढ़ा सुरेरा सड़क	1,39,552/-	19	81	7.50 ,,

1	2	3	4	5	6
25.	करड़ से रेनवाल सड़क	1,16,630/-	16	84	7.20 लाख
26.	पाटन से दलपतपुरा सड़क	1,57,464/-	11	89	15.00 ,,
27.	लोसल से छोटी लोसल सड़क	33,346/-	7	93	5.00 ,,
28.	पिपराली से सिहासन सड़क	86,007/-	11	89	8.00 ,,
29.	खण्डेला से मुरारा सड़क	94,989/-	11	89	9.00 ,,
30.	नांगल से टकनेत सड़क	1,69,675/-	17	83	10.00 ,,
31.	अप्रोच रोड आभावास (रींगस खाटू सड़क से)	36,266/-	2	98	30.00 ,,
32.	जीर्णमाता से दांता सड़क	5,918/-	0.15	99.85	40.00 ,,
33.	अप्रोच सड़क भूपा (लछमनगढ़ सालासर सड़क से)	65,873/-	8	92	8.00 ,,
34.	रामगढ़ से महनसर सड़क	2,15,161/-	18	82	12.00 ,,
35.	रामगढ़ से मण्डावा सड़क	2,79,469/-	14	86	20.00 ,,
36.	अप्रोच रोड चेनपुरा (सीकर उदयपुर वाटी सड़क से)	16,451/-	4	96	14.00 ,,
37.	श्री माधोपुर से जोरावर नगर	27,757/-	2	98	18.00 ,,
38.	अजमेरी से ठठेरा सड़क	2,923/-	-	100	18.00 ,,
39.	डाबला पाटन से हरियाणा बोर्डर सड़क	24,595/-	25	75	1.00 ,,
40.	राजपुरा से धाधेला सड़क	12,050/-	6	94	2.00 ,,
41.	सिंगरावट से शाहपुरा सड़क	1,49,247/-	15	85	10.00 ,,
42.	गोरिया से श्यामगढ़ सड़क वाया पलासरा	4,43,937/-	18	82	24.00 ,,
43.	बड़ी जोड़ी से अजमेरी सड़क	1,32,341/-	17	83	8.00 ,,
44.	धोद से खूड़ वाया सांवी	57,426/-	4	96	15.00 ,,
45.	सेवद बड़ी से धोद वाया सिहोट सड़क	1,74,056/-	17	83	20.00 ,,
46.	खूड़ी से दतूजला सड़क	2,07,084/-	30	70	7.00 ,,
47.	अप्रोच सड़क बगड़ी ने. हा. नं. 11 से	3,43,147/-	60	40	2.50 ,,
48.	अप्रोच सड़क कुशलपुरा	86,501/-	17	83	5.00 ,,
49.	फतेहपुर से जाजोद सड़क	2,84,773/-	28	72	10.00 ,,
50.	फतेहपुर से बेसवा सड़क	1,54,490/-	10	90	15.00 ,,
51.	फतेहपुर से माण्डेला सड़क	1,18,937/-	6	94	20.00 ,,
52.	अजीतगढ़ से हरदास का बास सड़क	38,141/-	आईटम नं. 21 का ही भाग है		

1	2	3	4	5	6
53.	अप्रोच सड़क भारती	12,522/-	7	93	2.00 लाख
54.	श्री माधोपुर से पृथ्वीपुरा सड़क	20,6787-	3	97	9.00 ,,
55.	होद से दुल्हेपुरा सड़क	2,087/-	1	99	2.00 ,,
56.	श्री माधोपुर से पलसाना सड़क	30,488/-	1	99	35.00 ,,
57.	श्री माधोपुर से ठिकरिया सड़क	34,442/-	1	99	30.00 ,,
58.	श्यामगढ़ से सकराय सड़क	79,628/-	3	97	30.00 ,,
59.	अप्रोच सड़क कुड़ली भरवासी	63,974/-	8	92	8.00 ,,
60.	अप्रोच रोड़ देवगढ़ (जयपुर-सीकर)	18,273/-	2	98	9.00 ,,
61.	गाड़ोदा से भाभड वाया नेछवा	84,911/-	7	93	12.00 ,,
62.	अप्रोच रोड देवगढ़ (सीकर हर्ष)	19,352/-	5	95	4.00 ,,
63.	काछवा से बोदलासी वाया रूल्यानी सड़क	41,012/-	3	97	15.00 ,,
64.	गनेड़ी से बोची सड़क	39,681/-	4	96	10.00 ,,
65.	सिहोट बड़ी से शाहपुरा वाया बिजासी	74,246/-	4	96	18.00 ,,
66.	फागुलवा से सावलोदा सड़क	1,05,220/-	9	91	12.00 ,,
67.	सेवद छोटी से धोद वाया भुवाला सड़क	1,20,211/-	6	94	20.00 ,,
68.	सेवद छोटी से मण्डवाड़ा वाया नेतड़वास सड़क	30,463/-	3	97	10.00 ,,
69.	अप्रोच रोड भारीजा	73,698/-	18	82	4.00 ,,
70.	बगरी से दातरू सड़क	2,39,559/-	11	87	18.00 ,,
71.	गारिन्डा से अलफसर सड़क	69,230/-	7	93	10.00 ,,
72.	देवास से ढाढण सड़क	42,319/-	3	97	15.00 ,,
73.	सलीमसर से तिहावली सड़क	76.491/-	13	87	6.00 ,,
74.	सादोली से पिथमपुरी सड़क	1,19,826/-	7	93	18.00 ,,
75.	हरियाणा बॉर्डर से नीम का थाना कोटपूतली सड़क	64,091/-	4	96	15.00 ,,
76.	अप्रोच रोड ताखलसर	1,15,527/-	15	85	8.00 ,,
77.	चुड़ी मियान से मिर्जवास वाया कसवाली सड़क	1,17,117/-	6	94	20.00 ,,
78.	अप्रोच सड़क नरोदडा वऊ लालासी	60,655/-	4	96	15.00 ,,

1	2	3	4	5	6
79.	देवास से ठिमोली वाया हेतमसर सड़क	97,436/-	7	93	15.00 लाख
80.	ताजसर से गोडिया बड़ा सड़क	43,262/-	4	96	10.00 „
81.	सीकर से सिहोट बड़ी वाया पालवास	44,772/-	3	97	15.00 „
82.	मण्डावरा से मान्डोता वाया चौखा का बास सड़क	86,138/-	5	95	19.00 „
83.	खण्डेला से बड़ी जागीर सड़क	9,001/-	1	99	15.00 „
84.	खाण्डेला से रामपुरा वाया दायरा सड़क	441/-	–	100	5.00 „
85.	सिरोही से भगेगा सड़क	94,671/-	7	93	15.00 „
86.	खोखरा से जिलो सड़क	74,300/-	4	96	18.00 „
87.	मूंडरू से खेजडोली (जिला सीमा तक) सड़क	21,109/-	3.50	96.50	6.00 „
88.	अजीतगढ़ से जुगराजपुरा वाया मानगढ़ सड़क	15,426/-	1.00	99.00	11.00 „
89.	देवराला से अनतपुरिया	10,702/-	2	98	5.00 „
90.	सुरानी से गढ़ टकनेत सड़क	14,063/-	3	97	5.00 „
91.	भादवाड़ी से श्री माधोपुर सड़क	4,9412/-	2.50	97.50	2.00 „
92.	थोई से रूपपुरा उदलवास सड़क	18,309/-	4	96	5.00 „
	योग :	1,12,07,608/-	–	–	1,278.20 लाख

सिंचाई विभाग

1	2	3	4	5	6
		(लाखों में)			
1.	शीश्यू	0.37	पूर्ण	–	–
2.	बाय बांध	0.80	,,	–	–
3.	रेटा गाइड बांध	1.05	,,	–	–
4.	दांतला पुराना	1.19	,,	–	–
5.	दांतला नया	1.83	50	50	3.55 लाख
6.	पाटन	0.22	1	99	निरस्त कर दिया
7.	पालियों की ढाणी (झाड़ली)	1.11	पूर्ण	–	–
8.	बांसड़ी	2.84	40	60	3.50 लाख

1	2	3	4	5	6
9.	डूकिया	1.92	20	80	4.99 लाख
10.	कोठड़ी	0.02	–	–	–
11.	गोवटी	1.55	20	80	4.64 ,,
12.	नांगल	0.15	2	98	11.29 ,,
13.	मालियों की ढाणी (जुगलपुरा)	0.01	सिर्फ सर्वे द्वारा कार्य हुआ है		निरस्त कर दिया गया है
14.	रेटा बांध	2.03	25	75	6.00 लाख
15.	हर्ष	0.09	पुराना अधूरा कार्य		4.00 ,,
16.	सिकराय	1.80	70	30	1.77 ,,
17.	सुरेरा	–	–	–	0.50 ,,
18.	सागर की मोरी	0.64	60	40	1.50 ,,
19.	गांवड़ी	0.81	20	80	6.00 ,,
20.	श्यामपुर बिहार	6.81	मौजूदा सिंचाई बांध है		1.77 ,,
21.	रायपुर	1.76	,,	,,	2.67 ,,
22.	माजीपुरा	1.27	,,	,,	1.50 ,,
23.	पीलियों की ढाणी	0.08	पुराना पंचायत का ताला है	99	2.50 ,,
24.	हाथी देह	0.07	2	98	1.50 सारा पक्का कार्य है
25.	भारीजा	0.17	2	98	3.00 लाख
26.	सेवली	0.48	2	98	5.90 ,,
27.	सालासर	0.69	चालू कार्य है		3.65 ,,
28.	जिलो	0.23	पूर्ण हो चुका		–
29.	डोकन	0.14	,,		–
30.	हीरो वाला	0.23	,,		–
31.	हरदास का बास	0.15	,,		–
32.	काटिया	0.11	1 पुराना पंचायत का बांध		2.95 ,,
	योग :	25.12			72.72 लाख

1	2	3	4	5	6
	भू-सर्वेक्षण विभाग				
1.	अजीतगढ़ नाला बण्डिग	15,359.32	पूर्ण	–	–
2.	जगदीश नाला बण्डिग	19,899.67	पूर्ण	–	–
3.	लिकिया नाला बण्डिग प्रीतमपुरी	28,995.36	पूर्ण	–	–
4.	धीजपुरा नाला बण्डिग	15,055.51	पूर्ण	–	–
5.	घो[illegible] [illegible]टी [illegible]नरा नाला बण्डिग	63,108.33	75	25	20,312/-
6.	नागल प्रधान [illegible]	24,400.00	अकाल राहत कार्य वर्ष 81-82 में समाप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति विभाग द्वारा देने पर कार्य विभाग द्वारा हो रहा है।		
	योग :	1,76,818.19			0.20 लाख
	वन विभाग				
1.	रघुनाथगढ़ क्लोजर	2,27,058.29	पूर्ण	–	–
2.	भूदोली क्लोजर				
	योग :	2,27,058.29			

ह.

जिलाधीश, सीकर

Page No 210

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 234 की प्रतिलिपि

अस्पृश्यता निवारण एवं हरिजन उत्थान में अग्रणी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना

1. अस्पृश्यता निवारण एवं हरिजन उत्थान में ग्राम स्तरीय संस्थायें अहम कार्य कर सकती हैं। ग्राम पंचायतें जो प्रजातान्त्रिक पद्धति की प्रथम इकाई हैं, इस ओर ठोस कदम उठायें तो अस्पृश्यता निवारण के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य हो सकता है। इस रचनात्मक कार्य की ओर ग्राम पंचायतों को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने हेतु यह पुरस्कार योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। यह योजना केवल उन्हीं पंचायत क्षेत्रों पर लागू होगी जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी कुल आबादी की 10 प्रतिशत से अधिक होगी।

2. पुरस्कार-जिला स्तर

(क) निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पुरस्कार हेतु प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत का चयन किया जायेगा तथा इस प्रकार जिला स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ पंचायत को नकद रूप में 5,000/-रु. का पुरस्कार दिया जावेगा।

(ख) जिला स्तर पर प्रथम आने वाली ग्राम पंचायतों में से प्रथम व द्वितीय ग्राम पंचायत को राज्य स्तर पर चयनित किया जाकर रु. 50,000/- व 25,000/-रु. क्रमशः नकद पुरस्कार दिया जावेगा। उक्त पुरस्कारों का वितरण राज्यपाल महोदय द्वारा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर किया जावेगा।

3. जिला एवं राज्य स्तर पर पंचायतों के कार्य के मूल्यांकन के लिए निम्न प्रकार समितियों का गठन किया जाता है

पंचायत समिति स्तर

1.	प्रधान पंचायत समिति	अध्यक्ष
2.	विकास अधिकारी	सचिव
3.	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4.	पंचायत समिति के अनुसूचित जाति के सब सदस्य	सदस्य
5.	उप जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	क्षेत्र निरीक्षक सहकारी विभाग	सदस्य
7.	तहसीलदार	सदस्य

(क) जिला स्तर

1.	जिलाधीश	अध्यक्ष
2.	प्रमुख जिला परिषद्	सदस्य
3.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास)	सदस्य
4.	जिले के हरिजन संगठन के अध्यक्ष (जिलाधीश द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
8.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सचिव

(ख) राज्य स्तर

1.	मंत्री, समाज कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, समाज कल्याण	सदस्य
3.	अध्यक्ष, समाज कल्याण बोर्ड, राजस्थान	सदस्य
4.	निदेशक, सामुदायिक विकास एवं प.रा.	सदस्य
5.	निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
6.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज.	सदस्य
7.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
8.	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
9.	राज्य स्तरीय हरिजन संगठन के अध्यक्ष (समाज कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
10.	उप निदेशक (पिछड़ी जाति)	सदस्य सचिव

4. पंचायत समिति, जिला एवं राज्य स्तर पर चयन की विधि निम्न प्रकार होगी:—

1. ग्राम पंचायतों द्वारा इस योजना में सम्मिलित होने से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त कर पंचायत समिति स्तर की समिति द्वारा प्रथम तीन ग्राम पंचायतों का चयन कर सम्बन्धित जिलाधीश को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत की जावेगी।

2. पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर जिला चयन समिति द्वारा प्रथम तीन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव एवं सूचना निर्धारित प्रपत्र में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को भेजी जावेगी।

(212)

3. जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा एवं राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ एवं प्रत्येक जिले हेतु सर्वश्रेष्ठ।

ग्राम पंचायत का चयन उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

4. राज्य स्तरीय समिति राज्य एवं जिला स्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों का स्वयं निरीक्षण करेगी तथा तत्पश्चात् प्रथम आने वाली ग्राम पंचायतों का चयन करेगी।

5. पंचायतों के अस्पृश्यता निवारणकर्ता के मूल्यांकन के लिये संलग्न मानदण्डों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

6. मूल्यांकन अवधि

वर्ष	मूल्यांकन अवधि	जिला स्तर पर मूल्यांकन रिपोर्ट भेजने की तारीख	जिला स्तर से राज्य स्तर पर मूल्यांकन रिपोर्ट भेजने की तारीख	राज्य स्तर पर चयन करने की तारीख	पुरस्कार वितरण करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
प्रथम वर्ष	1-10-82 से 31-3-83 तक	15-5-83	15-6-83	15-7-83	15 अग., 1983
भविष्य के वर्षों में	1-4 से 31-3 तक	15-5 तक	15-6 तक	15-7 तक	15 अगस्त

ग्राम पंचायतों द्वारा परिशिष्ट किये गये अस्पृश्यता निवारण कार्यों के मूल्यांकन के मुख्य बिन्दु—

नाम ग्राम पंचायत .... नाम पंचायत समिति ....

जिला .... ग्राम पंचायत की जनसंख्या ....

अनुसूचित जाति की जनसंख्या .... एवं प्रतिशत ....

1. <u>नागरिक अधिकार सुरक्षा सम्बन्धी बिन्दु</u>

(क) सामूहिक भोजन, अल्पाहार;

(ख) स्नेहमिलन;

Page No 213

(213)

(ग) सामूहिक मेला/प्रदर्शनी;

(घ) महिला मण्डली का गठन जिसमें हरिजन महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया हो;

(ङ) बाल प्रदर्शनी जिसमें हरिजन बच्चों को शामिल किया गया हो;

(च) धार्मिक यज्ञ स्थानों का आयोजन जिनमें वेदी पर हरिजन भी बिठाये गये हों।

2. पंचायत क्षेत्र में मन्दिरों की संख्या जहां हरिजनों का प्रवेश प्रारम्भ किया गया हो।

3. होटलों की संख्या में बढ़ोतरी जहां सवर्णों एवं हरिजनों के बर्तन पृथक् नहीं रखे जाते हों।

4. सार्वजनिक पानी, पीने के कुओं की संख्या जहां सवर्णों एवं हरिजनों द्वारा पानी निकाल कर पीना शुरू किया गया है।

5. सवर्णों एवं हरिजनों के लड़के व लड़कियों में आपस में हुई शादियों की संख्या।

6. पंचायत क्षेत्र में होटलों, आमोद-प्रमोद के स्थान पर तथा दुकानों में हरिजनों का प्रवेश।

7. कुओं के अलावा पानी पीने के अन्य स्रोत जैसे सार्वजनिक नल, तालाब, झरना, नाला अन्य सार्वजनिक पानी का स्थान, सार्वजनिक शमशान भूमि, आम रास्ता आदि जो हरिजनों द्वारा उपयोग में लिया जाने लगा हो।

8. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अथवा अनुदानित कोई सार्वजनिक सुविधा जिसमें हरिजनों का प्रवेश पूर्व में कठिन हो किन्तु अब मुक्त एवं सुगम किया गया हो।

9. किसी भी सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था का उपयोग जो हरिजनों के लिए प्रारम्भ किया गया हो।

10. सार्वजनिक धर्मशाला, सराय, मुसाफिर खाना आदि का उपयोग हरिजनों के लिए खोला गया हो।

11. पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र में हरिजन शिक्षक या अन्य हरिजन कर्मचारियों के निवास हेतु किराये पर या निःशुल्क रहवास हेतु अच्छे एवं स्वच्छ घर की व्यवस्था की हो।

12. उपरोक्त बिन्दुओं में से कम से कम 75 प्रतिशत कार्य सम्पन्न कराने वाली पंचायत ही, पुरस्कार की हकदार होगी।

(214)

2. <u>उपलब्ध कराई गई सामाजिक एवं शैक्षणिक सुविधायें :—</u>

1. पंचायत द्वारा हरिजनों के मोहल्लों में स्वच्छता हेतु की गई नालियों का निर्माण (नालियों की लम्बाई फुटों में दी जाय)।

2. हरिजन मोहल्लों में पंचायत द्वारा लगाये गये सार्वजनिक नलों की संख्या जिनका खर्चा पंचायत वहन करती है (नलों की संख्या)।

3. पंचायत द्वारा हरिजन मोहल्लों में निर्माण कराये गये पानी पीने के कुओं का निर्माण (कुओं की संख्या)।

4. पाठशाला में छात्रवृत्ति अभियान के अन्तर्गत हरिजन छात्रों की बढ़ाई गई संख्या (केवल उन छात्रों की संख्या दें जो कम से कम 6 माह तक स्कूल गये हों)।

   छात्र : छात्रा :

5. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर हरिजन प्रौढ़ों की बढ़ाई गई संख्या-- पुरुष : महिला :

6. हरिजन मोहल्लों में रोशनी के लिये लगाये गये बिजली के खम्बों की संख्या, रोशनी के बिन्दुओं (लट्टुओं) की संख्या।

7. पंचायत द्वारा आवासीय भू-खण्ड हरिजनों को आवंटित किये गये: --

   (क) परिवारों की संख्या (सूची मय भूमि वर्ग गज संलग्न की जाय)।

   1. निःशुल्क : 2. कीमतन :

8. वर्ष 1974-75 में हरिजनों को आवंटित आवासीय भू-खण्डों में से विवादास्पद मामलों में दिलाये गये कब्जे :–

   (क) परिवारों की संख्या (सूची संलग्न की जाय)

   (ख) कुल भूमि वर्गगज में

3. <u>आर्थिक विकास कार्यक्रम:—</u>

1. पंचायत क्षेत्र में हरिजनों को किया गया कृषि भूमि आवंटन :—

   (क) आवंटितों की संख्या (सूची संलग्न की जाय)

   (ख) आवंटित भूमि (एकड़ में) सिंचित : असिंचित :

2. इस अवधि में आवंटित कृषि भूमि के विवादास्पद मामलों में हरिजनों को दिलाये गये कब्जे : —

   (क) व्यक्तियों की संख्या (सूची संलग्न की जाय)

   (ख) कब्जा कराई गई भूमि (एकड़ में)

3. गृह निर्माण कार्यक्रम के तहत जिलाधीश द्वारा आवासीय भवनों के लिए स्वीकृत ऋणों में से निर्माण कराये गये हरिजन परिवारों के भवनों की संख्या

4. हरिजन परिवारों को सहकारी समिति के सदस्य बनाया गया:-
(क) परिवारों की संख्या (ख) वितरित ऋण (रुपयों में)

5. पंचायत क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें जो हरिजन डीलर को दी गई।

6. एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास हेतु हरिजन परिवारों को दिये गये मध्य, दीर्घकालीन ऋण--

1. हरिजन व्यक्तियों की संख्या

2. वितरित ऋण (रुपयों में)

7. पंचायत क्षेत्र में हरिजनों के विकास की कोई अन्य योजना यदि हाथ में ली गई और उससे हरिजनों का आर्थिक विकास हुआ है तो योजना का संक्षिप्त विवरण तथा परिवारों की संख्या जिनको लाभ पहुंचा हो।

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची

परिशिष्ट—1

समन्वित बाल विकास परियोजनाओं की जिलेवार सूची 82–83

क्र.सं.	जिला	परियोजना का स्थान पंचायत समिति	प्रारम्भ वर्ष	परियोजना प्रकार
1	2	3	4	5
1.	बांसवाड़ा	1–गढ़ी	1975–76	आदिवासी
		2–कुशलगढ़	1982–83	,, ,,
2.	सिरोही	1–पिण्डवाड़ा	1978–79	,, ,,
3.	चित्तौड़गढ़	1–छोटी सादड़ी	1978–79	,, ,,
		2–प्रतापगढ़	1982–83	,, ,,
4.	कोटा	1–अटरू	1978–79	ग्रामीण
		2–शाहबाद	1982–83	आदिवासी
		3–किशनगंज	1982–83	आदिवासी
5.	सवाईमाधोपुर	1–गंगापुर सिटी	1979–80	ग्रामीण
		2–टोडाभीम	1982–83	ग्रामीण
6.	धौलपुर	1–धौलपुर	1979–80	ग्रामीण
7.	उदयपुर	1–राजसमन्द	1979–80	ग्रामीण
		2–झाड़ोल	1982–83	आदिवासी
		3–सलूम्बर	1982–83	आदिवासी
8.	जयपुर	1–चाकसू	1980–81	ग्रामीण
		2–जयपुर I	1981–82	ग्रामीण
		3–जयपुर II	1982–83	शहरी
9.	अलवर	1–राजगढ़	1980–81	ग्रामीण
10.	बाड़मेर	1–चौहटन	1980–81	ग्रामीण
11.	भीलवाड़ा	1–माण्डलगढ़	1981–82	ग्रामीण
12.	टोंक	1–अलीगढ़	1981–82	ग्रामीण
13.	जालोर	1–आहोर	1981–82	ग्रामीण
14.	डूंगरपुर	1–डूंगरपुर	1981–82	आदिवासी
		2–सागवाड़ा	1981–82	आदिवासी
		3–सीमलवाड़ा	1982–83	आदिवासी
15	पाली	1–बाली	1982–83	ग्रामीण
16.	जोधपुर	1–फलौदी	1982–83	ग्रामीण
17.	नागौर	1–डेगाना	1982–83	ग्रामीण
18.	भरतपुर	1–रूपबास	1982–83	ग्रामीण

परिशिष्ट-2

आदिवासी उप योजना क्षेत्र के उन ग्रामों की सूची जहां आदिवासी आबादी 50 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जहां आंगनवाड़ियां चल रही हैं।

क्र.सं.	नाम परियोजना	नाम आंगनवाड़ी केन्द्र
1.	2	3
1.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	1. नकोर
		2. बमोतरा हिंगानिया
		3. ग्यासपुर
		4. केरवास
		5. कचौटिया
		6. वीरपुर भमेड़िया
		7. सारूमगढ़, लुहारियां
		8. चिकसाड़
		9. हाजी का पठार, प्यारजी का मठ
		10. फूलदा/पीपलीखेड़ा
		11. रामपुरिया
		12. पटेलिया
		13. गोपालपुरा, सलूम/अम्बामाता
		14. मनोहरगढ़, मकनपुरा
		15. केसरपुरा, सावाखेड़ा
		16. सुजानपुरा, पनावला
		17. डांगपुर/वोरनखेड़ा/मोरीपान खेड़ा
		18. छायण/मोतीपुरा
		19. वंजारी/फूलदा/भाटेड़ी
		20. मड़ुरातासाव
		21. वरावददा
		22. देवगढ़/सामलीपठार
		23. पाल
		24. माण्डरूकला/खसेरा
		25. जहाजपुर/सोहनपुर
		26. सिहपुर
		27. मानपुर/कड़ियावद

218

1	2	3
1.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	28. पानमोड़ी
		29. वगवास
		30. घोड़ावद, गोपालपुरा
		31. भूवासिया
2.	सलूम्बर, जिला उदयपुर	1. बनोड़ा
		2. केरपुरा
		3. ईसरवास डांगीयान
		4. सेरीया
		5. धारोद
		6. खोलड़ी
		7. नयागांव
		8. वेश्मा
		9. खण्डोरा
		10. पारोड़ा
		11. नोली
		12. चाटूपुर
		13. घाटी
		14. लकापा
		15. पाटन
		16. प्रतापपुरा
		17. सराड़ी
		18. सींघावाली
		19. लिम्बोदा
		20. गांवड़ापाल
		21. जेलावत पला
		22. धावड़ी मगरी
		23. दौलपुरा
		24. साजनोत
		25. जोधपुर कला
		26. आंमलवा
		27. देवलाकला
		28. हड़मतिया कला
		29. बोरी

1	2	3
2.	सलूम्बर, जिला उदयपुर	30. मांडली
		31. वेड़ालल
		32. सती की मोरी
		33. मालपुर
		34. वीरज का मजावत
		35. मोरिला
		36. माकड़ सीमा
3.	गढ़ी, जिला बांसवाड़ा	1. ठिकरिया
		2. तोरना
		3. नड़ीयादा छोटा
		4. बाई का गढ़ा
		5. वरोड़िया
		6. सुजाजी का गढ़ा
		7. अम्बाड़ा
		8. दर्जी का गढ़ा
		9. खाखरिया गढ़ा
		10. अन्तोड़ा
		11. मालपुर
		12. रहानिसा
		13. अगरपुर
		14. बाकावाड़ा
		15. खेड़ा
		16. भीमस्तो
		17. सांलिया
		18. बेड़वा
		19. खरवेड़ा
		20. बिलौदा
		21. बोरी
		22. गढ़ी
		23. मोरड़ी
		24. मगोरा
		25. पाराहेड़ा
		26. नगाचीवाड़ा

1	2	3
3.	गढ़ी, जिला बांसवाड़ा	27. नाटावाड़ा
		28. मादलदा
		29. मलाना
		30. डूंगर
		31. हूड़मतिया
		32. सेनाला
		33. कुवालिया
		34. सस्सी मोटी
		35. पाचवाड़ा
		36. इटाऊवा
		37. दवेला
		38. केसरपुरा
		39. नवागांव
		40. उदेला
		41. बख्तपुरा
		42. ओडा
		43. लालपुरा
		44. नवायश
		45. धाती तलाई
		46. ओडवाड़ा
		47. गोविन्दपुरा
		48. मतार
		49. नहाली
		50. टामटिया राठोर
		51. जोलाना
		52. गामड़ी
		53. आमजा
		54. टीमूरोबा
4.	डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर	1. डूंगराफला
		2. रेलड़ा
		3. गोकलपुरा
		4. सीयालदरी

1	2	3
4.	डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर	5. तीजवड़
		6. ददोड़िया
		7. माडवा
		8. सरकड़साई
		9. माडोला
		10. गुडरेश्वर
		11. होली लेमड़ा
		12. बन्देड़ा
		13. इन्दोला
		14. अपरगांव
		15. भोथरी
		16. भगालसलावा
		17. खमपुर
		18. रणसागर
		19. नयागांव
		20. फलौज
		21. रागेला
		22. तलैया
		23. सुराता
		24. माल
		25. मेगाला
		26. महोरी
		27. बेड़ा
		28. कहारी
		29. बलोता
		30. पगारापाल
		31. खंमारू
		32. गड़ामोरिया
		33. ग्रामदानीगांव घटाऊ
		34. ग्रामदानी बैरणिया
		35. खंकुरिया
		36. खेरवाड़ा
		37. मण्डकोला
		38. नयागांव

1	2	3
4.	डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर	39. रामा
		40. बंशीपाल
		41. नरणिया
5.	झाड़ोल, जिला उदयपुर	1. ढडावली
		2. तलाई
		3. ढीकलिया
		4. मेलानियाकला
		5 पीपलवारा
		6. दमाना
		7. आमलिया
6.	सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर	1. खुरेला
		2. भांसोर
		3. नाखना
		4. ढाणी निचली
		5. टिडवा
		6. चिबूज
		7. मडकोला
		8. वर्दा
		9. पीपलागूज
		10. गामड़ी बामणिया
		11. खड़गदा
		12. सेलोता
		13. भीकूड़ी
		14. बान्दवेड़
		15. घाटा का गांव
		16. निम्बोड़ बड़ी
		17. मानणकपुरा
		18. डाला
		19. पाड़लिया हाड़लिया
		20. रणभोर
		21. मडकोर
		22. राजपुर
		23. राजपुर

1	2	3
7.	सीमलवाड़ा (डूंगरपुर)	1. महुवाड़ा
		2. सिसोट
		3. गडमिडतिया
		4. उबली
		5. बावड़ी
		6. तम्बोलिया
		7. रातड़िया
		8. बाबा की वार
		9. धनगांव
		10. गूंदलारा
		11. मेहरा छोटा
		12. मोरसारण/डूंगरसारण
		13. पियोला / कूआं
		14. दरियाटीं
		15. सिन्डोला
		16. चन्द्रोड़िया
		17. पारड़ा दरियारी
		18. कावेरी छोटी
		19. खुमानपुरा
		20. पंच कुडली
		21. सारणखास/डूंगरसारण
		22. गेटूंवा
		23. सोहनबडली / दरियाटी
		24. सीमलवाड़ा
		25. गुदावड़ा
		26. साफरसी
		27. वरछावाड़ा
		28. सरथूना
		29. मेवाड़ा
		30. थाम का तलाव
		31. धम्बोला
		32. झलाप
		33. शिथल
		34. जाकर्टी

1	2	3
7.	सीमलवाड़ा, (डूंगरपुर)	35. रास्ता
		36. डूंका
		37. मचड़िया
		38. पीठ
		39. धर्मपुरी
		40. गड़ावारे उपर/धुवेड़
		41. सादड़ीया
		42. रतनपुरा

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 237 की सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित किये जा रहे राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची

क्र. सं.	मार्ग का नाम
1	2
1.	जयपुर–अजमेर वाया दूदू–किशनगढ़
2.	जयपुर–अलवर वाया शाहपुरा
3.	जयपुर–भरतपुर वाया दौसा–महुवा
4.	अजमेर–कोटा वाया नसीराबाद सरवाड–केकड़ी, देवली, बून्दी
5.	आबूरोड–देलवाड़ा वाया माउन्ट आबू
6.	आबूरोड–तालरो–अनादरा
7.	जयपुर–टोंक–देवली–कोटा
8.	अलवर–दिल्ली
9.	जोधपुर–बिलाड़ा–ब्यावर–अजमेर
10.	जोधपुर–सुमेरपुर
11.	जोधपुर–पाली–सोजत–बर–ब्यावर
12.	कोटा–झालावाड़–इकलेरा
13.	रायसिंहनगर–पदमपुर गंगानगर–हनुमानगढ़–रावतसर रायसिंहनगर–पदमपुर–गंगानगर गंगानगर–पदमपुर गंगानगर–हनुमानगढ़
14.	जयपुर–सैन्थल वाया दौसा
15.	जयपुर–लवाण वाया बस्सी
16.	अलवर–नारायणपुर वाया कुशलगढ़
17.	अलवर–प्रतापगढ़ वाया थानागाजी
18.	जयपुर–बस्सी–तूंगा
19.	दौसा–अलवर वाया बौरून्दा-टहला–सिरसका
20.	कोटा–इकलेरा वाया दरां, सांगोद, खानपुर, अरनिया
21.	कोटा–झालरापाटन–पिड़ावा
22.	कोटा–सांगोद वाया दरां, खानदास

1	2
23.	कोटा–अकानी वाया दरां, झालावाड़ तीनधार
24.	खानपुर–झालावाड़ रोड
25.	झालावाड़–मनोहरथाना वाया पाटन-इकलेरा
26.	झालावाड़–दुधालिया वाया डग
27.	झालावाड़–पिड़ावा वाया सोजत
28.	बारां–पाटन–वाया झालावाड़
29.	झालावाड़–झालावाड़ रोड
30.	भवानी मण्डी–इकलेरा वाया पाटन
31.	रामगंज मण्डी–सारोला वाया झालावाड़
32.	रामगंजमण्डी–सारदा
33.	रामगंजमण्डी–अकानी वाया तीनधार
34.	पच पहाड़–झालावाड़ वाया पाटन
35.	पचपहाड़-इकलेरा वाया पाटन
36.	दहीखेड़ा-इकलेरा वाया अरनिया
37.	बीकानेर–जैसलमेर वाया नाल, बाप, फलौदी, रामदेवरा, पोकरण, लाठी
	बीकानेर–कोलायत वाया नाल
	बीकानेर–पोकरण
	बीकानेर–फलौदी
	बीकानेर–केदमदेसर
	बीकानेर–गजनेर
38.	बीकानेर–चूरू वाया डूंगरगढ़–रतनगढ़
39.	रतनगढ़–रावतसर वाया सरदारशहर
	सरदारशहर–रावतसर
40.	गंगानगर–बीकानेर वाया सूरतगढ़, महाजन, लूणकरणसर
	गंगानगर–सूरतगढ़
	गंगानगर–जोड़किया
	बीकानेर–लूणकरणसर
	बीकानेर–सूरतगढ़
	लूणकरणसर–सूरतगढ़
41.	उदयपुर–टिडी–प्रसाद-रिखबदेव
	उदयपुर–प्रसाद-खेरवाड़ा–डूंगरपुर
	उदयपुर–खेरवाड़ा–रतनपुर
	डूंगरपुर–रतनपुर

1	2
42.	पिलानी-भादरा वाया राजगढ़-तारानगर
	राजगढ़-पिलानी वाया हरपालू
	राजगढ़-सावा वाया तारानगर
	तारानगर-भादरा वाया सावा
	सावा-भादरा
	तारानगर-राजगढ़
43.	टोंक-सवाईमाधोपुर वाया खटकर, उनियारा, अलीगढ़
	टोंक-अलीगढ़ वाया खटकर
44.	रावतसर-भादरा वाया नोहर
	रावतसर-नोहर
	नोहर-भादरा
45.	जोधपुर-बाड़मेर वाया कल्याणपुर
	जोधपुर-बालोतरा वाया कल्याणपुर
	जोधपुर-कल्याणपुर
	बालोतरा-बाड़मेर वाया सिन्दरी
	जोधपुर-जैसलमेर वाया देचू, पोकरण
	जोधपुर-रामदेवरा वाया देचू-पोकरण
	जैसलमेर-जोधपुर वाया पोकरण-लाठी
	जोधपुर-फलौदी वाया देचू
	जोधपुर-जालौर वाया रोहित
	आहोर-जालौर
46.	उदयपुर-ब्यावर, वाया नाथद्वारा
	कांकरोली, देवर, आमलीघाट, भीम
	उदयपुर-भीम
	उदयपुर-कांकरोली
	उदयपुर-नाथद्वारा
	उदयपुर-आमलीघाट
	उदयपुर-भीलवाड़ा वाया कांकरोली, गंगापुर
	भीलवाड़ा-गंगापुर
	भीलवाड़ा-खुर
	भीलवाड़ा-गुन्डला
	भीलवाड़ा-कांकरोली
	गंगापुर-कांकरोली
	उदयपुर-कैलाशपुरी

Page No 228

(228)

1	2
	उदयपुर–गोमती
	नाथद्वारा–गोमती
	गोमती–भीम
	देवगढ़–भीम
	भीम–ब्यावर
	ब्यावर–सनवा
47.	राजगढ़–चूरू वाया दूदवा
48.	जयपुर–ब्यावर वाया सांगानेर
	डिग्गी, मालपुरा, केकड़ी, मसूदा
	जयपुर–केकड़ी
	जयपुर–सांगानेर
	जयपुर–रेनवाल
	जयपुर–फागी
	जयपुर–नीमहेड़ा
	डिग्गी–मालपुरा
	जयपुर–मालपुरा
	मालपुरा–केकड़ी
	केकड़ी–नागोला
	मसूदा–ब्यावर
	केकड़ी–ब्यावर
49.	बीकानेर–अनूपगढ़ वाया छतरगढ़, घड़साना
	बीकानेर–छतरगढ़
	घड़साना–अनूपगढ़
50.	जोधपुर–फलौदी वाया मण्डार
	ओसियां–लोहावट
	जोधपुर–ओसियां वाया मण्डार
	जोधपुर–लोहावट वाया मण्डार
51.	नागौर–फलौदी वाया चिरानी
52.	बाड़मेर–जैसलमेर वाया शिव, देवीकोट
	बाड़मेर–गोहन्दा वाया शिव
	बाड़मेर–चौहटन
	बाड़मेर–गदरारोड

1	2
53.	नाकोड़ा–जालौर वाया बालोतरा, शिवाना
	नाकोड़ा–शिवाना वाया बालोतरा
	नाकोड़ा–मोकलसर
	जालौर–ब्रेलीवाड़ा
	जालौर–बिसनगढ़
54.	सिरोही–अनादरा–मण्डार
	सिरोही–अनादरा–रेवदर
	सिरोही–कालीन्दरी–रामसीन
	सिरोही रोड–सिरोही–रामसीन
	सिरोही–बलोट
	सिरोही–कालिन्दरी
	फालना–साण्डेराव–तखतगढ़–जालौर
	फालना–साण्डेराव
	फालना–तखतगढ़
	ऐरनपुरा–सुमेरपुर–तखतगढ़–जालौर
	जोधपुर–नागौर
	नागौर–नोखा
	नाकोड़ा–बीकानेर
	जोधपुर–नाकोड़ा
	जोधपुर–बीकानेर
	ऐरनपुर–तखतगढ़
	जोधपुर–कालिन्दरी
55.	मण्डार–बाड़मेर
	रानीवाड़ा–बाड़मेर
	मण्डार–जालौर
	सांचौर–बाड़मेर
	सांचौर–गान्धव
	बाड़मेर–धोरीमन्ना
	जालौर–सांचौर
	जालौर–भीनमाल
	बाड़मेर–जालौर
56.	जयपुर–पिलानी वाया चौमूं, सीकर, नवलगढ़, झुन्झुनूं, चिड़ावा
	चिड़ावा–खेतड़ी वाया सिंघाना

1	2
	झुन्झुनू—चिड़ावा—खेतड़ी
	पिलानी—खेतड़ी वाया चिड़ावा
	झुन्झुनू—सीकर वाया नवलगढ़
	झुन्झुनू—पिलानी वाया चिड़ावा
	जयपुर—चौमूं
	जयपुर—रींगस
	जयपुर—सीकर
	नवलगढ़—झुन्झुनू
	नवलगढ़—मुकन्दगढ़
	मुकन्दगढ़—झुन्झुनू
	मुकन्दगढ़—पिलानी
57.	जयपुर—पदमपुरा वाया शिवदासपुरा
58.	जयपुर—वाटिका वाया साँगानेर
59.	जयपुर—गोनेर
60.	जयपुर—कोटखावदा वाया सांगानेर
61.	जयपुर—बिचून वाया महलां
62.	जयपुर—सांभर वाया दूदू
63.	जयपुर—जोबनेर वाया महलां
64.	जयपुर—प्रतापगढ़ वाया अचरोल
65.	जयपुर—आमेर
66.	जयपुर—बीकानेर वाया चौमूं, सीकर, सालासर, नोखा
	बीकानेर—सालासर वाया नोखा
	सुजानगढ़—छापर—बीदासर
	सुजानगढ़—छापर
	सालासर—सीकर
67.	जयपुर—बीकानेर वाया सीकर, चौमूं, रतनगढ़, डूंगरगढ़
	जयपुर—फतेहपुर वाया चौमूं, सीकर
	सीकर—फतेहपुर
	सीकर—रतनगढ़
	बीकानेर—डूंगरगढ़
	बीकानेर—रतनगढ़
68.	भरतपुर—वल्लभगढ़ वाया भुसावर
69.	भरतपुर—नदबई वाया सेवर

Page No 231

(231)

1	2
70.	बून्दी—केशोरायपाटन वाया तलवाड़ा
	तलवाड़ा—केशोरायपाटन
71.	अलवर—तिराया—नगर—डीग—भरतपुर
	अलवर—तिराया—जालूकी—गोविन्दगढ़
	अलवर—नगर—डीग
	नगर—डीग—भरतपुर
	अलवर—तिराया—जालूकी—लक्ष्मणगढ़
	अलवर—तिराया—लक्ष्मणगढ़—खेड़ली
	भरतपुर—डीग—कामां—पहाड़ी
	किशनगढ़—परवतसर
72.	शाहपुरा—शाहजहांपुर वाया कोटपूतली—बहरोड़
	शाहपुरा—कोटपूतली
	शाहपुरा—बहरोड़ वाया पावटा
	कोटपूतली—बहरोड़
	बहरोड़—शाहजहांपुर
73.	शाहपुरा—खेतड़ी वाया अजीतगढ़
	कांवट—नीम का थाना
	कांवट—नीम का थाना
	शाहपुरा—कांवट वाया अजीतगढ़
	नीम का थाना—खेतड़ी वाया बबई
	शाहपुरा—नीम का थाना
74.	डूंगरपुर—गलियाकोट वाया सागवाड़ा
	डूंगरपुर—बांसवाड़ा
	बांसवाड़ा—गलियाकोट वाया गढ़ी
	सागवाड़ा—बांसवाड़ा वाया गढ़ी
75.	उदयपुर—फालना वाया नाथद्वारा, चारभुजा, देसूरी, सादड़ी
	नाथद्वारा—फालना वाया गोमती, देसूरी
	कांकरोली—चारभुजा
	देसूरी—फालना वाया सादड़ी
	उदयपुर—फालना वाया गोगुन्दा, रणकपुर
	उदयपुर—ईसवाल
	उदयपुर—गोगुन्दा
	उदयपुर—सायरा

1	2
	सादड़ी—फालना
	रणकपुर—फालना वाया सादड़ी
76.	बालोतरा—सिवाना वाया बालोतरा
77.	जयपुर—केलादेवी वाया महुवा, हिण्डौन
	महुवा—करौली वाया हिण्डौन
	महुवा—केलादेवी वाया हिण्डौन—करौली
	हिण्डौन—करौली
	जयपुर—बयाना वाया महुवा, छोंकरवाड़ा
	भुसावर—वैर
	महुवा—बयाना वाया छोंकरवाड़ा
	बयाना—भुसावर वाया वैर
	ब्यावर—नसीराबाद वाया मांगलियावास
78.	टौंक—डिग्गी वाया सोयला, झराना
79.	भीलवाड़ा—बून्दी वाया बिगोद, लाडपुरा
	भीलवाड़ा—बिजोलिया वाया बिगोद, लाडपुरा
	भीलवाड़ा—मांडलगढ़
	मांडलगढ़—बून्दी
	भीलवाड़ा—कोटड़ी वाया सिवाना
80.	बून्दी इन्दरगढ़ वाया खाटखोड़, गेनोली
	बून्दी—लाखेरी वाया खाटखोड़, गेनोली
	बून्दी—नेंनवा वाया खाटखोड़, लुहारपुरा
81.	रींगस, झुन्झुनू वाया श्रीमाधोपुर, खंडेला, उदयपुरवाटी
	रींगस—उदयपुरवाटी वाया खंडेला
	उदयपुरवाटी—झुन्झुनू
	बडगाँव—झुन्झुनू
	रींगस-खेतड़ी वाया मेहरूली, कांवट
	रींगस—नीमकाथाना
82.	अजमेर—उदयपुर वाया बान्दनवाड़ा
	भीलवाड़ा—चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़
	अजमेर—विजयनगर—बान्दनवाड़ा
	अजमेर—भिनाय वाया बांदनवाड़ा
	विजयनगर—भीलवाड़ा
	भीलवाड़ा—उदयपुर वाया चित्तौड़गढ़, मंगलवाड़

Page No 233

233

1	2
	अजमेर–भीलवाड़ा–बांदनवाड़ा
	भीलवाड़ा–चित्तौड़गढ़ वाया गंगरार
	मंगलवाड़–उदयपुर
	चित्तौड़–उदयपुर वाया मंगलवाड़
	भीलवाड़ा–शाहपुरा चौराहा
83.	थानागाजी–दौसा वाया प्रतापगढ़
84.	जयपुर–जमुवारामगढ़ वाया दौसा
	जयपुर–बोरून्दा
	जयपुर–आंधी
85.	उदयपुर–बून्दी वाया मावली, कपासन, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, बिजोलिया,
	उदयपुर–चित्तौड़गढ़ वाया मावली
	चित्तौड़गढ़–बून्दी वाया मांडलगढ़
	चित्तौड़–कपासन
	भोपालसागर–मावली
	कपासन–उदयपुर
	फतेहनगर–भोपालसागर
	उदयपुर–सनवा
	उदयपुर–राशमी वाया मावली
	चित्तौड़–राशमी वाया कपासन
	चित्तौड़–नाथद्वारा वाया कपासन
	मावली–नाथद्वारा
	भोपालसागर–नाथद्वारा
	फतेहनगर–नाथद्वारा
	चित्तौड़–वल्लभनगर
86.	कोटा–कस्बा थाना वाया बारां
	कोटा–अन्ता
	कोटा–बारां
	बारां–शाहबाद
	बारां–नाहरगढ़
	शाहबाद–कस्बा थाना
87.	पदमपुर–गजसिंहपुर
	पदमपुर–करणपुर
	रायसिंहनगर–अनूपगढ़

1	2
	हनुमानगढ़–सूरतगढ़
	सीसीहेड–लखूवाली
	जोड़किया–पीलीबंगा
	सीसीहेड–रवकासारणा
88.	उदयपुर–कुशालगढ़ वाया सलूम्बर, बाँसवाड़ा, कलिन्जरा
	उदयपुर–सलूम्बर वाया जयसमन्द
	उदयपुर–बांसवाड़ा वाया जयसमन्द
	सलूम्बर–आसपुर
	उदयपुर–अमरापुर
	सलूम्बर–बाँसवाड़ा वाया आसपुर
	बाँसवाड़ा–कुशलगढ़ वाया सज्जनगढ़
	आसपुर–बाँसवाड़ा
	बांसवाड़ा–भीलकुआ
	बाँसवाड़ा–कुशलगढ़ वाया अनदेश्वर
89.	सरदारशहर–झुन्झुनूं वाया चूरू, बिसाऊ
	सरदारशहर–चूरू वाया बनलेरी
	भालेरी–चूरू
	चूरू–झुन्झुनूं वाया बिसाऊ
90.	रतनगढ़–डीडवाना वाया छापर, लाडनूं
	रतनगढ़–सुजानगढ़ वाया छापर, वारां
	सुजानगढ़–लाडनूं वाया जसवन्तगढ़
	लाडनूं–डीडवाना वाया सपता
	छापर–लाडनूं
91.	सरदार शहर–तारानगर वाया भालेरी
	सरदारशहर–भालेरी
	भालेरी–तारानगर
92.	डूंगरगढ़–सरदारशहर वाया मुगासर
93.	बालोतरा–बाड़मेर वाया वायतू
94.	नाथद्वारा–केलवाड़ा वाया चारभुजा, भिदोद, माजेरा
95.	सिरोही–जालोर वाया सियाना
96.	खेड़ली–हिण्डौन वाया पालू–छोकरवाड़ा
	भुसावर–बल्लभगढ़

1	2
97.	फलौदी–पाटा शेरगढ़ वाया खिरजू टीना
98.	नीमकाथाना–कोटपूतली वाया पटैरी, नरेदा
	सीकर–नीमकाथाना वाया पीपरोली, रघुनाथगढ़
	अजमेर–मकराना वाया लाहगल, अरड़का, परवतसर, नावा
	अजमेर–नागौर वाया भंरून्दा, मेड़ता
100.	जयपुर–नागौर वाया महला जोबनेर, सांभर, नावा, कुचामनसिटी, डीडवाना
	जयपुर–नागौर वाया महलां मोखमपुरा बिचून, सांभर, नावा, डीड़वाना
	जयपुर–डीड़वाना वाया महलां, जोबनेर
	नावा–डीडवाना वाया कुचामनसिटी
	नावा–नागौर वाया कुचामनसिटी
	नागौर–सीकर वाया डीडवाना, लोसल
	डीडवाना–सीकर वाया लोसल खुर्द
101.	अजमेर–डिग्गी वाया मालपुरा
	किशनगढ़–मालपुरा
	मालपुरा–टोडारायसिंह
102.	जयपुर–डीडवाना वाया रामगढ़, सैंथल
	डीग–ब्राज
	भरतपुर–खेड़ली वाया कुम्हेर
	पहाड़ी–नदबई वाया नगर
103.	पहाड़ी–कठूम्बर वाया सीकरी, नगर, तासाई
104.	चूरू–फतेहपुर वाया रामगढ़, देवास
105.	जोधपुर–पीपाड़सिटी वाया दालीवारा
	बिलाड़ा–मेड़तासिटी वाया खेजरोली, भंरून्दा
	बिलाड़ा–पीपाड़सिटी-खेजरोली, चिरारी
106.	अलवर–तिजारा–भिवाड़ी वाया बहादुरपुर किशनगढ़, पालड़िया, ततारपुर
	अलवर–जयपुर वाया मालाखेड़ा, राजगढ़
	अलवर–बहरोड़ वाया जीन्दोली, ततारपुर
107.	अलवर–रैनी वाया मालाखेड़ा, राजगढ़
	अलवर–प्रतापगढ़ वाया मालाखेड़ा
	राजगढ़–लक्ष्मणगढ़ वाया मालाखेड़ा
108.	खैरथल–कोटकासिम वाया किशनगढ़ वास
	किशनगढ़वास–कोटकासिम वाया बीबीरानी

(23ब)

1	2
	कोटकासिम–बिलसडी (राज. बोर्डर)
	तिजारा–नीमली, (राज. बोर्डर)
	खैरथल–सोडावास वाया हरसोली
	खैरथल–बानसूर–करतारपुर, हमीरगढ़
	बानसूर–रामपुर, ईस्माइलपुर
	खैरथल–ईस्माइलपुर
109.	अलवर–खैरथल वाया चिकानी
	कोटपूतली–अलवर वाया बानसूर
	बानसूर–डाबला वाया कोटपूतली
110.	डग–पिड़ावा वाया नादपुर, कोटा
	डग–चौमहला
	भवानीमण्डी–पिड़ावा
111.	इकलेरा–सालपुर वाया छीपाबड़ौद
	इकलेरा–मनोहरथाना वाया अरनोदा
112.	सिन्धरी–गान्धव वाया गुड़ा, रामजीगोल
	सोजत–बिलाड़ा
	जैतारण–मेड़ता
113.	अनूपगढ़–सूरतगढ़ वाया जैतसर
114.	बारां–अटरू
	बारां–खातौली वाया मांगरोल
115.	बीकानेर–सैंथल वाया नापासर
	बीकानेर–नापासर
	बीकानेर–खाजुवाला वाया पूगल
116.	डूंगरपुर–आसपुर वाया गणेशपुर
	डूंगरपुर–आसपुर वाया बनखोड़ा
	डूंगरपुर–निटवा
	आसपुर–सागवाड़ा वाया पुंजपुर
117.	चौमूं–चन्दवाजी
118.	कोटा–कोटाडेम
	कोटा–बुड़ादीप वाया बिगोद
	कोटा–कोटरादीपसिंह
119.	गंगानगर–करणपुर वाया जैडमाइनर
	गंगानगर–करणपुर वाया मिर्जावाली
	गंगानगर–केसरीसिंहपुर

1	2
120.	जथपुर—नायला वाया कानोता
121.	कोटा—रंगपुर वाया कोटा रेल्वे स्टेशन
122.	कोटा—रावतभाटा-वाया शिवपुरी
	कोटा—खातौली-वाया तमार
	कोटा-इटावा वाया तमारपुर
123.	फलसूंड—पोकरण
	फलसूंड—शिव

परिशिष्ट—18   परिशिष्ट – अ

अतारांकित प्रश्न संख्या 238 की सूची

जैसलमेर जिले के प्राइवेट मार्ग, उन पर स्वीकृत परमिट व मार्गों से जुड़े हुए गांवों की सूची

क्र.सं.	मार्ग का नाम	स्वीकृत परमिटों की संख्या	मार्ग से जुड़े हुए गांवों के नाम
1	2	3	4
1.	जैसलमेर-कुड़ी-सत्तो	1	मूलसागर, खोलिया, धोना, गुरिया कुम्भार, कोंटा, छिपाड़, बारह, बूंदी, म्याजलर ।
2.	जैसलमेर-रामगढ़-जैसलमेर-सम	4	जैसलमेर–रामगढ़ वाया बड़ा बाग, बरखेर, कोंटा । जैसलमेर–सम वाया मूलसागर, कोंटा, कनोई, सामोदरा सम ।
3.	जैसलमेर-सेराई	3	बड़ा बाग, बहलसर, बातोकी, पोहरा, राव, मांडा, रिदयाली, घवर, सुलसाना, अराजल ।
4.	जैसलमेर-निम्बला	3	बिहार, नीमला, मोखाला, नागरड़ा, नीमबमा ।
5.	जैसलमेर-शिव	2	वाया भू रामा, चैलक, देवरा, भिभयाली, रंधा, मोड़ा, पाटली, भूगेरिया ।
6.	पोकरण-नाचना	2	रामदेवरा, माचा, लोहारकी, छाया असकंदरा ।
7.	पोकरण-बोनाड़ा	2	सांकड़ा, भेसड़ा, राजगढ़
8.	फलसूण्ड-शिव	3	इन्दू, कानसर, भियान, बिन्दू,
9.	जैसलमेर-मियाजलर-शिव	1	सत्तो, बन्दरा, भुकावर, गिराब, हुड़ाई, हरसानी, सोरलंकी, तानू, जनसिंह की बारी, तायानियार, निम्बासर, भुनगोटा, बालासर, रावतरा ।

1	2	3	4
10.	जैसलमेर-शिव वाया बांध	2	वांय, पिघला, बरन, खुण्डी, फालिया नियालजर, सन्तो, बन्दरा, गिराब, हरसानी, भागोरिया, बालासर।
11.	जैसलमेर-खियाला	3	अमरसागर, लोदरवा, सपसी, झाटोड़, कूचारी, हावर ।
12.	पोकरण-शेरगढ़-चाबा	3	उजला, बारठ का गांव, पदरोड़ा, रातड़िया, संकरिया, दातानिया, सोमेसर, चोरड़िया, सेतरावा, सोलंकिया, ताला, गुगरो, शेरगढ़, दर्जियों की ढ़ाणी, महेन्द्र की ढ़ाणी ।
13.	पोकरण-नोख	1	रामदेवरा, बाढ़ला, नाड़ी, ढ़ाणियां, दूदिया की ढ़ाणियां, साथां, टेकरा धोलिया, खेतूसर, दरजनी, देदाखरी, खाखूरी, नरे की बुर्ज, कानासर, बीका का गांव।
14.	जैसलमेर-सांगड़	1	जोसीरा, हासूवा, गोरेरा, कोढ़ड़ी, जानेरा, भूपिया, गेराब, हापा, अड़वाला, चैलक, बीजोड़ारामा, कोड़ा।
15.	जैसलमेर-दवड़ी	2	नीबा, बौया, फलड़ी, समदाणी, दवड़ी।
16.	जैसलमेर-साधना	2	ब्रडमसर, बैसाखी, चोथरीया, काठोड़ी, गोंगादे, खिवसर, पारेवर, कबीरबस्ती, नगा, तेजपाला, नगों की ढ़ाणी, साधना।

(240)

परिशिष्ट – ब

List of schemes approved by Joint Remembrancer II but still not published by Govt. U/s 68 (D) (3)

Sl. No.	Name of the scheme route
1.	Alwar-Mahaveerji
	Hindon-Mahaveerji
	Hindon-Gangapur
	Gangapur-Keladevi
	Todabhim-Bayana
	Hindon-Sikandra
	Hindon-Kotri
	Gangapur-Sikandra
2.	Dausa-Sawaimadhopur
	Dausa-Gangapur
3.	Digal-Mandawa
	Mukundgarh-Mandawa
4.	Bharatpur-Hindon
	Bharatpur-Bayana
5.	Ajmer-Ramsar
	Ajmer-Mertacity
6.	Udaipur-Barisadri
	Chittorgarh-Barisadri
	Chittorgarh-Chhotisadri
	Udaipur-Fatehnagar
7.	Amet-Kankroli
	Amet-Charbhuja
8.	Ajmer-Sikar
	Ajmer-Dabrela
	Ajmer-Pisangan via Mangaliawas
	Ajmer-Pisangan via Pushkar
	Ajmer-Pushkar
	Makrana-Kuchamancity
9.	Dungarpur-Peeth

Page No 241

(अमर 241)

परिशिष्ट–स

List of 68-C schemes pending with the Joint Legal Remembrancer II

Sl. No	Name of the scheme route
1	2
1.	Beawar-Bhilwara Bhilwara-Deoli
2.	Beawar-Vijainagar Beawar-Barakhan Asind-Vijainagar Asind-Balapura
3.	Chomu-Renwal
4.	Udaipur-Kelwara Udaipur-Nathdwara
5.	Deogarh-Bhilwara Deogarh-Gangapur Gangapur-Raipur
6.	Bhim-Deogarh Deogarh-Bhim Bhim-Todgarh Bhim-Badnore
7.	Dungarpur-Mewara Pith-Galiakot Simalwara-Mandli
8.	Jaipur-Dantaramgarh Jaipur-Hingonia Hingonia-Jobner
9.	Dudu-Malpura

Page No 242

(242)

1	2
10.	Vijainagar-Shahpura via Deoli Vijainagar-Shahpura via Gulabpura
11.	Pratapgarh-Jalandharkhede (RB) Pratapgarh-Arnod Pratapgarh-Rajpuria (RB)
12.	Banswara-Danpur
13.	Mavli-Bhatewar Mangalwara-Nimbahera
14.	Dhariawad-Salumber
15.	Banswara-Narwali Banswara-Dhariawad Banswara-Pratapgarh Banswara-Bansi Dhariawad-Bansi Pratapgarh-Dhariawad
16.	Kota-Sangod via Kaithoon-Deoli-Rupahedi Kota-Sangod via Kaithoon-Deoli-Dudhiakheda-Kanwas
17.	Chittorgarh-Pratapgarh Pratapgarh-Banswara

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 240 की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME (GROUP 7) DEPARTMENT

No. F. 6 (18) Home-7/82 Jaipur, dated the 15-4-82

From

Shri D.C. Jain,
Deputy Secretary to the Government.

To

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Railways,
New Delhi.

Subject: – Construction of New B.G. Railway Line between Tonk, Deoli, Shahpura, Bhilwara.

Sir,

I am directed to say that the Tonk is a District Head Quarter and is not connected by rail. The area is an important agricultural belt and the irrigation facilities available due to Banas River and the agriculturists could not get fare value of their produce due to non-availability of transport facilities. It has Government Leather Tannery and is known for its namda industry, in demand throughout India.

Bhilwara is an important industrial town and is rich in mineral resources. Mica, Copper Phosphate, Soapstone and other minerals are available in abundance. The development of quicker made of transportation would facilitate development of industries.

In Bhilwara district about 10 large and medium units, comprising of vanaspati, textiles and soapstone powder are existing. Important projects under implementation are Asbastes, Cement Pipes, Textiles, Polyster sewing Thread etc. Bhilwara has been selected by the Government of India for being developed into an industrial.

Thus by construction of the above new B.G. Railway Line there would be rapid industrialisation with specific emphasis on development of ancillary units.

You are therefore requested to kindly take up the matter of the construction of the above railway line at an early date.

Yours faithfully,

Sd/-

(D.C. Jain)
Dy. Secretary to the Govt.

No. F. 6 (18) Home-7/83

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME (GROUP-7) DEPARTMENT

Jaipur, dated the 9-2-83

The Director Works,
Railway Board,
Government of India,
Ministry of Railways,
New Delhi-10001.

Subject:-Construction of a new B.G. Line between Tonk, Deoli, Shahpura, Bhilwara.

Ref: -Your letters No. 80/W4/CNL/W/2, dated 20-5-1982, 17-9-1982.

Sir,

I am directed to refer to this department's letter of even number dated 7-7-1982 followed by reminders of even number dated 26-8-1982, and 21-10-1982 on the above subject conveying State Government's views that Tonk, Chittorgarh B.G. Railway Line may also be considered for construction.

You are therefore requested to kindly intimate the action taken at your end in this connection.

Yours faithfully,

Sd/-

Dy. Secretary to the Government.

परिशिष्ट 'अ'

परिशिष्ट--20

अतारांकित प्रश्न संख्या 242 की सूची

उदयपुर शहर की नगर वाहन सेवा के बस नम्बर, मार्ग व सेवाओं (ट्रिप्स) सम्बन्धी सूची

क्रमांक	बस नम्बर	मार्ग का नाम	सेवायें (ट्रिप्स)
1	2	3	4
1.	आर. एस. वाई. 6947	प्रताप नगर से बड़ी बढ़ोतरी औद्योगिक क्षेत्र	3
2.	आर. एस. वाई. 3147	प्रताप नगर से रविन्द्र नगर वाया उदयपुर सिटी	12 (सक्यूलर ट्रिप्स)
3.	आर. एस. वाई. 3148	प्रताप नगर से रविन्द्र नगर वाया उदयपुर सिटी	12
4.	आर. एस. वाई. 5269	तीतरड़ी से चिरवा गांव वाया फतेहपुरा चौराहा, भुवाणा	3
5.	आर. जे. वाई. 4695	नाहर मगरा सेवड़ी वाया डबोक उदयपुर (करटेल्ड दाऊजी की बावड़ी से नाहर मगरा 68 डी योजना का भाग)	3
6.	आर. एस. वाई. 4541	नाहर मगरा सेवड़ी वाया डबोक उदयपुर (करटेल्ड दाऊजी की बावड़ी से नाहर मगरा 64 डी योजना का भाग)	3
7.	आर. जे. वाई. 9165	नाहर मगरा से ओटीसा वाया डबोक (करटेल्ड)	3
8.	आर. एस. वाई. 6772	" " " "	3
9.	आर. जे. वाई. 3911	नाहर मगरा से गोरधन विलास वाया उदयपुर (करटेल्ड दाऊजी की बावड़ी से नाहर मगरा 68 डी योजना का भाग)	3
10.	आर. एस. वाई. 1541	" " " "	3

1	2	3	4
11.	आर. एस. वाई. 6726	नाहर मगरा से नाइ वाया डबोक उदयपुर (करटेल्ड दाऊजी की बावड़ी से डबोक 68 डी योजना का भाग)	3
12.	आर. एस. वाई. 2815	हल्दु वारली से उन्दरी वाया उदयपुर नाइ (करटेल्ड दूधिया गणेश से उन्दरी 68 डी योजना का भाग)	3
13.	आर. एस. वाई. 4709	,, ,, ,, ,,	3
14.	आर. एस. वाई. 7711	उदयपुर से खरबा वाया हिरण मगरी झामरा कोटड़ा.	2
15.	आर. जे. जे. 371	,, ,, ,, ,,	2
16.	आर. जे. वाई. 3873	,, ,, ,, ,,	2
17.	आर. जे. वाई. 4774.	भंवर सिया से मदार वाया डबोक फतेहपुरा	3
18.	आर. जे. वाई. 4701	,, ,, ,, ,,	3
19.	आर. एस. वाई. 4522	,, ,, ,, ,,	3

240

परिशिष्ट—21 प्रपत्र (क)

अतारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूचना

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन रानी तथा देसूरी की वर्तमान सड़कों की स्थिति

(कि. मी. में)

क्र. सं.	सड़क का नाम	डामर	मेटल	ग्रेवल	मिट्टी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	सोजत से देसूरी कि. मी. 2/0 से 50/0	15.0	27.0	6.0	–	48.0
2.	जाडन मारवाड़ जं. से जोजावर	55.0	7.0	–	–	62.0
3.	खेरवा से खारजी	–	–	21.0	–	21.0
4.	जोजावर से कामली घाट	–	6.0	–	–	6.0
5.	सोजत रोड से कन्टालिया	12.0	–	–	–	12.0
6.	वोपारी से सारन	–	–	5.0	–	5.0
7.	खारजी से राणावास	–	2.0	15.0	1.0	18.0
8.	खेरवा से जेतपुरा	–	10.0	10.0	–	20.0
9.	सिरयारी से रानावास	–	6.0	4.0	–	10.0
10.	नांगा की बेरी से मारवाड़ जं.	–	18.0	3.0	–	21.0
11.	सोजत रोड से सरूपा	22.0	–	–	–	22.0
12.	माड़ा से बागोल वाया सिरयारी फुलाई	–	28.0	6.0	–	34.0
13.	बागावास से शिवपुरा जाड़न रोड़	–	4.0	–	3.0	7.0
14.	मेसाना से टूटोड़ सड़क	–	–	8.0	–	8.0
15.	खेरवा से कामली घाट	–	24.0	22/400	–	46/400
16.	धनला से बागोल	2.0	4.0	6.0	–	12.0
17.	गुड़ामोहनसिंह से जोजावर	–	–	9.0	–	9.0
18.	सम्पर्क सड़क रानावास	–	5.0	4.0	–	9.0
19.	वोपारी से चिरपटिया	–	–	9.0	3.0	12.0

249

1	2	3	4	5	6	7
20.	सांरण से जोमुन्डा	–	–	12.0	–	12.0
21.	मारवाड़ जं. से टूटोड	–	4.0	–	3.0	7.0
22.	खिवाना से गाढ़ाना	6.0	9.0	–	15.0	30.0
23.	मारवाड़ जं. से बागरवास	–	–	20.0	–	20.0
24.	गुडा मोखनसिह से गुडा केसरसिह	–	–	4.0	–	4.0
25.	निम्बाहेडा क्रोसिंग से पाचेटिया भिपालिया	–	–	11.0	–	11.0
26.	आसुवा से बाता वाया कराड़ी	–	–	16.0	–	16.0
27.	साण्डेराव से देसूरी सड़क	31.0	–	–	–	31.0
28.	बिलाड़ा से देसूरी	47.2	37.8	25.0	–	110.0
	(केवल 10.5 कि. मी. ग्रेवल देसूरी पं. सं. में आता है)					
29.	सादड़ी से गोगुन्दा	14.0	–	–	–	14.0
30.	किनपुरा रानी देसूरी	50.0	–	–	–	50.0
31.	सादड़ी से परसराम महादेव	–	15.0	–	–	15.0
32.	सादड़ी से रानी वाया मुन्डारा	–	17.0	3.0	–	20.0
33.	दुसी सोमेसर देवली	21.0	–	–	–	21.0
34.	कोट से दिवेर	3.0	3.0	–	–	6.0
35.	रानी से फालना	16.0	–	–	–	16.0
36.	खोड़ जवाली नाडोर सादड़ी	–	22.0	27.0	–	49.0
37.	देवली से नाडोल	13.0	–	–	–	13.0
38.	दुही से नाडोल	2.0	25.0	–	–	27.0
39.	देसूरी से खिवाड़ा	–	–	16.0	–	16.0
40.	ढोला से मान्डल	–	–	5.0	–	5.0
41.	जवाली से परसराम महादेव	1.5	65.5	–	–	67.0
42.	मान्डा से बागोल वाया फुलाद	–	–	10.5	–	10.5
43.	रामासिया नाडोल	1.5	26.5	–	–	28.0
44.	खिवाड़ा से गदाना वाया पाचेरिया, आडना आगदोप	–	–	–	9.5	10.0

Page No 250

1	2	3	4	5	6	7
45.	खोड़ से रानी वाया नादान भाटान	–	–	15.5	3.5	19.0
46.	निम्बाडा क्रोसिंग से पाचेरिया	–	–	5.0	–	5.0
47.	नाडोल से सोमेसर वाया खिवाड़ा	–	7.0	–	31.5	40.0
48.	बागोल से धनला वाया खिवाड़ा	–	–	10.5	–	10.5
49.	धानेराव से दुदापुरा	–	3.0	–	–	3.0
50.	सादड़ी से सेवाड़ी	–	–	–	6.0	6.0
51.	रानी से मोखमपुरा	1.0	2.0	–	–	3.0
52.	देसूरी से आना-गिराला	–	–	–	13.0	13.0
53.	बिजोवा से नाडोल	–	–	4.75	0.25	5.0
54.	लसाका गुडा से रानी	–	–	1.5	1.0	2.5
55.	सिन्दरली से मुन्डारा	–	–	–	7.0	7.0
56.	जीवन खुर्द से खारड़ा	–	–	–	5.0	5.0
57.	तखतगढ़ से देसूरी जिला परिधि तक	31.0	–	–	–	31.0
58.	सम्पर्क सड़क चाचोड़ी	–	–	9.0	–	9.0
59.	सम्पर्क सड़क इढतरा मेड़तियान	–	–	–	2.0	2.0
60.	सम्पर्क सड़क सादलता	–	–	–	3.0	3.0
61.	देसूरी से खिवाड़ा वाया बागोल	15.0	–	–	–	15.0

251

प्रपत्र "ग"

पंचायत समिति खारची, रानी एवं देसूरी का विभागीय एवं अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई सड़कों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	सड़क का नाम	वर्तमान सड़क की प्रगति कि. मी. में				
		डामर	मेटल	ग्रेवल	मिट्टी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	सोजल सिटी से वाराखान वाया कण्टालिया वेबा	12	–	–	–	12
2.	अधूरी सड़क सोजत रोड से संख्या का पूर्ण कार्य	22	–	–	–	22
3.	माण्डा से वागोल वाया सिरीयारी फुलाद	–	28	6	–	34
4.	बागावास से शिवपुरा जादन रोड	–	4	–	8	8
5.	बासन से टूडोर रोड	–	–	8	–	8
6.	सेखा से कामली घाट	–	24	22/400	–	46/400
7.	घनला से बागोर	2	4	6	–	12
8.	गुड़ा मुखानसिंह से जोजावर	–	–	9	–	9
9.	सम्पर्क सड़क राणा वास	–	5	4	–	9
10.	खेरवा से खारची	–	–	21	–	21
11.	वोपारी से चिरपटिया	–	–	9	3	12
12.	सारन से झामण्डा	–	–	12	–	12
13.	मारवाड़ जं. से टूडोर रोड	–	4	–	3	7
14.	खिनवाना से गडाना	6	9	–	15	30
15.	मारवाड़ जं. से वागावास	–	–	20	–	20
16.	मारवाड़ जं. से राणावा	–	2	15	1	18
17.	गुड़ा मुखानसिंह से गुड़ा केसरसिंह	–	–	4	–	4
18.	नीमखेरा क्रासिंग से पानचिरीयां भीमलिया	–	–	11	–	11
19.	आऊवा से वांता वाया काछाली	–	–	16	–	16
20.	वरपाली से सिरोही रोड	18	–	–	–	18
21.	जवाली से परसराम महादेव सड़क	1.5	65.5	–	–	67.0
22.	माण्डा से वागोल वाया फुलाद सड़क	–	–	10.5	–	10.5
23.	रामासिया नाडोल सड़क	1.5	26.5	–	–	28.0

1	2	3	4	5	6	7
24.	खिवाड़ा से गदाना वाया पाचेरिया आड़वा	–	–	–	9.5	10.0
25.	रानी से मुण्डारा सड़क	1.0	17.0	2.0	–	20.0
26.	खोड़ से रानी वाया नादान भाटान सड़क	–	–	15.5	3.5	19.0
27.	निम्बेरा क्रोसिंग से पांचेटिया सड़क	–	–	5.0	–	5.0
28.	नाडोल से सोमेसर वाया खिवाड़ा	–	7.0	–	31.5	40.0
29.	बागोल से घनला वाया खिवाडा	–	–	10.5	–	10.5
30	घानेराव से दुदापुरा सड़क	–	3.0	–	–	3.0
31.	सादड़ी टाउन बाई पास सड़क	–	–	–	–	–
32.	बचाव कार्य सादड़ी, कुम्हारों का मोहल्ला	–	–	–	–	–
33.	सादडी से सेवाड़ी सड़क	–	–	–	6.0	6.0
34.	रानी से मोखमपुरा सड़क	1.0	2.0	–	–	3.0
35	देसूरी से ओना गिराली सड़क	–	–	–	13.0	13.0
36.	बिजोवा से नाडोल सड़क	–	–	4.75	0.25	5.0
37	लासका गुडा से रानी सड़क	–	–	1.5	1.0	2.5
38.	सिन्दरली से मुण्डारा सड़क	–	–	–	7.0	7.0
39.	जीवन खुर्द से खारड़ा सड़क	–	–	–	5.0	5.0
40.	तखतगढ़ से देसूरी जिला परिधी तक	31.0	–	–	–	31.0
41	सम्पर्क सड़क चांचोड़ी	–	–	9.0	–	9.0
42.	सम्पर्क सड़क इटन्तरा मेडलियान	–	–	–	2.0	2.0
43	सम्पर्क सड़क सावलता	–	–	–	3.0	3.0
44	देसूरी खिवाड़ा वाया बागोल	15.0	–	–	–	15 0